खण्ड-391, अंक-10
बृहस्पतिवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1911
(30 मार्च, 1989 ई0)

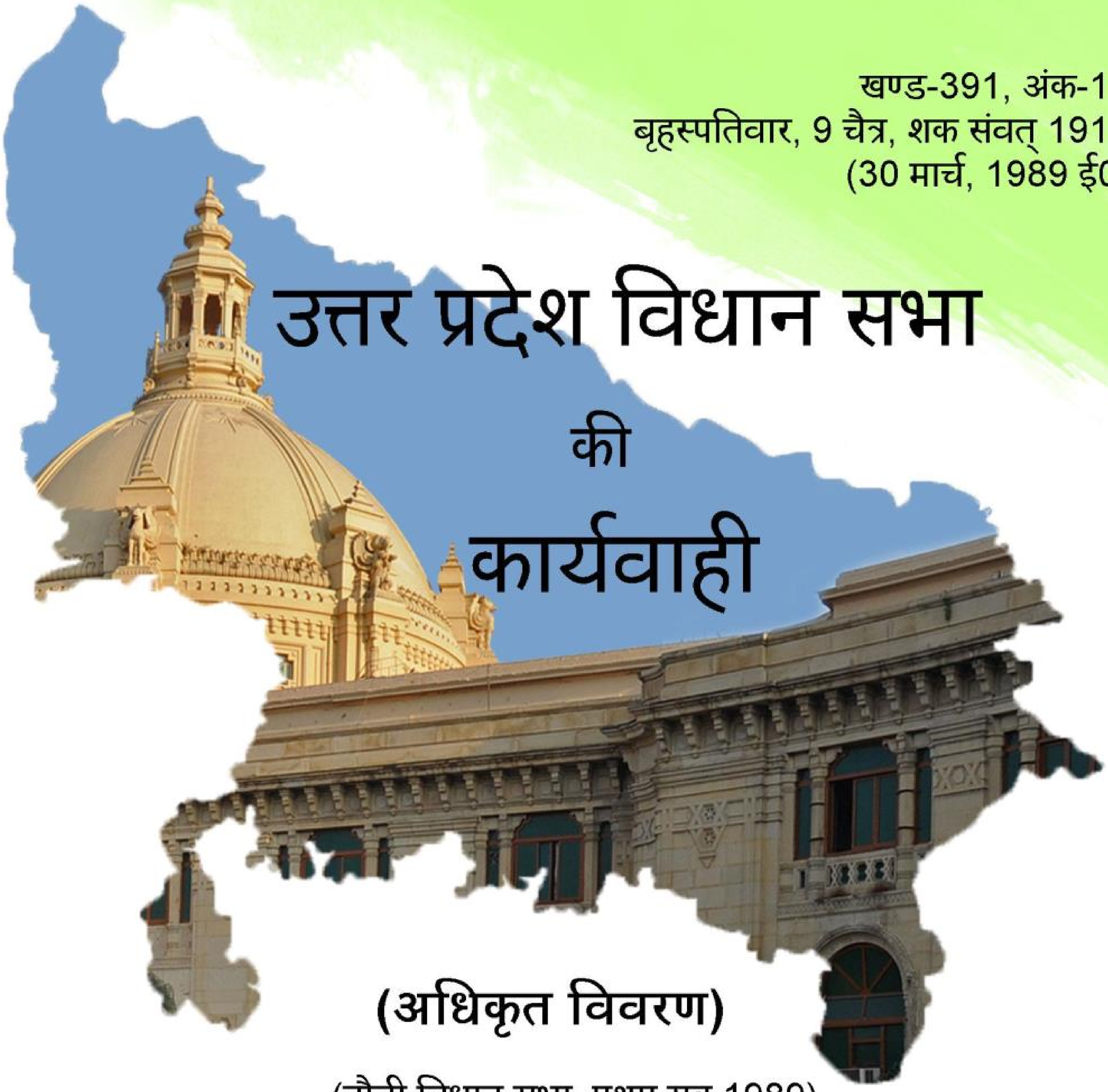

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 30 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ, में 11.02 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन बाबर, श्री — फैजाबाद
अचल सिंह श्री — फतेहपुर
अजीजुर्रहमान श्री — बिजनौर
अमरनाथ सिंह श्री — फतेहपुर
अमीर आलम खां श्री — मुजफ्फरनगर
अरविन्द तिवारी, श्री — जालौन
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
आर0 एन0 पाठक, श्री — कानपुर
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
कमला यादवी, श्रीमती — बस्ती
कमलेश कुमार पाठक, श्री — इटावा
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुशल पाल सिंह, श्री — मथुरा
गौरी शंकर, [illegible] — इटावा
[illegible]नान मौर्य, श्री — आगरा
चेतराम भगवार, श्री — बरेली
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल विकल, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, चौधरी — कानपुर
नरेश पाल सिंह, यादव, श्री — बदायूं
पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
फसीउर्रहमान श्री, (उर्फ मुन्नन खां) — गोण्डा
बलदेव सिंह, कैप्टेन — अलीगढ़
बलदेव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री — लखनऊ
मंगलदेव, श्री — गोण्डा
मनोहर लाल, श्री — उन्नाव
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री — बलिया
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री — रायबरेली
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन) — बरेली
राजित प्रसाद यादव, श्री — वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
राजेश कुमार खैरा, श्री — ललितपुर
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू) — शाहजहांपुर
रीना कुमारी, श्रीमती — मुरादाबाद
विनोद कुमार, श्री — पीलीभीत
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री — कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री — मुरादाबाद
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर — कानपुर
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री — मैनपुरी
शिव बालक पासी, श्री — रायबरेली
श्याम लाल चौधरी, — जालौन
श्रीप्रकाश, श्री — आजमगढ़
संजय सिंह, डा0 — सुलतानपुर
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
सैयद अली अशरफी, श्री — पीलीभीत
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री — मेरठ
हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री — बस्ती
हितेश कुमारी, श्रीमती — बुलन्दशहर

विद्यालय पढ़ेगा सबका

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1-45
आजमगढ़ शहर में सीवर व्यवस्था ठीक कराने आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद आजमगढ़ में विभागों की सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
अलीगढ़ जनपद में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46
जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील के ग्राम दुबारी में चकबन्दी कार्य को पूरा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
गाजीपुर जिलान्तर्गत परगना जहूराबाद के सिधानगर गांव को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
फैजाबाद जिलान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी योजना में लाखों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ क्षेत्र में उपल वृष्टि से फसल की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
हजरतगंज कोतवाली में हुए झगड़े से संबंधित "डाक्टर पुलिस विवाद जांच आयोग, लखनऊ" की रिपोर्ट में प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति तथा रिपोर्ट को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	48
उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित पत्रावलियों को नष्ट किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	50
राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद नगर क्षेत्र की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने सम्बन्धी विधेयक न लाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	51
अपट्रान में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कतिपय विधायकों द्वारा उठायी गयी चर्चा के विरुद्ध अपट्रान के अधिकारियों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	52
मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी मथुरा के इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	53
नवसृजित जनपद फिरोजाबाद के सीमा निर्धारण के संबंध में औचित्य का प्रश्न	58
श्रम विभाग द्वारा वेतन में अनियमितता किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	58
दिनांक 31 मार्च को नियम 301 व 51 के संबंध में समय परिवर्तन की सूचना ..	63
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	65
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	65

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	65
लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीर तकी मीर मार्ग अल्प आयवर्ग, आवास योजना के प्रस्तावित भू-खण्ड से अवैध कब्जादारों को हटा कर गृह विहीन हरिजनों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने विषयक श्री मेवालाल भारती आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ..	65
जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड ललौरी खेड़ा में स्थित मीरापुर पट्टी सियाबाड़ी आदि ग्रामों को देवहा नदी की कटान से बचाने विषयक श्रीगणेश बजाज आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	65
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड के निवासियों के आवागमन की सुविधा हेतु माल दुबग्गा-मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	66
जनपद लखनऊ के विकास खंड माल की ग्राम सभा माल में पानी की टंकी बनवाये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	66
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना को उठाने का प्रयास	66
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	67
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के संबंध में दी गयी सूचना पर न्याय राज्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य ..	67
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	68
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 53–वन विभाग (स्वीकृत)	81
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आयव्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	157
प्रदेश के लखनऊ आदि नगरों में अबोध बालिकाओं के अपहरण एवं बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य	157
जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा स्थित ग्राम रतौली के प्रधान व उनके पिता की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य	159
विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन की अवमानना के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	162
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध दिये गये श्री सुखपाल पाण्डे के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	163
तत्कालीन कांग्रेस (आई) विधान मण्डल दल के नेता श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के विरुद्ध श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा दिये गये विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	163
कतिपय विधायकों के विरुद्ध दिये गये डा0 संजय सिंह के विशेषाधिकार हनन व अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	164

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध श्री रघुबर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	165
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध श्री हर्षवर्धन द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	165
नगर विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य के विरुद्ध डा0 बंगाली सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	166
दैनिक नवभारत टाइम्स (हिन्दी) और उसके संवाददाता के विरुद्ध श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	166
बांदा जनपद में अतर्रा को नई तहसील बनाये जाने की मांग के संबंध में किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	167
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ खोले जाने की घोषणा के फलस्वरूप इलाहाबाद व प्रदेश के अन्य जिलों की जनता एवं अधिवक्ताओं में व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा	170
नत्थियां	196

उत्तर प्रदेश विधानसभा

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
प्रश्नोत्तर	1–45
आजमगढ़ शहर में सीवर व्यवस्था ठीक कराने आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद आजमगढ़ में विभागों की सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
अलीगढ़ जनपद में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील के ग्राम दुबारी में चकबन्दी कार्य को पूरा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
गाजीपुर जिलान्तर्गत परगना जहूराबाद के सिधानगर गांव को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
फैजाबाद जिलान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी योजना में लाखों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ क्षेत्र में उपल वृष्टि से फसल की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
हजरतगंज कोतवाली में हुए झगड़े से संबंधित "डाक्टर पुलिस विवाद जांच आयोग, लखनऊ" की रिपोर्ट में प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति तथा रिपोर्ट को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	48
उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गम्भीर आरोपों से सम्बन्धित पत्रावलियों को नष्ट किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	50
राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद नगर क्षेत्र की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने सम्बन्धी विधेयक न लाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	51
अपट्रान में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कतिपय विधायकों द्वारा उठायी गयी चर्चा के विरुद्ध अपट्रान के अधिकारियों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	52
मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी मथुरा के इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	53
नवसृजित जनपद फिरोजाबाद के सीमा निर्धारण के संबंध में औचित्य का प्रश्न	58
श्रम विभाग द्वारा वेतन में अनियमितता किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	58
दिनांक 31 मार्च को नियम 301 व 51 के संबंध में समय परिवर्तन की सूचना	63
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	65
उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	65

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 30 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के असहायता प्राप्त विद्यालयों की अनुदान सूची में शामिल किये जाने की नीति के संबंध में जानकारी

**1---श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री अवधेश प्रसाद---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने के संबंध में शासन की क्या नीति है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)---

वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए प्रदेश के मैदानी जनपदों के असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने के लिए निर्धारित नीति निर्देश निम्न प्रकार है:---

(क)-(1)---स्थाई निकायों के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों की प्रशासन योजना स्वीकृत हो,

(2) विद्यालय का अनुशासन संतोषजनक रहा हो,

(3) विद्यालय के सभी शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारी नियमानुसार नियुक्त हों,

(4) विद्यालय का पूर्व माध्यमिक स्तर का अनुरक्षण अनुदान यदि निलम्बित हो अथवा उसके लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमिततायें हों तो अनुदान सूची पर आने के दो वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा।

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने के पत्र की तिथि के क्रमानुसार ही संस्था को अनुदान सूची पर लिया जायेगा।

(ग) अनुदान सूची पर लिये जाने वाली संस्थाओं में से 20 प्रतिशत स्थान विद्यालयों के लिए सुरक्षित होंगे।

(घ) एक ही तिथि को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अन्तर्वरीयता पूर्ववर्ती वर्ष की छात्र संख्या और हाईस्कूल परीक्षाफल के प्रतिशत के गुणनफल पर आधारित होगा।

श्री रामआसरे वर्मा---

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश में 451 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, ये सारी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, मगर उनको अनुदान नहीं मिल रहा है। वहां पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि पता नहीं वे किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि किसी को 50 रु0 किसी को 100 रु0, माहवार वेतन मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे 451 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने के लिये कौन सा प्रयास सरकार कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

इस समय तो हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न इससे पूर्व भी उठाये गये और यह निवेदन किया गया था, कि हम अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इन विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं रख सकेंगे। इसलिये वित्तीय संसाधन कम होने के कारण फिलहाल इन 451 विद्यालयों को अनुदान सूची में रखना संभव नहीं है।

श्री धनराज यादव---

मान्यवर, इन असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सहायता न मिलने के कारण बड़ी भारी समस्या प्रदेश के सामने खड़ी हो गयी है। कुछ वर्ष पहले तो बराबर इन्हें सहायता मिलती रही, किन्तु इधर कुछ वर्षों से उसे बन्द कर दिया गया है। आज उनको छोड़कर सब लोगों की, किसी का वेतन बढ़ रहा है तो किसी की सहायता बढ़ाई जा रही है तो क्या इन असहायी अध्यापकों के लिये ही आपने सारी मितव्ययिता या उसे कंजूसी कहें कर रखी है ? तो मेरा

निवेदन है कि क्या आप इन 451 विद्यालयों को टोकन ग्रान्ट देने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

मान्यवर, हमारी सरकार की ऐसे अध्यापकों से पूर्ण सहानुभूति है, लेकिन सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या वित्तीय संसाधनों की है। जैसा कि सम्मानीय सदस्य ने कहा है इन अध्यापकों की तनख्वाह काफी बढ़ गई हैं, इससे भी शासन पर काफी वित्तीय भार बढ़ा है, इस कारण इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे कि हम उनको अनुदान सूची पर ला सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने वेतन संदाय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है यह उन विद्यालयों के बारे में है जिनको आप एडेड सूची में ले आते हैं, तो जो ये तमाम विद्यालय सारे मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें सरकार की नीति के अनुसार वेतन संदाय में आना चाहिए किन्तु सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और वह संसाधनों का बहाना लेकर बच रही है, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी भारी असमानता पैदा हो गयी है और लोगों में असन्तोष है। तो जो भी वित्तीय संसाधन हैं, उसको देखते हुए, चाहे शिक्षा बजट में अन्य स्रोतों से कटौती करनी पड़े, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की योजनाएं हैं, जिसके नाम पर करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है--चाहे उसको आप रद्द कर दें प्राथमिकता तय करने के लिए, किन्तु इनमें से जितने भी विद्यालय मानक पूरा करते हैं, उन सबको अनुदान सूची पर न लाने का क्या कारण है और यदि कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है तो टोकेन ग्रांट देने में क्या दिक्कत है ? क्योंकि उसमें उन्हें इसके अलावा भी कुछ अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया, हमारे वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं हैं कि हम किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची में ले जाएं। जिस तरह से हमारे साथियों की उन अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के साथ सहानुभूति है, प्रशासन की भी पूरी सहानुभूति है। फिलहाल हम विचार नहीं कर सकते हैं, मैं यही निवेदन करूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे 451 विद्यालयों का संसाधनों की कमी के कारण एक साथ ग्रान्ट लिस्ट पर, एडेड लिस्ट पर लाना संभव नहीं है तो क्या यह नीति बना सकने में क्या हर्ज है कि अस्थायी मान्यता प्राप्त जितने हैं, उनको बेस मानकर 10/10, 20/20 विद्यालयों को प्रति वर्ष एडेड लिस्ट पर लाने की कृपा करेंगे, इसमें उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ..

ऐसी नीति में तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री अमिताभ अनिल दुबे--

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ और सरकार की बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि प्रतिवर्ष दो सौ विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया जाएगा। दूसरी बात यह भी बताने की कृपा करें कि अनुदान सूची पहले कितने विद्यालयों को जारी की जा चुकी है ?

श्री अध्यक्ष ...

इसकी तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विजय सिंह राणा--

इन विद्यालयों को सहायता देने के लिए, अनुदान सूची में लाने के लिए कितने वित्तीय भार की आवश्यकता होगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इस पर सरकार बहुत चिन्तित है और हम सोच रहे हैं कि किस तरह से कहां से इसको किया जाए, कैसे अनुदान सूची में लाया जाए ?

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने वित्तीय भार जानना चाहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

यह करोड़ों में है कुछ ठीक से मालूम नहीं है यह तो इधर उधर होता रहता है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

मान्यवर, शिक्षा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम है। असहायिक विद्यालयों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सरकार उनको अनुदान सूची में लाकर, गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करेगी ? दूसरी बात यह कहते हैं कि शिक्षा नीति के माध्यम से हम सबको पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो शिक्षा नीति के विपरीत यह सरकार व्यवहार कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो, ऐसा हम चाहते हैं। पहली बेसिक शिक्षा है उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा है उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा का भी कार्यक्रम चल रहा है तीन प्रकार से हम लोगों को शिक्षित बनाने में लगे हैं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, मैंने कहा कि शिक्षा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां कम है यह प्रश्न का उत्तर न देकर दूसरा उत्तर दे रहे हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है उसके कारण शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसको आप दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने कई बार निवेदन किया है और बार-बार घुमा-फिराकर, अलग-अलग शब्दों में उसी एक प्रश्न को पूछा जा रहा है, कि कब तक अनुदान सूची में ले लेंगे और कब अनुदान देंगे, मूल प्रश्न की भावना भी यही है। मैंने कह दिया हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। फिलहाल हम इन विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर से मुझे बड़ा दुःख और निराशा हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने आप नहीं चल रहे हैं, सरकार ने इनको मान्यता दी है। यह माध्यमिक विद्यालय अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा की पहले से दुर्दशा है वहां पर चल रहे हैं और इनमें ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि शासन की जो अनुदान देने की नीति है यह उन संस्थाओं पर शासन का कोई एहसान नहीं है यह शासन का कर्तव्य है। माननीय मंत्री जी ने अभी संख्या बतायी कि 451 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान इसलिये नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आर्थिक संशाधनों की कमी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या सरकार संपन्न लोगों पर एजुकेशनल सेश लगायेगी ? जिन्होंने समाज का शोषण करके अपनी तिजोरियां भर रखी हैं ऐसे संपन्न लोगों पर एजूकेशनल सेस लगाकर आर्थिक संशाधनों को पूरा करने और मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा नीति गत प्रश्न उठाया है। उत्तर प्रदेश के बड़े और पूंजीपति लोग हमारे भाई के दोस्त हैं।

श्री कल्यान सिह---

टाटा, बिड़ला, डालमियां, कनोरिया, सिवानियां यह जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं यह मंत्री जी और मंत्री जी की पार्टी को लाखों रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपये चुनाव में देते हैं तो कम से कम यह छींटाकशी तो न करियेगा।

श्री सुरेन्द्र सिह चौहान ---

मान्यवर, मैंने जो कहा उसका मतलब है आपकी पार्टी के दोस्त, व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा। जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया फिलहाल वैसा करना संभव नहीं है।

श्री अमर चन्द----

मान्यवर, आगरा की तहसील बाह सर्वाधिक पिछड़ा एव दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। तो इस पिछड़े एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र में जो माध्यमिक विद्यालय हैं क्या उनको वरीयता देकर अनुदान सूची पर लाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिह चौहान ..

मान्यवर' शासन की यह नीति है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनको वरीयता दी जाय। जो ऐसे क्षेत्र हैं जब सरकार विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का विचार करेगी तो ऐसे क्षेत्र के विद्यालयों पर शासन वरीयता से विचार करेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष----

माननीय कौशिक जी, इस प्रश्न पर 20 मिनट हो गये हैं। अब आगे चलने दें। यह प्रश्न कब तक चलता रहेगा ?

श्री कौशिक रमाशंकर ---

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह जो प्रश्न है उससे नीतिगत रूप से सहमत हैं लेकिन उनकी जो नीति है वह साफ तौर पर सामने नहीं आयी है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको अनुदान सूची पर क्यों नहीं रखा गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कृपया स्पष्ट रूप से बतायें कि सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ? वह खाली सहानुभूति ही रखना चाहते हैं या वाकई में वह हमारे शिक्षा स्तर को और हमारी शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं ? जो पिछड़े हुए हैं, इस वर्ष वह अनुदान सूची में अपने फैसले के मुताबिक मान्यता-प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में से कितनों को अनुदान सूची में लेंगे ? इसी वर्ष का बता दें ?

श्री अध्यक्ष----

जब वह कह चुके कि संसाधन है ही नहीं, तो वह क्या बता दें ?

श्री राम आसरे वर्मा ---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सहानुभूति व्यक्त की है, अध्यापकों और कर्मचारियों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। जो प्रश्न आया, उनमे से एक का भी वह जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात वरीयता सूची, वरीयता क्रम के बाद में आती है, उनमें कटौती करके इस मद में दिया जाय। दसरी बात आई कि टोकेन मदद दे दी जाय, कम से कम जो अध्यापक और कर्मचारी एक उम्मीद लिये बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 40-50 साल हो गयी हो, वह टोकेन ग्रांट के बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात माननीय कल्यान सिह ने जैसा कि वित्तीय संसाधन जुटाने के बारे में, कहा, मैं इस पर जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो तीन बातें यहां पर आई हैं, इन तीनों बातों में से किसी एक बात को न मानने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष----

वह तो इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री राम असरे वर्मा--

नहीं मान्यवर, उन्होंने जवाब नहीं दिया।

सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राम असरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, सरकार की इस विरोधी नीति के खिलाफ मैं भी सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री कौशिक रमा शंकर तथा काशी सिंह ऐरी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार की ओर से वित्तीय संसाधन की बात की जाती है, उसके संबंध में रचनात्मक सुझाव दिये गये, उसका भी उत्तर नहीं दिया गया। वह ग्रामीण अंचल के लोगों से कोई भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, इसलिए मैं सरकार की इस गरीब विरोधी नीति के खिलाफ अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विष्णुदेव --

मैं भी सरकार की विरोधी नीति के खिलाफ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री विष्णुदेव भी सदन त्याग कर चले गये।)

जनपद लखनऊ में सीनियर बेसिक विद्यालयों के चयनित सहायक उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

**2--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह ---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में सीनियर बेसिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर 28 लोगों का चयन हो गया तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21-1-89 को चयन सूचना भी सम्बन्धित अध्यापकों को दे दी गई है और 3-2-89 को उनसे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी दाखिल करा लिये गये हैं? यदि हां, तो उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिये गये? क्या यह सही है कि निदेशक बेसिक शिक्षा ने कोई लिखित या मौखिक रोक लगाई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां।

चयनित अभ्यर्थियों में से 17 अभ्यर्थियों ने उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपने प्रमाण-पत्रों की जांच कराई।

शिकायत प्राप्त होने के कारण मामले की जांच शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा की जा रही है।

कोई रोक नहीं लगाई है, केवल चयन से सम्बन्धित मूल अभिलेख अपने कार्यालय में अवलोकनार्थ मंगा लिये हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह --

मान्यवर, ये उर्दू अध्यापक दिसम्बर में चयनित कर लिये गये। जनपद लखनऊ में 21 जनवरी को उनकी चयन की सूचो दे दी गयी, 3 फरवरी, को उन लोगों ने अपने प्रमाण-पत्र दाखिल कर दिये। प्रश्न मेरा था कि नियुक्ति-पत्र क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? जब वे चयनित हो गये, उनके प्रमाण-पत्र दाखिल कर लिये गये, तो उनको क्या मौखिक या लिखित रूप से कोई रोक लगाई गयी, फिर यह आया कि कोई रोक नहीं लगाई गयी। मान्यवर, जब चयन उनका हो गया है, उनके प्रमाण-पत्र दाखिल हो गये हैं, रोक नहीं लगाई गयी है, तो उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी किया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इस चयन प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा निदेशक, बेसिक को एक शिकायत प्राप्त हुई

कि चयन में गड़बड़ी की गयी, चयन प्रक्रिया में जो ठीक से नियमों का पालन करना चाहिए, वह नहीं किया गया है, इसी आधार पर उसे देखा गया, पत्रावली मंगा ली गयी और शिक्षा निदेशक, बेसिक ने पुनः बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को निर्देशित कर दिया कि नियमित रूप से नियमों का पालन करके आप अभ्यार्थियों का चयन कर लें और नियुक्ति कर लें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया उत्तर फिर से दिलवा दें। क्या यह समझा जाय कि चयन निरस्त कर दिया गया जो पूर्व में चयन हुआ था? जिस चयन की सूचना अभ्यर्थियों को दी गयी है क्या वह चयन निरस्त कर दिया गया है डायरेक्टर बेसिक शिक्षा के द्वारा?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, पूरा चयन निरस्त नहीं किया गया। मान्यवर, होता ऐसा है कि नियमों के अनुसार और शासनादेश के मुताबिक एक उर्दू विशेषज्ञ वहां उसमें चयन करने वाली चयन समिति में होता है। चूंकि वहां पर उर्दू विशेषज्ञ बैठे और उर्दू विशेषज्ञ की राय को वेटेज नहीं दिया गया और इस तरह से वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चयन कर लिया। हम अब यह करेंगे कि जो 28 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उनमें से उर्दू विशेषज्ञ ने जिनके बारे में राय दी है कि वह ठीक है, उन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त नहीं किया जायेगा, शेष का चयन निरस्त हो सकता है?

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

मान्यवर, मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि जो निदेशक बेसिक शिक्षा हैं उनकी मर्जी मुताबिक चयन नहीं हुआ था और जो चयन हुआ था वह सही हुआ था लेकिन उन्होंने हेराफेरी कराने के लिए यह किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्टर एजूकेशन जिन्होंने यह जांच किया है इसके अतिरिक्त क्या किसी उच्च अधिकारी से भी इसकी जांच करवायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, ऐसा कहना सत्य से परे है। शिक्षा निदेशक बेसिक का कोई भी इन्टरेस्ट किसी प्रकार का इसमें इनवाल्व नहीं था चूंकि शिक्षा निदेशक बेसिक को एक शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर देखा गया कि ऐसी बात है। उर्दू टीचर जो योग्य होंगे, ठीक होंगे, उनको लिया जायेगा और उर्दू विशेषज्ञ जो चयन समीति में बैठते हैं उनकी राय को वेटेज देना ही होगा जो उर्दू नहीं जानते हैं उनकी राय से यदि कर लिया गया तो चयन में एक कमी होगा। मैं माननीय सदस्य को बड़े अदब से बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि शिक्षा निदेशक बेसिक का कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट हो और दूर दराज से शिक्षा निदेशक बेसिक का कोई ताल्लुक इस मामले से नहीं है। मान्यवर, एक शिकायत आयी और डायरेक्टर ने उस मामले को दिखवाया और दिखवाने पर यह स्पष्ट हुआ कि उर्दू विशेषज्ञ जो हैं उस 11 मामले में राय को वेटेज नहीं दिया गया और 17 में उसके मुताबिक हुआ तो 17 की नियुक्ति होगी शेष जो 11 मामले हैं उसकी फिर से जांच करायी जायेगी और फिर से उसके मुताबिक किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उस चयन के खिलाफ कोई शिकायत हुई और उस पर निदेशक बेसिक शिक्षा ने जांच किया और यह गड़बड़ी पाई कि कुछ लोग जो उसके पात्र नहीं थे उनका भी चयन कर लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच में क्या मामला पाया निदेशक महोदय ने, पैसा लेकर किया गया है या राजनीतिक दबाव में किया गया था, जिसने भी अपात्र व्यक्ति का चुनाव किया अगर निदेशक महोदय की यह जांच सही है और वह आरोप सत्य नहीं है जो माननीय रामचन्द्र बख्श जी ने लगाया है तो इस अपात्र व्यक्ति को जिसने चुन लिया था उन अधिकारी के खिलाफ

क्या कार्यवाही की गयी आपके विभाग की तरफ से, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की क्या उस हिस्से में से उनको भी कुछ मिल गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान-

मान्यवर, तिवारी साहब बहुत ही योग्य, विद्वान और पार्लियामेन्टेरियन हैं मैं अदब से निवेदन कर चुका हूं भाई राम चन्द्र बख्श सिंह से और अदब से आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इनवाल्वमेन्ट हो, धन के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई इसमें किसी तरह का ट्रांजिक्शन हुआ और गड़बड़ी हुई। शिकायत जो मिली उसका आधार यह था कि जो उर्दू के विशेषज्ञ बैठे थे उनकी राय को 11 मामलों में वेटेज नहीं दिया गया।

यही एक आधार था कि नियुक्ति नहीं की गयी। यही मुख्य कारण था। मान्यवर, जो सम्मानित तिवारी जी ने यह कहा कि उस अधिकारी के खिलाफ जिसने जो पात्र व्यक्ति नहीं थे उनको चयनित किया, उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी, मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को तत्काल हटा दिया गया था और मामले का गहराई से परीक्षण करा रहे हैं और जो जांच के परिणाम होंगे, उनके अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यही कारण था कि 11 मामलों में उर्दू विशेषज्ञ की राय को वेटेज बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। पात्र नहीं थे, इस कारण देरी की थी और कोई शिकायत नहीं आयी।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के संदर्भ में कहा कि उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया, क्या स्थानान्तरण करने से उसके सारे दोष मुक्त हो गये ? मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आदेश उन लोगों के चुनाव के बाद जारी हो गये तो उन लोगों को आप ज्वाइन करने के लिये आदेश क्यों नहीं देते हैं और जो अधिकारी भ्रष्टाचारी है क्या उसका निलम्बन करने की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि गहन परीक्षण करेंगे और जो परिणाम आयेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 17 लोग सही पाए हैं, उनको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जायगा और शेष 11 लोगों का जो होना है, कोई कमेटी बनी है, तो उनका कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जल्द करने का प्रयास करेंगे ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के कतिपय चिकित्सालयों हेतु एक्सरे उपकरण के क्रय के संबंध में जानकारी

*1--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 45 चिकित्सालयों में एक्सरे उपकरण खरीदने हेतु जिला प्लान से करोड़ों रुपये की व्यवस्था करने के बाद भी क्या एक्स-रे मशीनें खरीदी गईं ? यदि नहीं, तो धन उपलब्ध कराये जाने के बाद भी प्रदेश के रोगियों को एक्सरे सुविधा से वंचित करने के लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

वित्तीय वर्ष 86-87 में 20, 1987-88 में 16, तथा नवम्बर, 1988 में 2 एक्सरे मशीनों के क्रय हेतु क्रमशः रु0 28.80 लाख, 24.40 लाख तथा 5.41 लाख इस प्रकार कुल 38 मशीनों के क्रय हेतु रु0 58.61 लाख की स्वीकृति दी गयी है।

36 एक्सरे मशीनों के लिये क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

उपरोक्त क्रय की औपचारिकताओं में समय लगने तथा दो बार निविदा आमंत्रित करने के कारण विलम्ब अवश्य हुआ किन्तु इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर अत्यन्त गैर जिम्मेदाराना है। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकष्ट कराना चाहता हूं कि प्रदेश में 36 एक्स-रे मशीनों के लिये आज से तीन साल पहले 86-87, 87-88 में जिला योजना द्वारा धन उपलब्ध कराया गया। शासन स्तर और निदेशालय स्तर पर मशीनों की खरीद की जाने वाली थी, लेकिन 3 साल हो गये और मा0 मंत्री जी कह रहे हैं इस विलम्ब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं। कि तीन वर्ष की अवधि में खरीद न करने का क्या कारण है, दूसरे इस दर से जो मंहगाई बढ़ी है, जिला योजना में सिर्फ 36 एक्स-रे मशीनों का प्राविधान किया गया है, आज जो मंहगाई बढ़ी है तो और कितनी ऐसी एक्स-रे मशीनें धन के अभाव में खरीदी नहीं जा सकेंगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

मान्यवर, एक्स-रे मशीनों की खरीद के संबंध में विधिवत् निविदा आमंत्रित की गयी और उनका क्रम यह है कि 2 फरवरी, 1987 को निविदा आमंत्रित की गयी, 13 मार्च, 1987 को खोली गयीं, 9 अप्रैल, को अपर निदेशक की अध्यक्षता में केन्द्रीय परिषद् की बैठक हुई, 12 जुलाई 1987 को प्रस्ताव पेश किया गया, 18 अक्टूबर, 1987 को समस्त अभिलेख मांगे गये, 13 नवम्बर, 1987 को निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् इस बात की आवश्यकता समझी गयी कि जो एक्स-रे मशीनें मंगायी जायं, उनके रख-रखाव का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

इसलिये जिस भी कम्पनी से यह मशीन मंगायी जाय उनके ऊपर यह शर्त आयत की जाय कि ताकि मशीनें क्रय करने के बाद उनके रखरखाव का वह प्रबन्ध करती रहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मैं जानना चाहता हूं कि जिन मशीनों के आदेश दिये गये वह आदेश जिला योजना का प्रस्ताव पास हो जाने के बाद कितने दिन बाद दिये गये ? जो आपने कहा इससे हम सहमत हैं कि पहले रख-रखाव का इंतजाम होना चाहिये तो क्या यह बता सकेंगे कि इस रख-रखाव का प्रबन्ध किया उनके आदेश दे दिये गये थे अथवा नहीं दिये गये थे उस समय ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

मान्यवर, पहली निविदा में यह शर्त शामिल नहीं थी। इसलिये शासन स्तर पर विचार किया गया तो इन शर्तों के साथ दोबारा टेंडर आमंत्रित किये गये इस वजह से उसमें विलम्ब हुआ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि औपचारिकतायें पूरी करने में समय लगा मैं जानना चाहता हूं कि वे ऐसी कौन सी क्षौपचारिकतायें हैं जिनके लिये तीन वर्ष का समय लगता है और अभी कितने वर्ष और लगेंगे औपचारिकतायें पूरी करने में ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं आदेश दे दिये गये, उत्तर में भी लिखा हुआ है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

औपचारिकताओं में कमीशन का निर्धारण होना था, जो खरीद फरोख्त होनी थी, जो आप को अधिकारियों को लेना था।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मैंने तिथिवार सूचना दी कार्यवाही की। जो दोबारा आदेश दिये गये टेंडर मंगाये गये उनकी तारीख बता रहा हूं। जनहित में, स्वास्थ्य ने जनता के हित में यह शर्तें लगायी गयी थी। यह 3-2-88 को पुनः निविदा की गयी, 23-2-88 को खोली गयी, 6-8-88 को प्रस्ताव पास हुआ, 23 सितम्बर को मंगायी गयी 24 सितम्बर को आ गयी। 13-3-89 को आदेश दे दिये गये। अगर यह दोबारा शर्तों सहित निविदा नहीं की गयी होती उनके रख-रखाव में बाधा पड़ती। इसमें कमीशन और किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओसान सिंह---

तीन वर्ष के अन्तराल में सब औपचारिकतायें पूर्ण करायी स्वास्थ्य विभाग जैसे आवश्यक विभाग के लिये यह जनता को एक्स-रे मशीनें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, मैंने कहा कि आर्डर दे दिये गये हैं यथाशीघ्र आते ही सप्लाई कर दी जायेंगी।

चौधरी भगवती प्रसाद---

जिन-जिन अस्पतालों में एक्सरे मशीन स्थापित की गयी हैं क्या शासन ने कोई ऐसे निर्देश हैं कि द्वितीय तल या तृतीय तल में वह स्थापित की जाय ? मैं बताना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिला चिकित्सालय में जो नयी एक्सरे मशीन स्थापित हुई है वह द्वितीय तल पर स्थापित है मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर ऊपर ले जाना पड़ता है ? क्या इस कठिनाई को देखते हुए भूतल या प्रथम तल पर स्थापित करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, यह इस प्रश्न से संबंधित तो नहीं है लेकिन मान्यवर सम्मानित सदस्य ने एक बात बतायी है। अगर वह भूतल में उसकी स्थापना आवश्यक होगी तो करा दी जायेगी।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में मनोरोगी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में कायम मुकदमें की विवेचना

*2---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार को जानकारी है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग में उपचार के लिए भर्ती एक मनोरोगी महिला के साथ 30 जनवरी, 89 को दो वार्ड ब्वाय ने बलात्कार किया जिस पर उन दोनों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और अभी तक दोनों दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा मुकदमा कायम कर उन्हें गिरफ्तार न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

के0 जी0 मेडिकल कालेज में मनोचिकित्सा विभाग में भर्ती एक महिला रोगी के साथ दिनांक 30 जनवरी, 1989 को दो वार्ड व्याय द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की शिकायत है। दिनांक 3 फरवरी, 1989 के आदेश द्वारा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग ने उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

दिनांक 23 फरवरी, 1989 के पत्र द्वारा प्रश्नगत दोनों वार्ड व्यायज को प्रमुख अधीक्षक गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय ने लिखा कि वे दोनों महिला रोगी के पति के अनुपस्थिति में उसे फिमेल वार्ड से नीचे ले गये और उन्होंने अभद्र तथा अश्लील व्यवहार किया। उस पत्र में इस बात का उल्लेख भी था कि ऐसा व्यवहार उस समय किया गया जबकि वे दोनों वार्ड व्याय ड्यूटी पर नहीं थे और शराब के नशे में थे। उक्त दोनों कर्मचारियों को इस बात से भी अवगत करा दिया गया कि इस प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु समिति गठित की गई और उनसे अपेक्षा की गई है कि समिति के जांच पूर्ण करने में सहयोग दें। समिति की पूर्ण जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

एस0आई0 थाना वजीर गंज, जनपद लखनऊ की दिनांक 27 फरवरी, 1989 की आख्या के अनुसार दोनों अभ्युक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354/376 के अधीन मुकदमा कायम है, जिसकी विवेचना जारी है। अभ्युक्तों को गिरफ्तार भी किया गया था तथा उनकी जमानतें जे0एस0 (तृतीय) न्यायालय में खारिज होने के पश्चात् माननीय सत्र न्यायालय से हो चुकी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन् माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि जेल, थाना और अस्पताल यह ऐसी जगहें हैं, जहां आदमी अपने को सुरक्षित समझता है। लेकिन आप देखें कि माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, उसमें कहा गया है कि एक महिला वार्ड में दो वार्डव्यय शराब के नशे में धुत होकर वहां गये, जब उनकी ड्यूटी भी नहीं थी। मान्यवर, मेडिकल कालेज की व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है, इसका आप इसी बात से अन्दाजा लगायें कि दो लोग शराब के नशे में धुत होकर पहुंच गये और उनको वहां कोई रोकने वाला नहीं था। श्रीमन् यह 30 जनवरी की घटना है और विभागाध्यक्ष ने 3 फरवरी को 4 दिन के बाद उन दोनों बार्डव्याय को निलम्बित किया और रिपोर्ट भी काफी समय बाद में दर्ज कराई गयी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस विभागाध्यक्ष को इस घटना की सूचना कब और किसने दी और जब उनको घटना की सूचना मिली, तो उसने निलम्बित किया, लेकिन उसी समय एफ0आई0आर0 लाज कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ? साथ ही कितने दिनों के बाद और किसके द्वारा इसकी एफ0आई0आर0 लाज हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, सम्मानित तिवारी जी ने जो बिन्दु उठाये हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज में सुरक्षा व्यवस्था के लिये कोई पुलिस तैनात नहीं है। रोगियों के अभिभावक, वहां के कर्मचारी मेडिकल कालेज में अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जाते हैं और वह उपरोक्त दोनों वार्ड ब्वाय वहीं के थे, लेकिन उस समय डियुटी पर नहीं थे। इसलिये उनको रोकने के संबंध में कोई गार्ड वगैरह की बात ही नहीं उठती है। घटना की सूचना महिला के पति ने वहां के अधीक्षक को दी और अधीक्षक ने थाने में उसके प्रार्थना-पत्र को अग्रसारित कर दिया। उसके बाद विभागाध्यक्ष ने उक्त दोनों कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया। एफ0आई0आर0 लाज हो गयी है, उसकी विवेचना हो रही है। मान्यवर, इस तरह आप देखें कि जो कार्यवाही वहां हो सकती थी, वह सब की गयी है।

श्री रबुबर दयाल वर्मा--

श्रीमन् आप स्वयं देखें कि बार्डव्याय ने बलात्कार किया शराब पीकर। उसको तो निलम्बित कर दिया गया लेकिन जो अधीक्षक इसके लिये जिम्मेदार है, जिसकी व्यवस्था इतनी लुन्ज-पुन्ज है, उसके खिलाफ क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे, जिसके रहते यह काम हो गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित --

श्रीमन्, अधीक्षक पूरे मेडिकल कालेज के वृहद क्षेत्र में प्रबन्ध व्यवस्था देखता रहता है और किसी पर्टीकुलर जगह मौजूद नहीं रहता। अधीक्षक को जैसे ही इस घटना के संबंध में प्रार्थना-पत्र मिला, उसने तुरन्त उसे पुलिस के पास भेज दिया और जो दोषी कर्मचारी थे, उनको निलम्बित कर दिया।

श्रीरबुबर दयाल वर्मा- --

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो यह है कि जिन बार्डव्याय की डियुटी भी नहीं थी, वह शराब के नशे में वहां घुस गये। उस समय कोई न कोई इंचार्ज तो वहां रहा होगा, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

मान्यवर वहां के इन्चार्ज, डाक्टर या अधीक्षक किसी का भी कोई दोष इसमें साबित नहीं होता।

श्री विजय सिंह राणा--

जान्यवर, एक बात तो साफ हो गयी कि वहां बलात्कार हुआ और बलात्कार बार्डव्याय ने किया। वहां कोई न कोई इन्चार्ज तो अवश्य ही रहा होगा, चाहे एम0डी0 हो, चाहे डाक्टर हो। कोई बार्ड ब्वाय तो अस्पताल का इन्चार्ज हो नहीं सकता। चाहे कोई सीनियर डाक्टर ही रहा होगा। आपने तो सारी जिम्मेदारी उन दोनों पर फिक्स कर दी। लेकिन वहां का जो इन्चार्ज है, जिसकी क्षमता ही नहीं है कि वह सही प्रबन्ध वहां कर सके, उसको आपने कोई पनिश्मेंट क्यों नहीं दिया? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस बात को तिवारी जी ने भी पूछा, वर्मा जी ने भी पूछा और कहा कि कोई न कोई इन्चार्ज तो रहा ही होगा और आप उसको ऐसे ही दोषमुक्त किये दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चाहे जो भी इन्चार्ज था, डाक्टर था अथवा एम0डी0 था, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर इस मामले को हम अलग से दिखवा लेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना किस तारीख में घटी और उस महिला के पति ने लिखित रूप में इसकी शिकायत अधीक्षक को किस तिथि में दी और उस पर कब कार्यवाही की गई? साथ ही एफ0आई0आर0 कब लाज की गई?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो हो गया है।

प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान किया जाना

*3---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के बारे में शासन की क्या नीति है और इस दिशा में क्या-क्या प्रयास शासन द्वारा किये जा रहे हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

शासन द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा इसकी शिक्षा एवं विकास हेतु एक परामर्श दात्री समिति का गठन किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है, उसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में कौन-कौन सी संस्तुतियां की गई हैं? दूसरा, यह कि लखनऊ में जो नेशनल कालेज आफ नेचुरैपैथी है, जिसके पाठ्यक्रम को शासन द्वारा मान्यता न दिये जाने के कारण जो केन्द्रीय परिषद् से उनको अनुदान मिल सकता था, उससे भी उनको वंचित रखा जा रहा है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित---

मान्यवर, परामर्शदात्री समिति की एक बैठक हो चुकी है इस परामर्शदात्री समिति को यह निर्देश दिया गया है कि वह गोरखपुर प्राकृतिक चिकित्सालय, हैदराबाद व बंगलौर के चिकित्सालयों का निरीक्षण करे और वहां की पद्धति का अध्ययन करे, उसके बाद अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे।

श्री सुखपाल पाण्डे---

मान्यवर, 1976 में इस समिति का गठन किया गया। 1977 में इस समिति ने 18 सूत्रीय संस्तुतियों की रिपोर्ट भी आपके पास में आई है। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि वे 18 सूत्रीय संस्तुतियां क्या हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, जैसा कि श्री पाण्डेय जी ने कहा। 1976 में इसकी स्थापना का निश्चय हुआ।

1979 में इसे मान्यता दे दी गई। 25-5-87 को आयुर्वेदिक निदेशक की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति का गठन हुआ, जो विभिन्न विधियों का इस समय परीक्षण कर रही है। जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आ जायेगी, तभी इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह---

मान्यवर, नेचुरोपैथी एक सस्ती चिकित्सा है। कहा भी गया है, "प्रिवेन्शन इज बेटर दैन क्योर।" 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब यह परामर्शदात्री समिति बनाई गई थी। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे मान्यता दे दी। 1979 में ही लखनऊ के इस नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी को 10 लाख रुपए का अनुदान भी दे दिया गया था, उसके बाद यह कालेज लगातार चल रहा है। परामर्शदात्री समिति ने 25-3-1988 को सभी स्थानों का निरीक्षण भी कर लिया, परन्तु आज तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। मेरा आरोप है कि आयुर्वेदिक का जो डाईरेक्टर श्री सत्यपाल सिंह गुप्ता है, वह महान भ्रष्ट आदमी है, वह लगातार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को खाये जा रहा है। आप उसे एक बार एक्सटेन्सन भी दे चुके हैं, फिर एक्सटेन्सन देने जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के लिये उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब 25-3-88 को निरीक्षण हो गया तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

कोई अधिकारी भ्रष्ट है, इसके लिए कोई निश्चित सूचना सम्मानित सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह जी देंगे तो उस पर जांच करा लूंगा। जहां तक प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना का सवाल है, दूसरे प्रदेशों में इस पद्धति का कैसे प्रयोग हो रहा है, हमारे प्रदेश में इसका अच्छे से अच्छे ढंग से प्रयोग हो, इसके लिये अध्ययन करना जरूरी है। आदेश दिये हैं कि परामर्शदात्री समिति दो माह के अन्दर सब जगह का परीक्षण करके अपनी संस्तुति दे दे।

[(तत्पश्चात) तारांकित प्रश्न संख्या-1 के पुकारे जाने पर)]

श्री राम आसरे वर्मा---

आप केवल एक ही सवाल पूछने का मौका देते हैं, दूसरा सवाल पूछने नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप अपना प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा---

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ के नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी को किस को मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं और कब तक मान्यता दे देंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, माननीय सदस्य लिख कर दें, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राम आसरे वर्मा जी। और कोई प्रश्न?

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह तो आपकी अनुमति पर निर्भर करता है, आप अनुमति देंगे तो 10 बार पूछूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी समितियों की संचालन व्यवस्था एवं चुनाव

*1-- श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री सूर्य प्रताप शाही---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी

समितियों का संचालन परगना अधिकारियों को प्रशासक बनाकर किया जा रहा है ? यदि हां, तो कृषि उत्पादन मंडी समितियों के निर्वाचन कराकर उसके संचालक मण्डल को गठित कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या यह भी सच है कि प्रशासकों पर कार्यभार की अधिकता के कारण वह कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की देखरेख और संचालन में समय नहीं दे पाते हैं इस कारण कृषि उत्पादन मण्डी समितियां घाटे में चल रही हैं तथा काश्तकारों को हानि हो रही है ? यदि हां, तो संचालक मण्डल के निर्वाचन की प्रक्रिया आदि को पूरा कराकर कब तक इनके चुनाव करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल)---

जी हां।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अनुसार 22-5-89 तक प्रशासक का कार्यकाल है। चुनाव का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जी नहीं।

यथाविधि शीघ्र कार्यवाही करायी जायेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा, एक बात जानना चाहूंगा आप स्वयं देखें उत्तर में स्वीकार किया है कि 22-5-89 को आपके प्रशासक का कार्यकाल समाप्त हो जायगा, जब कार्यकाल समाप्त हो जायगा तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया आपको आरम्भ कर देनी चाहिये। इस कार्यकाल से पहले क्या चुनाव करा देंगे ? दूसरी बात, जो प्रशासक मण्डल आप बनाना चाहें उसमें कौन-कौन चुने जाने के लिये आये होंगे, इसकी क्या रूपरेखा है जिस पर शासन विचार कर रहा है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

माननीय वर्मा जी के प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर, जो मैंने उत्तर दिया है उसमें प्राप्त हो गया है। मैंने निवेदन किया था कि 22 मई, 1989 तक का जो कार्यकाल बढ़ाया है, तब तक है। यह भी निवेदन किया कि चुनाव का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मैंने पूछा है कि जब से मई में कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे या नहीं ? संचालक मण्डल में कौन वोटर्स होंगे आढ़तियों में से कौन होगा, किसानों में से कौन होगा ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय वर्मा जी को जानकारी है, जानकारी दे भी दूं वहां हमारे किसानों का, आढ़तियों का, प्रधानों का जो प्रतिनिधित्व है, वह इसमें होता है। मण्डी परिषद् का अधिनियम है, वह आ जायं, दिखा दूंगा कि किसका-किसका प्रतिनिधित्व होना है। यह यूनीफार्म प्रक्रिया नहीं है। यह मण्डी का क्या साईज है, नम्बर का निर्धारण उसके अनुसार किया जाता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर हम यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मई का महीना आने में अब कितनी देर है, अप्रैल के बाद मई आ ही जायेगी ? आप क्या चुनाव कराने की तिथि आज घोषित करेंगे मई के पहले ? यदि नहीं, तो क्या आप इसके लिये अध्यादेश लायेंगे ? अभी सदन चल रहा है, यदि अध्यादेश लाना है तो उसे अभी लाना चाहिये यदि यह नहीं है तो फिर मई के पहले चुनाव की तिथि घोषित होनी चाहिये जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, मैंने किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा है कि चुनाव नहीं करायेंगे। मैंने यह भी निवेदन किया है अपने मूल उत्तर में इस प्रश्न के जवाब में कि यदि हां, तो संचालक मण्डल के निर्वाचन की प्रक्रिया आदि को पूरा कराकर कब तक इसके चुनाव करा देंगे, मैंने उत्तर में कहा है कि यथाशीघ्र कराये जायेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस बात पर सहमत हैं कि प्रशासकों के कार्यकाल में मण्डी परिषद् में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। मण्डी परिषद् से जो सुविधा किसानों को मिलनी चाहिये, उस सुविधा से वे वंचित हैं। आढ़तिया ही मण्डी परिषद् की सेवा से लाभ उठा रहे हैं। इसीलिये मैंने और माननीय वर्मा जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि जैसे सब संस्थाओं के चुनाव करा दिये गये हैं, तो यह कलंक आप अपने माथे पर क्यों लगाये हुए हैं ? 22 मई, 1989 तक प्रशासकों का कार्यकाल है तो उस समय के भीतर आप चुनाव के कार्यक्रम क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

श्रीमन्, माननीय शाही जी ने तीन बिन्दु अपने प्रश्न में उपस्थित किये हैं-(1) जो अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं इसलिये वहां पर अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, (2) किसानों के वेलफेयर के लिये काम नहीं हो रहा है, और (3) चुनाव करा लें, कलंक न लगवायें। माननीय शाही जी के पहले दो प्रश्न कि भ्रष्टाचार है और आमदनी कम है मैं इससे सहमत नहीं हूं। मान्यवर, मैंने मण्डी परिषद् द्वारा विगत दिनों जो किसानों के लिये भलाई के कार्य किये हैं, ऐसे वेलफेयर के कार्य कभी नहीं हुए हैं। जिस समय जनता पार्टी का शासन था उस समय भी नहीं हुए। चुनाव कराने की बात माननीय शाही जी ने तथा माननीय वर्मा जी ने कही। इसी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक तरफ रख कर जनता पार्टी के शासन काल में मनोनयन का काम हुआ।

तो अगर इतने ही संसदीय व लोकतंत्र प्रणाली के हामी माननीय वर्मा जी थे तो अपने कार्यकाल में ही इन चुनावों को करवा दिए होते, हम जब इस पर कह रहे हैं, तो हमारी नियत पर शंका की जा रही है कि चुनाव शायद हम नहीं करायेंगे। दूसरी बात जैसा कि माननीय शाही जी ने बताया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है तो मैं इस संबंध में उन्हें और आपके माध्यम से पूरे सदन से यह अनुरोध कर बताना चाहूंगा कि निरंतर पिछले वर्षों से मण्डी समितियों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1981-82 में श्रीमन् 21 करोड़ समथिंग थी आमदनी, 83-84 में 24 करोड़, 85-86 में 28 करोड़, 86-87 में 32 करोड़ तथा 88-89 में 33 करोड़। और यही नहीं मान्यवर, हम जो शुल्क वसूल करते हैं, उसका उपयोग मंडी वेलफेयर के लिए करते हैं और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में लागू नहीं है, यहां पर लागू है . . .

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भाषण किसके प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं। . . . .

(व्यवधान)

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, मैं शाही जी के प्रश्न के बारे में जवाब दे रहा था। . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप अपने उत्तर को जरा संक्षेप में दें . . . . . (शोर)

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं सहमत हैं कि मंडी समितियों से किसानों का हित जुड़ा आ है, मंडी समितियों की दैनिक व्यवस्था और दैनिक प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो किसानों के हित का हो। और इसे मान्यवर, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह प्रशासन और यह व्यवस्था एक अधिकारी के नियंत्रण में होकर किसानों के पक्ष में कभी हो ही नहीं सकती है और न कभी इससे

पहले हुयी है इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि मण्डी समिति के क्षेत्र में जो विधायक आते हों, उस विधायक को, ब्लाक प्रमुख को और जिला परिषद् के सदस्य को मिलाकर एक समिति बनवा दी जाए जो वहां के कार्य को देखे और वहां का नियंत्रण कभी भी एस0डी0एम0 या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में न रहे, इसमें जनता के प्रतिनिधियों का प्रमुख रूप से रहना बहुत आवश्यक है क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे? चुनाव आप जब कराएं, तब कराएं, जब तक चुनाव नहीं होते तो क्या ऐसी व्यवस्था कोई करने पर आप विचार करेंगे?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है चुनाव संबंधी ठीक उसी के विपरीत माननीय राणा जी ने सुझाव दिया है कि वहां का मनोनयन कर दिया जाए श्रीमन्, जब कोई निर्णय इस पर लिये जायेंगे तो माननीय राणा जी के सुझाव पर भी विचार कर लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा---

नहीं मान्यवर, मैंने कोई विपरीत बात नहीं कही है मैंने यह कहा है कि चुनाव आप जब कराएं तो कराएं लेकिन जब तक यह चुनाव नहीं हो रहे हैं तो क्या उस समय तक यह व्यवस्था लागू करने पर विचार करेंगे यह कहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, स्थानीय निकायों के चुनाव हो गये, कोआपरेटिव्स के हो गए तो क्या कोई तिथि इनके चुनावों की भी निश्चित करेंगे कि कब से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी? दूसरे जो आपने बताया कि फलां वर्ष में 28 करोड़ और फलां वर्ष में 32 और 33 करोड़ आया है। इसी संबंध में मेरी एक सूचना कि आपके पास मण्डी परिषद् का लगभग 80 हजार रु0 जमा है, क्या इस पैसे से जैसा कि हरियाणा में सड़कें बनवायी गयीं हैं और सारा वहां का पैसा इन सड़कों के निर्माण में खर्च हुआ है क्या ठीक उसी हिसाब से आप भी उस 80 हजार रु0 से यहां पर सड़कों के बनवाने का काम करेंगे?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, मण्डी परिषद् से संबंधित बहुत ही रचनात्मक सुझाव मा0 सिंह साहब ने दिया है, जिसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और जो भावना उन्होंने व्यक्त की है, उसी के अनुकूल हमारे यहां पहले से ही निर्णय ले लिया गया है कि मण्डी परिषद् द्वारा पूरे प्रदेश में जितने भी सम्पर्क मार्ग हैं उन मार्गों का हम निर्माण कराएं, और वह निर्माण हम कराने जा भी रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में कम से कम 5-6 सौ किलोमीटर की सड़कों का निर्माण मंडी परिषद् द्वारा कराने जा रहे हैं, जिससे किसानों का उत्पाद मंडी तक पहुंच सके।

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, पूरे प्रदेश में धान कूटने के छोटे छोटे उद्योग हैं, धनकुट्टियों से धान किसान कूटता है, तो इसके लिये इसे तीन विभागों से परमीशन लेनी पड़ती है, एक तो जिला परिषद्, दूसरे एफ0सी0आई0 और तीसरे मंडी परिषद्। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंडी परिषद् से जो परमीशन ली जाती है, उसमें छूट देंगे और क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको एक ही विभाग से परमीशन लेनी पड़े?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

दुबारा आप प्रश्न कर दें।

श्री गोपी नाथ वर्मा---

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसान धान कूटने के लिये धनकुट्टी लगाता है, तो उसे तीन विभागों-जिला परिषद्, एफ0सी0आई0 और मंडी परिषद् से परमीशन लेनी पड़ती है, इससे उसे दिक्कत होती है। तो क्या माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसे एक ही

विभाग से परमीशन लेना पड़े और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वह व्यवस्था कर दें कि उनके विभाग, मंडी परिषद् से ही परमीशन न लेनी पड़े, उसे छूट देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग ही प्रश्न है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उनके पास 80 करोड़ रुपया जमा है, उसका सही उपयोग सम्पर्क मार्ग बना कर करेंगे।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें तो बता दूं अन्यथा कल बजट है उसमें यह सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी।

प्रदेश के कृषि विपणन विभाग में पदों का स्थानान्तरण एवं रिक्त पदों की पूर्ति

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 3306/12-8-133/75, दिनांक 14-7-76 द्वारा कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गई थी तथा शासनादेश संख्या 476/12(9)-1899(24)/81 दिनांक 18-8-82 द्वारा कृषि विभाग से कृषि विपणन विभाग में पदों का स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो राजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग को अब तक अलग न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि राजपत्रित अधिकारियों को अलग न किये जाने से कृषि विपणन सेवा श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति न हो पाने के कारण 14 पदों में से 8 पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां।

दिनांक 18-8-82 को कृषि विभाग से कृषि विपणन विभाग में श्रेणी-1/श्रेणी-2 के कुल 14 पदों को हस्तांतरित किया गया। इनमें से श्रेणी-2 के 8 रिक्त पदों को भरने के पूर्व इस बात का विस्तृत आंकलन कराया जा रहा है कि कृषि विपणन निदेशालय में वास्तव में कितने पदों की आवश्यकता है। इस प्रकार आंकलित पदों के भर्ती के स्रोत एवं सेवा संबंधी अन्य संगत बिन्दुओं की छानबीन करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही पूर्ण होते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने प्रश्न कुछ किया था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर कुछ और दिया है। मैंने प्रश्न किया था कि कृषि विभाग से कृषि विपणन विभाग में पदों का स्थानान्तरण किया गया था तो राजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग को अब तक अलग न किये जाने के क्या कारण हैं और राजपत्रित अधिकारियों को अलग न किये जाने से कृषि विपणन सेवा श्रेणी दो के पदों पर पदोन्नति न हो पाने के कारण 14 पदों में से 8 पद रिक्त पड़े हैं और तो क्या माननीय मंत्री जी श्रेणी दो से इन पदों को भरने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैंने माननीय वर्मा जी के मूल प्रश्न के उत्तर में वे सारी बातें बता दी हैं जो उन्होंने अपने इस अनुपूरक प्रश्न में पूछी हैं। मैंने निवेदन किया कि 8 पद रिक्त हैं। इन पदों की भर्ती के पूर्व उनसे सम्बन्धित जो अन्य पहलू हैं जो सेवा सम्बन्धी भर्ती के स्रोत हैं उनकी हम जांच कर रहे हैं और यथाशीघ्र इन रिक्त पदों को भरने के लिये, उसको अलग करने के लिये तथा पदोन्नति करने के लिये हम कार्यवाही करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि श्रेणी–2 के पदों पर पदोन्नति के लिये कितना समय लगेगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हम इसे यथाशीघ्र कर देंगे। हमारा प्रयास है कि हम यथाशीघ्र कर दें लेकिन केवल उससे पूर्व जो औपचारिकतायें है उन्हें पूरा कर द। उसके बाद ही हम पदोन्नति कर पायेंगे।

परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताये एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कृत कार्यवाही

*3—श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 88 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पूरे प्रकरण की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्री संकटा प्रसाद यादव प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति से प्राप्त शिकायती पत्र की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर से करायी गयी।

दिनांक 26–3–89 को प्राप्त प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में नियुक्ति में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का आरक्षण

*4—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1987 में प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में नियुक्त हेतु एक हजार चार सौ पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस हेतु स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण था ? क्या यह सत्य है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित लगभग 70 स्थानों के लिए मात्र 32 अभ्यर्थी ही स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे फिर भी उन्हें चयनित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 69 पद आरक्षित थे तथा 43 अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हुए जिनमें से 42 अभ्यर्थी चयनित कर लिये गये।

प्रदेश में पशुपालन विभाग में कुक्कुट पालन निरीक्षकों के पदों की संख्या तथा पदोन्नति किये जाने की मांग

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग में कुक्कुट निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसमें से कितने स्थाई और कितने अस्थाई हैं ? क्या यह सत्य है कि स्थाई पदों की जगह पर अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि कुक्कुट निरीक्षकों के पद इस विभाग में सहायक संवर्ग के हैं ? यदि हां, तो इनके रिक्त पदों पर पदोन्नति से न भरकर कनिष्ठ लोगों से काम लिये जाने के क्या कारण हैं ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)---

पशुपालन विभाग में कुक्कुट निरीक्षकों के स्वीकृत 66 पदों में से 52 पद स्थाई तथा 14 पद अस्थाई हैं।

जी हां।

प्रश्नगत नियुक्तियां कार्यहित में की गयी हैं।

जी हां।

मण्डल स्तर पर कार्यहित में वरिष्ठता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव के तदर्थ प्रोन्नतियां दी गयी हैं।

प्रदेश में जनता शासन में कृषि मंडी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव की व्यवस्था

*6---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता शासन में कृषि मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आप सवाल देख लें। जनता शासन में कृषि मण्डी समितियों द्वारा कुछ सम्पर्क मार्ग बनाये गये थे और उनके रख-रखाव की व्यवस्था करने में भी यह शासन असफल रहा है। मेरा सवाल यह था कि जो काम उस समय कराया गया था मंडी समितियों द्वारा जो सड़कें बनायी गई थीं उनकी मरम्मत के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई। मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी सवाल था और मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें सूचना एकत्र की जा रही है। मंत्री जी बता दें और जैसाकि उन्होंने अभी बताया कि वे 5/6 सौ सड़कें बनवा रहे हैं तो क्या उन मंडी समितियों द्वारा बनाये गये मार्गों के रख-रखाव के बारे में मंत्री जी सदन को कोई आश्वासन देंगे?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का अगर आप प्रश्न पढ़ें तो देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही विस्तीर्ण प्रश्न किया है। जनता शासन के ढाई साल के दौरान उत्तर प्रदेश में बनने वाले सम्पर्क मार्गों की संख्या बहुत है और श्रीमन् आप सहमत होंगे कि प्रत्येक जिले से इसकी सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। श्रीमन् मैं चाहता हूं कि जो सूचना सदन में दी जाय वह कुछ तथ्यों पर आधारित हो। इसलिये सूचना एकत्र करने के लिये कहा गया है।

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है। मंडी समितियों द्वारा जो सम्पर्क मार्ग बनाये गये थे उनके रख-रखाव हेतु मंडी परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है और उनका क्या फैसला है? इसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी कृपा करके यह बता दें कि इन सम्पर्क मार्गों का जिनका निर्माण मंडी समितियों द्वारा हुआ था उनका रख-रखाव मंडी परिषद् के जरिये करायेंगे या नहीं?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल---

मान्यवर, प्रश्न नीतिगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि वह कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग हैं जो जनता शासन के दौरान बनाये गये थे जिनके रख-रखाव की बात माननीय सदस्य ने उठाई है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, माननीय कौशिक जी और माननीय वर्मा जी ने सीधा प्रश्न किया था कि मंडी समितियों

द्वारा जो भी मार्ग अब तक बनाये गये चाहे वह एक कि0मी0 हों या दो कि0मी0 हों उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था होगी ? जनता शासन में तो मंडी समिति स्वयं कोई काम नहीं करती थी वह सारा धन पी0डब्लू0डी0 को हस्तांतरित कर देती थी और पी0डब्लू0डी0 के माध्यम से सड़कें बनती थीं और पी0डब्लू0डी0 की देख रेख में कार्य होता था। अब आपने अपना डायरेक्टर बना दिया है, अपने ठेकेदार और अपने इंजीनियर नियुक्त कर दिये हैं जो सड़कें बनाने का काम करते हैं। इसलिये आपके द्वारा बनाई गयी सड़कों की मरम्मत का काम आपको ही करना पड़ेगा जो पहले पी0डब्लू0डी0 करता था। इसलिये यह पूर्णतया सैद्धांतिक मामला है कि जो सड़कें मंडी समिति बना रही है उनके मरम्मत की व्यवस्था या तो स्वयं उसे करनी पड़ेगी या फिर पी0डब्लू0डी0 को हस्तांतरित करना होगा और हर साल उसके लिये बजट निश्चित करना होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो विकल्पों में से कि हर साल इतना धन आवंटित कर अपने द्वारा व्यवस्था करना उचित समझेंगे या फिर पी0डब्लू0डी0 को हस्तांतरित कर देंगे इसको स्पष्ट कर दें ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, माननीय राणा जी ने प्रश्न कम और भाषण ज्यादा दिया क्षमा करेंगे। उन्होंने दो विकल्प प्रस्तुत किये हैं हम देख लेंगे जो भी रचनात्मक और उपयोगी होगा उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*7--श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश व उसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 1984 से ही अनेक व्यक्ति दैनिक वेतन भोगी लिपिक के पद पर सेवारत हैं ? क्या यह सच है कि निदेशालय द्वारा 1984 में अब तक अनेक सीधी नियमित भर्ती कर ली गई है, किन्तु दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को नियमित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो 1984 से सेवारत दैनिक वेतनभोगी लिपिकों को नियमित न किये जाने का क्या कारण है तथा उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तियों को छोड़कर सीधी भर्ती द्वारा लिपिक पदों पर किसी की नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। नियमों के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के लिए पृथक से कोई प्राविधान नहीं है। अन्य अभ्यर्थियों का चयन करते समय दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को उनके आवेदन करने पर उन्हें भी सम्मिलित किया जायेगा और उनके चयनित हो जाने की दशा में ही उन्हें नियमित नियुक्ति किये जाने का प्रश्न उठेगा।

प्रदेश के कृषि विभाग में कतिपय वर्षों में सेवा वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

*8--श्री दीप चन्द्र सोनकर (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में विगत 3 वर्षों में कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवा वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति दिया गया है ? क्या उनके सेवा वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति के प्रक्रम में विभागाध्यक्ष की सहमति एवं चरित्र पंजिका का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो कितने में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

विगत तीन वर्षों में दो अधिकारियों एवं चार कर्मचारियों को सेवा वृद्धि/पुनर्नियुक्ति दी गयी।

सी0एस0आर0 के नियम--520 के अन्तर्गत जनहित में सेवा वृद्धि/पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाती है। जिसमें विभागाध्यक्ष की सहमति अथवा चरित्र पंजिकाओं के मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

[गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 1988 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार की नीति

*1---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार की क्या नीति है? क्या यह सच है कि औसतन 100 ग्राम सभाओं के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति रोगोपचार और रोगों की रोकथाम पर अलग-अलग कितना खर्च सरकार औसतन कर रही है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित---

मान्यवर, कल और परसों भी इसी तरह का नीतिगत सवाल था जिसमें कहा गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम इस सरकार से अपने विषय में पूछें कि हम यहां पर उपस्थित हैं या नहीं तो यह कहेंगे कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप सवाल देख लें जिसमें पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार की क्या नीति है तो यह नीतिगत सवाल है। इसमें आगे यह भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति रोगोपचार और रोगों की रोकथाम पर अलग-अलग कितना खर्च सरकार औसतन कर रही है इसकी नीति क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रदेश भर में रोगोपचार और रोगों की रोकथाम के लिये अलग-अलग कितना खर्च किया जाता है इसलिये ऐसे व्यापक प्रश्न का उत्तर अधूरा दिया जाय तो यह उचित नहीं होगा।

प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों को एलोपैथिक नर्सों के समान आवासीय भत्ता दिये जाने की मांग

*2---श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की सेवा शर्तें तथा वेतनमान समान होने पर भी एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के समान ही आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को एन0पी0पी0/एन0पी0ए0 तथा आवासीय भत्ता अनुमन्य नहीं है जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत नर्सों को एलोपैथिक नर्सों के समान आवास भत्ता अनुमन्य है? यदि हां, तो इस विषमता को दूर करके कब तक उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सेवा शर्तें समान नहीं हैं, लेकिन वेतनमान समान है।

एन0पी0पी0/एन0पी0ए0 तथा आवासीय भत्ता अनुमन्य नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की प्रश्नगत मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

प्रदेश में "सबके लिये स्वास्थ्य" कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति

*3---श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सबके लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है? उस लक्ष्य को कब तक पूरा किया जायेगा? क्या यह सही है कि

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 5 कि0मी0 पर एक स्वास्थ्य उप केन्द्र (लगभग 25 हजार उपकेन्द्र) खोले जाने की योजना थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सन् 2000 तक "सबके लिये स्वास्थ्य" कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 30,000 ग्रामीण जनसंख्या तथा आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सबसिडयरी हेल्थ सेन्टर की स्थापना की जा रही है। "सबके लिये स्वास्थ्य" कार्यक्रम को सन् 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

जी नहीं। प्रदेश के 48 जनपदों में 5000 की आबादी पर तथा 14 जनपदों में 3000 की जनसंख्या पर एक-एक उपकेन्द्र की दर से उपकेन्द्र खोले जायेंगे। वर्ष 1988-89 तक कुल 21,653 उपकेन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश में काश्तकारों के लिये फसल बीमा योजना

*4---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के काश्तकारों को सूखा, गर्मी, बाढ़, पाला, ओला आदि से फसल की बर्बादी होने पर किसान को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए शासन फसल बीमा लागू करेगा ? यदि हां, तो फसल बीमा का क्या प्रारूप है ? क्या यह भी सत्य है कि फसल बीमा का कोई स्पष्ट और प्रभावी ढांचा न होने के कारण किसानों को अभी तक किसी भी फसल पर उसकी हानि के बाद भी बीमा नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

भारत सरकार स्तर से निर्देशित फसल बीमा योजना, जो खरीफ 85 से रबी 87-88 तक प्रदेश में लागू थी, पूर्णरूप से लाभप्रद न होने के कारण प्रदेश में खरीफ 88 से स्थगित है। भारत सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किये जिन्हें उपयोगी न पाने के कारण प्रदेश में खरीफ 88 से योजना लागू नहीं है। भारत सरकार स्वतः उक्त योजना में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

भारत सरकार में विचाराधीन होने के कारण प्रारूप बताना संभव नहीं है। जी नहीं। वर्ष 1985-86 से वर्ष 1987-88 तक किसानों को निम्नलिखित धनराशि क्षतिपूर्ति की गयी है:---

वर्ष	धनराशि
1985-86	19.50 लाख रुपया
1986-87	82.87 " "
1987-88	315.88 " "

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो फसल बीमा योजना है उस योजना का ढांचा और प्रारूप भारत सरकार ने तैयार नहीं किया और असमंजस की स्थिति में उसे 88 में बन्द करा दिया। जो रुपया हमने दिया वह कागजी तौर पर बट गया और काश्तकारों को नहीं मिला तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय वर्मा जी प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के नियंत्रण में संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण प्राप्त कम्पाउन्डरों की नियुक्ति

*5--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् उ0 प्र0 की देख-रेख में होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों का प्रशिक्षण चल रहा है जिससे प्रत्येक सत्र में 100 प्रशिक्षित होम्योपैथिक कम्पाउन्डर निकलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षित होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों की ही नियुक्ति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां। उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् के नियंत्रण में संचालित होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों के प्रशिक्षण पाठ्य क्रम हेतु वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 है। प्रशिक्षित कम्पाउण्डरों को ही कम्पाउण्डर पद की नियुक्ति के लिए निर्धारित अन्य अर्हताओं की पूर्ति किये जाने की दशा में वरीयता देकर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रदेश में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की संख्या एवं प्रवेश क्षमता एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

*6--श्री नंगा राम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं व इनमें छात्रों की प्रवेश क्षमता क्या है व प्रतिवर्ष कुल कितने छात्र चिकित्सक बन कर निकलते हैं ? क्या यह सच है कि प्रति वर्ष निकलने वाले चिकित्सकों की संख्या व खुलने वाले चिकित्सालयों की संख्या में कोई ताल-मेल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सकों की संख्या के अनुसार राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना प्रतिवर्ष करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रदेश में वर्तमान में 10 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज संचालित हैं जिनमें छात्रों की प्रवेश क्षमता 295 छात्र प्रतिवर्ष है। ऐसे कितने उत्तीर्ण छात्र प्रतिवर्ष चिकित्सक बनते हैं उनकी निश्चित संख्या तत्काल बताना संभव नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा में उत्तीर्ण डिग्रीधारी छात्रों का कोई संबंध होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना से नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना लखनऊ मण्डल के हरदोई जनपद में लागू करने की मांग

*7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मंडल के सिर्फ जनपद-हरदोई में ही प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इसे लागू किये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना लखनऊ मण्डल के हरदोई व सीतापुर जनपदों में लागू नहीं है। प्रथम चरण में यह योजना पहले सीमित क्षेत्र में लागू की गई थी।

हरदोई जनपद में भी प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में नये शीतगृह के निर्माण हेतु शीतगृह मालिकों को छूट दिये जाने का प्रस्ताव

*8--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में नये शीतगृहों के निर्माण हेतु शासन द्वारा शीतगृह

मालिकों को कुछ विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा इससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

जी हां।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 2 फरवरी, 1989 से भविष्य में निजी क्षेत्र में निर्मित होने वाले नये कोल्ड स्टोरेजों पर प्रथम भण्डारण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 26 और 29 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे अर्थात् शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम भण्डारण प्रभार के उपबन्ध से मुक्त होंगे। उपर्युक्त छूट किसी वर्तमान कोल्ड स्टोरेज में परिवर्तन, परिवर्धन, उपान्तर या नवीनीकरण की स्थिति में लागू नहीं होगी।

इस छूट से प्रदेश में शीतगृहों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा फलस्वरूप किसानों को उनके कृषि उत्पाद को भण्डारण करने हेतु अधिक भण्डारण क्षमता उपलब्ध होगी।

प्रदेश में एड्स बीमारी की रोकथाम के उपाय

*9---डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री फरीद महफूज किदवई --

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी तक एड्स के कितने रोगी डिटेक्ट हुए ? सरकार इस भयंकर रोग को प्रदेश में न फैलने देने के लिए क्या कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

कुल 3 रोगी।

प्रदेश में एड्स बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए:---

(1) प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों, प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों एवं चिकित्सा अधिकारियों, विशेष रूप से जो रति रोग रुग्णालय में कार्यरत हैं, को एड्स के रोगियों अथवा उन रोगियों के प्रति जिनमें एड्स रोग की संभावना हो सकती है, की पहचान हेतु सतर्क कर दिया गया है।

(2) एड्स रोग की पहचान हेतु रक्त की जांच करने के लिये के[illegible]डिकल कालेज, लखनऊ के पैथालाजी विभाग में एक लैब्रोरेटरी निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत है।

(3) रक्त कोषों में व्यवसायिक रक्तदाताओं द्वारा केवल अपरिहार्य स्थिति में ही रक्त स्वीकार करने और विशेष रूप से सजग रहने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(4) आयात किये गये रक्त के विभिन्न अवयवों (इम्पोर्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स) के विषय में यह प्रमाण-पत्र दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है कि वह एड्स से मुक्त है।

(5) यथा-संभव डिस्पोजेबुल सीरिंज व नीडिल्स का प्रयोग करने और जहां यह संभव न हो सके वहां सीरिंज व नीडिल्स को प्रयोग करने के पूर्व यह भली भांति सत्यापित करने के निर्देश हैं कि उनको ठीक प्रकार से स्टेरलाइज कर लिया गया है।

(6) एड्स रोग से पीड़ित व्यक्तियों के खून को रक्त कोषों में न लेने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद आलू उत्पादक किसानों के सड़े आलू के मुआवजे के भुगतान संबंधी श्री राम प्रसाद रसिक सचिव भा0क0पा0 फैजाबाद के पत्र पर कृत कार्यवाही

*10---श्री मित्रसेन ---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम प्रसाद रसिक सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

फैजाबाद का पत्र दिनांक 8-9-88 जिलाधिकारी फैजाबाद तथा दिनांक 7-10-88 को दिया गया ज्ञापन अपर जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है जो फैजाबाद आलू उत्पादक किसानों के सड़े हुए आलू का मुआवजा तथा किसानों की लूट के संबंध में था ? उक्त संदर्भ में अधीक्षक राजकीय उद्यान फैजाबाद का पत्रांक 4701-02 शीतगृह दिनांक 29 सितम्बर, 1988 तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद के पत्रांक 200/अ0-लि0 (आ0)-ज्ञापन दिनांक 7-10-88 की आख्या के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसी संदर्भ में दिनांक 4-11-88 को प्रभावित किसानों की सूची जो जिलाधिकारी को दी गयी है उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

जी हां।

अधीक्षक राजकीय उद्यान फैजाबाद द्वारा शीतगृहों का निरीक्षण किया गया। फैजाबाद रेफ्रीजरेशन प्रा0 लि0, नन्दीग्राम, भरत कुन्ड, फैजाबाद तथा राजे कोल्ड स्टोरेज, देवकली रोड, फैजाबाद में अनियमिततायें पाये जाने पर थाना पुराकलन्दर, फैजाबाद तथा कोतवाली, अयोध्या में 8-10-88 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

प्रभावित किसानों की दिनांक 4-11-88 को उपलब्ध कराई गई सूची की जांच एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी, फैजाबाद ने प्रतिकर निर्धारित कर किसानों के पक्ष में वसूली आदेश 20-1-89 को पारित कर दिये।

शीतगृह स्वामी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान न करने पर लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह), फैजाबाद ने 7-3-89 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को भूराजस्व व बकाया की भांति वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है।

जनपद फर्रुखाबाद में बाहर भेजने हेतु आलू की लदान व्यवस्था

*11--श्री मैनेजर सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में आलू के लदान की व्यवस्था न होने से वहां का आलू बाहर नहीं भेजा जा रहा है जिसके फलस्वरूप एक सौ रुपया प्रति कुन्टल उत्पादन लागत का आलू 40 रु0 से 45 रु0 तक प्रति कुन्टल पर बिक्री करने पर किसान विवश हो गया है ? यदि हां, तो बाहर भेजने के लिए उचित लदान व्यवस्था करने की क्या योजना सरकार की है और क्या वहां के आलू के सदुपयोग एव उचित मूल्य दिलाने के लिए आलू पर आधारित उद्योग फर्रुखाबाद में लगाने की कोई योजना सरकार की है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लि0 (पिकप), लखनऊ ने जनपद फर्रुखाबाद में आलू से पोटेबिल अल्कोहल बनाने के लिये भारत सरकार से लेटर आफ इन्टेन्ट मांगा है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या एवं प्रशिक्षार्थियों के वेतन में वृद्धि की जानकारी

*12--श्री धनराज यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक कालेज हैं एवं उनमें एम0 डी0 के प्रशिक्षणार्थियों को छात्र वेतन के रूप में प्रतिमाह कितना-कितना रुपया दिया जाता है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के एम0 डी0 के प्रशिक्षणार्थियो को 1800 रुपया प्रतिमाह मध्य प्रदेश में 1850 रुपया प्रतिमाह राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 1800 रुपया प्रतिमाह छात्र वेतन के रूप में दिया जाता है और

उत्तर प्रदेश में भी बी0ए0एम0एस0 करने के बाद गृह चिकित्सक को 1251 रुपया, इन्टर्नशिप (अनिवार्य प्रशिक्षण) के समय 800 रुपया प्रति छात्र वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो उपरोक्त आयुर्वेदिक कालेजों के प्रशिक्षणार्थियों की तरह अपने प्रदेश में एम0डी0 के प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 1800 रुपया प्रतिमाह छात्र वेतन के रूप में सरकार देने का आदेश पारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

उत्तर प्रदेश में कुल 10 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हैं। इनमें से तीन कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कालेजों के स्नातकोत्तर छात्रों को प्रथम वर्ष में 600 रु0 तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 700 रु0 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में दिये जा रहे छात्र वेतन की प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में बी0ए0एम0एस0 करने के बाद गृह चिकित्सक को 1251 रुपया तथा इन्टर्नशिप (अनिवार्य प्रशिक्षण) के समय 800 रु0 प्रतिमाह छात्र वेतन दिया जाता है।

छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन है।

कृषि विभाग में अभियन्त्रण कोटे में वर्ग-1 से वर्ग-2 में पदोन्नति

*13--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में कृषि विभाग में अभियंत्रण कोटे से माह जनवरी, 1988 में 29 लोगों की वर्ग एक से श्रेणी-2 में पदोन्नति की गयी है जिसमें कृषि अभियंत्रण स्नातकों का भूमि संरक्षण में प्रतिनिधित्व होते हुए वर्ग एक से सिविल एवं मेकेनिकल डिप्लोमा धारियों को भूमि संरक्षण में श्रेणी-2 में पदोन्नति की गयी जबकि सिविल एवं मेकेनिकल विषय से भूमि संरक्षण कार्य का संबंध भी नहीं है? क्या विभाग के शासनादेश संख्या 87/72-1-84 दिनांक 22 जून, 1984 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त पर पुनः विचार करके कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 नियमावली के नियम 16 (1) के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी-2 के पदों पर पदोन्नति हेतु अधीनस्थ कृषि सेवा में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की शर्त रखी गयी है। नियमानुसार अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 (अभियन्त्रण) के ऐसे पात्र सदस्यों जो अधीनस्थ कृषि सेवा में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करते थे, को दिनांक 5-2-88 को उ0प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "डी" के 29 पदों पर पदोन्नत किया गया।

शासनादेश संख्या 1187/12-1-403/81 दिनांक 22 जून, 1984 में भूमि संरक्षण शाखा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह "क" तथा समूह "ख" में कृषि अभियन्त्रण सेक्शन "डी" के कर्मियों का प्रतिनिधित्व 1/3 से 1/2 किया गया। उक्त शासनादेश में शब्द "कृषि अभियन्त्रण सेक्शन "डी" के कर्मियों के स्थान पर त्रुटिवश शब्द "कृषि अभियन्त्रण स्नातकों" लिखा गया जिससे उत्पन्न हुई भ्रान्तियों को समाप्त करते हुए शासनादेश संख्या 422/12-1-89-403/81 दिनांक 18 जनवरी, 1989 में यह स्पष्ट किया गया कि उ0प्र0 कृषि सेवा समूह "क" एवं समूह "ख" के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु बनायी गयी सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता के आधार पर वरीयता निर्धारित करने/पदोन्नति देने का कोई प्राविधान नहीं है।

चूंकि शासनादेश दिनांक 22 जून, 1984 में उत्पन्न भ्रान्तियां दूर करते हुए संशोधित शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 1989 निर्गत किया जा चुका है अतः अब शासनादेश दिनांक 22 जून, 1984 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि नवीनतम शासनादेश के अनुसार केवल कृषि अभियन्त्रण स्नातक योग्यता धारण करने से कोई कर्मचारी पदोन्नति का पात्र नहीं हो सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मत्स्य निगम द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण का लक्ष्य

*14---श्री जयदीप सिंह बरार---

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1988 में राजकीय मत्स्य निगम द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य क्या-क्या थे ? कितना मत्स्य बीज राजकीय मत्स्य उत्पादन केन्द्रों में पैदा किया गया तथा कितना मत्स्य पालकों को वास्तव में वितरित किया गया ? मत्स्य बीज विकास निगम की कौन-कौन सी हेचरी (मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र) पर लक्ष्य के विपरीत क्या-क्या उपलब्धि रही तथा इतनी कम उपलब्धि के लिए किस-किस की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

वर्ष 1988 में मत्स्य निगम द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य 11.50 करोड़ रखा गया था। निगम द्वारा मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

मत्स्य विकास निगम की हैचरीज में उत्पादित मत्स्य बीज का विवरण संलग्न है। मत्स्य विकास निगम द्वारा उत्पादित 4,65,01,200 मत्स्य बीज, मत्स्य विभाग के माध्यम से मत्स्य पालकों को वितरित किया गया।

मत्स्य विकास निगम की हैचरीज में लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि का विवरण संलग्न है। कम उपलब्धि के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों में से प्रबन्धक (मत्स्य बीज) एवं एक हैचरी प्रभारी को निलम्बित किया जा चुका है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 196 पर)

स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन महिला चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं साधारण ग्रेड महिला चिकित्साधिकारियों की सीनियर ग्रेड में पदोन्नति

*15---श्री सुखपाल पाण्डे---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन महिला चिकित्साधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने साधारण ग्रेड महिला चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति के पद सृजित हैं ? विगत कितने वर्षों से महिला चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति नहीं की गयी है ? महिला चिकित्साधिकारियों के पदोन्नति के संबंध में विभाग कब तक निर्णय लेगा और अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण थे ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? सरकार रिक्त पदों को पदोन्नति से शीघ्र भरवाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन महिला चिकित्साधिकारियों के कुल 1674 पद स्वीकृत हैं जिनमें से साधारण ग्रेड महिला चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति हेतु सीनियर ग्रेड के 188 पद स्वीकृत हैं।

साधारण ग्रेड महिला चिकित्सा अधिकारियों की सीनियर ग्रेड में पदोन्नति माह अगस्त 1987 के बाद नहीं हुई है।

वर्ष 1987 के पश्चात् साधारण ग्रेड से सीनियर ग्रेड में पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक न होने के कारण साधारण ग्रेड महिला चिकित्साधिकारियों का पदोन्नति सीनियर ग्रेड में नहीं हुई। वर्तमान समय में चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशानुसार स्थगित है। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात् ही शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिये प्रयत्नशील है।

*16---श्री राजकिशोर सिंह---

[दिनांक 2-3-89 को अता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में चावल/तिलहन योजना में कृषकों को लाभान्वित करके कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि रक्षा उपकरण क्रय हेतु अनुदान का प्राविधान

*17--श्री राम सागर राव--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि चावल/तिलहन योजनाओं में अधिकतम कृषकों को लाभान्वित करके उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि रक्षा उपकरणों को 50 प्रतिशत अनुदान पर देने हेतु भारत सरकार के सहयोग से लगभग 4 करोड़ रुपये का अनुदान का प्राविधान वर्ष 1988-89 में किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रदेश की स्थानीय फर्मों द्वारा निर्मित क्वालिटी मार्का मशीनों का अनुबन्ध उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा 650 रुपये की दर से पर किये जाने पर भी दिल्ली/बम्बई आदि के बाहर फर्मों से डयोढ़े दाम पर मशीन खरीद कर कृषकों को जबरन दी गई? यदि हां, तो महंगी मशीन देकर कम संख्या में कृषक लाभान्वित करने, प्रदेश की स्थानीय उद्योग निदेशक के आदेश/स्टोर परचेज रूल का उल्लंघन करने तथा शासन/कृषकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय हानि पहुंचने के लिये उत्तरदायी अधिकारी कौन-कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी नहीं, केवल रुपये 2.25 करोड़ अनुदान का प्राविधान किया गया है।

जी नहीं। कोई भी मशीन जबरन नहीं दी गयी। मांग के अनुसार आई.एस.आई. मशीनें कृषि विभाग यू0 पी0 एग्रो. सहकारिता तथा गन्ना समिति संघ द्वारा क्रय करके वितरित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के नरेन्द्र मोहन चिकित्सालय के मालिक एवं व्यवस्थापकों पर भ्रष्टाचार के आरोप में कर्मचारियों द्वारा दिया गया कथित ज्ञापन

*18---श्री भगौती सिंह---

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद के नरेन्द्र मोहन चिकित्सालय के मालिक एवं व्यवस्थापकों के अत्याचार, अभद्र व्यवहार, गलत काम तथा उत्पीड़न के खिलाफ चिकित्सालय के कर्मचारियों ने नवम्बर, 88 के तीसरे सप्ताह में हड़ताल कर दिया था ? यदि हां, तो कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या थी और सरकार ने व्यवस्थापकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

नरेन्द्र मोहन अस्पताल, गाजियाबाद, जो एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है, के कर्मचारियों ने दिनांक 16-11-88 की प्रात: 10 बजे से 24.11.88 तक बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य करना बन्द कर दिया था। इसका कारण चिकित्सालय के मालिक एवं व्यवस्थापकों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ अत्याचार, अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न वगैरह नहीं था। कर्मचारियों की मौखिक मांगों पर सेवायोजकों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने के आश्वासन पर पुन: कार्य प्रारम्भ कर दिया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप होम्योपैथिक कालेजों को मेडिकल कालेजों का स्वरूप दिये जाने की मांग

*19---श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री बालेश्वर---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्" द्वारा निर्धारित मापदण्डों

के अनुरूप प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक कालेजों को मेडिकल कालेजों का स्वरूप दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में छात्रों की अध्ययनरत संख्या तथा राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में विशिष्टताओं के अध्यापन के विभागों के सृजन को छोड़कर केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को तद्नुसार स्वरूप दिये जाने का प्रयास किया गया है।

जनपद बुलन्दशहर के स्याना कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा प्राप्त मण्डी शुल्क एवं गंगाराम एवं राजपाल एण्ड कम्पनी द्वारा क्रय-विक्रय की जानकारी

*20--श्री गौरी शंकर भइया--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में स्याना कृषि उत्पादन मण्डी समिति ने जनवरी, 1989 में कितना मण्डी शुल्क प्राप्त किया और वर्तमान वर्ष जनवरी, 1989 में कितना ? स्याना मण्डी कृषि उत्पादन समिति में कितने कच्चे व पक्के कमीशन एजेन्टों के लाइसेंस हैं ? गत वर्ष 1988 में कितने थे और इस वर्ष 1989 में कितने हैं ? क्या गंगाराम नाम के व्यक्ति व राजपाल एण्ड कम्पनी का भी लाइसेंस था ? यदि हां, तो दोनों फर्मों ने 1 जनवरी, 89 से 31 जनवरी, 89 तक कितने रुपये का माल खरीदा व बेचा ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

सूचना निम्न प्रकार है:--

जनवरी, 1988 में रु0-1,36, 119.63

जनवरी, 1989 में रु0-92,462.42

वर्तमान समय में 391 मात्र

वर्ष 1988 में 419 तथा 1989 में 391 हैं।

जी हां।

दोनों फर्मों ने जनवरी, 1989 में कोई भी क्रय बिक्रय का कार्य नहीं किया।

अतारांकित प्रश्न

स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पी0 डब्लू डी0 के सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को मूल विभाग में वापस भेजने की मांग

1--श्री राम सजीवन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 14-12-82 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी 5 वर्ष की सीमा के बावजूद पी0 डब्लू0 डी0 के कितने सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता (सिविल) 10-12 वर्षों से स्वास्थ्य निदेशालय लखनऊ में ही प्रतिनियुक्ति पर तैनात है नियमानुसार उन्हें मूल विभाग में वापस न भेजने का क्या कारण है तथा उन्हें कब तक वापस भेजा जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

पी0 डब्लू0डी0 के एक सहायक अभियन्ता वर्ष 1980 से तथा एक अधिशासी अभियन्ता वर्ष 1973 से प्रतिनियुक्ति पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में तैनात हैं। अधिशासी अभियन्ता को चिकित्सा विभाग में संविलीयन एवं स्थायीकरण हेतु शासन के संबंधित विभागों के परामर्श से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की सहमति मांगी गयी है। आयोग की प्रति या प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही यथा समय की जायेगी। सहायक अभियन्ता को तब तक कार्य करते रहने की सहमति जब तक कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर आये अन्य अभियन्ता कार्यरत रहें, प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगी गयी है जो अभी प्रतीक्षित है। फिलहाल वापस भेजे जाने का निर्णय उनकी सहमति अथवा असहमति तक स्थगित है।

जनपद फैजाबाद के तुलसीपुर मण्डी समिति के अन्तर्गत गिरधरपुर डीह से सोनूपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण विषयक प्रश्न कर्ता का पत्र

2--श्री अरुण प्रताप सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-1-89 को उप निदेशक (निर्माण) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् फैजाबाद को कोई पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो पत्र का विषय क्या था तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-1-89 जो तुलसीपुर मंडी समिति के अन्तर्गत गिरधरपुर डीह से सोनूपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के बारे में है, उप निदेशक (निर्माण) कृषि उत्पादन मंडी परिषद् फैजाबाद को प्राप्त हुआ है। उक्त सम्पर्क मार्ग का 65 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय, लखनऊ के प्रशासन अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या एवं कार्यालय समय से बाद तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को कन्वेयन्स देने की मांग

3--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के प्रशासन अनुभाग तथा जी0 सी0 अनुभाग में कितने और कौन-कौन ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें नित्य प्रति कार्यालय में समय से पहले आने व कार्यालय समय के बाद में वापस जाने के नाम कन्वेंयन्स माह अप्रैल, 88 से अब तक भुगतान किया गया है? उनसे कौन सा कार्य लिया गया है? क्या मंत्री जी कन्वेयन्स के रूप में भुगतान की गई धनराशि का विवरण तथा उक्त कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

अप्रैल, 1988 से अब तक किसी भी कर्मचारी को नियमित रूप से नित्य प्रति कार्यालय से पूर्व तथा कार्यालय के पश्चात् न तो बुलाया गया है और न ही कन्वेंन्स का भुगतान हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निदेशालय, लखनऊ के वर्ष 1988 में कतिपय अनुभागों के स्थानान्तरित कर्मचारियों की संख्या

4--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988 में कृषि निदेशालय के उर्वरक एवं खाद तथा जी0 सी0 अनुभागों के कितने कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये थे? उनमें से कितने आदेशों का कार्यान्वियन अभी तक नहीं किया गया है तथा कार्यान्वियन न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी उक्त आदेशों के कार्यान्वियन की अवधि निर्धारित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

वर्ष 1988 में 7 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश किए गए थे जिसका अनुपालन हो चुका है।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना में ग्राम कटरा श्रावस्ती में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण की मांग

5--श्री राम सागर राव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना में गांव कटरा श्रावस्ती में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह भवन निर्माण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी नहीं।

आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण की योजना जिला योजना के अन्तर्गत है। जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चिकित्सालय के भवन निर्माण की संस्तुति किये जाने पर ही भवन के निर्माण का प्रश्न उठेगा।

प्रदेश में विकेन्द्रीयत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की योजना

6---नवाब सिकन्दर अली खां---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये जाने के शासनादेश के बावजूद इसका क्रियान्वयन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

विकेन्द्रीयकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना का अंग है। 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये जाने विषयक कोई शासनादेश नहीं है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा संस्तुत पद्धति के चिकित्सालय के स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं जिला योजना में इस हेतु धन उपलब्ध कराये जाने पर ही चिकित्सालयों के स्थापना की स्वीकृति दी जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में 25 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक अस्पतालों में यूनानी कक्ष स्थापित किये जाने की घोषणा का क्रियान्वयन की मांग

7---नवाब सिकन्दर अली खां---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 मार्च, 1983 के विधान सभा में घोषणा के अनुसार समस्त पच्चीस (25) शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में यूनानी कक्ष स्थापित किए गए थे ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में 25 शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में यूनानी कक्ष की स्थापना की जाएगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

दिनांक 14-3-1983 को विधान सभा में की गयी उक्त घोषणा एवं उसके संदर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के उपमण्डी समिति सिसवा बाजार में यार्ड निर्माण की मांग

8---श्री धनराज यादव---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गड़ौरा मंडी समिति के उपमंडी समिति सिसवा बाजार में यार्ड निर्माण के लिये प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य न कराये जाने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

उप मण्डी स्थल सिसवा बाजार में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण निर्माण की कार्यवाही नहीं की गयी है।

डाक्टर सैयद मोहम्मद नजीर रिजवी एकीकृत चिकित्साधिकारी, राजकीय चिकित्सालय चकचई, बस्ती की पेंशन, जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा आदि का भुगतान

9---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 सैय्यद मोहम्मद नजीर रिजवी, एकीकृत चिकित्साधिकारी, जो राजकीय चिकित्सालय चकचई, बस्ती में कार्यरत थे, कब सेवानिवृत्त हुए ? क्या

उनको पेन्शन, जी0 पी0 एफ0 ग्रेच्युटी एवं सामूहिक बीमा एवं पिछला बकाया एरियर आदि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

डा0 सैय्यद मोहम्मद नजीर रिजवी, जो कि प्रश्नगत चिकित्सालय में कार्यरत थे, दिनांक 28-2-86 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पेंशन, जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी तथा सामूहिक बीमा सम्बन्धी भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है और विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति शीघ्र करके नियमानुसार भुगतान किया जायगा।

उन्हें बकाया धनराशि का भुगतान दिनांक 17-2-1988 को किया जा चुका है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजनान्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद के दैवी आपदाओं से प्रभावित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति

10—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील के उन पात्र कृषकों को जिनकी विभिन्न फसलें 1986-87 एवं 1987-88 में सूखे व बाढ़ जैसी आपदाओं से लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई, को क्रमशः कुल कितनी-कितनी बीमा राशि कब भुगतान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

वर्ष 1986-87 के रबी एवं खरीफ में जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर में फसल बीमा योजना के क्षतिपूर्ति पात्रता प्राविधान के अनुसार किसी कृषक को क्षतिपूर्ति देय नहीं थी।

खरीफ 87 में धान/मक्का की फसल के लिये उक्त जनपद की सदर तहसील के 1235 पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित बैंकों के माध्यम से 3,13,999-67 रु0 जून/जुलाई 1988 को भुगतान की गई है।

रबी 87-88 में फर्रुखाबाद सदर तहसील के किसी कृषक को नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय नहीं थी।

11—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

(6 वें सोम में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फर्रुखाबाद एवं प्रदेश में कतिपय वर्षों में आलू का उत्पादन एवं भण्डारण का विवरण

12—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद में वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं वर्तमान सत्र 1988-89 में 15 जनवरी, 89 तक आलू का कुल कितना उत्पादन हुआ ? इसी अवधि में प्रदेश में कितना आलू पैदा हुआ ? इस अवधि में जनपद फर्रुखाबाद में कितना आलू सरकार ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदा और कितना शीतगृहों में रखा गया ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जनपद फर्रुखाबाद में 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः 9,89,372 टन तथा 13,09,-998 टन (परिवर्तनीय) आलू का उत्पादन हुआ। वर्तमान सत्र 1988-89 में 15 जनवरी, 89 तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

प्रदेश में 1986-87 तथा 1987-88 में क्रमशः 56,95,179 टन तथा 64,19,368 टन (परिवर्तनीय) आलू पैदा हुआ। वर्तमान सत्र 1988-89 में 15 जनवरी, 89 तक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वर्ष 86-87 में जनपद फर्रुखाबाद और प्रदेश में बाजार भाव अच्छे होने के कारण आलू क्रय नहीं किया गया । वर्ष 87-88 में योजना के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में 1769.36 टन आलू खरीदा गया, तथा वर्ष 1988-89 में 15 जनवरी, 1989 तक आलू का क्रय नहीं किया गया ।

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में शीतगृहों में क्रमशः 4,26,723 टन एवं लगभग 4,69,020 टन आलू रखा गया। वर्ष 1988-89 में 15 जनवरी, 1989 तक शीतगृहों में आलू नहीं रखा गया।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खंडों में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मेड़बन्दी , लैण्ड लेबलिंग आदि में व्यय धन का विवरण

13--श्री अरुण प्रताप सिंह---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मेड़बन्दी लैंड लेबलिंग/ड्रेनेज निर्माण करने के लिये वर्ष 1987-88 में तथा वर्ष 1988-89 में कितनी धनराशि किस-किस ग्राम सभा में व्यय करने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी जनपद गोण्डा को उपलब्ध करायी गयी है ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---

जनपद गोण्डा के गैसड़ी/पचपेड़वा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मेड़बन्दी समोच्च रखीय बांध तथा समतलीकरण कराने के लिये वर्ष 87-88 तथा 88-89 में थारू जनजाति उप योजना के अन्तर्गत क्रमशः कुल रुपया 1.00 लाख तथा 3.00 लाख विभाग द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी गोण्डा को उपलब्ध कराया गया जिसे उन्होंने वर्ष 87-88 में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में व्यय किया:---

(1) विशुनुपुर विश्राम
(2) मोतीपुर सेमरी
(3) भुसहर उचवा

वर्ष 88-89 में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में व्यय कर रहे हैं:---

(1) सुग्गानगर
(2) विशुनीपुर विश्राम
(3) सडनी
(4) मोतीपुर सेमरी

जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा के उच्चीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्द नगर के भवन निर्माण

14---श्री अरुण प्रताप सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेड़वा का उच्चीकरण हेतु तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्दनगर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित थी और कितनी धनराशि व्यय हुई और कितना कार्य अब भी अवशेष है ? कब तक कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बालेश्वर गुप्ता कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच

15--श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)---

क्या मत्स्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको विधायक श्री बेनी प्रसाद वर्मा का

शिकायती पत्र दिनांक 25-5-87 तथा विधायक श्री हरदेव का शिकायती पत्र दि0 22-8-88 जो श्री बालेश्वर गुप्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ को हटाकर जांच करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह--

श्री बेनी प्रसाद वर्मा, विधायक का शिकायती पत्र 27-5-87 तथा श्री हरदेव, विधायक का पत्र दिनांक 22-8-88 प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी लखनऊ से जांच रिपोर्ट मांगी गयी है।

16--श्री जयदीप सिंह बरार--

[दिनांक 9-2-89 को अता0 प्र0 सं0 77 द्वारा उत्तरित]

डा0 दामोदर पन्त चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मनान, अल्मोड़ा के बीमा, जी0पी0एफ0, पेंशन आदि का भुगतान

17--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डा0 दामोदर पन्त चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक व यूनानी सेवायें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मनान जिला अल्मोड़ा से 31 अक्टूबर, 1984 को सेवा निवृत्त हो गये थे ? यदि हां, तो डा0 पंत को 30 नवम्बर, 88 तक की उनकी सभी (बीमा, जी0पी0एफ0, पेंन्शन आदि) देयों को न दिये जाने का क्या कारण है ? उपरोक्त सभी देय कब तक भेज दिये जायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

श्री पन्त के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच का प्रकरण लम्बित रहने के कारण उनके ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के मामले लम्बित हैं।

जांच के प्रकरण पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर ही लम्बित देयों का भुगतान संभव होगा।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र परसपुर, गोण्डा के अन्तर्गत उपकेन्द्र पूरे तिवारी की स्वास्थ्य निरीक्षिका का स्थानान्तरण

18--श्री धनराज यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र परसपुर (गोण्डा) के अन्तर्गत उप केन्द्र पूरे तिवारी में दिनांक 19-8-88 को मुख्य चिकित्साधिकारी (गोण्डा) आकस्मिक निरीक्षण करने गये थे ? यदि हां, तो वहां उन्होंने बजाय स्वास्थ्य निरीक्षका के उनके लड़के को उपस्थिति पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर बनाते देखा था ? क्या वहां के स्थानीय जनता में भी उसकी लगातार अनुपस्थिति तथा विभागीय कार्य न करने की शिकायत की थी ? क्या यह सही है कि इन्हीं कारणों से मु0 चि0 अ0 ने स्वा0 निरीक्षिका का स्थानान्तरण प्रा0 स्वा0 केन्द्र गैसड़ी (गोण्डा) कर दिया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध और क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं, स्वास्थ्य निरीक्षिका को अनुपस्थित पाये जाने के कारण स्थानान्तरण गैसड़ी कर दिया गया था।

स्थानान्तरण के पश्चात् चेतावनी भी दे दी गयी है।

निदेशक प्रशासन चिकि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 को स्वास्थ्य निरीक्षिका श्रीमती सुशीला देवी का स्थानान्तरण निरस्त करने का औचित्य

19---श्री धनराज यादव---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक प्रशासन चिकि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश को स्वा0 निरीक्षिका श्रीमती सुशीला देवी की शिकायत के संबंध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 17-10,88 को प्राप्त हुआ था जिस पर विभाग ने मु0 चि0 अ0 (गोण्डा) को जांच आदेश दिया था ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्य वाही की गई एवं बिना जांच के उसका स्थानान्तरण किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया ? क्या सरकार श्रीमती सुशीला देवी को पुनः अन्यत्र स्थानान्तरित करके इसकी जांच करायेगी तथा जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी हां।

जांच आख्या अभी तक अप्राप्त है। श्रीमती सुशीला देवी स्वास्थ्य निरीक्षिका ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी एवं क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा स्थानीय विधायक की संस्तुति के आधार पर उक्त स्वास्थ्य निरीक्षिका का स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक इस अनुबन्ध के साथ स्थगित किया गया कि इनके कार्यों का मूल्यांकन संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी करते रहेंगे।

जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गड़ेर, देवरिया का उच्चीकरण

20---श्री अर्जुन सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेशों के उल्लंघन करने वाले उस मुख्य चिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है। यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय के उच्चीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी हां।

कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को उपयोग में लाने की तिथि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

प्रदेश में प्रसार शिक्षकों का स्थायीकरण

21---श्री राज किशोर सिंह---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के 66 प्रतिशत प्रसार शिक्षकों को कनफर्म किये जाने के आदेश के बावजूद कितने प्रसार शिक्षकों का कनफरमेशन लम्बित पड़ा हुआ है ? उक्त प्रकरण को वर्ष 1981 से अब तक लम्बित रखने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

कुल 676 स्थायी पदों में से केवल 149 प्रसार शिक्षकों के स्थाईकरण के मामले लम्बित हैं। इन प्रसार शिक्षकों के स्थाईकरण के प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है। अतः इस प्रकरण में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में वर्ग–2 के कर्मचारियों को सलेक्शन ग्रेड एवं उच्च वेतनमान दिये जाने के संबंध में जानकारी

22—श्री तेज बहादुर गंगवार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ग–2 के कितने सदस्यों को 1979 से सेलेक्शन ग्रेड मिल रहा है ? इनमें से कितने सदस्यों को अगला उच्च वेतनमान दिया गया है ? क्या शासन की नीति के अनुसार 6 वर्ष सेलेक्शन ग्रेड पाने व कुल 16 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी यदि प्रोन्नति न हो तो अगला उच्च वेतनमान दिया जा सकता है ? यदि हां, तो अभीतक उच्च वेतनमान स्वीकृति न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह मामला शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

794

किसी को नहीं।

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है और नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लिया जायगा।

डा0 आर0 के0 मिश्रा जिला पशुधन अधिकारी बांदा के विरुद्ध श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव स0वि0स0 का कथित शिकायती पत्र के आधार पर भेजी गयी जांच रिपोर्ट की जानकारी

23—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री बृजेन्द्र पाल सिंह यादव विधायक मुरादाबाद द्वारा अप्रैल, 1988 में डा0 आर0 के0 मिश्रा जिला पशुधन अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर उप निदेशक झांसी द्वारा दिनांक 30–8–88 को निदेशालय भेजी गई जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग बांदा के कर्मचारियों के 7–9–88 के ज्ञापन पर उपनिदेशक झांसी द्वारा निदेशालय को भेजी गई दिनांक 16–12–88 की जांच रिपोर्ट में कौन अधिकारी/कर्मचारी अनिमितताओं एवं भ्रष्टाचार के दोषी बताये गये हैं और शासन ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

पशुपालननिदेशालय स्तर पर उप निदेशक, पशुपालन विभाग झांसी के पत्र दिनांक 30–8–88 के द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

समस्त संघ पशुपालन कर्मचारी जनपद बांदा के शिकायती पत्र दिनांक 7–9–88 से संबंधित उप निदेशक, पशुपालन झांसी की जांच रिपोर्ट दिनांक 16–12–88 पशुपालन निदेशालय में प्राप्त हुई है, जिस पर परीक्षणोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के कतिपय जनपदों के भूमि संरक्षण अधिकारियों पर अनियमितता के आरोपों की जांच

24—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी महोली (सीतापुर) पौड़ी, टिहरी गढ़वाल फतेहपुर गाजीपुर, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जालौन, मिर्जापुर, पीलीभीत के यहां आडिट के दौरान 87–88 व 88–89 में गम्भीर अनियमिततायें पायी गईं ? यदि हां, तो कृषि विभाग में कौन अधिकारी इसके लिये दोषी है ? क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करायेंगे तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

भूमि संरक्षण अधिकारी मिर्जापुर के नाम से कोई कार्यालय नहीं है। अतः इस कार्यालय के सम्प्रेक्षण का प्रश्न नहीं उठता। शेष भूमि संरक्षण इकाईयों के वर्ष 1987–88 के अभिलेखों का ही

आडिट किया गया जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। दोष निर्धारण के लिए जांच प्रारम्भ कर दी गई है।

सक्षम स्तर पर जांच प्रारम्भ हो चुकी है। अग्रिम कार्यवाही जांच के निष्कर्ष पर निर्भर है।

संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी मण्डल वाराणसी के प्रांगण में रखे कथित सामग्री को जलाये जाने के आरोप में स्टोर क्लर्क को स्थानान्तरित एवं दण्डित किये जाने की मांग

25---श्री मित्रसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 82 में संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी, मण्डल वाराणसी के कार्यालय प्रागण में 800 बोरी ब्लीचिंग पाउडर व सचिव खाद्य दल की वाहन के चलाये जाने की जांच शासन ने कराई है? यदि हां, तो उसमें पाये गये दोषी कर्मचारियों को स्थानान्तरित व दण्डित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन को इसकी जानकारी है कि उक्त ब्लीचिंग पावडर मु0 चि0 अ0, मिर्जापुर की थी जो अनधिकृत रूप से संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, वाराणसी के कार्यालय प्रांगण में स्टोर क्लर्क की मिलीभगत से रखी गयी थी और उसे अग्निकांड में जला दिया गया? क्या शासन ने उक्त स्टोर क्लर्क को वहां से स्थानान्तरित व दण्डित किया है जब कि वह 16 वर्ष से एक ही कार्यालय में तैनात है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सूचना एकत्र की जा रही है।

संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक वाराणसी, मण्डल वाराणसी द्वारा अवैध तरीके से कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने का आरोप

26---श्री मित्रसेन---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति करने का अधिकार स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को है? यदि हां, तो वर्ष 1983 में तत्कालीन संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा अपने ही कार्यालय के एक कनिष्ठ लिपिक (श्री राम रूप सिंह) की पदोन्नति स्वयं ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर किस अधिकार के तहत अपने ही कार्यालय में कर ली गई जबकि श्री राम रूप सिंह से वरिष्ठ अनेक कनिष्ठ लिपिक मण्डल के अन्य कार्यालयों में तैनात थे जिनकी पदोन्नति कई वर्षों बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा की गई? क्या शासन से इनको पदोन्नति करने का अधिकार प्रदत्त था? यदि नहीं, तो शासन इसमें क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा में बेरा से हसनपुर जरौलिया मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव

27---श्री कुशल पाल सिंह---

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8-12-1988 को मांट क्षेत्र जनपद मथुरा में बेरा से हसनपुर जरौलिया मार्ग जो मण्डी समिति खैर जनपद, अलीगढ़ के क्षेत्राधिकार में आता है, को मण्डी समिति खैर द्वारा बनाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ ने दिनांक 22-12-88 को जिलाधिकारी अलीगढ़ को उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव उक्त सूचना के साथ मुख्य अभियन्ता मण्डी परिषद्, लखनऊ को भेजने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग के निर्माण में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी अलीगढ़ का प्रस्ताव अपेक्षित है।

जनपद वाराणसी के आराजी लाइन्स ब्लाक अन्तर्गत ग्राम शांहशहपुर के ग्रामवासियों की भूमि के सम्बन्ध में जानकारी

28---श्री राज किशोर सिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के आराजी लाइन्स ब्लाक अन्तर्गत ग्राम शांहशंहपुर के ग्रामवासियों की भूमि के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-10-86 के उत्तर में उनके पत्रांक-346/वी0आई0पी0/86, दिनांक 21-10-86 में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह---

जी हां।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:---

आराजी लाइंस प्रक्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी जिलों के कृषकों में विभिन्न प्रकार के उन्नतिशील चारा बीजों का वितरण करना, पूर्वी जिलों के शुद्ध गंगा तीरी नस्ल की गाय को सुधार कर इस प्रजाति के सांड़ पशुपालकों को उपलब्ध कराना (पूर्वी जिलों में केवल यही एक ऐसा प्रक्षेत्र है जहां गंगा तीरी नस्ल की गायें रखी जाती हैं), उन्नतिशील नस्ल के सूकर, सकरियों का उत्पादन तथा पशुपालन विभाग द्वारा नर एवं मादा सूकरों का सूकर पालकों में वितरण करना। उपर्युक्त कार्यों के अलावा चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम द्वारा आस-पास के गाय, भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराकर नस्ल सुधार व श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन देना।

इस प्रक्षेत्र की स्थापना वर्ष 1948-49 में सेना से 1530 एकड़ भूमि प्राप्त करके की गई थी। फार्म की भूमि के कब्जे के समय काश्तकारों द्वारा विरोध किये जाने के फलस्वरूप 1000 एकड़ भूमि छोड़ दी गई। परन्तु 4-5 वर्ष बाद पुनः काश्तकारों द्वारा कोआपरेटिव फार्म्स के नाम पर 185 एकड़ भूमि सोसाइटी को हस्तांतरित की गयी। वर्ष 1965 में 50 एकड़ भूमि कृषि विभाग को आलू फार्म के प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की गई थी। इस प्रकार केवल प्रक्षेत्र के पास 295 एकड़ भूमि पर कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

प्रक्षेत्र की भूमि का काश्तकारों में वितरण उनके हित में नहीं है क्योंकि पूर्वांचल में यही एक ऐसा प्रक्षेत्र है जो कि सांड़, चारा, बीज एवं सूकर, सूकरियों की आपूर्ति कर रहा है। प्रक्षेत्र की स्थापना से लगभग 125-150 कर्मचारियों/मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है।

प्रदेश में सहायक लेखाकारों की संख्या एवं समय बद्ध वेतनमान दिया जाना

29---श्री विष्णु देव---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विभाग में कितने ऐसे सहायक लेखाकार हैं जिन्हें दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् समयबद्ध वेतनमान कृषि निदेशालय द्वारा अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी सहायक लेखाकारों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

सहायक लेखाकार के पद पर नियमित रूप से दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् कुल 36 सहायक लेखाकारों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है। इसमें से 12 को समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया 23 की चरित्र-पंजिकायें अपूर्ण थीं और एक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी।

समय पर प्रविष्टियां न देने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कृषि निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है।

जिन सहायक लेखाकारों की चरित्र-पंजिकायें अपूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण कराकर शीघ्र ही नियमानुसार समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में कृषि निदेशक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फर्रुखाबाद के उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र हसरैन का भवन निर्माण एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना

30---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसरैन के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या उसमें कर्मचारियों हेतु आवासों का निर्माण भी कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस पद के कर्मचारियों हेतु आवास सुविधा अब तक उपलब्ध कराई गयी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

प्रश्नगत केन्द्र के निर्माण पर 46.68 लाख रु0 का व्यय किया गया। तृतीय श्रेणी के 10 कर्मचारियों को तथा चतुर्थ श्रेणी के 11 कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

जनपद बस्ती के खलीलाबाद में मण्डी समिति बनाये जाने की मांग

31---श्री द्वारिका प्रसाद---

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद जनपद बस्ती से मण्डी समिति का पैसा मण्डी समिति गोरखपुर में जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे तत्काल रोका जायेगा तथा खलीलाबाद में मण्डी समिति कायम करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

मण्डी समिति सहजनवां जनपद गोरखपुर के अधिकार क्षेत्र में ही खलीलाबाद आता है जो एक उप मण्डी स्थल है। एकाउन्ट मण्डी समिति का होता है उप मण्डी स्थल का नहीं और वह एकाउन्ट मुख्य मंडी में ही रखा जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्साधिकारी डा0 भरत सिंह प्रा0 स्वा0 केन्द्र सेमरियावां बस्ती द्वारा किये गये नसबन्दी केसेज एवं उनके नाम पतों की जानकारी की मांग

32---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी डा0 भरत सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां जनपद बस्ती द्वारा वर्ष 1988-89 में कितने पुरुष एवं महिला नसबंदी केसेज सम्पादित किए गये, उन सभी सम्पादित महिला पुरुष नसबन्दी केसेज के नाम पते क्या है तथा उनके प्रेरक कौन-कौन हैं ?

गोपीनाथ दीक्षित---

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, बस्ती के कर्मचारियों की व्यक्तिगत नसबन्दी उपलब्धि हेतु पुरस्कृत कर्मचारियों के नसबन्दी केसेज का भौतिक सत्यापन

33---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां जनपद बस्ती के कर्मचारियों की व्यक्तिगत नसबन्दी उपलब्धि वर्ष 1987-88 की क्या क्या है और किन-किन कर्मचारियों को नसबन्दी उपलब्धि हेतु पुरस्कृत किया गया है ? उन पुरस्कृत कर्मचारियों के नसबन्दी केसेज का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।

स्व0 श्री गजराज व लालता प्रसाद चौकीदार के आश्रितों को योग्यतानुसार नौकरी में रखे जाने के संबंध में जानकारी

34---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बस्ती के अधीन कार्यरत स्वर्गीय गजराज व लालता प्रसाद चौकीदार के आश्रितों को उनके योग्यतानुसार सरकारी नौकरी में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन्हें नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

स्व0 श्री लालता प्रसाद के आश्रित की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर कर दी गई है। स्व0 श्री गजराज, चौकीदार के आश्रित की नियुक्ति नहीं हुई है।

स्व0 गजराज के आश्रित, जैसा कि मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली में परिभाषित है, की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आश्रित की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद हरदोई के किसानों को उर्वरक अनुदान के नाम पर किये गये कथित घपलों की विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा जांच

35---श्री राज किशोर सिंह---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1985-86 में जनपद-हरदोई के किसानों को उर्वरक अनुदान देने के नाम पर किये गये भारी घपलों के संबंध में सम्प्रेक्षण सं0-5692 दिनांक 4-11-86 के प्रस्तर सं0-12 के अन्तिम पैरा के अनुसार 200 टन यूरिया उर्वरक जो कानपुर से हरदोई लाना दिखाया गया है लगभग सभी स्टाक कानपुर में ही रोककर इसका दुरुपयोग कर लिया गया तथा ढुलाई का बिल प्रस्तुत करके आहरण कर लिया गया है एवं फर्जी वितरण धनराशि का समायोजन कर सम्बन्धित मात्रा को प्रायः हड़प लिया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी आडिट में उठाई गयी शंका की जांच काश्तकारों की सूची के आधार पर विशेष अनुसंधान शाखा कृषि से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

जी हां।

विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) से जांच कराई जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डारण छपिया, गोरखपुर द्वारा किये गये घपले के संबंध में जानकारी

36---श्री राज किशोर सिंह---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार छपिया, जनपद गोरखपुर (श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव) द्वारा वर्ष 1984-85 में 4 टन 5 कुन्तल मिलावट युक्त एवं अवमानक उर्वरक डी0ए0पी0 विकास खण्ड-परतावल के कृषकों को बेच कर कृषकों, कृषि तथा राष्ट्र की पैदावार पर कुठाराघात किया तथा उक्त अवमानक पर धोखाधड़ी करके शासन से अनुदान भी लिया ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नगत मामले में परियोजना अधिकारी, कृषि, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 3057 दिनांक 29-9-88 द्वारा उक्त विषय पर स्पष्टीकरण उक्त प्रभारी से 3 वर्ष बाद मांगा है ? यदि हां, तो इतने विलम्ब से स्पष्टीकरण मांगे जाने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है या की जा रही है ? क्या उक्त पत्र द्वारा प्रभारी से मांगा गया स्पष्टीकरण परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर एवं कृषि निदेशक उ0प्र0 को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो स्पष्टीकरण क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल---
सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहायक कृषि निरीक्षक एवं बीज भण्डार प्रभारी चरगावां, गोरखपुर के विरुद्ध घोटाले की जांच एवं स्थानान्तरण की मांग

37---श्री राज किशोर सिंह---
क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक एवं बीज भण्डार प्रभारी चरगावां जिला गोरखपुर के विरुद्ध वर्ष 1985 में अनुदान में गबन व घोटाला करने के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (कृषि) लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी थी और जांच में दोषी पाये जाने पर उक्त सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा--409, 420, 109, 467, 468, 471 तथा 477 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त गबन एवं भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त उक्त स्थानान्तरित सहायक कृषि निरीक्षक को उक्त भण्डार से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया तथा निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इसी प्रकार के आरोपों में तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक पतरा विकास खण्ड भटहट को उसके स्थान से हटाया जा चुका है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के मामले में भेदभाव किये जाने का क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---
जी हां।
जी हां।

वह वाराणसी मण्डल को स्थानान्तरित किये गये थे परन्तु स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निर्गत हो जाने के कारण स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन नहीं हो सका। मामला पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल करके कार्यवाही की जा रही है अतः निलम्बन नहीं किया गया है।

जी नहीं, सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने पर कार्यभार से मुक्त किया जा चुका है।
प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम सभा मथुरा बाजार में अतिरिक्त प्रा0 स्व0 केन्द्र भवन के नव निर्माण में कोताही के कारण पुनः भवन को सक्षम स्तर तक निर्माण की मांग

38---श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां---
क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा विकास खण्ड हरैया सतघरवां में ग्राम सभा मथुरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के नव-निर्माण का कार्य वर्ष 1986-87 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नवनिर्मित भवन की छतें, दीवालें, फर्श व प्लास्टर सब खराब हो चुके हैं ? क्या पुनः भवन को सक्षम स्तर तक निर्माण के लिए तत्कालीन व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
श्री गोपीनाथ दीक्षित---
सूचना अभी प्रतीक्षित है।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में क्षेत्र यान्त्रिक पदों के लिए नियुक्ति

39---श्री राकेश धर त्रिपाठी---
क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग में पहले से विज्ञापित, क्षेत्र यान्त्रिक पदों के लिए 22 मार्च, 1987 को परीक्षा आयोजित की गयी थी, जिसका न तो परीक्षाफल घोषित किया गया और न ही सम्बन्धित अभ्यर्थियों की फीस ही वापस की गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

जी हां।

परीक्षाफल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश कृषि निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ को दे दिये गये हैं।

प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण हेतु चल रही फार्मेसियों की संख्या आदि के संबंध में जानकारी

40---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की कितनी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी फार्मेसी हैं? इनमें कितनी कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं? फार्मेसी बन्द रहने के क्या कारण हैं? इन बन्द फार्मेसियों को वर्ष 1986--87 तथा 1987--88 में चलाने के लिये कितनी धनराशि के उपकरण तथा अन्य सामान दिये गये? सामान/उपकरण दिये जाने के बावजूद फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? इनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है तथा ये बन्द फार्मेसी कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की तीन सरकारी एवं दो अर्द्ध सरकारी फार्मेसी हैं।

उक्त समस्त फार्मेसी कार्यरत हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

स्व0 डा0 कृष्ण मुरारी चौबे खमरहिया, लखीमपुर खीरी के देयों के भुगतान की मांग

41---श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां---

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम माकलपुर, पोस्ट परगना व तहसील--सदर, जिला गोण्डा निवासी डाक्टर कृष्ण मुरारी चौबे खमरहिया, लखीमपुर खीरी स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा सेन्टर में कार्यरत थे, का स्वर्गवास वर्ष 1987 में सेवा काल में हो गया था? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को पेंशन, बीमा तथा अन्य वांछित धनराशि भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

अभी तक सूचना प्रतीक्षित है।

जनपद गोरखपुर के प्रा0 स्वा0 केन्द्र पिपराइच पर कार्यरत दाई श्रीमती धनपाती पत्नी श्री हुसैनी एवं श्रीमती अमरावती पत्नी रामबदन को स्थायी कर, वेतन वृद्धि की मांग

42---सैयद जावेद अली (सब्जपोश)

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच पर श्रीमती अमरावती पत्नी रामबदन 1972 से प्रशिक्षण प्राप्त कर अंशकालिक दाई के पद पर 15 वर्ष से अधिक से 50 रुपया प्रति माह पर कार्यरत है जबकि सरकारी नीति के अनुसार उनका नियमितीकरण हो जाना चाहिये था? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों दाइयों को स्थाई कर, वेतन वृद्धि करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच पर श्रीमती धनपाती पत्नी श्री हुसैनी एवं श्रीमती अमरावती पत्नी रामबदन 1972 से प्रशिक्षण प्राप्त कर अंशकालिक दाई के पद पर 15 वर्षों से अधिक से 50 रु0 प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत हैं।

अंशकालिक दाई के नियमितीकरण की सरकारी नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बीज भण्डार बहराइच सदर का प्रभार बफर गोदाम निरीक्षक द्वारा हस्तांतरण न किया जाना

43--श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मूल चन्द्र---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच, बीज भण्डार बहराइच सदर का प्रभार अनधिकृत रूप से सात वर्ष से अपने पास रखे हुए हैं ? क्या यह सत्य है कि चार्ज देने के आदेश की अवहेलना कर चार्ज नहीं दे रहे हैं ? चार्ज कब तक हो जायेगा तथा आदेश की अवहेलना के लिए क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल---

जी नहीं, बफर गोदाम निरीक्षक के पास बीज भण्डार बहराइच का प्रभार वास्तव में दिनांक 17--12--88 से ही अनधिकृत रूप से है क्योंकि उस दिन से पृथक बीज भण्डार प्रभारी की तैनाती के उपरांत भी उन्होंने बीज भण्डार का प्रभार नहीं दिया है ।

जी हां ।

संयुक्त कृषि निदेशक तथा कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी को चार्ज हस्तान्तरित करवाने के कठोर निर्देश दिए किन्तु दिनांक 13--3--89 को जिलाधिकारी, बहराइच ने जिला कृषि अधिकारी को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का सहारा लेकर कार्य मुक्त न करने के निर्देश दे दिये हैं जबकि न्यायालय के आदेश का बीज भण्डार के प्रभार से कोई सम्बन्ध नहीं है । जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में समुचित निर्देश भेजे जा रहे हैं ताकि चार्ज का हस्तांतरण हो सके ।

प्रदेश में कतिपय जनपदों के कृषकों को यूरिया खाद्य की आपूर्ति

44--श्री हर्ष वर्द्धन---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986--87 में अलीगढ़, एटा, मथुरा, गोरखपुर, बलिया तथा मिर्जापुर में खरीफ एवं रबी की फसलों के दौरान यूरिया खाद का कुल कितना वितरण कृषकों को किया गया ? उक्त यूरिया के आपूर्ति संबंधित जनपदों में किन-किन स्रोतों से सरकार द्वारा करायी गयी और सम्बन्धित स्रोतों ने कृषकों को इन जनपदों में यूरिया की वास्तविक आपूर्ति किस मात्रा में की ?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

प्रश्नगत जनपदों में वर्ष 86--87 में खरीफ एवं रबी में कृषकों को कुल वितरित यूरिया का विवरण निम्नवत् है:---

मै0 टन में

क्रमांक	जनपद	खरीफ	रबी
1	अलीगढ़	1565.000.000	39500.000.000
2	एटा	11700.000.000	39130.000.000
3	मथुरा	3857.967.750	22359.944.860
4	गोरखपुर	41989.440.000	47703.622.000
5	बलिया	7749.950.000	15289.575.000
6	मिर्जापुर	10162.278.000	13406.321.000

सम्बन्धित जनपदों में यूरिया की आपूर्ति कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, गन्ना विभाग, यू0पी0 एग्रो और निजी विक्रेताओं के माध्यम से कराई गई ।

कृषकों को वास्तविक आपूर्ति (वितरित) स्रोतवार मात्रा का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 197 पर)

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायकों की आयोग के माध्यम से नियुक्ति की मांग

45---श्री मोहम्मद आकिल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा क्या यह पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत हैं ? यदि हां, तो अभी तक इन पदों पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पदों पर आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायक के कोई पद रिक्त नहीं है किन्तु कुल स्वीकृत दो पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त अभ्यर्थी कार्यरत हैं।

पदों को नियमित चयन से भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग से पत्र व्यवहार किया गया है। आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर ही नियमित नियुक्ति का प्रश्न उठेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा के सुदृढ़ीकरण हेतु मशीनों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का विवरण

46---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में वर्ष 1986-87 में फार्मेसी कार्य प्रारम्भ करने के लिये मशीनें तथा सामान खरीदा गया था ? यदि हां, तो मशीनों तथा सामान का मूल्य क्या था ? इसके लिये शासन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी ? क्या यह सही है कि अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण मशीनें एवं सामान खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने की किसकी जिम्मेदारी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इतनी कीमती मशीनें एवं सामान अभी तक रखे रहने से कालेज का कितना नुकसान हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा में रसशास्त्र विभाग में छात्रों को औषधि निर्माण की विधि एवं प्रक्रिया का समुचित प्रशिक्षण देने के लिये वर्ष 1986-87 में कालेज के रसशास्त्र (फार्मेसी) विभाग का सुदृढ़ीकरण कर उसका विस्तार किया गया था तथा सुदृढ़ीकरण हेतुमशीन तथा सामान क्रय किया गया था।

रु0---1,49,997-00

रु0---1,50,000-00

जी नहीं। अतः शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा, बांदा में कतिपय वर्षों में मरीजों की तुलनात्मक संख्या का विवरण

47---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में जब से प्राचार्य डा0गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण किया तब से मरीज संख्या बहुत कम हुई तथा कालेज के छात्रों की कक्षायें भी बहुत कम लगी हैं ? यदि नहीं, तो मई, 1985 से मई, 1986 तक के तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक मरीजों की तुलनात्मक संख्या का विवरण क्या है तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक कितनी कक्षायें छात्रों की लगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जी नहीं, नाम मात्र की कमी आई है।

मई, 1985 से मई, 1986 तक की तुलनात्मक रोगी संख्या--

अन्तरंग	बहिरंग	योग
1439	7998	9437

मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक की तुलनात्मक रोगी संख्या---

अन्तरंग	बहिरंग	योग
1091	7805	8896

716

उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

48---श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति किये जाने विषयक उ0 प्र0 शासन के संयुक्त सचिव का पत्र संख्या- 377/12-9-1303/83, दिनांक 2 मई, 1986, कृषि निदेशक, उ0 प्र0 को मिला है? यदि हां, तो वर्ष 1986 से लेकर अब तक किन-किन महीनों में कितने दैनिक कर्मचारी नियमित किये गये हैं कितने कर्मचारी नियमित होने के लिये शेष हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 2-5-86 के निदेशालय में कितने दैनिक वेतन कर्मचारी थे? शासन के आदेश के बावजूद अब तक सभी कर्मचारियों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं?

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

प्रश्न में उल्लिखित शासन के पत्र में निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किए जाने का कोई आदेश नहीं था, बल्कि उन्हें आयु सीमा से छूट देकर परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता है।

नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

112 तृतीय तथा 88 चतुर्थ श्रेणी।

प्रश्न नहीं उठता है।

49---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित आदेश राज्य मंत्री कृषि के पत्र सं0 1645/एस0एम0ए0बी0 आई0 पी0/84 के दिनांक 26-6-1984 द्वारा उप सचिव कृषि अनुभाग-9 को दिया गया है? यदि हां, तो क्या उप सचिव ने कृषि निदेशक को अपने पत्र सं0 एम-24/12 (9)-84-1303/84 दिनांक 11 जुलाई, 1984 के द्वारा राज्य मंत्री जी के आदेशों के अनुपालन हेतु पुनः लिखा है? यदि हां, तो आदेशों का पालन न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जी हां।

दैनिक श्रमिकों को नियमित करने का कोई नियम नहीं है अतः इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियमों का निलम्बन करके निम्न प्रस्ताव ले लिये जांय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना आपने दी है वह तमिलनाडु विधान सभा से ताल्लुक रखती है। इस एसेम्बली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये मैं इसकी आपको अनुज्ञा नहीं देता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा के बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपको मैंने अनुज्ञा नहीं दी है। आप बैठ जांय। आप जो बोल रहे हैं वह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

आप बैठ जांय। अब मैं नियम 301 ले रहा हूं।

आजमगढ़ शहर में सीवर व्यवस्था ठीक कराने आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष ---

आज दिनांक 30 मार्च, 1989 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें शलाका के आधार पर 7 सूचनायें स्वीकार हुई हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:--पहली--श्री दुर्गा प्रसाद यादव, दूसरी--श्री मोहम्मद मसूद खां, तीसरी--श्री जगवीर सिंह, चौथी--श्री विष्णु देव, पांचवी--श्री राम जनम सिंह, छठीं--श्री मित्रसेन और सातवीं--श्री संतोष चतुर्वेदी, एडवोकेट। शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुईं।

स्वीकार की गयी सातों सूचनाओं को सदन की अनुमति से पढ़ा हुआ मान लिया जाये?

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, शहर आजमगढ़ में पुराने जमाने से हर मुहल्ले में नालियोंके जरिये पानी जाने का स्थान था और उन स्थानों का एक दूसरे से इस प्रकार से संबंध था कि सब मिल कर नाले के जरिये नदी में पानी जाता था वह स्थान व नाला फूट गया है और लोगों ने मकान बना लिए हैं। जिसकी वजह से पानी निकासी की कोई सूरत नहीं है। सारी गन्दगी हर मुहल्ले में सड़ती है जिससे मच्छर से तमाम बीमारियां उत्पन्न हो गयी हैं। पूरा शहर को अपने लपेट में लिये है और चेचक, मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है नगर पालिका आजमगढ़ के पास इतना पैसा नहीं है कि इन स्थानों से नाला खुदवाकर नालों को पक्का कर सके ताकि नाली के द्वारा पानी की निकासी हो जाय। सीवर लाइन भी पट गयी है हर मुहल्ले में शौचालय नहीं है गन्दगी बढ़ गयी है। शासन को बार-बार लिखने से खाली टाल मटोल का जवाब मिल जाता है जनता में काफी आक्रोश एवं असन्तोष पैदा हो गया है अगर निकट भविष्य में उपरोक्त कार्य न किया गया तो जन आन्दोलन भी हो जायेगा।

अतः आपसे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से शासन एवं सदन के ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि शहर आजमगढ़ के हर मुहल्ले में शौचालय, मोहल्ले से पानी जमा होने का पक्का निकास और सीवर लाइन की भी शीघ्र दुरुस्ती कराई जाय।]

जनपद आजमगढ़ में विभागों की सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद मसूद खां--

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में विभागों की सलाहकार समितियां है, जिसके जन प्रतिनिधि विधायक एवं सांसद भी सदस्य हैं। नियमित रूप से 3 माह के अन्दर एक मर्तबा मीटिंग होनी

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए और उस मीटिंग के कार्यवाही की नकल विभागीय सचिव के यहां भेजी जाती है। जिस पर वह नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश देते हैं। उसी तरह से जिला योजना की मीटिंग में हर विभाग के योजनाओं के बारे में उसी क्रम से मीटिंग होती है और वित्तीय साल के आखिरी मीटिंग में विनियोग मीटिंग भी होती है, परन्तु खेद है कि जनपद आजमगढ़ में सन् 1985 से अब तक उद्योग की सिर्फ एक मीटिंग वह भी सही पता न देकर बुलाई गई, जिसमें कोरम के अभाव में मीटिंग स्थगित हो गई। शिक्षा सलाहकार, हरिजन समाज कल्याण, स्वास्थ्य आदि की मीटिंग भी काफी लम्बे समय से नहीं हो रही हैं। जिला योजना विनियोग मीटिंग भी इस साल नहीं की। जिसकी वजह से विभाग और जिला योजना का पैसा सही तौर से नहीं खर्च हुआ और विभागीय सुझाव भी नहीं आ रहे हैं। जिला के अधिकारी एवं विभाग के सचिव शासन को भी पत्र लिखने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जनता का सारा काम धाम ठप्प है। जनहित की कोई योजना बन नहीं पा रही है। जिसकी वजह से जनता एवं जनप्रतिनिधियों में काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है और यह जन आन्दोलन का भी रूप ले रहा है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि जिले के अन्दर जितनी सलाहकार समितियां एवं योजना समितियां हैं उनकी नियमित बैठक करने और बैठक की कार्यवाही पर शासन के सचिव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

अलीगढ़ जनपद में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगबीर सिंह—

[मान्यवर, अलीगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या है। तहसील खेर के टप्पण विकास खंड में यमुना नदी की तलहटी में स्थित सभी ग्रामों में जल स्तर नीचा होने के कारण पेयजल के परम्परागत स्रोत कुएं व साधारण हैण्ड पम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। इस विकास खण्ड के ग्राम कल्यानपुर, करनपुर, शालपुर, फैजुआका, खेरियाखुर्द, बाजीदपुर, भैरमगंज, हरसुख की नगरिया, जरैलिया, हेतलपुर, ताहरपुर, जैदपुरा, फलखेड़ा विजना की नगरिया, कृपालगढ़ी, श्यारौल, वेनाटाउन एरिया जट्टारी आदि ग्रामों में विशेष पेयजल संकट है। इसी प्रकार चड़ौस ब्लाक के ग्राम पिसावा राऊपुर सुजावलबड़ पेस्तीफा जलालपुर सुदेशपुर व पड़ौस आदि में पेयजल की समस्या है तथा खैर विकास खण्ड के ग्राम संजना, भड़ौली, जानेश, ककौला अंडला, जरारा, पीपगलांव नं0 मुन्नी, नयाबास अरीना, सहरोई, अंदोस, मीपुर, मरहला, गौंदौली तथा नगरपालिका खैर में गम्भीर पेयजल संकट है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन की जानकारी में लाकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ की घोसी तहसील के ग्राम दुबारी में चकबन्दी कार्य को पूरा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णुदेव—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मऊ की तहसील घोसी के ग्राम दुबारी की 13 वर्ष से चली आ रही चकबन्दी की प्रक्रिया जिसे इस माह पूरा हो जाने का आश्वासन दिया गया था। एकाएक रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ग्राम दुबारी की चकबन्दी में जानबूझ कर संबंधित भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक विलम्ब के कारण स्थानीय जनता की ओर से अनेकों आवेदन पत्र दिये गये मैंने विधान सभा में गत वर्ष प्रश्न में भी पूछा

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। जिले के चकबन्दी अधिकारियों ने 31 मार्च, 89 तक चकबन्दी का कार्य पूरा हो जाने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक चकबन्दी का कार्य सी0ओ0 स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया। ग्राम के जबरदस्त लोगों द्वारा सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि हड़पने वालों के दबाव से चकबन्दी सारी प्रक्रिया इस समय रोक दी गयी है जिससे ग्राम की जनता में व्यापक हताश असंतोष की स्थिति पैदा हो गयी है।]

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर ग्राम दुबारी की चकबन्दी का कार्य शीघ्र संपन्न कराने के लिये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत परगना जहूराबाद के सिधानगर गांव को टोंस नदी की बाढ़ से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामजन्म सिंह---

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व जनपद गाजीपुर तहसील मोहम्दाबाद परगना जहूराबाद के सिधागर गांव को नदी के कटाव से बचाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह गांव टाउन्स नदी के किनारे बसा है। प्रतिवर्ष टोंस नदी में बाढ़ आती है जिसके कारण इस गांव का कटाव अधिक होता है। इसके संबंध में कई बार स्थानीय लोगों जन प्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से ज्ञापन भी दिया। यदि कटाव की यही स्थिति रही तो गांव का नामोनिशान मिट जायेगा। कटाव से बचाने के लिये स्थानीय जनता ने कई बार धरना एवं प्रदर्शन किये।

अत: आपसे निवेदन है कि सरकार को निदेशित करें कि धन आवंटित कराकर सिधानगर गांव एवं सिधागर गांव की उर्वरक भूमि को कटाव से बचाने हेतु ठोकर बनवाने की समुचित व्यवस्था करायें। जिससे स्थानीय लोगों को इसका लाभ एवं सुविधा मिल सके।]

फैजाबाद जिलान्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी योजना में लाखों रु0 के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन---

[मान्यवर, बढ़ती बेरोजगारी और भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाकर लोगों के हाथों को काम, भूखे पेट को रोटी देने के लिए विकास के निर्माण कार्यों से जोड़ा है। इसी मद में वित्तीय वर्ष 1987-88 और 88-89 में लाखों रुपया नरेन्द्रदेव कृषि वि0वि0 कुमारगंज फैजाबाद को दिया गया है। जिसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर लाखों का घोटाला फर्जी मस्टर रोल दिखाकर किया गया है। मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में अनाज को बाजारों में बेंच दिया गया है। और आज भी यह लूट सरकार की आंख में धूल झोंककर 20 सूत्रीय कार्यक्रम को धत्ता देकर जारी है। जिससे कुछ लोग माला-माल हो रहे हैं।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में तत्काल आपके माध्यम से सरकारी जांच की मांग करता हूं।]

जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ क्षेत्र में उपल वृष्टि से फसल की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट---

[मान्यवर, आपके संज्ञान में अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं दिनांक 27/28 मार्च, 89 की रात्रि में भीषण तूफान से व जबरदस्त उपलवृष्टि से मेरे विधान

नोट:-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा क्षेत्र छिबरामऊ में अत्यधिक क्षति हुई है। गेंहूं, चना, राई, प्याज, खरबूजा व आम की फसल पूरी तौर पर विकास खण्ड लालग्राम के ग्रामों में विशेष रूप से विरौली रोहली, अदमापुर, अचा, रसूलपुर बनगिवां आदि गांवों में शतप्रतिशत क्षति हुई है। किसान तबाह हैं।

शासन से अविलम्ब राहत कार्य की मांग करता हूं। ज्ञातव्य हो कि गतवर्ष भी ओलावृष्टि से उक्त गांव पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हुए थे किसानों को राहत कार्य की सुविधा न मिल सकी थी।]

हजरतगंज कोतवाली में हुए झगड़े से संबंधित "डाक्टर पुलिस विवाद जांच आयोग, लखनऊ" की रिपोर्ट में प्रयुक्त शब्दों पर आपत्ति तथा रिपोर्ट को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 300 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो निम्नलिखित माननीय सदस्यों की हैं:--

1--श्री हर्षवर्धन, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम गोविन्द चौधरी,
2--श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम सागर श्री राम शरण दास
3--श्री विष्णु देव
4--श्री अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री कौशिक रमाशंकर
5--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी
6--श्री सरदार सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री बदन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रवीन्द्र-नाथ तिवारी श्री हरेन्द्र सिंह।
7--श्री बालेश्वर,
8--श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा,
9--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त
10--श्री बलराम यादव, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री शारदा नन्द अंचल, श्री फागू चौहान, श्री राम-जनम, श्री दुर्गाप्रसाद यादव, श्री विष्णुदेव
11--श्री शारदा प्रताप
12--श्री हृदय नरायन दीक्षित, श्री राकेशधर त्रिपाठी
13--श्री गोपीनाथ वर्मा और श्री राम आसरे वर्मा

श्री हर्षवर्धन--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना आज मैंने दी है जो कल यहां सदन में गृह मन्त्री की तरफ से दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को हजरतगंज कोतवाली में झगड़े के संबंध में "डाक्टर पुलिस विवाद जांच आयोग, लखनऊ" की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी उससे संबंधित मामला है। इसके साथ ही जो ज्ञापन रखा गया है उस पर मुझको घोर आपत्ति है। यह सदन उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और यहां का शासन पुलिस, महानिदेशक, से, इसमें जो भाषा है उसको देखें तो उसमें यह कहते हैं कि "आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया जाये।" शासन अनुरोध कर रहा है। मंत्रि-मंडल में विचार करने के बाद अनुरोध कर रहे हैं, कुछ दिन बाद कहेंगे इस पर कार्यवाही कर दें और इसके बाद कहेंगे कि करबद्ध प्रार्थना है....।

इस तरह का वक्तव्य सदन में रखा गया है। मेरठ के श्रीमती माया त्यागी काण्ड के संबंध में यहां पर जो प्रतिवेदन आया था, उसमें साफ लिखा है निर्देशित किया जाता है, निर्देश दिया जाता है। इसमें लिखा है--कहा है कि "उनसे अनुरोध किया जाय"। इसकी भाषा पर मुझे घोर आपत्ति है। आज जो प्रदेश में पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, वह आज आम आदमी के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, यह सब इसी बात का परिणाम है। यह पुलिस अधिकारियों और पुलिस

महानिदेशक के सामने केवल अनुरोध करके अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। यह प्रतिवेदन मार्च, 87 में छपकर आ गया था, और यह उपलब्ध 86 में ही हो गया था। तो इसे दो साल तक क्यों रखे रहा गया? इतना इसमें विलम्ब क्यों हुआ? इन पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(इस समय 12 बजकर 27 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मेरा एक निवेदन है, कान्टेम्ट में भी जो व्यवस्था है वह यह है कि सदन अपने सदस्यों से एक स्तर के आचरण और व्यवहार की अपेक्षा करता है। उस उपेक्षा को अगर कोई सदस्य झुठलाए या ठुकराये और उसके विपरीत आचरण करे तो वह भी कन्टेम्ट बनता है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग गृह मन्त्री जी ने किया है वह सदस्यों के द्वारा अपेक्षित आचरण के भी अनुरूप नहीं है और गृहमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है, उससे भले ही मंत्रिपरिषद् के लोग अपने को अपमानित महसूस न करें, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति और हम सभी यह समझते हैं कि सदस्य का जो एक्सपेक्टेड आचरण है, उससे यह बहुत ही गिरा हुआ आचरण है। यह सदन का कान्टेम्ट भी है। अपना निर्णय देते हुए आप इस बात का भी ध्यान में रखें।

श्री रामगोविन्द चौधरी--

अध्यक्ष जी, इस वक्तव्य से अब यह साफ जाहिर हो गया है कि उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासन और अधिकारियों के सामने घुटने टेक दिया है। शासन में तो कोई हया नाम की चीज है ही नहीं इसलिए मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इससे सदन की स्पष्ट अवमानना हुई है। इसलिए आप स्पष्ट तौर पर महामहिम राज्यपाल को सलाह दें कि वह (††††) और अधिकारियों के सामने घुटने टेकने वाली सरकार को बरखास्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को सलाह दें। क्योंकि ऐसी (††††) और घुटने टेकने वाली सरकार उत्तर प्रदेश विधान सभा की अवमानना तो करती ही है, प्रदेश की 13 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात भी करती है। इसलिए आप स्पष्ट राज्यपाल से सलाह करके निर्देश करा लें कि वह राष्ट्रपति को निर्देश दें, ऐसी सरकार को बरखास्त कर दें।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह हम लोगों का भी अपमान हुआ है.....।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए आपकी कोई नोटिस नहीं है, मैंने सबको सुन लिया है।

श्री विजय सिंह राणा--

इसमें हमारे विशेषाधिकार हनन का स्पष्ट मामला है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उपाध्यक्ष जी, माननीय हर्षवर्धन, रवीन्द्र नाथ तिवारी, चौधरी साहब और आखिर में राणा साहब ने जो यह प्रश्न उठाया है, मैं इस बात से सहमत हूं--वैसे औचित्य का यह प्रश्न नहीं बनता है, कि सरकार की ओर यहां के मंत्रिमंडल को किसी भी मामले में अपने आदेश निर्देशित करने चाहिए, हमें अनुरोध नहीं करना चाहिए। हमने उसको स्वयं देखा है और हमने कहा भी है कि इसे सही किया जाय "निर्देशित किया जाए"। रही देर की बात, थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ कि पहले जो रिपोर्ट आ रही थी, उस पर तत्कालीन गृह मंत्री के दस्तखत थे, उनका नाम था, इसलिए उसे बदलना पड़ा। इस कारण से इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिसका खेद है।

शासन की ओर से जो वक्तव्य या रिपोर्ट हो उसमें आदेश या निर्देश होना चाहिए, उसमें अनुरोध नहीं होना चाहिए। इसको आगे ध्यान रखा जाएगा। औचित्य का यह प्रश्न नहीं बनता है।

नोट:--(††††) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

जो रिपोर्ट या वक्तव्य शासन को प्राप्त होता है, उसे ध्यान से पढ़कर ही सदन में पेश किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गम्भीर आरोपों से संबंधित पत्रावलियों को नष्ट किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आज हम सब मानते हैं कि भ्रष्टाचार प्रशासन के सभी अंगों में व्याप्त है, उसके लिए सबसे ऊपर के लोग जिम्मेदार हैं। अधिकारियों में बड़े अधिकारी हैं। श्रीमन् बड़ी तकलीफ के साथ आपके संज्ञान में लाना पड रहा है हमारे प्रदेश में तमाम वरिष्ठ अधिकारी, आई0ए0एस0 अधिकारी जो मुख्य सचिव और गृह सचिव के पद पर रह चुके हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और जिसमें सतर्कता विभाग ने मुकदमा चलाने या और कार्यवाही करने के आदेश दे दिए थे जिसमें निजी कम्पनियों को हथियार बनाने के लाइसेंस देने के भी मामले थे, इस तरह के मामलों पर कोई कार्यवाही न करके, ऐसे मामलों की फाइलों को नष्ट किया जा रहा है, फाइलों को नष्ट करने से वह कार्यवाही से या मुकदमों से ही वंचित नहीं होंगे वरन् इससे भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, आश्वासन समिति में दस-दस साल के मामले विचाराधीन रहते हैं अगर मुकदमा चलना होता है तो वह चलता है अगर और कोई कार्यवाही होनी होती है तो वह होती उसके बाद अगर फाइलों को नष्ट किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर फाइल में कार्यवाही हो रही हो और उसको नष्ट किया जाये, यह तो बहुत गलत बात है, तो मान्यवर, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अपेक्षित है उन फाइल को नष्ट न किया जाए।

*श्री रामशरण दास ---

मान्यवर, यह तो ऐसा हो गया है उत्तर प्रदेश में इस सरकार के रहते जिसकी जिम्मेदारी अम्मार रिजवी साहब के ऊपर है, यह फाइलें तो हमें भी फुंकवा सकते हैं, तो क्या कुछ यह लोग नहीं कर सकते हैं यह तो इनकी आदत बन रही है कि जो बड़े-बड़े अधिकारियों के मामले हैं गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, यह वही नहीं हाईकोर्ट के जजों की भी फाइलें फुंकवायेंगे, सचिवालय के लोगों की भी फाइलें फुंकवायेंगे ताकि यह सब साफ हो जायें। मैं चेतावनी देता हूं ऐसे मामलों में जो कुताही बरती गई है जिन्होंने यह फाइलें फुंकवाई हैं उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए वरना इस शासन का काम-काज कैसे चलेगा जब यह फाइलें ही फुंकवा देंगे। इनकी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, इसको आप देखें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, एक गोपनीय आदेश के तहत ऐसा किया जा रहा है ऐसे लोग जो रहे हैं जिनकी फाइलें जलाई जा रही हैं यह गृहसचिव और मुख्य सचिव रहे हैं इसमें धान खरीद का घाटाला, निजी कम्पनियों को हथियार बनाने का लाइसेंस देना इस तरह के मामले हैं जिसमें सतर्कता विभाग ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही। सीलिंग वाला मामला है और कई ऐसे मामले जो उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ हैं, इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आगे इन फाइलों को नष्ट न किया जाए इसका भी ध्यान रखा जाए।

कुंवर रेवती रमण सिंह ---

मान्यवर, जिन मामलों के बारे में अभी बेनीप्रसाद वर्मा माननीय रामशरण दास जी और गुप्ता जी ने कहा, उसमें मंत्री जी क्या जवाब देंगे हम जानते हैं यह कह देंगे इस मामले को देख लेंगे आवश्यक कार्यवाही करेंगे यही जवाब मंत्री जी देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

जबाब तो आप जानते ही हैं फिर क्या ?

*कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, आप इसमें सरकार को निर्देशित करें ऐसे गम्भीर मामले हैं जिसमें अर्बन सीलिंग की बात है, हथियार बनाने वाली कम्पनियों को लाइसेंस देने की बात है, तो इसमें सदन स्पष्ट रूप से सूचित करें कि इसमें क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, और कब तक कार्यवाही कर पायेंगे ?

संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, सरकार की मंशा नहीं है कि किसी भ्रष्ट या दोषी अधिकारी को बचाया जाय। जो माननीय रेवती रमण सिंह, माननीय गुप्त जी ने और माननीय राम शरण दास जी ने कहा है कि अर्बन सीलिंग या अन्य विषयों के बारे में तो उस संबंध में क्या स्थिति है और क्या कार्यवाही हुयी है वह मैं सूचित कर दूंगा।

रही मान्यवर, फाइलों को जलाने की बात तो जिन पत्रावलियों को जलाने की बात की गयी है, विजीलेंस की फाइलें जला दी गयीं हैं यह बात सत्य से परे है। पत्रावलियों का क्लासीफिकेशन होता है एक मुद्दत के बाद जो कुछ बेकार कागज होते हैं उनको जला दिया जाता है, जिनकी जरूरत नहीं होती है उनको बरबाद कर दिया जाता है। वीडिंग आउट का जो प्रासेस है वह किया जाता है और यह प्रासेस आज नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। जिन पत्रावलियों को जलाने की बात की गयी है वह सही नहीं है। फिर भी जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है सो मान्यवर, मैंने आदेश कर दिये हैं कि वह कौन-कौन सी फाइलें हैं, किस तरह की हैं, कौन सी जलाई गयी हैं, यह सारी सूचना दें ताकि उससे आपको सूचित कर सकूं। लेकिन यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद नगर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने संबंधी विधेयक न लाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विष्णु देव---

मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश के नगर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के प्रयोजनार्थ एक विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस आश्वासन को दिये हुए बरसों बीत गये आज तक यह विधेयक नहीं आया है। मुझे बड़े दुख और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि आज भी शहरी नगर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने संबंधी बिल नहीं आया जिससे नगर क्षेत्रों में अकृषि क्षेत्र की जनता बहुत परेशानी में है। जमींदार जब चाहते हैं परेशान करते हैं और मरम्मत मकानों की अपनी मरजी से करते हैं और उसका पैसा वसूल करते हैं। जिन मकानों में लोग पचासों वर्षों से रहते हैं जमींदारी प्रथा के कायम रहने के कारण बहुत संकट में हैं। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी अभी इस संबंध में विधेयक नहीं आया है। मैं समझता हूं कि यह सरकार बड़े लोगों के दबाव में है। यह औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुए मैं चाहूंगा कि इसको स्वीकार करके इस पर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, माननीय विष्णु देव जी ने जो प्रश्न उठाया है और जो यह कहा है कि सरकार पर बड़े लोगों का दबाव है तो जब 1952 में दबाव बर्दास्त नहीं किया गया तो इस समय बर्दास्त करने की कोई बात नहीं है। मान्यवर, इसका विधेयक तैयार हो गया है और इसके जो फाइनेंशियल इंपलीकेशंस हैं उसके बारे में बोर्ड आफ रेवेन्यू को लिखा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और यह सारी बात बहुत ही ऐक्टिवली शासन के विचाराधीन है कि किस तरह से इसको कितनी जल्दी लाया जाय। तो जो कमिटमेंट यहां पर नीति विषयक जमींदारी एबालूशन या अन्य के बारे में है, उनको लागू किया जायगा, उन्हें किसी तरह से रोका नहीं जायगा। यह सरकार के विचाराधीन है, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

अपट्रान में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कतिपय विधायकों द्वारा उठायी गयी चर्चा के विरुद्ध अपट्रान के अधिकारियों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी----

श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि हम लोगों ने नियम 56 के अन्तर्गत अपट्रान के भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, जिसमें आपने एक घंटे की चर्चा स्वीकार की थी, वह चर्चा स्थगित होकर अब 5 अप्रैल को लगी हुई है। उस चर्चा के स्वीकार होने के बाद अपट्रान के कुछ अधिकारियों ने उन विधायकों के प्रति, जिन्होंने यह चर्चा उठाई, न केवल अपशब्दों का प्रयोग किये, बल्कि शासन को उन्होंने जो कमेन्ट भेजा, वह भी विधायकों के लिए अपमानजनक है। दूसरी तरफ सूचना यह है कि महालेखाकार की आडिट रिपोर्ट दिनांक 7-3-89 को शासन को मिल गयी है। उस आडिट रिपोर्ट में जो ब्योरा दिया है, उसके अनुसार अपट्रान में 14 करोड़ 78 लाख, 17 हजार रु0 की शुद्ध हानि हुई है अथवा अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ा है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण इसके बारे में जो आडिट रिपोर्ट है, वह सरकार को मिल चुकी है। उसकी फोटो कापी मेरे पास है। जब 5 अप्रैल, को चर्चा लगी हुई है तो मेरा अनुरोध है कि उस रिपोर्ट को सदस्यों की जानकारी हेतु सरकार से सदन में लेकर दें। अपट्रान की जो 86-87 की वार्षिक रिपोर्ट है, इसमें उन्हीं महालेखाकार ने निलकमेन्ट की थी। अब जो पांच साल की रिपोर्ट आई है, उसमें आ गया है कि 14 करोड़, 78 लाख, 17 हजार रुपये का घोटाला है, हानि है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम न्याय हो सके, उस प्रश्न के साथ, इसलिए माननीय सदस्यों को सारे मामले की जानकारी होनी चाहिए। इसमें आप उसकी कापी उपलब्ध करा दें। मेरे पास दोनों कापी हैं, लेकिन वह अंग्रेजी में हैं। या तो आप नियम 310 में ले करने की अनुमति दें दे मुझे और 311 में जो आपको नियमों की निलंबित करने का अधिकार है, आप उसका प्रयोग करें। क्योंकि नियमों में सदन की लिपि देवनागरी और भाषा हिन्दी है, उसे निलम्बित करके अंग्रेजी के रिपोर्ट को ही ले करने की अनुमति दे दें और नहीं तो अगर सरकार ईमानदार है, सरकार भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना नहीं चाहती, तो यह 14 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला उस रिपोर्ट में है उसे हिन्दी में सरकार से ले करा दें।

श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न यही है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)----

जैसा माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने स्वयं कहा कि इसमें चर्चा 5 अप्रैल को लगी है, जिस रिपोर्ट के बारे में माननीय तिवारी जी ने कहा है, वह जो फोटो कापी उन्होंने रखा है, उसे वह देखने का कष्ट करें। आडिट के मामले में जब किसी आर्गेनाइजेशन का आडिट होता है, तो वह पहले एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजते हैं, उसके बाद कमेन्ट मांगी जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि 6 हफ्ते के अन्दर आप अपने कमेंट भेजिये उसके बाद उनका स्पष्टीकरण आ जाता है और जब वह डिलिट होने लायक होता है, तो उसे डिलिट कर दिया जाता है, उसके बाद तब फाइनल रिपोर्ट बाद में आती है। इसमें अभी 6 हफ्ते का समय दे दिया गया है। जो 5 साल की आडिट रिपोर्ट है; रिब्यू है, वह 19-3-89 को प्राप्त हुई है, उसके 6 हफ्ते के बाद हम इस स्थिति में हो सकते हैं कि उसकी क्या सही स्थिति थी, किस तरह से, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ है। अभी वह स्थिति नहीं आई है, इसलिए इस वक्त उसे सदन के सामने रखने का कोई औचित्य नहीं है। जो अपट्रान के संबंध में चर्चा लगी हुई है, उसमें सारी चीजें आ जायेंगी। मान्यवर, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी मथुरा के इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सरदार सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 27 दिसम्बर को प्रभारी निरीक्षक मथुरा अन्धाधुन्ध अल्पसंख्यकों पर लाठी चला रहा था। मैं भी वहां खुदानखास्ता पहुंच गया और मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इस पर मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं कि उसका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और यहां तक कह दिया गया कि कर दिया गया है। जब प्रतिपक्ष के नेता की बातचीत हो रही थी हरीश जी के संबंध में, सबके सामने मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मथुरा के निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया जाय। मान्यवर, इसमें स्पीकर साहब से भी इन्होंने कहा कि उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है लेकिन अफसोस है कि आज तक उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। वह सहारा लेते हैं किसी जांच का जब यह सिद्ध हो गया है कि उसने मेरे साथ अभद्रता की लेकिन कहते हैं कि इटेन्शन नहीं था और प्रेम में किया है। मैं कह रहा हूं कि वह मुझे जानता है और जानते हुए भी उसने मेरे साथ अभद्रता की और उसके बाद भी उसका स्थानान्तरण न करने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अभी पुछवाये देता हूं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

अगर सदस्य को अपमानित किया उस घटना पर मैं नहीं जाता लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबकी मौजूदगी में माननीय अध्यक्ष जी के सामने यह कहा कि उसका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और माननीय नरेशचन्द्र जी थे उनको शायद निर्देश भी दिया था कि डी0जी0पी0 से बात कर ले और उसका स्थानान्तरण हो जाय फिर भी न होने पर हम कहां कहने जाय ? आप देखें कि एक निदेश आपका हो गया एक निर्धारित अवधि के अन्दर, सदन 6 को उठ जायेगा। आप स्वयं सुनिश्चित करा लें उस आदेश का कार्यान्वयन हो जाना चाहिए 6 अप्रैल के पहले।

श्री कौशिक रमाशंकर---

मान्यवर, जो बात आपके कक्ष में या माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में हो जाती है हम सभी विरोधी दल के लोगों तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में तो उसका पालन आपको ही देखना चाहिए और आप उनका पालन करायें। आपके कक्ष में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में बहुत सी बातें हुई थीं मेरा निवेदन है कि भविष्य में सारी बातें ध्यान में रखें जो बात आपके सामने हो उनका कार्यान्वयन आपको सुनिश्चित करना चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, सरदार सिंह जी को स्वयं पता है कि इसमें डिले किन कारण से हुआ है और आपकी जानकारी में भी है। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि एक बार इसके बारे में हम आप और माननीय गृह मंत्री जी एक बार फिर बात कर लें और निष्कर्ष निकल आयेगा जो माननीय तिवारी जी ने बात कही है। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों का सम्मान है वह बना रहेगा। एक बार बात हो जायेगी तो वहीं पर निर्णय हो जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कक्ष में बैठकर बात हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, एक बार नहीं यह जो सरदार जी का मामला है यह तीन बार तय हुआ और तीन बार स्पष्ट आश्वासन मिला अभी 4 दिन पहले स्पीकर साहब के कमरे में यह कहा गया कि उसका स्थानान्तरण कर दिया गया और फिर अम्मार रिजवी साहब कह रहे हैं कि बैठकर बात हो जाय तो इसमें केवल वार्ता ही होती रहेगी या जो आश्वासन सरकार ने किया है उसको पूरा भी करेंगे। मान्यवर, केवल बात ही करते रहेंगे तीन बार आश्वासन दिया जा चुका है अब क्या नये तथ्य आ गये जिसके ऊपर बात होगी। एक बार नहीं दो बार तीन बार मुख्य मंत्री से लेकर अम्मार रिजवी तक थे, नरेशचन्द्र जी थे, गृहमंत्री थी, सईदुज्जमा साहब थे यह बैठे हुए हैं सब के सामने तय हुआ और आज कह रहे हैं कि फिर बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

हाउस में कह दिया कि वहां बात हो जायेगी, उचित ही है।

श्री हरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, सदन में रोज आश्वासन दिये जाते हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं, उन्होंने कोई आश्वासन दिया और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसको सुनिश्चित करेंगे। (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, क्या इसी तरह से झूठे आश्वासन देकर सदन को गुमराह किया जायेगा . . . (व्यवधान) आपके कक्ष में बैठकर फैसला हुआ। बात हुई। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उसको वहां से हटा दिया जायेगा . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

बात हो जायगी, उत्तेजित न हों। आप बैठें। आपका आक्रोश मालूम पड़ गया। बात हो जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। सवाल सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले राम आसरे वर्मा जी उठा रहे हैं। पहले उनको सुन लें, फिर आपको सुन लेंगे। दोनों की सुन लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपके संज्ञान में बात है, मा0 सरदार सिंह के बारे में, यहां उनके द्वारा धरना दिया गया, उस समय आपके कक्ष में मा0 गृह मंत्री से, राज्य मंत्री तो बाद में गये थे, माननीय मुख्य मंत्री जी से परामर्श करने के बाद यह निर्णय लिया जा चुका था और उन्होंने कहा था कि मा0 सदस्य के सम्मान को देखते हुए उसका ट्रांसफर तत्काल कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

वह हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा---

कब हो रहा है, घोषणा कर दें। शासन की ओर से आप जवाब देंगे तो आप ही घोषणा कर दें कि कब हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

हमारे सामने बात हुई थी। यहां क्या कहेंगे वह ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपके कक्ष में जो वार्ता हुई तो उसके बाद कोई नयी परिस्थिति पैदा हो गयी थी तो हम लोगों को कान्फीडेंस में लेना चाहिये था। अपनी ओर से यह बात लानी चाहिये थी। लेकिन दुखद मामला यह है कि शासन के कान में तेल पड़ गया है। आज नियम 300 में यह मामला उठाया गया तो शासन ने बताया। आप इसकी व्यवस्था करें और शासन को निर्देशित करें, यह कोई गोपनीय मामला नहीं है, निर्णय पहले ही हो चुका है, इसका आज कार्यान्वियन हो जाय। इस प्रकार के निर्देश देने की कृपा करें. . . . .

(व्यवधान)

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, कई बार जब यहां पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप कक्ष में बुलाते हैं निर्णय होता है। यह कितना गम्भीर मामला है। तेरह तारीख को लोग धरने पर बैठे। उसके बाद आपके कक्ष में वार्ता हुई, इसके बाद मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर यह आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं तो साफ कहें कि कार्यवाही नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भाषण चाहते हैं या कुछ कार्यवाही चाहते हैं ? . . . . . (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरदार सिंह जी मुझे पहले बता चुके हैं कि अगर इस मामले में उसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो वह उनकी हत्या करवा देगा। यह कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी बात का विश्वास न करूं। एक मा0 सदस्य अपने जीवन को खतरा बता रहे हैं, दूसरी तरफ नेता सदन ने घोषणा की थी, आपके सामने वार्ता हुई थी, तो श्रीमन्, मैं अब यह आप पर छोड़ता हूं।

आप और अध्यक्ष जी मिलकर यह सुनिश्चित कर लें 6 तारीख के पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन का कार्यान्वियन हो सके।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, देखें रामशरणदास जी यहां आकर बैठ गये हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो बात कही है मैं यह चाहूंगा कि आज शून्य प्रहर के बाद माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी और माननीय सरदार सिंह जी आ जायें और आज ही इस सिलसिले में बात कर लेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं माननीय राम शरण दास जी वहां बैठे हुए हैं मुझे एक शेर याद आया है। जाख कौवा को कहते हैं फारसी में।

"जाख की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत
पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत।"

श्री रामशरण दास--

मान्यवर, मुझे भी एक शेर याद आ गया।

"जमीनें चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या--
बदलता है रंग आस्मां कैसे कैसे ?"

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बालेश्वर---

मान्यवर, देवरिया जनपद की आबादी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि शासन की नीति और शासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये नवसृजित जिलों का नवसृजन किया गया है। उसी के तहत मैं देवरिया जनपद में पडरौना को नवसृजित जिला बनाने के लिये आग्रह कर रहा हूं। पडरौना , जनपद देवरिया का उत्तरी भाग है। देवरिया मुख्यालय से दक्षिणी तरफ केवल 35 कि0मी0 दूर पड़ता है और देवरिया मुख्यालय से उत्तर तरफ 125 कि0मी0 पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें। अभी आप लोग बैठें।

श्री बालेश्वर---

पडरौना, घाता, तमकुही राज-तीनों तहसीलों को मिलाकर पडरौना को जिला बनाने के संबंध में मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर अनुज्ञा प्रदान करे।

(श्री सूर्यप्रताप शाही और श्री शारदानन्द अंचल के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग बैठें।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, मैं देवरिया से हूं मुझे भी एक मिनट सुन लें।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मुझे सुन लें मैं बालेश्वर जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं। मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यप्रताप शाही---

मान्यवर, मैं माननीय बालेश्वर जी के इतने पक्ष से सहमत हूं कि देवरिया जिला बड़ा है उसका विभाजन कर एक नये जिले का पुनर्गठन होना चाहिये। पुनर्गठन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुशीनगर में, जो ऐतिहासिक नगर है जहां पर दीवानी की तीन तहसीलों की अदालत हैं दो तहसीलों के परगनाधिकारियों के मुख्यालय हैं बिजली विभाग का एक सब स्टेशन है, वहां पर दीवानी की बहुत बड़ी कचहरी है, ट्रेजरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी विधायक फाजिलनगर श्रीमती शशि शर्मा जी भी इस बात से सहमत हैं कि कुशीनगर को जिला बनाने की तरफ ध्यान दिया जाय। माननीय विधायक राम सकल तिवारी जी भी इस पक्ष के हैं कि कुशीनगर को जिला बनाया जाय। नेशनल हाइवे के पास से बसा हुआ है यह कुशीनगर, जिसका मुख्यालय कसया में रखते हुए, कार्यवाही की जाय। वहां पर डिग्री कालेज हैं, पोस्ट (व्यवधान) डिग्री कालेज है, दीवानी अदालतें हैं, कलेक्ट्री की अदालत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर को जिला बनाना देवरिया में आवश्यक है। आप इस पर श्रीमती शशि शर्मा को भी सुन लें। (व्यवधान)

श्रीमती शशि शर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नव सृजित जनपद फिरोजाबाद के सीमा निर्धारण के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में फिरोजाबाद को नया जिला बनाने की सदन में घोषणा की थी। श्रीमन् इसी नये जिले के गठन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकुम्भ के पावन पर्व पर इस जिले की घोषणा की और एक मानचित्र फिरोजाबाद की जनता के सामने उपहार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें फिरोजाबाद जिले के लिये मैनपुरी

जिले को विभक्त करके 4 ब्लाक और आगरे के 4 ब्लाक सम्मिलित करके इसे बनाया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल की एक समिति बनी और उस समिति ने बिना किसी वैध कारण के उस जिले की सीमाओं में परिवर्तन करने की बात की। श्रीमन् उसका नतीजा यह हुआ कि जो सीमाओं का नोटीफिकेशन हुआ, उसमें हमारे जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान आज कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन् मंत्रिमंडल की उप समिति ने सीमाओं को परिवर्तित करके कुछ इलाका निकाल दिया और कुछ नया जोड़ा इससे दोनों जगह अस्थिरता का वातावरण पैदा हो गया और बहुत सी चीजों के संबंध में तय नहीं हो पाया, कि यह फिरोजाबाद से गवर्न हो, या कहां से हों? इसके अतिरिक्त एक नयी स्थिति और पैदा हो गयी कि वहां के लोग आर0एल0जी0पी0 के लिये कहां जायें, गर्वनिंग बाडी के लिए कहां जाय, समस्याग्रस्त गांवों के लिये पेयजल के लिये कहां जायं और शहर के पानी के लिये कहां जायें? अब स्थिति वहां यह है कि न तो कोई योजना चल रही है, न कोई सहायता मिल रही है और न कोई काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जिले की जो सीमा पहले निर्धारित की गयी थी, उसे बदला न जाय और उसे तुरन्त तय करके हमारे जिले के काम को प्रारम्भ कर दिया जाय तथा नये जिले का प्लान और विशेष धन तुरन्त दिया जाय।

(श्रीमती शशि शर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--:

आप बैठे, आपका इसमें कोई मतलब नहीं है।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, आप उन्हें सुन लें, वह इसी मामले के संबंध में कुछ बोलना चाहती हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मुझे गाइड न करें। जब मुझे सुनना होगा, में सुन लूंगा। आप मुझे गाइड करते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, आपके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लग जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं केवल 2-3 बात कहना चाहता हूं। वहां जिले का उद्घाटन हो गया और उसका नोटीफाइड एरिया भी घोषित हो गया, मानचित्र का उद्घाटन हो गया। लेकिन उसके बावजूद इसका विवाद रोज उठ रहा है और समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि न तो फिरोजाबाद जिला ही बन सका और न वहां कुछ काम ही हो पा रहा है। मान्यवर, न तो इन्हें भूगोल का ज्ञान है, न क्षेत्र का ज्ञान है, न क्षेत्र की समस्याओं का ज्ञान है। इन्होंने तो जो, जहां से जैसा सुन लिया, वैसा कर दिया और रोज मंत्रिमंडल की मीटिंग करके सीमायें बदलने के लिये, पुनरीक्षित करने के लिये किया करते हैं, और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। मान्यवर, अब समस्या यह है कि जब जिला बन गया है तो एक सर्वमान्य निर्णय दिया जाना चाहिये और किसी पोलिटिकल दबाव या क्षेत्रीय दबाव में नहीं आना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि यह एक सर्वमान्य पालिसी ग्रहण करें और जिले को अन्तिम रूप जल्द देने की कृपा करें।

श्री बलवीर सिंह यादव---

मान्यवर, फिरोजाबाद जिले के संबंध में जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद जिले में उद्घाटन के समय जनपद मैनपुरी का एक ब्लाक लिया गया था लेकिन 13 तारीख की एक कैबिनेट मीटिंग में उसे अलग कर दिया गया। फिर भी एका के नाम से सी0ओ0 सर्किल वहां नियुक्त हो गया है, जिसमें सर्किल फरहा, खैरागढ़,

नारखी तथा एका शामिल कर दिये और हेडक्वार्टर एका कर दिया। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो ज्येष्ठ प्रमुख का चुनाव दिनांक 12-3-89 हुआ, वह भी फिरोजाबाद के अधिकारियों ने ही कराया और आज भी फिरोजाबाद एका में शामिल है। अब वहां पर बड़ी अस्थिरता व्याप्त है और अधिकारियों की नियुक्ति बराबर हो रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर वहां क्रमिक अनशन हो रहा है, सारे आफिसेज बन्द हैं और यह सब चलते डेढ़ महीने से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन इनकी कमेटी ने उसे अलग कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि जल्द ही इस चीज को तय करके इस समस्या का समाधान कराया जाय और ब्लाक एका के जनता की मांग पर नव सृजित जिला फिरोजाबाद में ही रखा जाय। उसके बावजूद भी कुछ सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया है, फलस्वरूप एक बहुत बड़ी अस्थिरता पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस पर विचार करें।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, श्री बालेश्वर यादव जी ने जो पडरौना की बात कही है, पहले तो मैं यह कह दूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इस पर विचार करने के लिये हम इसे राजस्व विभाग को भेज रहे हैं। जहां तक फिरोजाबाद जिले में कुछ प्रशासनिक व कुछ टैरीटोरियल कठिनाईयों की बात कही गई है, इसका भी हम परीक्षण करवायेंगे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, किस तरह से वहां की प्रशासनिक कठिनाई दूर हो सके और हदबन्दियां ठीक हों इसका प्रयास किया जायेगा। औचित्य का यह प्रश्न नहीं बनता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, कुशीनगर वाले मामले को भी राजस्व विभाग को भेज दीजिए।

श्री अम्मार रिजवी---

आप लिख कर दे दें। राजस्व विभाग को भिजवा दिया जायेगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो अगले साल की 1988-89 व 1989-90 योजनायें हैं, जो जिले के नाम से आयेंगी, उसके हिसाब से हर चीज के लिए पैसा चाहिए। जब आप इसे ठीक नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आयेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जब जिले की घोषणा की गई है तो उससे संबंधित सारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था भी होगी और उसे सुनिश्चित किया जायेगा।

श्रम विभाग द्वारा वेतन में अनियमितता किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, सरकार ने सिद्धांतः स्वीकार कर लिया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। चाहे वह वर्कचार्ज का आदमी हो, तदर्थ रूप से हो या डेली वेजेज पर हो, समान स्तर के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। सरकार भी इसे सिद्धांतः स्वीकार करती है। परन्तु सरकार के श्रम विभाग का आचरण इससे बिल्कुल भिन्न है। श्रम विभाग से एक राजाज्ञा जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया है जो मिनिमम वेजेज एक्ट, 1948 है, उसमें असंगठित मजदूरों के लिए प्राविधानित है, परन्तु उसमें यह कह दिया गया है कि राज्य नियंत्रित कारपोरेशनों, स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। जो हमारी सरकारी संस्थायें हैं और उनमें जो दैनिक वेतन पर लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें 299 रुपए प्रतिमाह या 11 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलता है, जबकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो निजी सेवा योजक हैं और उनमें जो उसी स्तर के कार्यरत लोग हैं, उन्हें 20 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलता है। सरकार तो एक आदर्श सेवायोजक होती है। जब सरकार स्वतः शोषण करेगी मजदूरों का तो निजी सेवायोजकों को सरकार अपने नियंत्रण में कैसे रख पायेगी। यह एक गम्भीर स्थिति है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि, जब सरकार ने सिद्धांतः समान काम के लिए समान वेतन को मान लिया है तो, माननीय मंत्री जी यहां पर तत्काल घोषणा करें कि राज्यपाल महोदय द्वारा शासन ने जो यह काला अध्यादेश जारी किया है और जो राज्याधीन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है, उसे तत्काल वापस लिया जाता है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 'मिनिमम वेज' के बारे में सरकार की जो नीति है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हो सकता है कहीं पर ज्यादा मिल रहा है और कहीं पर कम मिल रहा है, जैसा कि श्री गुप्ता जी ने कहा। मान्यवर, मैं इसकी पूरी जानकारी मंगवाकर इसको देखूंगा। सरकार की नीति है कि जो हमारे श्रम जीवी मजदूर हैं, उन्हें कम नहीं मिले ज्यादा भले ही मिल जाय। अगर कहीं कम मिल रहा है तो मैं उसको दिखवाऊंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो इनका विभाग है पी0डब्लू0डी0 उसमें मेट और बेलदार को 9 रु0 रोज दे रहे हैं। मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि दिखवायेंगे, उस पर तत्काल निर्णय ले लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया--

मैंने, माननीय हर्षवर्धन जी ने और कई अन्य सदस्यों ने 20 दिन पहले नियम 56 में दिया था। आपसे सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया था। 20 दिन हो गये सरकार की नोटिस में आये हुए, आज भी सरकार ऐसा ही जवाब दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

ध्यान आकर्षित हो गया, अब वह कार्यवाही करेंगे।

(मा0 संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

श्री हृदय नरायन दीक्षित ने उन्नाव में उत्पीड़न की कार्यवाही के संबंध में लिखा था, इसको दिखवा लीजिएगा।

श्री अम्मार रिजवी--

ठीक है, मान्यवर।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

आपके कक्ष में वार्ता हुई थी। आपने आश्वासन दिया था कि जो विषय रखा है, उस पर सरकार को निर्देशित कर देंगे ताकि आवश्यक कार्यवाही हो जाय।

(कई सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

निर्देशित कर तो दिया।

(श्री शारदा प्रताप के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका तो आश्वासन बनता है।

श्री शारदा प्रताप--

सुन लें, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष--

सुन क्या लूं ?

श्री शारदा प्रताप--

जो व्यक्ति केदार नाथ बिजली की लाइन से और कर्मचारियों की असावधानी के कारण मरा था, उसकी विधवा को जो अहेतुक अनुदान दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी परसों का ही तो मामला है, इतनी जल्द कैसे कार्यवाही होगी ? आप बैठें।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी खड़े होकर यही कह दें कि कक्ष में आ जायं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं शायद इनको संतुष्ट न कर पाऊं। अगर आप अपने कक्ष में बुला लें तो यह ज्यादा सन्तुष्ट हो जायेंगे, मैं भी वहां पर उपस्थित रहूंगा।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा---

माननीय गोपीनाथ वर्मा ने और मैंने एक प्रश्न दिया था प्रदेश के बुनकरों के बारे में। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उत्पीड़न के द्वारा वसूली नहीं की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

उस आश्वासन पर मैं क्या करूं ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

*श्री बलराम यादव---

मान्यवर, राज्य सरकार के जो प्रशंसनीय अधिकारी हैं उनकी सेवाओं में सरकार पुनर्नियुक्ति करे तो कोई बात है लेकिन हमारे जिले आजमगढ़ में एक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी है जिसकी एक नहीं, दो नहीं बल्कि अबकी चौथी बार पुनर्नियुक्ति की गयी है। उसने भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर रह कर लाखों रुपया लूट कर खाया है। इसके संबंध में हमारे विपक्ष के विधायकों ने और सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़ कर कहा था कि उसकी पुनर्नियुक्ति न की जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम अब उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं करेंगे। नियुक्ति के सचिव से मिल करके कहा था कि उसे पुनर्नियुक्ति न दें, लेकिन रुपया लेकर उसे पुनर्नियुक्त दी गयी है। पौने दो करोड़ रुपये का प्रतिकर का भुगतान करना है, वह गलत ढंग से उसे बंटवा रहा है।' उसके विरुद्ध हम लोगों ने कई आरोप लगाये थे और उसकी जांच चल रही है, लेकिन फिर भी उस अधिकारी को बार-बार पुनर्नियुक्ति दे रहे हैं। इस अधिकारी की पुनर्नियुक्ति रद्द करके और जो उसके विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है, उसमें जल्दी करा दें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह मामला जो कि माननीय बलराम यादव जी ने उठाया है, यह मामला पहले भी इस सदन के और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है। इस प्रकार की परम्पराओं से हम लोगों का चिन्तित होना और आक्रोश में आना स्वाभाविक है। उस अधिकारी ने लाखों रुपये का गबन किया है, घोटाला किया है और उस पर आरोप भी लगाये गये हैं लेकिन फिर भी वह वहां पर पुनर्नियुक्ति पर भेज दिया गया है। अगर इस प्रकार से कार्यवाही होगी तो यह सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और सारी बातों को अनदेखी कर रही है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उस भ्रष्ट अधिकारी को बढ़ावा दे रही है। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि उस अधिकारी को तत्काल वहां से हटावें और उसके विरुद्ध जो जांच चल रही है, उसे शीघ्र ही पूरा करावें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल---

मान्यवर, यह जो भूमि अध्याप्ति अधिकारी के गलत कारनामों के ऊपर जांच चल रही है, यह बात माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लायी जा चुकी है। वह अधिकारी लोगों के क्षेत्र में प्रतिकर के भुगतान को कर रहा है। उसका एक गिरोह है और उसने जो गिरोह बनाया है वह लाखों रुपये लूट रहा है। सभी लोग बुरी तरह से उससे परेशान हैं उसे किसी प्रकार का संरक्षण देने की बात नहीं होनी चाहिये। यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

*कुंवर रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि जो अभी मा0 बलराम यादव जी ने तथा माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो बात कही है और औचित्य के प्रश्न के रूप में जिसे उठाया है कि उस अधिकारी को आपने चौथी बार एक्सटेन्शन दिया है, तो उसे वहां से तुरन्त स्थानान्तरित करके और जो उसके प्रति जांच चल रही है तो उसमें उसके खिलाफ यदि आरोप सही हैं तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें, लेकिन उसे तत्काल वहां से हटा दें, यह कार्यवाही तो आप कर ही सकते हैं ?

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से स्वयं मिल करके कहा था इस अधिकारी के बारे में। इस विषय पर आज फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर यह ईमानदार अधिकारी होता तो यह सरकार उसे कभी भी पुनर्नियुक्ति न देती। नहर और वहां जो प्रोजेक्ट हैं उसमें वह धांधली करना चाहता है करोड़ों रुपये की।

इसलिए उस अधिकारी को रखकर कमाई करना चाहते हैं और जब मान्यवर, बात सदन में आ गयी, सदन के बाहर भी आ गयी और औचित्य का प्रश्न भी इनके विरुद्ध आ गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार तुरन्त निर्देश दे कि उस अधिकारी की जो नियुक्ति की गयी है वहां पर, उसे निरस्त किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष---

जब आप हमारे निर्देशों को नहीं मानते हैं, तो वह लोग क्या मानेंगे, बोलिए आप लोग जितना चाहे बोलें, हां अंचल जी आप बोलिये-बोलिए ..... (व्यवधान) ..... क्या तमाशा बना रखा है ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा---

मान्यवर, आप अपने विवेक से चलाइए सदन को..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

सभी जानते हैं आपके विवेक को..... (हंसी)

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बलराम यादव जी, अंचल जी, गोपीनाथ वर्मा जी और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है औचित्य के रूप में जिसमें विशेष रूप से जो बात कही गयी है भूमि अध्याप्ति अधिकारी के बारे में, जिसे आप स्वयं देख रहे हैं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन प्रशासनिक मामला जरूर है, गम्भीर आरोपों के बारे में कहा गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, इस पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी बहुत ही गम्भीरता से जांच कराऊंगा, साथ ही साथ जो प्रशासनिक अरेंजमेंट होगा वह और जांच निष्पक्ष हो, यह सारी चीजें मैं सुनिश्चित कराऊंगा ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री बलराम यादव---

वह अधिकारी जो वहां पर रहकर लूट कर रहा है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, मान्यवर, इस पर कुछ कहलवा दीजिए. . . . .

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मान्यवर, यह अधिकारी अभी जिस कार्य-प्रक्रिया पर नियुक्त है प्रतिकर के कार्य पर, इन्हें वहां से हटाकर दूसरे किसी भी कार्य पर आजीवन के लिए रख दिया जाए कोई बात नहीं होगी

(व्यवधान)

श्री वेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, माननीय सदस्यगण जो कह रहे हैं वह यह कि इस अधिकारी को जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उसी पोस्ट पर दिया जा रहा है, जिस पर रहकर उन्होंने लाखों रुपयों की गड़-बड़ी व घोटाला किया है, इसलिए माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि इन्हें उस पद से हटाकर कहीं अन्यत्र रख दिया जाए और दूसरी बात जिस अधिकारी ने इन्हें बार-बार इक्सटेंशन दिया है, उसके प्रति भी जांच कर कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और इसकी भी जांच कराएं कि जांच करने वाला अधिकारी दोषी है या नहीं. . . . (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी स्वयं जानते हैं क्योंकि वह कई जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, एक्सटेंशन किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि शासन द्वारा पुनर्नियुक्ति की जाती है और यह बात भी कहना सत्य से परे है कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा एक आफिसर के एक्सटेंशन पर सरकार द्वारा लिया जाता हो, इसे मैं इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि माननीय गोपी नाथ वर्मा, रेवती रमण सिंह जी व माननीय बेनी प्रसादवर्मा जी स्वयं समझ गये होंगे और दूसरी बात जो जांच हो रही है और कोई भी जांच इस मामले में कराई जायेगी, वह निष्पक्ष हो, इसें मैं सुनिश्चित कराऊंगा । . . . . .

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह व्यवस्था यह है कि जो बात भी सरकार द्वारा सदन में कही या बतायी जाती है और आपके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, आपको आश्वस्त करते हुए प्रायः यह कह दिया जाता है, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको स्मरण भी होगा कि मान्यवर, इसी सदन के माध्यम से सी0आई0डी0 की जांच हुई थी । 11 निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस ने मारा था, माननीय मंत्री जी ने सी0आई0डी0 की रिपोर्ट को रखने के लिये आश्वासन दिया था, उसकी रिपोर्ट आ गयी है और 22 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और चार्ज शीट भेजी गयी है और सरकार से अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही है और न उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर ही रख रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह नैतिक दायित्व है कि उसको सदन के पटल पर रखें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, करहना के मामले में पाण्डेय जी ने कहा, इसी प्रकार से यशपाल सिंह, एस0एस0पी0 कानपुर ने एक दरोगा को मारा था, उसकी जांच हुई, सी0बी0

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।)

आई0 उन पर मुकदमा चलाने के लिये आर्डर मांग रही है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। सी0बी0 आई0 ने चार्ज शीट तैयार कर ली है और परमीशन मांग रही है, लेकिन सरकार दे नहीं रही है, अगर आप संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे तो हम क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास कोई नोटिस तो है नहीं कि इसको आप उठायेंगे।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी बताने के लिये खड़े भी हुए थे, विधान सभा का यह सबसे बड़ा सत्र है। निर्दोष लोगों की हत्या की गयी है, न तो मुकदमा चलाने की अनुमति दे रहे हैं और न ही जांच आख्या को यहां पर रख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, 10 नम्बर पर मेरी सूचना है,. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

300 की सूचनाओं को समाप्त कर दिया है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

बिना सुने हुए ही आपने समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

बुनकरों का मामला है। उनका उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार की ओर से उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।. . . . . .

श्री उपाध्क्ष (व्यवधान)

आपने अपनी बात कह ली, आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने प्रश्न उठाया है, उसके संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि जो आश्वासन , मुझे स्मरण नहीं है, दिया गया है उसे देख लिया जायेगा, जो आश्वासन सदन के सामने दिया गया है, उसके अनुसार इस सदन में बजट सत्र समाप्त होने के पहले ही कार्यवाही कर ली जायेगी।

(व्यवधान)

(श्री गोपीनाथ वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

दिनांक 31 मार्च को नियम 301 व नियम 51 के संबंध में समय परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्वयं मंत्री जी से पूछ लें।. . . . . (व्यवधान)। कृपया बैठें अब मैं सदन को सूचना दे रहा हूं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

वर्मा जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक सूचना दे रहा हूं। शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1989 को सदन का उपवेशन पूर्वान्ह 10 बजे से प्रारम्भ होने के कारण नियम 301 तथा नियम 51 की सूचनायें पूर्वान्ह 9.00 बजे से 9.30 बजे तक प्राप्त की जायेंगी।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

बुनकरों के संबंध में यह सरकार क्या कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप अपने स्थान पर आ जायं। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, उप नेता जनता दल आप यह बता दें कि क्या इसी तरह से हाउस चलेगा।.....

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मेरे प्रश्न का आप जवाब दिला दें..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि तुरन्त मैं निर्णय दे दूं तो यह कैसे हो सकता है? कृपया अपने स्थान पर आकर बोलें। आपने तय कर लिया है कि इसी तरह से सदन चलेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय वर्मा जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें तो मैं कुछ निवेदन करूं.....

(व्यवधान)

(श्री गोपीनाथ वर्मा श्री सुरेन्द्र सिंह के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं मन्त्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप मंत्री जी को सुनें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने एक बात कही थी और मैंने उस समय कहा था कि इस मामले में शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। इसमें रियलाइजेशन के बारे में बात है कि किस-किस के ऊपर कितना-कितना पैसा बाकी है और कहां-कहां से रियलाइज करना है। शासन इस मामले में जागरूक है और विचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य कुछ और सुझाव देना चाहें तो वह भी सादर आमंत्रित हैं।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[* * *]

(व्यवधान)

नोट:---[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) का बारहवां प्रतिवेदन†

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

श्रीमती पद्मा सेठ––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमतिसेसार्वजनिक उपक्रम एवं निगमसंयुक्त समिति (1988–89) उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पदमा सेठ––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्रीमती पद्मा सेठ––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988–89) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीर तकी मीर मार्ग अल्प आय वर्ग आवास योजना के प्रस्तावित भूखण्ड से अवैध कब्जादारों को हटाकर गृह विहीन हरिजनों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने विषयक श्री मेवालाल भारती आदि की याचिका‡

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीर तकी मीरमार्ग अल्प आय वर्ग आवास योजना के प्रस्तावित भूखंड से अवैध कब्जादारों को हटवाकर गृह विहीन हरिजनों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने विषयक श्री मेवालाल भारती तथा श्री राम किशन आदि निवासीगण ऐशबाग, हरिजन कालोनी, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद पीलीभीत के विकास खंड ललौरी खेड़ा में स्थित मीरापुर पट्टी सियाबाड़ी आदि ग्रामों को देवहा नदी की कटान से बचाने विषयक श्री गणेश बजाज आदि की याचिका††

श्री किशन लाल––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद पीलीभीत के विकास खन्ड ललोरी खेड़ा में स्थित मीरापुर, पटटी सियाबाड़ी आदि ग्रामों को देवहा नदी की कटान से बचाने विषयक श्री गणेश बजाज, निवासी कामले चौराहा, जिला पीलीभीत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड के निवासियों के आवागमन की सुविधा हेतु माल दुबग्गा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह आदि की याचिका†

कुमारी कृष्णा रावत---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के विकास खंड के निवासियों के आवागमन की सुविधा हेतु माल-दुबग्गा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह तथा श्री वेद प्रकाश, निवासीगण माल, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करती हूं।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा माल में पानी की टंकी बनवाये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह आदि की याचिका†

कुमारी कृष्णा रावत--

मान्यवर, लखनऊ के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा माल से में पानी की टंकी बनवाये जाने विषयक कुंवर भूपेन्द्र सिंह तथा श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, निवासीगण माल, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं। धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की सचना दी है अपने जनपद के संबंध में है। इस एसेम्बली में जब हम लोगों ने एक मामला उठाया.....

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं, आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है उस पर विचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

उस पर आप श्रीमन विचार कर लें लेकिन एक चीज है वहां झगड़ा है दो मंत्रियों का उसमें संरक्षण मिल रहा है पुलिस वालों को जिससे खतरा हो रहा है। एक दरोगा और डी0आई0एस0पी0 का मामला है। उसमें खुला आरोप है कि राज्य मंत्री जी का संरक्षण है तो उसको हटा दें। विशेषाधिकार का मामला तो अलग है। इस समय तो इतना निवेदन है कि उन दोनों अधिकारियों को राज्य मंत्री जी हटा दें।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)--

उसका ट्रांसफर किया जा चुका है सुरेन्द्र प्रताप सिंह डी0आई0ए0टी0 को।

श्री हरेन्द्र सिंह---

हमारे विशेषाधिकार की नोटिस का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष:--

उस पर विचार हो रहा है, परीक्षण हो जाने दें।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इस्तीफा दे दिया है, कल श्री बीर बहादुर सिंह यहां आये थे और करीब 50 विधायक उनके पास आये थे और बाराबकी गये थे। यहां पर सदन में इस समय 5, 6 आदमी ही रह गये हैं।

ससदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी--- खाना खा रहे है।

राम शरण दास---यह एसेम्बली चल रही है या क्या हो रहा है?

---

†छापी नहीं गयी।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उ0 प्र0 विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 29 मार्च, 1989 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि दिनांक 3 अप्रैल, 1989 को पूर्व-निर्धारित सरकारी विधेयक के पश्चात् उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसके पारण संबंधी प्रस्ताव लिये जायं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक बात यह भी तय हुई थी कि माननीय मैनेजर सिंह जी का प्रस्ताव था कि आपकी लीडरशिप में हम सब यहां बैठेंगे जिसे मान लिया गया था ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को खण्ड पीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के संबंध में दी गयी सूचना पर न्याय राज्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 12 पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री राम शरण दास–

नहीं मान्यवर, पूरा पढ़ा जाय ।

(न्याय राज्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य पढ़ा गया ।)

न्याय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

विधान सभा में दिनांक 7 मार्च, 1989 को श्री राम शरण दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किए जाने का मामला विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 56 के अन्तर्गत उठाया गया था । इस प्रकरण के संबंध में मैंने सदन को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया था कि जशवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई है । उन्होंने उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और उच्च न्यायालय की इसके ऊपर संस्तुति मांगी है । इस संबंध में मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति यह है कि जशवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के संबंध में भारत सरकार ने यह अपेक्षा की है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा महामहिम राज्यपाल से परामर्श करके राज्य सरकार जशवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पर अपना दृष्टिकोण और अभिमत उन्हें भेजे । इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय से उनका दृष्टिकोण भेजने का अनुरोध किया जा चुका है । माननीय मुख्य न्यायाधीश का दृष्टिकोण प्राप्त

होने पर ही श्री राज्यपाल से उनका दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जायेगा । तत्पश्चात राज्य सरकार का अभिमत भारत सरकार को भेजा जायेगा । अतः सदन में उक्त दिनांक को कही गई स्थिति को तदनुसार संशोधित माना जायेगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

शोधन वक्तव्य पर स्पष्टीकरण नहीं होता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, स्पष्टीकरण कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

स्पष्टीकरण नहीं होता है । शाम को एक घंटे की चर्चा लगी है, इसलिये आप लोग बैठ जायं । स्पष्टीकरण नहीं होगा । आप लोग बैठ जायं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अंतर्गत आज कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई उनमें से 10 सूचनाएं चयनित की गयी हैं, जो इस प्रकार हैं :–

पहली सूचना सर्वश्री हर्षवर्धन, गौरी शंकर भइया, राम गोविन्द चौधरी, राम चन्द्र बख्श सिंह, राजकिशोर सिंह, मित्रसेन तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की– की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नक्शे भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ से गायब होने के संबंध में है ।

दूसरी सूचना श्री राम सजीवन की–करवी तहसील की सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति हेतु बनायी बहुउद्देशीय पयश्वनी नहर परियोजना (अल्टरनेटिव) को रद्द करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

तीसरी सूचना विक्रमादित्य पाण्डेय की प्रदेश में अल्युमीनियम तार के अभाव में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं नलकूप विद्युतीकरण का कार्य ठप्प हो जाने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री बदन सिंह की–जनपद आगरा की मंडी समिति फतेहपुर सीकरी में नवीन मण्डी निर्माण के लिए अधिगृहीन भूमि के मामलों में चालीस लाख के घोटाले के संबंध में है ।

पांचवीं सूचना श्री सरदार सिंह की–दिनांक 15 मार्च, 1989 को तहसील शादाबाद जनपद मथुरा की हवालात से सभी बन्दियों को जबरिया छुड़ा ले जाने के संबंध में है ।

छठीं सूचना श्री शारदा प्रताप की–लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में शामिल किये गये गांवों नजूल लैण्ड पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने के संबंध में है ।

सातवीं सूचना श्री राम शरण दास की–मुस्लिम गुजरों के सैकड़ों परिवारों को उजाड़े जाने के संबंध में है ।

आठवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की–दिनांक 28-2-89 को ब्लाक सिखड़ थाना चुनार मिर्जापुर में जनता दल नेता डा0 शिवबालक की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के संबंध में है।

नवी सूचना सर्वश्री अनुग्रहनारायण सिंह, गोपाल दास यादव, राकेशधर त्रिपाठी, दीप चन्द्र सोनकर की–बेसिक शिक्षा परिषद् मुख्यालय शासनादेशों का उल्लंघन करके इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना सुरेन्द्र पाल वर्मा की–जनपद बांदा स्थित ब्लाक नरैनी के ग्राम युद्ध के पास वामे नदी में जहरीली दवा डालने से जीव जन्तुओं तथा पशुओं के बीमार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियय 56 में दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्कालिक है और देश की सुरक्षा से संबंधित है। मान्यवर, देश की सुरक्षा से संबंधित सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण गोपनीय श्रेणी के नक्शे भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0 प्र0 से गायब हैं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के गढ़वाल सम्भाग से संबंधित नक्शे वस्तुतः भारत चीन सीमा क्षेत्र के हैं जिनके गायब होने से देश की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि निषेधित श्रेणी के श्रेणी संख्या 53 बी/3 के नक्शे एवं साक्रेट टास्क मैप की श्रेणी संख्या 45 एस/ए के लगभग दो दर्जन नक्शे तथा इसके अतिरिक्त गैर निषेधित क्षेत्र के श्रेणी संख्या 54 एम/8, 54 एम/16, 54 ओ/13, 54 बी/14, 52 डी/15, 633/एस/डब्लू एवं 64 एफ/14 के लगभग 100 नक्शे भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ से गायब हैं। वास्तव में उपरोक्त नक्शे अत्यन्त उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा गायब कर बेंच दिये गये हैं जिसके चलते देश की सुरक्षा पर गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। निदेशालय एवं शासन स्तर पर विगत कई वर्षों से जानकारी होने के पश्चात् संबंधित प्रकरण पर कोई कार्यवाही मात्र इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि शासन के संबंधित विभाग में संबंधित निदेशालय के एक भूतपूर्व निदेशक वर्तमान में उच्च पद पर आसीन हैं।

इसी प्रकार भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा सामरिक महत्व के खनिज सिलाईट जो सुरक्षा से संबंधित टैंक आदि बनाने के काम आता है के विश्लेषण का कार्य पश्चिमी जर्मनी की एक प्राइवेट कम्पनी लुरगी से कराने का कार्य किया जा रहा है। जबकि सामरिक महत्व के ऐसे खनिजों को टेस्ट करने में एटामिक मिनरल डिवीजन पूर्णतया सक्षम है। इस स्थिति से देश की सुरक्षा के संबंध में एक दम से खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय इससे महत्वपूर्ण कोई भी अन्य प्रश्न नहीं है इस सदन के सामने। हिन्दुस्तान और चीन के बार्डर के नक्शे यहां से उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारी जो भूतपूर्व निदेशक थे, जो अब यहां उच्च पद पर आरूढ़ हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया लेकर बेंच दिया है तथा हिन्दुस्तान की सीमा के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक महत्व का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता है। आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

(श्री हर्षवर्धन के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपने तो इनको बुलवा दिया है। यहां पहले नाम आपका ही था, किन्तु अब इनके बाद होगा यानी आपका तीसरा नाम हो गया। मैं तो पहले ही आपको बुलवा रहा था, किन्तु आपने उधर (श्री चौधरी) ईशारा कर दिया। अब आप बाद में बोल लीजिएगा। मैं तो आपको वैसे ही देख लेता हूं और ऐसा कोई नहीं है जो आपको न देख पाए।

श्री बदन सिंह–

पहले पांच में ही जिनका आ जाता है उनको अवसर मिल पाता है। मैं निवेदन करूंगा कि आज मेरा भी आ गया है, तो हम लोगों को भी बुलवाया जाए।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला राम गोविन्द चौधरी, हर्षवर्धन जी और मैंने, सदन में शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान और चीन की लगी हुई जो हमारी सीमा है, जो हमारी भौगोलिक और सैनिक सीमा है, उसको चीन द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। अपनी सीमा से हमारी ओर आगे बढ़कर चीन हमेशा अपना दावा करता है कि हिन्दुस्तान के इन-इन भागों पर हमारा कब्जा है और यह हमारे नक्शे में है। भूगर्भ और खनिज विभाग की ओर से उसका सर्वेक्षण करके नक्शे बनाये जाते हैं और हिन्दुस्तान के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसों में हम अपनी सीमाओं का उन्हीं के द्वारा दावा करते हैं और यह भी कहते हैं कि इसका हमें नक्शा बनाने का, खुदाई करने का और वहां पर सड़कें बनाने का हमारा अधिकार है। किन्तु वर्षों हो गये, यह नक्शे उत्तर प्रदेश से गायब हो गये हैं। सरकार को इस बात की जानकारी होने के बावजूद आज तक इसमें कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं की गयी है। उल्टे उस अधिकारी को प्रमोट कर दिया गया है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के एक विभाग का यह मामला हो। श्रीमन्, यह वह नक्शे हैं, जो हमारी प्रभुसत्ता को सीमांकित करते हैं चीन की सीमा के साथ। ऐसे महत्व के नक्शों का गायब होना अत्यन्त खेदजनक और चिन्ता का विषय है। इसलिए आप सदन का कार्य रोककर अविलम्ब आज ही इस पर चर्चा करायें....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, बहुत हो गया।

श्री हर्षवर्धन–

यह जो विषय यहां उठाया गया है, उसकी गम्भीरता इससे भी स्पष्ट है कि शासन को पूर्ण जानकारी में है कि यह नक्शे गायब हैं। निदेशक, भूतत्व और खनिकर्म को उन्हीं के यहां के एक रसायनज्ञ श्री धर्म प्रकाश ने इस मामले की सूचना दी है, उन्होंने उन्हें 26-2-88 को पत्र लिखा है और इसके पहले शासन को अवगत करा चुके हैं और उन्होंने अनुमति मांगी है कि वह चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले की पूरी सूचना शासन को देना चाहते हैं । मैं यह पत्र आपकी आज्ञा से पटल पर रखने हेतु इसे आपके पास भेज रहा हूं ।

(पत्र श्री उपाध्यक्ष के पास भेज दिया गया ।)

इसमें मुख्य बात यह है कि स्पेशल सेक्रेटरी श्री रवि प्रकाश उद्योग जो वर्तमान में हैं वह राज्य खनिकर्म निगम के प्रबन्ध निदेशक हैं पहले यह भूतत्व एवं खनिकर्म के निदेशक थे इनके जमाने में नक्शे गायब हुए, वहां से जो रिपोर्ट आती है उसमें यह प्रयास करते हैं कि इसमें कोई कार्यवाही न हो सके । यह सरकार सोया करती है कि उस पर कार्यवाही न हो पाए । जो हिन्दुस्तान के सारे नक्शे गायब हैं उसका ज्ञान इस सरकार को है लेकिन यह सरकार एक व्यक्ति को बनाये रखने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, सारी बातें शासन के संज्ञान में हैं फिर भी इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि ऐसे गम्भीर विषय पर चर्चा कराई जाए ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है । राज्य खनिज निगम एवं भू-तत्व खनि कर्म निदेशालय सर्वे आफ इण्डिया से खनिज आदि खोदने के लिए नक्शे प्राप्त करता है यह अत्यन्त सामरिक महत्व के नक्शे होते हैं इसमें मैं कुछ नक्शों के नम्बर भी देना चाहूंगा–नक्शा 54 एम0/8, 54 एम/16, 540/13, 54 पी/14, 62 बी/15 मान्यवर, यह प्रतिबन्धित क्षेत्र और हिमालय से जुड़े हुए तथा चीन की सीमा से जुड़े हुए गढ़वाल के नक्शे हैं यह पूरे के पूरे गायब हैं । मेरा कहना है कि अमरीका से दो लोग मिस्टर एम0 डी0 वेकर और जे0 एम0 स्मिथ को इस निदेशालय ने प्रतिबन्धित क्षेत्र का दौरा करवाया । इसमें क्या सरकार ने परमीशन दी थी? अमेरिका की सी0 आई0 ए0 की एजेन्सी कुख्यात है वहां के लोगों द्वारा यहां के क्षेत्रों का दौरा करना अत्यन्त चिन्ता का विषय है, निगमों और उच्च अधिकारियों के बीच विदेशी एजेन्सियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है जो बहुत चिन्ता का विषय होना चाहिए परन्तु सरकार उदासीन है । मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर आप चर्चा करवायें ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, खनिज विकास निगम भूतत्व खनिकर्म निदेशालय से नक्शे गायब हो रहे हैं और सरकार सो रही है । इतने सामरिक महत्व के नक्शे हैं। हिमालय चीन और गढ़वाल की सीमा से मिले प्रतिबन्धित क्षेत्र के यह नक्शे हैं यह सारे के सारे नक्शे गायब हो रहे हैं । हमारे प्रदेश में सी0 आई0 ए0 के लोग घुस गये हैं । अमेरिका के जो वैज्ञानिक आए थे ऐसा मालूम होता है उनकी विदाई में यह नक्शे दे दिए गये । मान्यवर, ललितपुर में ऐसा हुआ कि कनेडियन फर्म के वैज्ञानिक राक फास्फेट की जांच के लिए आए थे, लेकिन वह यहां से यूरेनियम उठाकर ले गये । ऐसी चीजें इण्डिया के अन्दर हो रही हैं जो बहुत खतरनाक हैं । जो हमारे इस निगम के जरिए बहुमूल्य खनिजों की खोज होती थी वह सारे के सारे नक्शे गायब हो रहे हैं तो यह बहुत ही खतरे की स्थिति पैदा हो गई है । यह बहुत ही सामरिक महत्व का विषय है इस पर आप चर्चा करायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे प्रदेश का एक निगम और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्रघाती गतिविधियां हो रही हैं और उसमें हमारे देश की सामरिक महत्व की चीजें गायब हो जाने से हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, यह नक्शे सर्वे आफ इण्डिया से मिलते हैं। यह नक्शे दो प्रकार के होते हैं एक तो सामरिक तरीके के और दूसरे सामरिक महत्व के । सामरिक महत्व के जो नक्शे सर्वे आफ इण्डिया तैयार करता है उनको गोपनीय रखा जाता है। मान्यवर, यहां पर कोई चीज सामरिक महत्व की आती है और वह गायब हो जाती है तो उससे गम्भीर बात और कोई हो नहीं सकती । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अमेरिका से कुछ लोग सर्वे करने के लिए आये । मैं जानना चाहता हूं कि उनको परमीशन किसने दी है । जहां तक मेरी जानकारी उन लोगों को किसी तरह की परमीशन नहीं दी गयी है । मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को 2 पत्र लिखे थे । मुख्य मंत्री जी के यहां से उनका एकनालेजमेंट मिला तो मैंने उनका जवाब दिया कि इस सम्बन्ध में अगर कोई मामला गोपनीय न हो तो कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें । इसमें निगम के किस अधिकारी की गलती है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है । वहा के मुख्य रसायनज्ञ डा0 धर्म प्रकाश जो प्रभारी पुस्तकालय रहे हैं उन्होंने जानकारी दी है । मान्यवर, मेरी जानकारी को गैर सरकारी जानकारी कहकर आप आश्वस्त हो सकते हैं लेकिन एक सरकारी प्रतिनिधि ने जो जानकारी दी है उसके बावजूद भी मुझे कोई जानकारी मुख्य मंत्री जी के यहां से मिली नहीं कि क्या कार्यवाही हुई । यह मामला बहुत गम्भीर है ।

मान्यवर, देश के सामरिक महत्व को उठाने की अनुमति यहां नहीं मिलती है लेकिन हमारे एक निगम में जो भ्रष्टाचार के आरोप यहां लगाये गये हैं । इस निगम के हाथ शिथिलता तथा भ्रष्टाचार में रंगे हैं और देश की सुरक्षा को खतरा हो गया है इसलिए इस पर आप चर्चा अवश्य कराने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, खनिज निगम के नक्शों के बारे में आपके सामने कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर, जो नम्बर इसमें दिये गये हैं, जब इसके बारे में सूचना मिली तो इसके फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए कहा गया है कि यह नक्शे हैं कि नहीं । जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो नम्बर इसमें दिये गये हैं वह नक्शे हमारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज से संबंधित नहीं हैं । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विदेशियों को कोई नक्शा नहीं दिया गया है । एक योजना भारत सरकार की यू0 एन0 डी0 पी0 परियोजना, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी है और 1972–79 तक चली उसके अन्तर्गत कुछ सर्वे आफ इण्डिया से नक्शे आते रहे हैं और कुछ रफ शीट्स आती हैं । जब उन पर काम समाप्त हो जाता है तो वह खत्म कर दी जाती हैं । कोई 'सिक्योरिटी लैप्स' नहीं हुआ है । लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों ने एक गम्भीर बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है तो हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसकी पूरी छानबीन करा रहे हैं । नक्शों का फिजिकल वेरीफिकेशन करा रहे हैं और खासकर उन नक्शों का जो सेंसिटिव एरियाज, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज से संबंधित हैं । तो मान्यवर, यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है ।

(श्री राम सजीवन सिंह के पुकारे जाने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इस पर क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि नक्शे तो आये लेकिन विदेशियों को नहीं दिये । डायरेक्ट विदेशियों को नहीं दिये गये या मिडिल मैन के जरिये दिये गये यह देखने की बात है । इस पर आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, यह सारा मामला तीन साल से शासन के संज्ञान में है । इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा तो नहीं करवायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चर्चा नहीं करवायेंगे, तो वक्तव्य करा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य करा देंगे ।

*श्री राम सजीवन–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में सभी जिलों में भीषण सूखा और अकाल पड़ा है और सरकार ने सूखा से राहत पहुंचाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, न तो राहत कार्य खोला गया और न पेयजल की व्यवस्था की गयी, वहां पर भुखमरी की स्थिति है । सरकार ने भारत सरकार से भी सूखा काम में सहायता पहुंचाने के लिए कोई सूचना नहीं भेजी और न भारत सरकार से सहायता राशि की मांग की है । सरकार चुप बैठी हुई है और सरकार कर क्या रही है, बुन्देलखण्ड के लिए । बांदा के जिलाधिकारी ने विशेषकर सर्वाधिक पीड़ित होने की रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है । वहां के लिए एक कर्बी तहसील और मऊ तहसील की सिंचाई के लिए सूखा, अकाल पीड़ित क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए एक पैयश्वनी नहर परियोजना बनाई गयी थी, वह 12 करोड़ की योजना थी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार से सहमति लेनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त करने के लिए सिंचाई विभाग ने सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, उसका उल्टा किया क्या कि मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री अर्जुन सिंह के साथ एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिससे कि उस योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को दे रही है । उसमें पानी ही नहीं सुलभ हो रहा है । मान्यवर, उस योजना को जानबूझ कर इस सरकार ने रद्द किया है । मान्यवर, कर्वी, मऊ की जनता को राहत पहुंचाने के बजाय, यह सरकार वहां की जनता को सूखा और अकाल से पीड़ित कर रही है । मेरा साफ आरोप है, लोकपति त्रिपाठी, सिंचाई मंत्री जी क्या कहते हैं कि यह योजना बन जायेगी, तो पैयश्वनी नदी सूख जायेगी और चित्रकूट की जनता तबाह हो जायेगी । मान्यवर, उस क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि आप 12 करोड़ की लागत से बांध बनवायें, सिंचाई मंत्री जी यहीं पर बैठे-बैठे फरमा रहे हैं कि चित्रकूट की जनता तबाह हो जायेगी । इस सरकार के ऊपर मेरा आरोप है कि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को यह सरकार तबाह कर देना चाहती है । जो साधन बनाये भी गये हैं, उनको भी रद्द कर दिया गया है । इसलिए यह बहुत ही तात्कालिक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा कराइये और यदि अभी चर्चा नहीं हो सकती है, तो वक्तव्य ही करा दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी–

इस पर शायद आपने वक्तव्य स्वीकार किया है । इससे पहले भी यह प्रश्न सूखा के बारे में आया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह पेयजल के बारे में था ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, राम सजीवन ने जो कहा है, वह वास्तव में समस्या बहुत गम्भीर है । इस पर चर्चा या वक्तव्य स्वीकार कर लें । उसमें यह आ जायेगा कि शासन इसमें क्या कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो स्टेटमेंट होगा, उसी में इसको जोड़ देंगे ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में एल्युमीनियम तार के अभाव में विद्युत विभाग का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ गया है । श्रीमन्, अभी कुछ दिन पहले विद्युत मंत्री जी ने जब विद्युत का बजट रखा था तो उन्होंने कहा था कि हम चार हजार गांवों को बिजली की सुविधा देंगे और 48 हजार नलकूपों को कनेक्शन देंगे । श्रीमन्, अभी तक एल्युमीनियम, नेशनल एल्युमीनियम कारपोरेशन, भारत एल्युमीनियम करपोरेशन, हिन्डालकों एल्युमीनियम कारपोरेशन से प्राप्त होता था जब केन्द्र में बजट आया तो बजट में आपने एल्युमीनियम का डिकंट्रोल कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन कम्पनियों से हमें एल्युमीनियम प्राप्त होता था वह कोटा हमारे उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को नहीं प्राप्त हो रहा है या उन फर्मों को नहीं प्राप्त हो रहा है जहां तार बनता था । कोटे के अभाव में सारा निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है मान्यवर, अगर निकट भविष्य में तार की आपूर्ति नहीं की गयी और इन निगमों को बाध्य नहीं किया गया तो निश्चित रूप से किसी ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन चाहिए, विद्युत रिपेयर के

लिए तार चाहिए या निर्माण, उद्योग के लिए बिजली चाहिए, वह सारे कार्य ठप्प हो सकते हैं । यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव हमारे प्रदेश में पड़ने वाला है । ऐसी स्थिति में आप सारे कार्य को रोककर इस पर बहस करायें और हिन्डालकों को बाध्य करें कि जो कोटा है उसकी पूर्ति करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, एक तथ्य छूट रहा है, उसको मैं रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आप कहें तो मैं चर्चा स्वीकार कर लूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, [× × ×] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नहीं बोलने दूंगा, इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं । कुछ लिखा नहीं जायेगा आप चाहते हैं तो चर्चा स्वीकार कर लूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा । (व्यवधान)

लिखा नहीं जा रहा है जो बोलना चाहो बोल लो लेकिन लिखा नहीं जायेगा आप कहें तो चर्चा स्वीकार कर दूं लेकिन लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री गौरी शंकर भइया द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठिये ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई सूचना नहीं है, बैठें ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम अवतार दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है और इस सन्दर्भ में 500 टन सेकेन्ड फोर्ट नाइट मार्च और 500 टन अप्रैल की फर्स्ट फोर्ट नाईट में हमारे पास आ रहा है हमारा हिन्डालकों से एग्रीमेन्ट है, पेल्कों और नेल्कों से हमारी बातचीत चल रही है हम शीघ्र ही एल्युमीनियम उनसे लेकर देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इधर बीच में जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि केन्द्र की वजह से एल्यूमिनियम की स्केयरसिटी हो गयी थी लेकिन अब हमने उसकी व्यवस्था कर ली है और जो भी कार्य हैं वह शीघ्र ही सम्पादित हो जायेंगे ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

हिन्डालकों से जो कोटा हमारा निश्चित था वह कोटा उपलब्ध नहीं हो रहा है मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा कि स्केयरसिटी है यह तो मामला है, मंत्री जी बतलायें कि जिन चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं उस व्यवस्था के तहत जो आपकी आवश्यकता है क्या वह भविष्य में पूरी हो सकेगी ? अगर पूरा हो सकेगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर पूरा होने वाला नहीं है तो निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करावें ।

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह अवश्य पूरा होगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कार्य स्थगन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं । मान्यवर, सूचना यह है कि सरकारी भवनों के लिए, विकास कार्यों के लिए किसानों की बहुत कीमती जमीन कम भाव पर अधिगृहीत कर ली जाती है और फिर उसी कीमती भूमि को बिचौलिये और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी मिलकर उस पर फिर धन कमाने का काम करते हैं और यह कार्यक्रम प्रदेश में बहुत ऊंचे पैमाने पर हो रहा है । अभी कुछ समय पहले आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी में कृषि मण्डी समिति के नवीन भवन को बनाने के लिए फतेहपुर सीकरी में आगरा रोड के किनारे की सारी कीमती भूमि के लिए प्रस्ताव रखा गया और उस जमीन की कीमत अपर जिलाधिकारी आगरा ने साढ़े चार लाख रुपये मुआवजे के रख कर कृषि मण्डी समिति से मांग की थी । कृषि मण्डी समिति ने उस साढ़े चार लाख की धनराशि को उनको दे दिया और मान्यवर, उस भूमि के ऊपर 9-9-88 को कब्जा कर लिया गया । इतना ही नहीं मान्यवर, उस भूमि के ऊपर 4-12-88 को कृषि की नवीन मण्डी की नींव पड़ गयी और मा0 कृषि मंत्री ने शिलान्यास कर दिया । लेकिन इसके बाद पूंजीपति कालोनाइजर ने आगरा के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से मिल कर और बाजार भाव के नाम पर उसी भूमि को, जिसकी कीमत साढ़े चार लाख दी थी, उसकी कीमत 40 लाख रुपये ठहरवा ली और किसानों से अपने हक में प्राधिकार पत्र लिखवा लिया और अब जिलाधिकारी, आगरा मण्डी समिति फतेहपुर सीकरी से 40 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं । उस भूमि के लिए कर रहे हैं जो किसानों से 20 हजार रुपये बीघा में ली गयी थी और अब उसी भूमि के लिए 3 लाख रुपये बीघा की मांग जिलाधिकारी उन बिचौलियों के लिए कर रहे हैं जो अपने हक में प्राधिकार पत्र लिखवा चुके हैं ।

मान्यवर, कृषि मण्डी ने उस नवीन मण्डी भवन का निर्माण कार्य बन्द कर दिया है और पैसा देने से इन्कार कर दिया है । तो उस निर्माण कार्य के बन्द होने को जानकर किसानों में बड़ी बेचैनी है । यह बहुत बड़े घपले का सवाल है । किसानों को उस कीमती जमीन के लिए साढ़े चार लाख दिये गये और बिचौलियों को, कालोनाइजर्स को 40 लाख दिये जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस प्रकरण की जांच विजिलेंस से कराई जाय और कृषि मण्डी समिति के

नवीन भवन का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में होना था, उसे रोका न जाय और भवन पूरी तरह से बनाया जाय । इन बिचौलियों को पैसा न दिया जाय । अगर 40 लाख रुपये दिये जाने हैं तो यह यहां के कृषकों को दिया जाय, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी । मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में, चाहे आगरा विकास प्राधिकरण हो या कहीं और का प्राधिकरण हो, किसानों से सस्ती दरों पर भूमि ले ली जाती है और बिचौलिये फायदा उठाते हैं । मैं आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल)–

मान्यवर, माननीय सदस्य फतेहपुर सीकरी . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य फतेहपुर सीकरी और माननीय सदस्य आगरा

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, ब्रैकिट में आगरा कर दीजिये । वहां बड़ा अस्पताल है वह माननीय सदस्य की ही कांस्टिट्यूंसी में आता है ।

श्री शारदा प्रताप–

वैसे एक अस्पताल बरेली में भी है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय विजय सिह राणा भी पड़ोसी हैं वह चले गये उनका विधान सभा क्षेत्र भी उससे मिला हुआ है ।

मान्यवर, इसमें माननीय बदन सिंह जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं उनकी चिन्ता से । आगरा का ही नहीं और भी जगह के यह सवाल ध्यान में लाये गये हैं । इसमें कुछ बड़े कालोनाइजर्स हैं वह शोषण कर रहे हैं किसानों का छोटे किसानों का । जैसा माननीय सदस्य बदन सिंह जी ने बताया नव मण्डी स्थल निर्माण के लिए लगभग 9 एकड़ जमीन ली गयी ।

श्री बदन सिंह–

7.43 एकड़ जमीन ली ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मैं लगभग बता रहा हूं अध्यापित की गयी जो भी प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत उनको अधिगृहीत करके कार्यवाही की लगभग साढ़े चार लाख रुपया श्रीमन् हमारी मण्डी समिति ने वहां पर जमा भी कर दिया । जो विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी आगरा के थे, उनको जमा कर दिया । माननीय बदन सिंह जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हम उच्च अधिकारी के द्वारा किसी उच्च अधिकारी के द्वारा जांच कराके, जो भी दोषी होगा, हमारा अधिकारी दोषी/लिप्त पाया जायेगा, कालोनाइजर्स लिप्त पाया जायेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । किसानों का वाजिब प्रतिकर होगा, वह उनको प्रदान किया जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

किस अधिकारी से जांच कराने की बात कही, वहां का डी0 एम0 इसमें शामिल है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब वह तो जांच से पता लगेगा कि कौन शामिल है ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कर-कमलों से उसका शिलान्यास हुआ है । मंत्री जी ने भी स्वयं चिन्ता दिखायी है । बोर्ड आफ रेवेन्यू से इसकी जांच करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे तो कार्यवाही के लिए कह रहे हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, हम आगरा के जिलाधिकारी से या आगरा के कमिश्नर से जांच नहीं चाहते हैं, आगरा के कलेक्टर तो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से संबंधित हैं उनसे मिले हुए हैं । अभी जो आजमगढ़ के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से संबंधित मामला उठा था उसी से मिलता जुलता यह मामला है आगरा के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी का मामला है वे वहां पर बरसों से हैं । मेरा निवेदन है कि इसकी विजिलेंस से जांच करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनसे बात कर लीजिए माननीय बदन सिंह जी ।

*श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मथुरा जनपद संवेदनशील जिला है और वहां की हालत यह हो गई है कि वहां कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं रह गयी है। जो कप्तान बलिया जनपद में 8 महीने रुक नहीं पाये उस कप्तान को वहां का पुलिस कप्तान बना दिया है । जो हरिजन विरोधी हैं, यह आपकी निजी जानकारी में है । अल्पसंख्यक विरोधी हैं । बदायूं में मुस्लिम कांग्रेस हुई थी वहां समस्त हिन्दुस्तान के मुस्लिम आये थे, उन्होंने रेज्योलियुशन पास किया उनके खिलाफ । और, आज वे मेमोरेन्डम राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, एस0 पी0 कभी भी दंगा करा सकते हैं । डेढ़ महीने वकीलों की हड़ताल चली पूरी अदालतें बन्द रहीं । उस पुलिस कप्तान ने अधीनस्थ थानाध्यक्षों को आदेशित किया कि जितने भी जिले के क्रिमिनल हैं उनसे कहिए कि वकीलों पर दबाव डालें जिससे हड़ताल समाप्त हो । तमाम दरोगाओं ने मीटिंग की और अपराधियों ने दबाव डाला वकीलों पर । प्रेस कांफ्रेंस में बार एसोसियेशन ने स्टेटमेंट दिया है । माननीय रघुबीर यादव जी बैठे हुए हैं माननीया बक्शी जी बैठी हुई हैं, वरिष्ठ मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने एक छोटे से काम के लिए उस पुलिस कप्तान से कहा, उनकी भी नहीं सुनी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका मामला तो बंदियों के छुड़ाने से संबंधित है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सरदार सिंह–

पुलिस जो है अधिकारियों के सामने आत्म समर्पण कर चुकी है । मान्यवर, 15 मार्च को जब पुलिस के लिए यहां बजट लिया जा रहा था, तब कुछ लोग शाहाबाद तहसील में बन्द थे और कुछ असामाजिक तत्व वहां आये और पुलिस के हाथों से चाभी ले ली तथा सब लोगों को छुड़ा लिया । इसके बाद वहां वायरलेस किया गया कि अतिरिक्त फोर्स भेजी जाय । उस समय पुलिस कप्तान जिले के बाहर अपने क्षेत्राधिकारियों के साथ कहीं पिकनिक मना रहे थे और कोई भी क्षेत्राधिकारी अथवा पुलिस कप्तान वहां नहीं पहुंचा । सारे अपराधी छुड़ा लिए गये और पुलिस ताकती रह गयी । मान्यवर, भगवती सिंह जो वहां का एक अच्छा क्षेत्राधिकारी था, और शेड्यूल्ड कास्ट का था, इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया तथा ऐसा आदमी तैनात कर दिया गया, जिसने मथुरा में अपना हेडक्वाटर बना रखा है । मान्यवर, आज मथुरा में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और जंत्र-तंत्र के माध्यम से वहां प्रशासन चलाया जा रहा है । पुलिस का कोई नियंत्रण वहां पर नहीं रह गया है । आज वह अपने को बचाने के लिए साधु महात्माओं के पास दौड़ा फिर रहा है । ऐसा लगता है जैसे मथुरा में अपराधों की बाढ़ आ गयी है और अभी होली के मौके पर मथुरा शहर में महिलाओं के ऊपर फायरिंग हुयी, जिसमें कई महिलायें मारी गयीं । इसके अलावा वहां एक रसवाला मार दिया गया ।

मान्यवर, सरकार वहां कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे साम्प्रदायिक और निकम्मे पुलिस कप्तान को वहां से हटाया जाय, जिसने 3-3 मंत्रियों की बात भी नहीं मानी, उसे अवश्य वहां से हटा दें । मान्यवर, मथुरा अत्यन्त संवेदनशील इलाका है । इस मामले पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की भी कृपा करें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

मान्यवर, इस संबंध में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । जिन बिन्दुओं के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है, हम उसे तत्परता से दिखलवा लेंगे और जो कार्यवाही होनी है, उसे सुनिश्चित करायेंगे । सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है, उसके लिए पहले ही कहा गया है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, वहां हाट लाइन है, लेकिन वह लोग सूचना ही नहीं भेजते हैं । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है , आप इस पर चर्चा करा दें । मान्यवर, हुकुम सिंह इनको फेल करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब उन्होंने कह दिया हम दिखलवा लेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मथुरा बड़ा संवेदनशील जिला है, अगर वहां कोई हादसा हो जायेगा, तो उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा । आप इस मामले पर पूरी सूचना कल तक अवश्य सदन के पटल पर रखा दें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को शासनादेशों का उल्लंघन के बारे में अनुक

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप बैठ जाइये, मैं एक-एक को सुनूंगा। आप मौका तो दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर अवैध ढंग से शासनादेशों का उल्लंघन करके मुख्यालय लखनऊ को बनाया जा रहा है, आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य कर दिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किसान की हत्या वाला जो मामला था, उस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर वक्तव्य कर दिया है।

(श्री गोपी नाथ वर्मा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने गोपी नाथ वर्मा जी, आपके मामले पर वक्तव्य स्वीकार कर लिया है।

(श्री राम शरण दास के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या आपका भी वक्तव्य स्वीकार कर लूं ?

श्री राम शरण दास–

आप दो मिनट सुन लीजिए, बिना सुने कैसे वक्तव्य स्वीकार कर लेंगे ? यह कोई मेरे आपके बीच का मामला तो है नहीं।

(श्री राम शरण दास, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा व श्री शारदा प्रताप के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग क्या चाहते हैं ? आप लोग वक्तव्य चाहते हैं तो वह मैं स्वीकार कर लेता हूं।

श्री राम शरण दास–

आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं किसी को नहीं सुनूंगा। आपको सुनूंगा तो सबको सुनूंगा।

(श्री राम शरण दास, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा व श्री शारदा प्रताप के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री राम शरण दास जी आपकी सूचना को भी मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है, श्री वर्मा जी आपकी सूचना को भी मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है श्री शारदा प्रताप जी आपकी सूचना पर भी मैंने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है। श्री रमा शंकर जी वाले मामले में भी वक्तव्य है।

...

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-53 वन विभाग

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53-वन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,39,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मुझे आशा है कि वन विभाग की तरफ से माननीय सदस्यों को जो साहित्य उपलब्ध कराया गया है, उन्होंने उसे पढ़ लिया होगा । जिससे माननीय सदस्यों को सुझाव देने में सुविधा होगी । यह सभी जानते हैं कि वनों से हमें कितना फायदा होता है । इसको बताने में मैं अपना समय व्यर्थ खराब नहीं करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में वनों की कमी होने के कारण भारत सरकार ने 1988 में एक नई वन नीति बनायी। जिसके तहत वनों की सुरक्षा के लिए काफी विस्तार से कई चार्जे रखी । उसमें एक वनारोपण भी है । 1957 में प्रदेश में औसतन प्रतिवर्ष 600 हेक्टेयर भूमि में वृक्षा रोपण हुआ, 1977 में यह बढ़कर 27 हजार हेक्टेयर में हो गया, 1980 से 89 के बीच यह 70 हजार हेक्टेयर हो गया और 1989 – 1990 तक एक लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने की योजना है । . . लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, सिर्फ लक्ष्य के ऊपर नहीं जायेंगे, हम यह भी देखेंगे कि वनों की सुरक्षा भी अच्छी तरह से हो सके । (इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुए ।) इस तरह से वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है । 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 16वां सूत्र वृक्षारोपण पर है । तीन ढंग का वृक्षारोपण करते हैं । उत्पादन वानिकी, सामाजिक वानिकी, वृहद वृक्षारोपण । उत्पादन वानिकी के अन्तर्गत विभाग की ओर से पेड़ लगाये जाते हैं और वृक्षारोपण होता है । वर्ष 88-89 में 4.14 लाख हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया था । सामाजिक वानिकी में भी काफी वृक्षारोपण हो चुका है । 1988-89 के तहत करीब 7 लाख हेक्टेयर का वृक्षारोपण हो चुका है । जिसे रेल पटरी और सड़क के किनारे, कैनाल के किनारे भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम है । इसी तरह से किसानों की पौधशाला के लिए भी किया है, उसमें भी काफी काम हुआ है ।

जो खाली भूमि है, उस पर भी वृक्षारोपण किया जा रहा है । प्रदेश में जो बेकार पड़ी हुई जमीन है, उसके ऊपर भी वृक्षारोपण का काफी काम किया जा रहा है । इसके तहत फ्री पट्टा देने की भी योजना बनायी गयी थी उसमें गरीब लोगों को पट्टा देने का है, पेड़ लगाने का है । इसमें 2 एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से ईंधन और चारे के पेड़ों को लगाने का है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है । अभी तक 64431 व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जा चुका है । तीन साल तक ये लोग उस पर पेड़ लगाते हैं, तीन साल के बाद वृक्ष के पट्टे उनके नाम कर दी जाती है, उस पर जो पेड़ होते हैं, यूसूफ्रस्ट अधिकार उनके हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में आप जानते हैं कि जंगल के बाहर जो जमीन है ऊसर है, उस पर पेड़ लगाने में

काफी कठिनाई होती है । जैसा हम जानते हैं ऊसर की जमीन में ऊपर रेह होती है, नीचे कंकड़ होते हैं । उसको दूर करने के लिए ऐसी एक मशीन बनायी गयी है जो चलाकर.....

(माइक से आवाज स्पष्ट सुनायी न देने के कारण)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया दूसरे माइक पर आ जायं, उस माइक पर आवाज कम आ रही है ।

(माइक ठीक किया गया ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह नया यंत्र जो बनाया गया है ऊसर की जमीन में पेड़ लगाने का ट्रैक्टर में ड्रिल मशीन लगायी गयी है । यह 1.5 मीटर तक नीचे तक जाता है, 20 सेमी0 का घिराव बनाता है । इससे वृक्षारोपण में काफी सुविधा हो रही है । काम काफी अच्छा हो रहा है। विभाग की तरफ से अनुसंधान के प्रति काफी ध्यान दिया जा रहा है । जो रिसर्च सेण्टर्स हैं, वहां पर काम हो रहा है कि जो प्रजातियां किन्हीं जमीनों पर किन्हीं जगहों पर अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है । अनुसंधान केन्द्र काफी सुचारु रूप से चल रहा है । श्रीमन्, जहां तक लकड़ी या जंगल में चोरी के बारे में यहां पर अक्सर जिक्र आता है, यह सही है कि लकड़ी की कीमत बढ़ गयी है । हर तरीके की चोरी, चोरी है, चाहे वह छोटी चोरी हो या चाहे बड़ी चोरी हो । छोटी चोरी को इस तरह कहेंगे कि वन विभाग की तरफ से जंगल के गरीब रहने वाले लोगों को जो सुविधा दी जाती है, वह लोग जंगल में जाकर जलानी के लिए लकड़ी लाते हैं, उसमें कई तरीके से ये लोग गड़बड़ करने लगे हैं लकड़ी की कीमतें बढ़ने की वजह से चोरियां बढ़ गयी हैं और कभी-कभी लोग ट्रकों पर लाद कर लकड़ी ले जाने लगे हैं । इसके लिए अब फारेस्ट प्रोटेक्शन योजना लागू की गयी है, यह जल्दी ही लागू हो जायेगी । वर्ष 1927 का जो वन एक्ट था उसके तहत वन विभाग की तरफ से अगर कोई टैक्टर पर लकड़ी की चोरी करके ले जाता था, उसको जब्त करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं थे । अब हम लोग सोंच रहे हैं कि इस एक्ट में तबदीली लायी जाय। वन विभाग की तरफ से चोरी का माल जो पकड़ा जाय उसे जब्त कर लें, इससे इसमें बहुत कमी आयेगी ।

हमारे प्रदेश में वन जन्तुओं की देखरेख, हिफाजत के काफी तरीके बनाये गये हैं । सेंक्चूरीज काफी हैं, टाइगर प्रोजेक्ट दो हैं एक कार्बेट नेशनल पार्क और दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, उनकी देख-रेख के लिए सेंक्चूरीज में काफी काम हो रहा है । इन सेंक्युरीज के बनने के बाद से जंगली जानवरों की बढ़ोत्तरी इतनी हुई है कि जो खेत हमारे जंगल के पास हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचता है, लोग ऐसा सोंच रहे हैं । इसके लिए विचार किया गया है कि नील गाय जो हैं उनको जिला मजिस्ट्रेट की परमिशन से मारने की आज्ञा का कानून बनाया गया है और इसके लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

श्रीमन्, सामाजिक बानकी के तहत काफी काम किया गया है, जगह-जगह पेड़ लगाये जा रहे हैं । जहां तक गरीबों के लिए ईंधन, चारा, पानी के लिए उनको काफी इससे फायदा हुआ है । एक अहम सवाल अक्सर यहां पर उठाया जाता है कि जो गवर्नमेन्ट

आफ इण्डिया का अधिनियम है, जिसके तहत सड़कें तथा और कोई विकास के कार्य हैं उनमें रुकावट आती है तो उससे क्षेत्र में दिक्कत पैदा होती है और उससे काफी उत्तेजना होती है। अभी तक ऐसे जितने केसेज हैं उनकी संख्या 1,462 है। उसमें जो 546 ऐसे केसेज हैं जिनके लिए गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का एप्रूवल हो गया है। 70 केसेज रिजेक्ट हो गये हैं, 34 केसेज गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया में पेंडिंग हैं। 63 केसेज ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के तहत हैं अभी उनका निराकरण नहीं हुआ है। 44 केसेज नोडल आफिसर के पास हैं, 695 केसेज अभी विभाग के पास हैं। तो इस तरह से हम लोगों के यह प्रयास रहते हैं कि विकास के कार्यों के लिए जो रुकावटें पैदा होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाय और मान्यवर इसके लिए एक नोडल सेल भी बनाया गया है ताकि इस प्रकार के कामों में जल्दी हो।

मान्यवर वन निगम की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, उस समय से बराबर कार्य कर रहा है और मान्यवर वन निगम के बनने के बाद यह देखा गया है कि जो हमारे लकड़ी के डिपोज हैं, उन्हें हम भी हर जगह नहीं खोल पाए हैं, जिससे जनता को लकड़ी की प्राप्ति के सिलसिले की कठिनाई हो रही है, इस बात को देखते हुए यह सोचा जा रहा है अभी कुछ और डिपोज खोले जायं, जिससे जनता की यह तकलीफ दूर हो। मान्यवर इसी प्रकार से वन निगम और भी कार्य कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि वन विभाग इस प्रकार के कार्यों की ओर बराबर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है और अब मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस बार अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दें और जो वह सुझाव देंगे, उन पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और जो परेशानियां होंगी, उन्हें दूर करने के प्रयास करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं मान्यवर आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

कटौती करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने अभी वन विभाग का बजट पेश किया और इस पर विचार करने के लिए भी आग्रह किया है और उसी नाते मैंने भी सोचा कि इस विभाग के बारे में ज्यादा सुझाव आएं और हमारी जो वन नीति है वन भूमि की आये दिन कमी होने की वजह से जो गड़बड़ी बढ़ रही है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार तो ज्यादा चिंतित नहीं लगती है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर अवश्य चिंता जताई कि इन व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, दूर हों और यह चिंता जिस रूप में प्रकट हुई है यहां पर बार-बार। और इस बारे में मैंने भी और अन्य मा0 सदस्यों ने भी कई बार खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया है, उनको कैसे आसानी से प्राप्त किया जाए, इस बारे में यहां पर बारहा चर्चायें आयी हैं तो यह जो हर क्षेत्र में पर्यावरण की बात होती है, वनों को बढ़ाने की बात होती है, लेकिन मान्यवर यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है और अफसोस है भी कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन वनों को बढ़ाने के लिए, इनको सुदृढ़ करने के लिए और वनों को अधिक से अधिक लोकोपयोगी व लोकहित में वृद्धि करने के लिए कोई काम नहीं किए हैं, यह मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं इस सदन के समक्ष

मैं मान्यवर ज्यादा आंकड़ों के उसमें नहीं जाना चाहूंगा इस बात की पुष्टि के लिए संक्षेप में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंच वर्षीय योजना तक जो भी वनों के लिए परिव्यय स्वीकृत हुआ है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के कुल व्यय का .91 प्रतिशत आवंटित किया गया था और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में 1.15 हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका प्रतिशत जो था वह 1.49, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1.27 हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में फिर घट गया 1.07 प्रतिशत रह गया 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1.66 रहा और इसी प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय है उसका जो प्रतिशत है, वह कुल राजस्व परिव्यय का 1.97 है तो इस तरह हम देखते हैं कि वन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार कितनी चिन्ता जता रही है, वह इसी से साबित हो जाता है कि इस पर कितना कम परिव्यय दिया गया है । सरकार को वनों के बारे में जानकारी नहीं है और न वह उनके महत्व को जानती है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने वनीकरण के आंकड़े पेश किये और कहा कि इतनी पौध लगा रहे हैं । आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी पढ़ा था कि 6ठी योजना और सातवीं योजना में जो आपने वनीकरण किया है, उसके बारे में संक्षेप में ब्यौरा देना चाहता हूं कि वह 6ठी और 7वीं योजना में जो वनीकरण हुआ है उसमें 6ठी योजना में 1 लाख 23 हजार 442 हेक्टेयर में वनीकरण हुआ है । यह जो 7वीं ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजना का प्लान है, उसके आंकड़े पढ़ रहा हूं । इसमें इस वर्ष के भी आंकड़ों का लक्ष्य है । तो इनके अनुसार 1 लाख 73 हजार हेक्टेयर में बनीकरण हुआ है, तो इन 10 सालों में जो आपने वनीकरण किया है, उसमें जो वृद्धि हुई है वह 49 हजार 556 हेक्टेयर की हुई है । इसको अगर 10 से भाग दे दिया जाये तो 4 हजार 955 हेक्टेयर प्रतिवर्ष के हिसाब से वनीकरण कर रहे हैं, तो इससे आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे । आपने अखबारों में पढ़ा होगा और जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग की रिपोर्ट है, उसके आंकड़े आप देखें, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवर्ष भारत में वन भूमि का ह्रास हो रहा है वह 1.5 मिलियन हेक्टेयर यानी 15 लाख हेक्टेयर वन भूमि प्रति वर्ष नष्ट हो रही है । उत्तर प्रदेश में तो और भी चिंता जनक स्थिति है । 1975 से 1982 के बीच में 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर वन भूमि का ह्रास हो रहा है और यह ह्रास करीब 2.6 हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष आता है और हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें मैंने बताया वह मात्र 4 हजार हेक्टेयर भूमि का वनीकरण प्रतिवर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो लास हो रहा है वह 6 हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो रहा है । तो इस प्रकार से वन लगातार समाप्त हो रहे हैं ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा अनुरोध है कि विभाग की तरफ से खाना यहां पर आता है, इसको, आप बन्द करा दें । उधर के सारे लोग खा गये और इधर के लोग बैठे हैं । किसी एक का यह नहीं है, आप एम0एल0ए0 के नाम को बेइज्जत कर रहे हैं रोज 10 हजार रुपया इस पर व्यय हो रहा है । हम इसको फेंक देंगे । शर्म आनी चाहिये । इधर के लोग बैठे हैं, आप इसको बन्द करवा दें । कोई शर्म और हया की बात नहीं रही । इसको आप बन्द करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन आप की भावनाओं पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम शरण दास–

आधे लोग भूखे बैठे हैं । इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है किन्तु फिर भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुये मैं उचित निर्देश दे दूंगा ।

श्री राम शरण दास–

सत्ता पक्ष की लाबी में पहले सारे डिब्बे रखवा दिये गये । उस समय यहां सारी बेंचेज खाली थीं । हमारे इधर लोग भूखे हैं । (व्यवधान) । इतने बेशर्म और बेहया हैं । इन डिब्बों की कोई जरूरत नहीं है । हम किसी की कृपा पर नहीं खा रहे हैं । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम शरण दास जी, मैंने कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है किन्तु आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुये मैं निर्देश दे दूंगा ।

श्री राम शरण दास–

इसको बन्द करा दीजिये । हमारी नाक कट रही है?

श्री सुखपाल पाण्डे–

परम्परा यह होनी चाहिए कि जितने माननीय सदस्य हैं सबको एक साथ दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जितनी भी बातें उठ रही हैं, यह सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं हैं । इसलिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार अपने आंकड़ों के हिसाब से वन भूमि बनाने की बात कहती है । अगर हम अन्य प्रदेशों के साथ इसकी तुलना करें . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

वन उप मंत्री (श्री शैलेन्द्र कुमार)–

मैं माननीय राम शरण दास जी से एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता–

उनकी व्यवस्था मैंने स्वीकार नहीं की है

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अभी खाना आ रहा है । एक-एक आदमी को स्वयं मैंने खाना खिलवाया है । . . . (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, हमारे प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वह अन्य प्रदेशों की तुलना में केवल बहुत कम है। हमारे प्रदेश का वन क्षेत्र 17.4 प्रतिशत है। यह आपकी रिपोर्ट के अनुसार है। इसमें विसंगतियां हैं। इसमें 66 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में है, 26 प्रतिशत बुन्देलखण्ड में है और मैदानी वन क्षेत्र केवल 7 प्रतिशत है। जबकि भारत सरकार की जो हमारी वन नीति 1952 की है उसमें कहा गया है कि 2/3 यानी 66 प्रतिशत वन पहाड़ों में होंगे और 33 प्रतिशत मैदानों में होंगे। मैं मानता हूं कि मैदानों में हमारी वन भूमि का क्षेत्रफल इतना नहीं है जिससे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन पहाड़ों में तो यह 66 प्रतिशत है वहां हम क्या कर रहे हैं?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वनीकरण में यह देखने की बात है कि हमारा प्रतिशत क्या है। पहाड़ों में वन क्षेत्र 66 प्रतिशत है, मैं मानता हूं। लेकिन केवल वन क्षेत्र होने से काम नहीं चलेगा। कवरेज भी होना चाहिए, पेड़-पौधे होने चाहिए तभी तो वह एकोलोजी के हिसाब से उपयोगी होगा। यदि यह नहीं होगा तो हम लोगों को फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो हमारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स हैं, रिमोट सेंसिंग की रिपोर्ट है या उपग्रहों द्वारा लिये गये चित्रों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर कुछ तथ्य लिखे गये हैं और उन्होंने कहा है कि जो छितरा हुआ कवर है वह केवल 29-8 प्रतिशत है और जिसको सघन (डेंस) कवर आप कह सकते हैं वह 4.4 प्रतिशत है। इतनी विषम स्थिति है। इसके लिए आपने क्या किया। उसको बढ़ाने के लिए आपकी वन नीति दोषी है। दूसरी बात यह है जो इसका कार्यान्वय होता है उसमें हद दर्जे का भ्रष्टाचार और लापरवाही है जिसके कारण आप पेड़-पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फारेस्ट कवरेज बढ़ाया जाय। इसके लिए मैं दो सुझाव दूंगा आप फारेस्ट कवरेज के लिये यूकोलिप्टस और पहाड़ों में चीड़ लगा देते हैं उससे भी फारेस्ट कवरेज बढ़ जाता है लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि अब वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि यूकोलिपटस और चीड़ इकोलोजी की दृष्टि से घातक हैं आप उनको इसलिए लगाते हैं कि यह जल्दी बढ़ते हैं ताकि जो आपके बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कच्चा माल मिल सके जैसे पेपर मिल है उनको पल्प मिल सके और जो छोटे-मोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उन्हें कच्चा माल मिल सके उसके लिए आपने इन प्रजातियों को जो जल्दी लगने वाली हैं उनको बढ़ावा दिया है और 6ठी पंचवर्षीय योजना में आपने इनको 28958 हैक्टेयर में लगाया है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ा कर 75 हजार हैक्टेयर में करा दिया है। जब कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज्यादातर वनों की वस्तुओं की जरूरत है और उनकी आवश्यकता के लिये चारा और ईंधन के लिए जिन वनों की आवश्यकता है उसकी ओर जोर नहीं दिया गया है उसमें आपने 6ठी पंचवर्षीय योजना में 94484 हैक्टेयर में पेड़ लगाये और 7वीं पंचवर्षीय योजना में नाम मात्र बढ़ा कर उसे 98 हजार हैक्टेयर कर दिया है। उन प्रजातियों का वनीकरण जिनका ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जैसे चारा आदि की लिये आवश्यकता पड़ती है और जो पर्यावरण के लिये भी उपयोगी हैं उनको ज्यादा नहीं बढ़ाया है। तो यह देखने की बात है कि जो शीघ्र लगने वाले पेड़ हैं और जिनसे पर्यावरण दूषित होता है उनका क्षेत्रफल आपने 28 हजार हैक्टेयर से बढ़ा कर 75 हजार कर दिया और जिन पेड़ों को लगाने से पर्यावरण ठीक रहता है और जिसकी ग्रामीणों को भी आवश्यकता पड़ती

है उसको मात्र 94 हैक्टेयर से बढ़ा कर 98 हजार हैक्टेयर किया है इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में । अगर हमने अपनी नीति इस दृष्टि से नहीं बनाई तो यह बहुत घातक होगा । चायना में अलग-अलग किस्म के फारेस्ट लगाये जाते हैं जहां जिस परिस्थिति की आवश्यकता है उसके हिसाब से वन लगाते जाते हैं ताकि इकोलोजी भी ठीक बनी रहे । जहां चारे की जरूरत है वह अलग किस्म के पेड़ लगा रखे हैं और जहां उद्योगों की आवश्यकता है उसके लिए अलग तरह के पेड़ लगा रखे हैं । फाइबर के लिए अलग, चारे के लिये अलग, ईंधन के लिये अलग और प्रदूषण रोकने के लिये अलग ।

श्री अधिष्ठाता–

एरी जी अभी दूसरा बजट भी है इसलिये आप समय का ध्यान रखते हुये संक्षेप करें ।

श्री काशी सिंह एरी–

मैं संक्षेप करने की कोशिश कर रहा हूं । तो हमको इस बात को देखना होगा कि हम वनीकरण करें तो उसमें इस बात को जरूर देखें कि जो प्रजातियां हम लगायें उनकी हमारे लिये कितनी उपयोगिता है । पहाड़ों में इसी को लेकर चिपको आन्दोलन चला फारेस्ट के 5 सिद्धान्त एक फार्मूला वाला है कि वनों से फूड फोडर फाइबर फ्रन्ट और फर्टिलाइजर हमें मिलना चाहिए । वैज्ञानिकों ने भी उसे सही माना है ऐसे वन लगें जिससे इनकी पूर्ति हो और पर्यावरण भी अच्छा बना रहे । मोनो कल्चरल फारेस्ट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिये वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि इस किस्म की प्रजातियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये । हमारे पहाड़ों में आज पानी का अकाल पड़ गया है उसका कारण क्या है बांज के पेड़ खत्म हो गये हैं भीगल के पेड़ खत्म हो गये हैं । यह पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी को रिटेन करते हैं और जब बहुतायत में थे तो पानी इफरात मिलता था । इन पेड़ों से वाटर टेबुल बनी रहती है । इसी तरह से तराई में भी है वहां भी पानी कम हो रहा है वाटर टेबुल नीचे जा रहा है । भावर में यूकेलिप्टस लगाया जा रहा है तो एक साल में इसका एक पेड़ लगभग 150 गैलन पानी खींचता है तो पानी जमीन में और ऊपर से भी कम हुआ, तो अकाल अभाव होगा ही । इसलिये इन चीजों को देखें कि पानी मिलता रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोगों को सुविधायें मिलती रहें तो इनके लिये हमको मिक्स्ड फारेस्ट्री, मिश्रित वन लगाने पड़ेंगे । ऐसी नीति हमको बनाना चाहिए । मान्यवर, ब्रिटिश शासन काल में भी वनों की नीति लोगोपयोगी बनायी गयी थी लेकिन हमारी सरकार ने इन वनों के दोहन की जो नीति बनाई है उसके अन्तर्गत वन नीति को कामर्शियल बनायी है जिससे बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को लकड़ी चली जाये और पहाड़ के लोगों को उसका कोई लाभ न मिले और न जानकारी रहे । मान्यवर, पिछली बार भी मंत्री जी ने कहा था कि इस पर विचार करेंगे लेकिन सरकार ने अपनी नीति में कोई तब्दीली नहीं की है और न सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कोई सुधार की ही योजना बनाई है । दूसरी बात जो वन व्यवस्था है, वन क्षेत्र बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बल्कि पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना पड़ेगा । वन व्यवस्था आप कैसे सुधारेंगे? एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं । आप अपने विभाग से पूछें तो पता चलेगा कि आपने बीट एरिया को घटाया नहीं है, फारेस्ट गार्ड उतने ही हैं जिससे दुर्घटनायें बढ़ी हैं, इसलिये बीट एरिया को घटाने के लिये फारेस्ट गार्डों की संख्या बढ़ायें लेकिन ऐसा

न करके अपने अधिकारियों की फौज को बढ़ा दिया है और एक की जगह पर आठ-आठ अधिकारी रख दिये हैं किन्तु फील्ड में काम करने वालों की संख्या नहीं बढ़ायी है ।

समय कम है इसलिये सुझाव है कि हमारे यहां वन क्षेत्र से संबंधित जो स्थानीय लोग हैं जो शिक्षित हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको रोजगार दें । भूतपूर्व सैनिक लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । वन कर्मचारियों के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश शासन को सख्त पत्र लिखा था कि वन कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाये किन्तु उस पर शासन ने ध्यान नहीं दिया है । इसी सम्बन्ध में केन्द्र के मंत्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने भी कहा है कि वेतन बढ़ायें चूंकि हड़ताल वन कर्मियों ने की लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने कोई बात नहीं सुनी है, तो जब वन कर्मियों का यह वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं तो वनों की क्या रक्षा करेंगे ।

अन्त में मैं मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि मंत्री जी हमारे सुझावों पर और जो अन्य सम्मानित माननीय सदस्य महत्वपूर्ण सुझाव देंगे उन पर पूरी तरह से अमल करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आज दो बजट प्रस्तुत होने हैं, यदि सदन सहमत हो तो दोनों बजट प्रस्तुत करने के बाद एक साथ चर्चा करा ली जाये ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

नहीं अधिष्ठाता महोदय, दोनों बजट महत्वपूर्ण हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि दोनों बजटों को अलग अलग प्रस्तुत कराया जाए, उन पर अलग-अलग कटौती पेश हो और दोनों के लिए अलग-अलग सुझाव लिए जायं । एक साथ मामला गड़बड़ हो जायगा ।

श्री बाबू राम यादव–

यह मान्यवर, आपका सुझाव बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है . . .

श्री अधिष्ठाता–

इस पर मैंने केवल आपकी सहमति जाननी चाही थी कि नहीं सहमत हैं तो नहीं सही और ठीक है अलग-अलग ही चलेगा ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मैं चाहूंगा कि सहकारिता मंत्री जी भी यहां हैं, वह भी अपना बजट पेश कर दें और फिर दोनों बजटों पर साथ-साथ चर्चा हो ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

इस सुझाव से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं । इस तरह का कल का हमारा अनुभव बहुत दुखद रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, दोनों बजटों पर अलग-अलग ही चर्चा होगी ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, वन हमारी अमूल्य सम्पदा हैं । उनकी हिफाजत करना इस जमीन को हरा-भरा बनाना हमारा बड़ा पवित्र कर्तव्य है । आज हर जगह इस बात की चर्चा है, विदेशों में भी है और पत्र-पत्रिकाओं में भी है, हमारी जमीन के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में पर्यावरण के बारे में, वर्ल्ड इकोलाजी के बारे में । तमाम बड़ी-बड़ी चर्चाएं हैं । ऐसे लोगों का विश्वास है कि यदि हम वनों की हिफाजत नहीं करते हैं, तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा और ह्यूमन लाईफ की भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायगा । जिस तरह का एक्सप्लाएटेशन और शोषण या वनों की कटाई आज होती जा रही है, उससे हमारे जीवन को तो खतरा है ही, साथ ही लोगों को यह भी मत है कि जो यह हमारी जमीन है, उसकी भी शक्ल, नेचर या प्रकृति का हिसाब किताब भी बिगड़ जाएगा, वह खतरे में पड़ जायगा । इस सिलसिले में अभी हाल में दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह हुआ था हमारा सबका एक मानव समाज है और हम सबको मिलकर वनों का, स्पेशीज का, और वन्य जीवन का रक्षण करना चाहिए । अभी अमेरिका के एक पोएट ने बहुत अच्छी बात कही थी:–अर्थस रेपे एट आवर एजाल्ट इज स्लो टु कम बट रिलेन्टलेस इफ इट डस । यानी जितना हम क्रोध करते जा रहे हैं जमीन पर वह भी क्रोध करेगी, हम पर । जमीन का यों क्रोध बहुत कम नजर आता है, लेकिन जब वह उत्पन्न होता है तो तहस-नहस हो जाता है, बहुत विकराल जनजीवन की और प्रकृति की क्षति होती है, और उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है। हमारे वन मिट रहे हैं और जीवन की अनेकता भी मिटती चली जा रही है । इसलिए वनों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है । अब इस विषय में मास्को, लंदन और वाशिंगटन में बहुत गहन विचार हो रहा है और लोगों का यह कहना है कि हमारे द्वारा ट्रापकली फारेस्ट खत्म होने से बहुत परेशानी पैदा हो जायगी । इन्डिस्क्रिमिनेटली यानी बिना सोचे समझे वनों की सफाई करने से अफ्रीका और स्वीडन में तो पूरा इलाका ही वीरान हो गया । जिससे वहां रेगिस्तान हो गया तो सरकार की यह कोशिश रही है कि जमीन हरी-भरी हो जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

हमारे यहां मानक 33 फीसदी रखा गया है लेकिन 17 फीसदी कहा जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वह 17 फीसदी भी नहीं है दस फीसदी है, तो पेड़ लगाना सबका परम कर्तव्य है । एक चीज निवेदन करूं माननीय मंत्री जी ध्यान दें आपने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई है, लेकिन पुलिस की दखल इसमें हो गई है यही एक गड़बड़ है वह पैसा लेकर बनों और पेड़ों का कटान करवाती है तो आप अपने विभाग को आदेश दें कि मजिस्ट्रीरियल जांच करायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । बनों के संबंध में लाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रताप सिंह जी और काशी सिंह एरी जी ने कहा । मैं भी अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । श्रीमन् जिस इलाके से मैं आता हूं वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है । वन विभाग वहां पर अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है हमारे क्षेत्र में मान्यवर रेलवे के किनारे, सड़कों के किनारे ऊसर भूमि जो है वहां वन लगाने का कार्य कर रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा सड़कों के किनारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पेड़-पौधे लगाने के लिए आप बाढ़ लगाते हैं, तो पेड़-पौधे तो पता नहीं कहां चले जाते हैं केवल बाढ़-बाढ़ रह जाती है पौधों का नामोनिशान भी नहीं रहता है, सो जो पैसा आप पौधे लगाने में व्यय करते हैं वह बेकार चला जाता है तो आप पौधों की देखरेख और उनकी सिंचाई आदि पर भी ध्यान दें, वरना आप जो पौधे लगाते हैं उन पौधों को लगाने का कोई फायदा नहीं है । सारा धन बरबाद हो रहा है । वृक्षों के नाम पर सड़कों के किनारे बबूल नजर आ रहे हैं जो अन्य असुविधाओं का कारण बनते जा रहे हैं । सड़कों के किनारे तथा रेलवे लाइन के किनारे के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा बूढ़ी गंगा, घाघरा, छोटी सरजू, टोंस नदिया और अनेक छोटे बड़े नाले हैं जहां पर बहुत बड़े इलाके में वन लगाये जा सकते हैं । यहां पर कई तरह के फल देने वाले पेड़ लगाये जा सकते हैं । अगर यह काम आप करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पर्यावरण को पहुंचेगा और वन लगेंगे जिससे भूमि का क्षरण जो नदियों के पानी के बहाव से होता है उसको आसानी से रोका जा सकेगा। मान्यवर गंगा नदी बक्सर से बलिया जाती है । बाबू जय प्रकाश नारायण के गांव के पास घाघरा नदी मिली है जिसको हम अपनी भाषा में दियरा कहते हैं यह पांच से दस किलोमीटर चौड़ी और 58 किलोमीटर लम्बी है मान्यवर, इस विभाग को वन विभाग खुद लेकर वन लगाने का कार्य करे । दूसरी बात शाहपुर वभनोर की पांच सौ एकड़ पर वन विभाग ने वन लगाने का कार्य किया है जहां पर नील गाय है और पड़ोसी बिहार के पेड़ काटने वाले चोर हैं जो पेड़ काटकर ले जाते हैं । इस ओर भी ध्यान दिया जाए इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो इतना बड़ा भू-भाग है यहां पर प्रयोग के तौर पर छोटे-छोटे हैंड पम्प लगाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह गंगा नदी का इलाका है और यहां केवल बाढ़ का पानी आता है और कोई दूसरा स्रोत नहीं है इसलिये यहां पर मिनी ट्यूबवेल लगाने का काम करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि गंगा, घाघरा की तलहटी में जो बहुत बड़ा भू-भाग उपलब्ध है उसमें वन लगाने का काम करें । यदि यह काम करते हैं तो पहाड़ों के लोग कहते हैं कि हमारे यहां बहुत बड़े भू-भाग पर वन हैं उसी तरह हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारे यहां भी वन हैं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय एरी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोहम्मद असलम खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी को थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में 1/3 वन हैं और वहां पर एक नेशनल पार्क नया नया बना है । मान्यवर, उस क्षेत्र की जनता की 3-4 समस्यायें हैं जिनके विस्तार में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं नहीं जाना चाहता लेकिन थोड़ी सी बातें जरूर बताना चाहता हूं । एक तो यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जंगली जानवरों से खेतों को बहुत नुकसान पहुंचता है जो क्षेत्र जंगल के साथ है । इसमें वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी 2-3 राय हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं । एक तरफ तो कानून है कि अगर कोई शिकार करता है तो वन विभाग के लोग, वाइल्ड लाइफ के लोग उसको पकड़ते हैं, जुर्माना करते हैं । मान्यवर, यह सही बात है, अगर कोई शिकार करता है तो जुर्माना होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन अगर जंगल के जानवर आकर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, गरीब, निर्बल वर्ग की जनता की मक्की गेहूं की फसलों को नष्ट करते हैं तो या तो सरकार को उस किसान को कम्पेनसेशन देना चाहिए या अपने जानवरों को जंगल में रोकना चाहिए या तो क्राप प्रोटेक्शन के लिए उस जानवर को नष्ट करना चाहिए । इस मामले में मैं अपनी जानकारी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा । मेरी जानकारी को सही मानकर आप उस संबंध में आश्वासन देने का कष्ट करें । एक हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें यह साफ-साफ लिखा है कि अगर जानवर खेत में आकर नुकसान करेंगे तो किसान को अपनी जान तथा माल की हिफाजत करने के लिए उस जानवर को नष्ट करने का अधिकार महफूज है । मेरे पास इस जजमेंट की प्रतिलिपि नहीं है । एक हाईकोर्ट में रिट हुई जिसमें जंगलात विभाग और सरकार के खिलाफ कुछ लोगों ने रिट किया कि शिकार खोला जाय । उसमें फुल बैंच बैठी और उसने निर्णय दिया कि शिकार खोलना हमारा सब्जेक्ट नहीं है वह फारेस्ट विभाग और सरकार का सब्जेक्ट है उसको नामंजूर किया जाता है लेकिन कोर्ट ने यह टिप्पणी दी कि अपने खेती की हिफाजत करना, फसल की देखभाल करने का व्यक्ति का अपना अधिकार बन जाता है । तो इस बात का माननीय मंत्री जी जवाब दें, मैं इसका आश्वासन चाहूंगा ।

दूसरी बात मैं गूजरों के बारे में कहना चाहता हूं ।

(लाल बत्ती होने पर ।)

मान्यवर, मैं कभी-कभी बोलता हूं । इसको बन्द कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ से अनुरोध करें, आदेश न दें ।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं । मैं गूजरों की समस्या को सामने रखना चाहता हूं । उस जमाने में भी मैंने कहा था इस सम्बन्ध में यहां से अधिकारियों का दल वहां पहुंचा था । मान्यवर, गूजरों की परम्परा आप जानते हैं 6 महीने वह नीचे जंगलों में आते हैं और 6 महीने पहाड़ पर चले जाते हैं । यह आजाद किस्म के लोग हैं जो जंगलों में झोपड़ियों में रहते हैं । मेरे मना करने पर भी गूजरों के लिए पथरी में 2-3 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये और वहां उनके रहने के लिए आवास बनाये गये हैं लेकिन उनको ज़मीन नहीं दी गयी है । ये भैंस पर निर्भर हैं, दूध पर निर्भर हैं । अगर इन लोगों को छोटे-छोटे घरों में रख दिया जाय, तो इनका कार्य बिलकुल नहीं चलेगा और ये अपनी जान से भी जाते रहेंगे । तो मान्यवर, यह गूजर की समस्या रही । दूसरी बात यह है कि जो यह गांव की सड़कों के लिए परमीशन की बात चल रही है, इसकी

नीति कुछ और थी और बन विभाग ने कुछ और तरीके से लिया है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, जो ऐसे सार्वजनिक कार्य हैं, सड़कें हैं, जो पाइपें बिछती हैं, पेयजल योजना के अंतर्गत, इनका फैसला उत्तर प्रदेश सरकार से होना चाहिए । इनके लिए केन्द्रीय सरकार से संस्तुति मांगी जाती है, वहां से जबाब तक नहीं आता है । इससे हम लोगों को परेशानी होती है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय एरी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, वन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है । इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है । माननीय मंत्री जी श्री अजीत प्रताप सिंह इस कैबिनेट के सबसे अच्छे और सबसे सुधरे मंत्री हैं, उन्हें सरकार ने बन विभाग देकर बनवास कर दिया । ऐसे सज्जन मंत्री को ऐसा विभाग दे दिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है । मैं कुछ तथ्य लाते हुए उनसे सुझाव के अनुरूप चाहूंगा कि जब वह उत्तर भाषण दें, तो वह उसके संबंध में जरूर घोषणा करें । जनपद मुजफ्फरनगर में ख्यामली, सहारनपुर मार्ग पर खड़े हुए लगभग 20 शीशम के पेड़ सत्ता पक्ष के प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा कटवा लिये गये और उनकी लकड़ी से अपने श्यामली में बन रहे सिनेमा में फर्नीचर बनवा लिये गये और धन्य हो इस विभाग को कि शिकायत होने पर एक रेंजर को निलंम्बित कर दिया गया तथा चोरी कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके एक अल्प संख्यक वर्ग के मजदूर को जो केवल मजदूरी पर उस लकड़ी को ढोने का काम कर रहा था, जेल भेज दिया गया । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी निष्पक्ष कार्यवाही करें और चोरी कराने वाले को जेल भेजें ।

ग्राम जसाला विकास खण्ड कांदला में वन लगाया गया, मैं चाहूंगा कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत इस बन की देख रेख करें और ग्राम प्रधान के अधीन रहते हुए ही पूरी व्यवस्था करें । क्या आवश्यकता है, उस जमीन का मालिक वन विभाग ही हो । मान्यवर, वन विभाग द्वारा जहां वनीकरण किया जा रहा है, वहां पर फर्जी आंकड़े दे दिये जाते हैं । यही कहीं बनीकरण किया गया है, तो वह युकेलिपटस के और चीड़ के पौधों का वनीकरण किया गया है, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है तथा जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है । युकेलिपटस के लगाने से ग्राउन्ड वाटर नीचे जा रहा है तथा किसानों के सामने गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है । यह पेड़ किसी काम का भी नहीं है । मैं चाहूंगा कि बन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी वाले, चारा उपलब्ध कराने वाले तथा फल एवं फूलदार वृक्ष लगाये जायें और जो वृक्ष जमीन एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हों, उन्हें व लगाया जाय और बनीकरण से पूर्व हार्टिकल्चर विभाग से तथा कृषि विभाग से सहमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

वनीकरण के पश्चात् इनके विभाग वृक्षों का बाकायदा रिकार्ड रखा जावे । चूंकि जितने पेड़ ये लगाते हैं, उतने पेड़ जमीन पर मौजूद नहीं हैं । हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं रहती कि कितने प्रतिशत पेड़ कामयाब हो पाये और यदि नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो पाये तो उनके लिए कौन दोषी है । इसके लिए मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग में अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि यदि उसके क्षेत्र के पेड़ नहीं उठ पाते, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और जो अधिकारी और कर्मचारी अच्छा काम करें, उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए ।

इनके विभाग में एक तरफ रोज अवैध कटान किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक गरीब किसान अपने घरेलू प्रयोग के लिए अपने खेत में खड़े हुए पेड़ नहीं काट पाता, जिससे वह अधिकारियों के जाल में फंस जाता है । यह अजीब विडम्बना है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मांग है कि किसान से उसके निजी प्रयोगार्थ पेड़ काटने के लिए कोई परमिट न लिया जाय । ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें । बन निगम के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि बन निगम सफेद हाथी है, न इसमें बनों का रखरखाव हो रहा है, व लकड़ी की बिक्री, इनके द्वारा जो लकड़ी की बिक्री की जाती है, उसमें गम्भीर अनियमितताएं हैं । बन निगम अधिकारियों के मौज मस्ती का अड्डा बन गया है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि किसी एक निगम के अधीन की गयी तीन बिक्रियों की तुलना में बाजार का आम भाव मिला कर देख लें तो दोनों लकड़ियों के भाव में जमीन-आसमान का फर्क मिलेगा । इस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी बन सम्पदा अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के हाथों में जाती रहेगी । बनीकरण के संबंध में मेरा अनुरोध है कि रेलवे लाइन के किनारे तथा नदियों के किनारे बनीकरण करायें और प्रथम फेज में उन नदियों के उन किनारों पर, जहां गांव पड़ते हैं, गांव के पास अवश्य बन लगाये जायं, ताकि इस विशाल प्रदेश में प्रति वर्ष होने वाली करोड़ों की हानि जो बाढ़ से होती है, को रोका जा सके और नदियों के किनारे पड़ी जमीन का सदुपयोग किया जा सके ।

मेरी यह भी मांग है कि वनीकरण करते समय यह ध्यान रखा जाय कि जिन किसानों को पेड़ से अपनी फसल का नुकसान होता हो, उसमें वन विभाग किसान की साझेदारी भी, पेड़ की बिक्री से होनेवाली आय में सम्मिलित कर किसान को हिस्सा दें, ताकि उसकी फसल की क्षतिपूर्ति हो सके । इससे वनीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा । मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर में शुकर ताल खादर में जो वनीकरण किया गया है मेरा अनुरोध है कि उसका आप सर्वे करा लें और वहां 50 फीसदी पेड़ भी आप जिन्दा नहीं पायेंगे अगर कोई पेड़ है भी तो यूकेलिप्टस मिलेगा ।

मान्यवर, सहारनपुर के गूजर को उजाड़ दिया गया जनजाति के ये लोग हैं उनका परिवार बरबाद हो रहा है वन विभाग को उनको बसाने का इंतजाम करना चाहिए तीसरी बात जंगली जानवर जो वनों में रहते हैं अगर कोई असरदार आदमी शिकार खेलने जाता है तो आपके अधिकारी उसको कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अगर जंगली जानवर गरीब किसान की फसल को खाता है, उजाड़ता है और किसान उन्हें रोकता है तो इनके अधिकारी किसान को प्रताड़ित करते हैं और किसान की क्षति पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं करते हैं बल्कि किसान को वन अधिनियम का भय दिखाकर घूस वसूल करते हैं । मान्यवर, मुजफ्फरनगर के उन ब्लाक में ग्राम सिगरा के पास इनके वन का एक हिस्सा है उसके बराबर के किसान तबाह हो गये और अगर किसान उसको रोकता है तो इनके अधिकारी जाकर किसान का उत्पीड़न करते हैं । इनका विभाग प्रशासनिक दृष्टि से चौपट हो गया

है मुजफ्फरनगर का एक उदाहरण दूंगा कि एक किसान ने अपनी जमीन को वन की भूमि के साथ तब्दील करना चाहता है वह किसान वर्षों से दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली है ।

माननीय मंत्री जी आपकी नीयत पर किसी कोई शक सुबहा नहीं है आपका कानून कमजोर है और आप अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं आप इन पर अंकुश लगाये ताकि लोगों का उत्पीड़न न हो पाये । मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि ग्राम समाज की जमीन पर वन विभाग अपनी देखरेख में वनीकरण का कार्य करायें । ग्राम सभाओं की जमीन पर फलदार वृक्ष लगाये जाय और आपके अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी हो कि उसकी देखभाल करें ताकि ग्राम सभाओं को आय भी हो और वनीकरण भी मजबूत हो और आपके कर्मचारी अपने अधिकारी को 3 माह बाद उसकी आख्या दें ताकि इसकी जानकारी शीर्षस्थ अधिकारी तक रह सके । मान्यवर, जो पेड़ों की अवैध कटान हो रही है उस पर सख्ती करें आपकी जानकारी में लाऊंगा कि सड़कों के किनारे खड़े आपके पेड़ काटे जा रहे हैं तथा हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में जी0 टी0 रोड मुंसूरपुर पर खड़े पेड़ सूख गये इसको आप दिखवा ले और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह जो 20 शीशम के पेड़ के कटान का मामला आपके संज्ञान में लाया हूं उसमें आपने रेन्जर को तो सस्पेन्ड कर दिया आप उसको टर्मिनेट भी कर दें तो मुझे कोई गिला नहीं है परन्तु एक गरीब को जेल भेज दिया जो अल्पसंख्यक है उसको जेल से आप रिहा करवा दीजिए और जो असरदार आदमी जिसके सिनेमा में लकड़ी लगाई गयी है उसको गिरफ्तार करवायें तथा उसके सिनेमा से फर्नीचर की लकड़ी निकलवाई जाय । इसी के साथ काशी सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने वन जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आभारी हूं । मान्यवर, वह हमारे राष्ट्र की धरोहर है यह हमारा जीवन है जो 50-100 वर्ष पहले पूर्वजों ने हमको समर्पित किया था क्या हम इस सौन्दर्य, लकड़ी, चारा जड़ी बूटियों के पूरे संग्रह को, क्या अपने पारिवारिक जीवन से जुड़ी व रक्षा करने वाले, भूमि की कटान की रक्षा करने वाले उद्योगों को काम आने वाली इस समृद्ध धरोहर क इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर पायेंगे यह अहम प्रश्न है हमारे सामने और हमारी प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों इससे चिन्तित है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की 66 प्रतिशत भूमि वन भूमि है लेकिन अगर कोई सबसे दुखी प्रदेश देश में है तो हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं इसलिए जहां 66 प्रतिशत भूमि वन की है वहां उनको सड़क बनाने में व अन्य निर्माण कार्यों में प्रतिबन्ध है । अब भारत सरकार की वन नीति अधिक कठोर हो गयी है आज हम बिजली का तार भी अपने क्षेत्र में नहीं ले जा सकते हैं, पीने के पानी की लाइन भी नहीं ले जा

सकते हैं । आज वन की नीति के कारण विकास से हम हटते जा रहे हैं । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसे शिथिल किया जाये हम सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी है वनों की रक्षा करना । सामाजिक वानिकी को इतनी जोरदार प्रोग्राम चल रहे हैं, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में रोजगार दे रहे हैं राष्ट्रीय रोजगार योजना के जरिये रोजगार दे रहे हैं मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ठीक है आप वन अधिनियम के कारण पी0 डब्लू0 डी0 को न बनाने दें, आर0 ई0 एस0 को न बनाने दें, जिला परिषद् को न बनाने दें लेकिन जहां यह नहीं है उसको वन विभाग दूसरे विभाग से धन लेकर स्वयं तो निर्मित कर ले । उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यह मामला प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि चाहे अस्पताल का निर्माण हो, स्कूल, सड़क या कोई भी निर्माण हो, यह मामला स्थानीय स्तर तय किया जाना चाहिए । मैं मा0 प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में उन्होंने नैनीताल में एक बैठक करके 70 प्रतिशत मामलों को निपटाया । भारत सरकार और वन अधिनियम से सम्बन्धित जो विकास के कार्य रुके थे, उसके सम्बन्ध में उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी । उससे काफी राहत मिल गयी थी । लेकिन आज फिर वन विभाग का वही रवैया हो गया है । उसका जनता से असहयोग का रवैया हो गया है और उनका यह रवैया हमारे प्रत्येक विकास के काम में आड़े आ रहा है । हमारे यहां भारत सरकार ने भेड़ पालन और बकरी पालन ऋण व अनुदान पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । हमारे यहां सुदूर ग्रामों में गरीब जनता भेड़ और बकरी पाल करके अपना जीवन यापन करती है । इसी प्रकार न जाने किस महत्वपूर्ण विद्वान ने सुझाव दे दिया कि पहाड़ों पर सेब के बाग न लगाये जायं । तो कुछ दिन बाद यह भी प्रतिबन्ध लगा देंगे कि पहाड़ों पर सांस न लें, इससे भी प्रदूषण होता है । तो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां हैं, शुद्ध वायु है, पहाड़ों पर शुद्ध जल, लकड़ी सौन्दर्य, चारा उपलब्ध है । लेकिन इस वन अधिनियम के कारण वहां के लोग बड़ी कठिनाई में हैं । इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी पहाड़ों पर कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करें । खेतों में जो जानवर नुकसान कर देते हैं, उन पर नियंत्रण करें, और नुकसान का मुआवजा दें अथवा हम लोगों को उन पर नियंत्रण करने के लिये आजाद होना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वन विभाग में चोरी होती है । पेशेवर लोग कर्मचारियों के सहयोग से 10 की जगह 100 पेड़ काट लेते हैं । इस पर रोक लगाई जाय । इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*डा0 शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वनों का जो प्रश्न है, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है । कम से कम उत्तर प्रदेश के इस पर्वतीय अंचल का तो जीवन का एक प्रकार से साथ है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन अधिनियम के कारण वन विभाग की काफी बदनामी हुई है । मैंने भी अपने स्तर से चेष्टा की है कि कहां पर कमी है और विभागों का सहयोग न मिलने के कारण मैं जानता हूं कि वन विभाग वाले काम करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहे हैं परन्तु वन विभाग की सहज और सरल सहानुभूति न मिलने के कारण यह निःसंदेश कहा जा सकता है कि पर्वतीय अंचल के लोगों का जीवन दूभर हो गया है । बिजली की लाइन हो, पानी का नल हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सड़कों का सारा विकास कार्य बन्द हो गया है । माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आपकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि पर्वतीय अंचल के जितने भी विकास के कार्य इन कारणों से रुके हुए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, आपके माध्यम से प्रयास हो रहा है, तत्काल इन विषयों पर निर्णय होना चाहिए, ताकि वहां के विकास के कार्य रूके न रहें । अभी कहा जा रहा था कि वन्य पशुओं के कारण जो लाइसेंसी हैं उनको लाभ हो रहा है । हमारे यहां बिलकुल उलटा हो रहा है । इतने बाध पैदा हो गये हैं कि गांव के लोगों को जिन्दगी बचाना मुश्किल हो गया है । हम शहर आ जायेंगे लेकिन आपका धरती पर रहना मुश्किल हो जायगा । पहाड़ नहीं रहेंगे तो शहर भी नहीं रहेंगे । तो जहां पर्यावरण की सुरक्षा की बात है वहीं उस क्षेत्र की सुरक्षा भी होनी आवश्यक है । ये बाघ वहां से उतरेंगे तो मैदान में आयेंगे । उन्होंने हमको नहीं छोड़ा तो मंत्री जी आपको कहां छोड़ने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां के बाघ तो लखनऊ तक पहुंच गये हैं । आप क्या चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे गांव के लोगों में सुरक्षा बनाने के लिये ऐसी व्यवस्था वन विभाग की जरूर होनी चाहिये ताकि बाघों से सुरक्षित कर सके । आपकी लाइसेंसी बंदूक जब तक मिलती है, तब तक लोग मर जाते हैं । यह एक विचारणीय विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

गैर लाइसेंसी इस्तेमाल करने दी जाय ? यह कहना चाहते हैं ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

हम लोगों के लिये तो क्यों नहीं छूट है ?

श्री पुरूषोत्तम लाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वन विभाग वन्य जन्तुओं को सुरक्षित करने का काम कर रहा है । वन जन्तुओं की रक्षा करना इस विभाग का मौलिक दायित्व है । अगर वहां किसी रूप में भी वन्य जन्तुओं को मारने के लिये अधिकार होगा तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा और हमारी नीतियों के खिलाफ होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है । उन्होंने मारने के लिये नहीं कहा, सुरक्षा की बात कही।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वन्य जन्तुओं को मारा जाय । वन्य जन्तुओं से हमारी रक्षा करें । क्या इसमें कोई ऐसा प्रश्न लग रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

वे भी आपकी भावना समझ रहे हैं ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, वहां के हक-हकूकों का भी प्रश्न है। हमारे यहां 1890 में जिस गांव में एक पेड़ मिलता था कि मकान पर छा जाय, आज क्या स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

5 परिवार 1890 में थे जिस गांव में, आज वहां 50 परिवार हो गये हैं । 50 परिवारों के लिये मकान के लिये आवश्यकता एक पेड़ से और वह भी मिलता है बहुत दूर। वहां के हक-हकूकों का भी प्रश्न है। उनकी सुरक्षा और जंगल की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर घेर बाड़ कर दें, पहाड़ के रहने वाले हैं कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जंगल का घेर बाड़ कर दिया जाय जंगल स्वतः बंध जायेंगे पर्वतीय क्षेत्र के नाम पर जंगल का भय दिखाकर तमाम चीज इस प्रकार से बनायी गयी है कि लोगों में पर्यावरण का भूत सवार हो गया है । जब जीवन नहीं रहेगा जिन्दगी नहीं रहेगी पर्यावरण में भी मनुष्य है पर्यावरण की अगर आवश्यकतायें पूर्ण हो जायेंगी तो मनुष्य जिन्दा रहेगा । मैं जानता हूं कि आपके यहां काम की अधिकता है सारे विभागों का जोर पड़ रहा है मैं अपनी कठिनाई समझता हूं । जोर बढ़ाने के लिये वन विभाग को भी सुरक्षा मिलनी चाहिये और साधन मिलने चाहिये ताकि तमाम प्रकार की जो कठिनाइयां हैं दूर हो सकें । मेरा कहने का मतलब है जल निगम, जल संस्थान, पी0डब्लू0डी0 यह तमाम विभाग इनकी सारी फाइलें आपके पास आती हैं ।मैं यह भी समझता हूं कि स्टाफ और अन्य चीजों की कमी है उन चीजों की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये हमारे विकास के जितने कार्य रूके हैं मंत्री जी वह रूकने नहीं चाहिये । आपका अधिष्ठाता जी आग्रह स्वीकार करते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने वनों के विकास वनों के बढ़ाव के बारे में अपना संक्षिप्त भाषण किया निश्चित रूप से जो वनों का विकास जिन योजनाओं के लिये कर रहे हैं उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शर्मा जी जरा संक्षिप्त करते हुए दो मिनट में बात समाप्त कर दें ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद मेरठ में संजय वन कई वर्ष पहले बनने की बात शुरू हुई उसका तेजी से विकास नहीं हो पा रहा है। यह महापालिका के बीच में है शहर के दृष्टिकोण से इस वन का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है । मैं अनुरोध करूंगा कि उसके लिये स्टेट प्लान से विशेष रूप से धन दिलाने की कृपा करेंगे । हस्तिनापुर में जू बनने की बात काफी दिनों से चर्चा में है जितनी योजनायें लेकर हस्तिनापुर और मवाना के लिये योजना बनायी गयी थी उसको तेज करने की आवश्यकता है । वहा जू बनना अत्यन्त आवश्यक है उसे बनवाने की कृपा करेंगे। मेरा निवेदन है कि काली हिन्डन

और कृष्णा नदी के किनारों में वन लगाकर वहां पर तेजी से वृक्षारोपण का कार्य कराना वन सम्पदा बढ़ाने के लिए आवश्यक है उसकी भी कमी को दूर करने की कृपा करेंगे । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्रदेश में करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी है, उस पर आप वनों का विकास कराकर, जब वह पूर्ण विकसित हो जायें, तो उसको वन विभाग अपने अधिग्रहण में ले लें और छोटे-छोटे किसानों को उसे बांटने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री फरीद महफूज किदवई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का विरोध करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और वह यह है कि मैं जब भी जंगलात जाता हूं तो देखता हूं कि जितना भी प्लान्टेशन वहां पर हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में यूके लिप्टस का प्लान्टेशन किया गया है । मैं यह समझ नहीं पाया कि माननीय मंत्री जी के विभाग को यूकेलिप्टस से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों हो गयी है ? यूकेलिप्टस वह पेड़ है, जिससे न तो जानवरों को कोई फायदा है, न पशुओं को चारा मिलता है, न पक्षियों को कोई फायदा मिलता है, न ही यह पेड़ मिट्टी के कटान को रोक पाते हैं और यह जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, इस किस्म में नीचे अंडरग्रोथ भी नहीं होती है । लेकिन मान्यवर, बात क्या है ? बात यह है कि बिरला को कागज बनाने के लिए रा मैटेरियल चाहिये और इसका ठेका उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया हुआ है कि वह प्रदेश की कीमत पर, वनों की कीमत पर बिरला को रा मैटेरियल उपलब्ध करायेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यूकेलिप्टस का प्लान्टेशन एकदम रोक दिया जाय, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है । बराबर इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पेड़ लगाये जा रहे हैं, उसमें फलदार पेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं है । चिड़िया, पक्षी, जानवरों के लिये खाने को अब मिलता नहीं और फलदार पेड़ों की गुंजाइश इनके जंगलों में नहीं है । एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वह है शिकार । अभी माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि वह शिकार खोलने की सोच रहे हैं । मैंने सोचा कि शायद फारेस्ट डिपार्टमेन्ट को कुछ समझ आ गयी है और वह शिकार खोल देंगे । शिकार से मेरा मतलब यह नहीं है कि जानवरों की हत्या की जाय । बल्कि मान्यवर, जानवरों की नाजायज हत्या जो जंगलों में होती है, अगर वहां पर आप उस शिकारी को जाने दें, जिसको 15–20 दिन का परमिट मिला हुआ है, उसको ठहरने का मौका दें तो वह अगर वहां 15 दिन रहेगा तो उस 15 दिन में वहां नाजायज शिकार नहीं हो पायेगा । लेकिन अफसोस कि सारी बात हजरात जानते हैं, लेकिन ऊपर से कहने की हिम्मत नहीं है । मैं अपने जाती तजुर्बे के आधार पर बताता हूं कि मैं जंगल में रहा हूं और 15–20 दिन के परमिट पर रहा हूं । मैं जितने भी दिन वहां रहा, एक भी आदमी की उतने दिन हिम्मत नहीं पड़ी कि वह एक भी जानवर का शिकार कर लें । क्योंकि साथ में 10-5 लोग होते हैं, बन्दूकें होती हैं । लेकिन जैसे ही शिकारी वहां से जाते हैं, पीचिंग शुरू हो जाती है । वहां एक सिंगिल बैरल का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी होता है और उससे आप उम्मीद करते हैं कि वह उन लोगों को रोकेगा, चेलेन्ज करेगा । मैं पुरजोर अलफाज में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें और शिकार को खोल दें । उससे जब शिकारी जंगल में जायेगा और वहां रहेगा, तो किसी पोचर की हिम्मत नहीं पड़ेगी । इस तरह से वह पार्टी आपकी खुद मदद ही करेगी और जानवरों की पोचिंग रूकेगी ।

मान्यवर, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आम पब्लिक में है । जब कोई आदमी अपना बोया हुआ पेड़ काटता है, तो थानेदार उसे जेल में बन्द कर देता है । अभी हमारे यहां एक आदमी ने अपना ही बोया हुआ एक पेड़ जरूरत पड़ने पर काट लिया, उसका चालान कर दिया गया । मैं भी फारेस्ट स्टेन्डिंग कमेटी में एक मेम्बर रहा हूं । नियम है कि कोई भी आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से 1-2 पेड़ रोक सकता है । लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक आपके विभाग के जरिये कोई ऐसी खबर थानों में नहीं भेजी गयी है । आदमी यदि अपना बोया हुआ पेड़ काटता है तो वह जुर्म नहीं है । हर थाने में और हर जिले में आप इस बात की सूचना भिजवा दें कि कोई भी व्यक्ति एक या दो पेड़, जो उसने बोये हैं यदि काटता है तो वह कोई जुर्म नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कृपा पूर्वक माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बहुत ही सीमित समय में अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव देना चाहता हूं। यह सभी जानते हैं कि वन सम्पदा मानव जीवन की धरोहर है। यदि वन को मानव जीवन से अलग कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण मानव जाति का विनाश हो जायेगा और सम्पूर्ण जीव जन्तुओं का विनाश हो जायेगा। इसलिए यदि सम्पूर्ण मानव जाति व जीव जन्तुओं की रक्षा करनी है तो वनों की रक्षा करना अपने में एक बहुमूल्य मायने रखता है। आपने कहा कि एक तिहाई भाग पर वृक्षारोपण होना चाहिए, परन्तु यह लागू नहीं हो पाता है । इसे जमीन पर लागू करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप पुन: प्रदेश की चकबन्दी करायें और उसमें एक तिहाई जमीन पर वृक्षारोपण के लिए जमीन छोड़ दिया जाये। तभी मानव की रक्षा हो सकती है तथा वन सम्पदा की रक्षा हो सकती है।

मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि उन्हें जानवरों के शिकार करने के लिए परमिट दिया जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये वन्य जन्तु हमारी अमूल्य धरोहर हैं यदि इनके शिकार करने की अनुमति दी गई तो निश्चित रूप से जो इस हमारी अमूल्य धरोहर है, का यह विनाश हो जायेगा और इनके खालों की स्मगलिंग होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो फारेस्ट गार्ड है, इसे असलाहों से लैस किया जाना चाहिए, उसे वायरलेस सेट दिया जाना चाहिए। यदि वन में कोई अवैधानिक कटान होता है तो वह उसकी सूचना मुख्यालय में दे सके। इसके लिए एक फारेस्ट फोर्स यूनिट होनी चाहिए।

(श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर श्री पुरुषोत्तम लाल जी के बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री पुरुषोत्तम लाल जी जो बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर,

[xxx]

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं।

प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत वन होना चाहिए जबकि हमारे प्रदेश में 17.4 प्रतिशत ही वन भूमि है, जिसमें बुन्देलखण्ड में 26 प्रतिशत भूमि ही वनों से आच्छादित है। वनीकरण के लिये ग्रामों में जो दो एकड़ का पट्टा दिया जाता है, उसमें वनीकरण नहीं होता है, इसको आप देख लें। जिस किसान को वह पट्टा दिया जाता है, उस पर वह खेती करता है, इस तरह से वनों का विनाश होता है।

वनों में प्रति वर्ष जो अग्निकांड होते हैं उसके लिये आपकी योजना है- "आधुनिक वन अग्निशामक योजना", लेकिन यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इसको कार्यरूप दिया जाय।

ललितपुर के दोहन का कार्य 15 वर्ष के लिये बन्द कर दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन नाजायज कटान में बहुत सहयोग देता है। लाखों रुपये की लकड़ी वनों से काटकर बाहर भेजी जाती है।

सड़क के किनारे जो आप यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रहे हैं, इसके बजाय अगर जलाऊ लकड़ी या फलों के वृक्ष लगवायें तो दूसरा लाभ भी मिल सकता है।

पशुओं के चारे के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आपके वन क्षेत्र में एक ब्लाक को एक साल के लिए निर्धारित कर दिया जाय, दूसरे ब्लाक को दूसरे साल के लिये, इससे क्लैपिंग नहीं होगी और वनों का नुकसान होने से बच जायगा।

टेहरी बांध योजना के अन्तर्गत हमारी ग्राम सभा की हजारों एकड़ भूमि जो वन विभाग को गयी थी, आज तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। जो गांव सभा के आस-पास का क्षेत्र था उसे वन विभाग को देने की वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहा है।

हमारे यहां बुन्देलखण्ड में पत्थर बहुत हैं। ग्राम सभा की भूमि वनीकरण के लिये वन विभाग को देने के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जो पाठा (पत्थर) का क्षेत्र है वह ग्राम सभा को दे दिया जाय जिसमें कि वनीकरण नहीं हो सकता है, उसमें ग्राम सभा अपना विकास कार्य कर सके तथा जो ग्राम सभा की ऐसी भूमि है जिसमें थोड़ा बहुत पेड़ हो तथा कृषि योग्य न हो, उसको वन विभाग को दे दिया जाय।

लघु वन उपज गरीब आदमियों का भोजन है जैसे- महुआ, गुली, अचार, आंवला, इनको गरीबों के लिये फ्री कर दें, नीलाम न करें।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं।

वनीकरण की सफलता में बहुत कम प्रतिशत आता है। कारण यह है कि वनों की सुरक्षा नहीं होती है। वनों में जिन स्थानों पर पाठा (पत्थर) है, उनको ग्राम सभा को स्थानान्तरित कर दिया जाय । हमारे जनपद में तेंदू पत्ती का काम वन निगम या वन विभाग से कराया जाय। ललितपुर तथा मिर्जापुर में पिछले वर्ष तराई निगम ने 2 करोड़ 13 लाख रु0 का घाटा दिया है। उनको ज्यादा न खाने दिया जाय। छोटी-छोटी वन बीटों को बनाया जाय जिससे वनों की सुरक्षा हो सकें।

हमारे यहां एक शेर ने आतंक मचा रखा है। उसने एक गरीब आदमी को खा लिया। राम सिंह, निवासी बारई जनपद ललितपुर के दो बैलों को शेर ने खा लिया है 17/18 मार्च की रात्रि को 1 भैलोनी सूबा ब्लाक-बार जनपद ललितपुर के एक धर्मू नामक आदिवासी को एक शेर ने घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी। अभी तक सरकार की ओर से किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। वह शेर अभी भी आतंक मचाये हुए है। उसे या तो बन्द कराकर "जू" में रख लें या गोली मरवा दें। मेरे यहां जनपदों की संख्या अधिक है, वहां डिप्टी वाइल्ड लाइफ वार्डन की जो टेम्परेरी पोस्ट है उसको परमानेन्ट कर दिया जाय। महाबीर सेन्चुरी है उसको विकसित कर दें तथा वन्य जन्तु सुरक्षा स्टाफ बढ़ाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ एरी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे वन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, वन एक महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का है जो केवल इसकी आमदनी ही नहीं बढ़ाता है बल्कि यहां के पर्यावरण को भी संतुलित रखता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है।

मान्यवर, कुछ सालों से वन महोत्सव करने की वजह से इसमें करोड़ों और अरबों रुपये लग गये हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पायी है। इसका कारण यह है कि आम जनता यह नहीं समझती है कि ये हमारे अपने पेड़ हैं, इनकी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी है । तो इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जब पेड़ लगाये जाते हैं तो उनकी सुरक्षा भी अधिक से अधिक होनी चाहिये। यद्यपि पेड़ अधिक लगते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिए । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ चाहे कम से कम लगाये जायं किन्तु उनकी सुरक्षा अधिक से अधिक होनी चाहिए ।

मान्यवर, अभी जैसा कि हमारे मित्रों ने वन अधिनियम के लागू होने से पर्वतीय क्षेत्र के विकास के कार्य ठप्प हो जाने के विषय में चिन्ता व्यक्त की, यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में 69 प्रतिशत वन हैं, इसलिये यहां का कोई भी विकास कार्य वन विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से होता हुआ ही होता है। न तो वहां बिजली की लाइन दे सकते हैं, न पानी के लिये नीली ही निकाल सकते हैं क्योंकि वह वन विभाग की जमीन से होकर जा सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार कम से कम कल्याणकारी कार्यों के लिए इस संबंध में छूट दे कि वहां पर पानी की नाली निकाली जा सके, बिजली की लाईन ले जायी जा सके।

इसके अलावा मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं और वनों में वे कार्य करते हैं उनके जान की सुरक्षा हम नहीं कर पाते हैं। वे लोग बराबर कहते हैं कि बन्दूक का लाईसेंस उनको दिया जाय। अभी जैसा कि माननीय नौटियाल जी ने कहा कि वहां के जंगलों में बाघ का आतंक व्याप्त है, वन के अधिकारी/कर्मचारी की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां के जंगलों के कर्मचारियों को बन्दूक का लाईसेन्स अवश्य ही दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तड़ागी जी अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

इसके साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि लोग वन को काट कर जंगल से लकड़ी ले जाते हैं, उनकी चोरी तभी रुक सकती है जबकि वहां पर एक यूनिट फोर्स बनायी जाय। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 तड़ागी जी, अब मैंने राम गोविन्द चौधरी को बुला लिया है, आप अब विराजें।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि--

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

पर्वतों पर विदेश से भी पर्यटक आते हैं तो इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर रेस्ट हाउसेज राष्ट्रीय पार्क में हों।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 तड़ागी जी, मैं पर्वत की भाषा तो जानता नहीं हूं मैं आपसे बराबर कह रहा हूं कि अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किशन सिंह तड़ागी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विपक्ष के सदस्य मा0 एरी जी द्वारा पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय काशी सिंह एरी जी के द्वारा पेश किए गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, पर्यावरण के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है वन विभाग लेकिन अपने आप में यह भी सही है कि वन विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के धन का दुरुपयोग करने में भी सबसे प्रथम स्थान पर है। इसलिए कि पहले जितने पेड़ थे, अब वह पेड़ भी नहीं हैं और आपके विभाग के द्वारा जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वह लग नहीं पा रहे हैं तो यह केवल धन का दुरुपयोग ही हो रहा है। जहां धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से केवल 2-3 बातें ही कहना चाहता हूं। एक बात तो जरूर हुई है कि आपके वन अधिनियम द्वारा पुलिस को इतने अधिकार जरूर मिल गए हैं, कि उन्हें पैसा कमाई का एक अतिरिक्त साधन और हाथ में आ गया है। पेड़ अगर किसान काटता है तो उसे वन विभाग से परमीशन तो लेनी ही होती है, लेकिन साथ ही साथ अलग से जब तक पुलिस विभाग को पैसा देने के लिए कर्ज लेकर और पैसा देकर परमीशन नहीं ले ली जाती है, तब तक पेड़ काटने नहीं दिया जाता है।

यह जो मान्यवर, देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनके खेत के आस-पास बहुत से पेड़ बबूल के, नीम के, शीशम के जो कभी-कभी ये पेड़ अपने आप निकल आते हैं या उनके द्वारा ही लगाए जाते हैं, वह पेड़ भी वह काटना चाहें अपने छप्परों में लगाने के लिए या अपने मवेशियों के [illegible] के लिए छप्पर या और कुछ बनाने हेतु यदि एक डाल भी काट लें तो वे नहीं काट सकते हैं और अगर यदि काट भी लें तो जब तक इसका मुआवजा घूस के रूप में पुलिस वाले न वसूल लें तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता है और माननीय मंत्री जी आज यहां पर आप जनता के रक्षा का ढोंग कर रहे हैं, जबकि गरीब किसानों के हितों, देहाती क्षेत्र के रहने वाले किसानों के हितों की रक्षा तो हो नहीं पा रही है इनके द्वारा मा0 मंत्री जी आप तो राजा हैं आपको क्या देहात के लोगों की कठिनाई मालूम है? क्योंकि देहाती क्षेत्र में रहने वाले हर किसान के पास गैस का चूल्हा तो होता नहीं है तथा मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया है तथा देहातों में मिलता भी नहीं है। यदि वह अपने ही पेड़ की लकड़ी खाना पकाने के लिए निकाल लें या काट लें तो पुलिस वाले उन्हें उठाकर बन्द कर देते हैं और इन बेचारों का अगर खाना पकाने में 10 रुपया खर्च होता है तो इनके छुड़ाने में 100 से 1000 रुपया तक खर्च हो जाता है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस ओर आप कोई ठोस व्यवस्था करें ताकि इन गरीबों को इस प्रकार से परेशान न किया जाए।

दूसरी बात मान्यवर मेरे जनपद में एक सुरहा ताल है, जहां पर वन बिहार की स्थापना की जाए इसकी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर वन बिहार की स्थापना करने से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है क्योंकि मान्यवर ऐसी आकर्षक झील कहीं पर नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं काशी सिंह एरी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपका आभारी हूं कि आपने इस मौके पर बोलने के लिए मुझे समय दिया ।

वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जो वनों को आकर्षक बनाने व उपयोगी बनाने के मानक पर लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए वह वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं । वनों में पशुओं के चारे के लिए पेड़ लगाने की व्यवस्था सामाजिक वानिकी में की जानी चाहिए तो मान्यवर, वन बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस कमी को सामाजिक वानिकी द्वारा पेड़ लगाकर मानक में लाया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रुड़की विश्वविद्यालय के प्राचार्य आर0 पी0 माथुर हैं, उन्होंने कहा है कि युक्लिपटस का जो पेड़ है, वह पर्यावरण के लिए हानिकारक है । उनका कहना है कि यह पेड़ देश और प्रदेश के लिए बहुत ही हानिकारक है । उनका कहना है कि हरियाना और पंजाब की ओर से रेगिस्तान हमारे प्रदेश में आ रहा है । इसका प्रभाव जल पर बुरा पड़ रहा है और जल कम होता जा रहा है । मान्यवर, 3 महीने के बाद पेड़ लगाने का काम शुरू होने वाला है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप युक्लिपटस के पेड़ को लगाने के लिए रोक दें, किसी भी स्थिति में इसके पेड़ न लगाए जाएं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर अधिकांश लोग खेती जंगलों के पास करते हैं । वहां पर जंगली जानवरों और हाथियों के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है । उनके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए । शाम को जब वह कृषक घर लौटता है तो अपने खेत को अच्छी हालत में खड़ा हुआ छोड़ कर आता है, परन्तु जब वह सुबह जाता है, तो अपनी फसल को नष्ट हुआ पाता है, तो वह फूट-फूट कर रोता है, उसकी दशा क्या होगी, उसके दुख को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है । तो मेरा निवेदन है कि जो जंगली जानवर हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी लाल–

राजा जी नेशनल पार्क की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । (व्यवधान) एक बात और कहना चाहता हूं कि पीने के पानी के जो नल हैं, उनको भी वन भूमि से नहीं निकलने दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने श्री राज किशोर सिंह को बुला लिया है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, पर्यावरण के लिए आवश्यक है कि पेड़ लगाए जाएं, लेकिन विवेक शून्य होकर ढोल पीटने से कोई लाभ नहीं है । सड़कों के किनारे बबूल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, कोई बढ़िया किस्म का पेड़ नहीं लगाया जाता है । जिन पेड़ों को

लगाया जाना चाहिए, वह नहीं लगाए जा रहे हैं, इससे नुकसान होता है । जैसा मा0 चौधरी साहब ने कहा कि पुलिस को आप नहीं रोक पा रहे हैं, वह पेड़ों को कटवा रही है । दूसरी बात यह है कि लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है, उसमें जो शेर हैं, वह न मालूम कितने लोगों को खा गए हैं । उनकी रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं और जिन लोगों को शेर खा जाता है, उनके परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है । जो उसकी चहार दीवारी है, वही सुरक्षित नहीं है, आप उसी को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं । शेरों को जो खाना मिलना चाहिए, वही आप नहीं दे पा रहे हैं और इसी कारण वह बाहर चले जाते हैं और आदमियों को खाते हैं । दुधवा नेशनल पार्क के पास घूम तो आवें, आपको पता चल जायेगा । एक और बात कहना चाहता हूं कि जो आपका वन अधिनियम है, उसके कारण विकास के तमाम कार्य रुके पड़े हैं । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि बनारस में चकिया नौगढ़ के जंगल हैं और उनमें नग्न पहाड़ियां हैं, जिन पर एक भी घास नहीं उगती है । वहां के 10 हजार आदिवासी और मजदूर जो उनसे पत्थर निकाल कर अपनी रोजी कमाते थे, उनको मना कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को लिखा गया है और केन्द्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, इस सदन में मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, इसको कर दिया जायेगा लेकिन वह कागज सचिव के यहां और माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन में घूम रहा है और उनको मारने से पत्थर निकालने के लिए अपना पेट पालने के लिए इजाजत दी जायेगी । (व्यवधान) मंत्री जी, कृपया ध्यान से सुनें । यह आश्वासन मिला हुआ है । केन्द्रीय सरकार ने उनके यहां एक रिपोर्ट भेजी ताकि हम उन पहाड़ों को मुक्त कर दें । जिससे वहां पर जो 10 हजार आदिवासी हरिजन हैं वे उसमें से पत्थर निकाल कर अपनी जीविकोपार्जन कर सकें । (व्यवधान) । इसके अभाव में 10 हजार लोग वहां पर भूखों मर रहे हैं । इसलिए यह जरूरी है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह रिपोर्ट बनवाकर चाहे वह उद्योग विभाग से संबंधित हो, या माइनिंग विभाग से संबंधित हो भिजवा दें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय एरेरी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री देवता दीन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय वन मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र नानपारा है और यह चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र के जंगलों में लकड़ी का कटान काफी हुआ है । वन निगम द्वारा जो नीलामी की जा रही है उसमें बड़े-बड़े लाट बनाए जा रहे हैं । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जो वन निगम द्वारा उन लाटों की नीलामी की जा रही है उसको छोटे-छोटे लाट बनाकर उनकी नीलामी की जाय ताकि क्षेत्रीय जनता भी उनको ले सके और उन्हें लाभ हो सके । मेरे नानपारा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों पर जो पेड़ ढेर लगाए गए हैं और उसके लिए मजदूरों को जो मजदूरी दी गयी है उसमें खाद्यान्न नहीं दिया गया है । यह काम मस्टर रोल पर न कराकर ठेकेदारी पर कराया गया है । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से 16 तारीख को शिकायत की थी. . . . . (व्यवधान) जिसकी जांच वन रक्षक ने दिनांक 19 व 20 को की है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं ।

श्री देवता दीन–

उसमें लकड़ी का कटान काफी पाया गया है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में केवल दो सुझाव देना चाहता हूं । श्रीमन्, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपके विभाग की जो नीति और दृष्टिकोण है वह लोक हितकारी न होकर व्यावसायिक ज्यादा है और श्रीमन्, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि भारत सरकार से जो आपको 9-9-82 को गाइड लाइन मिली थी उसका एक सेन्टेन्स पढ़ देना चाहता हूं । उसमें उन्होंने लिखा है कि "दि प्राइज शुड बी बेस्ड आन प्रीवैलिंग मार्केट प्राइज आफ प्रोड्यूज विच शुड नाट बी लेस दैन कास्ट आफ प्रोडक्शन" ।

भारत सरकार ने आपको गाइड-लाइन बनाकर भेजी कि बेचने की कीमत वह होनी चाहिए जो मौजूदा मार्केट वैल्यू से कम न हो और किसी भी हालत में उत्पादन लागत से कम न हो । आप अपने वन की लकड़ी बेचते हैं तो उत्पादन लागत से कम न होने का प्रतिबन्ध भारत सरकार लगा देती है बाद में भारत सरकार को एक ख्याल आया कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम आपने चलाया और आपने कहा कि हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे और छोटे-छोटे उद्योगों को सस्ती दर पर लकड़ी उपलब्ध करायेंगे । तब फिर दूसरी गाइड लाइन आई 6-2-89 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उसके निर्णय के अनुसार आया कि –

"दि पालिसी आफ सप्लाइंग फारेस्ट रा मैटेरियल सब्सीडाइज्ड बेसिस टू यूजर्स अदर दैन दि रूरल पुअर शुड बी रिवाइण्ड से दैट रा मैटेरियल इज सप्लाइड एट प्रीवैलिंग मार्केट प्राइज"

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बैठी कमेटी ने निर्देश दिया कि उसे रिवाइज करने की जरूरत है जो हमारे बेचने की नीति है उसमें उन्होंने कहा कि वह इस तरह से परिवर्तित की जाय ताकि गांव में रहने वाले गरीबों को छोड़कर बाकी लोगों को जो रा-मैटेरियल सप्लाई किया जाय वह वर्तमान जो मार्केट प्राइस है उससे कम पर न हो । लेकिन आपकी सरकार इस व्यवसायिक नीति में भी भेदभाव करती है । मैं इसके दो उदाहरण देना चाहता हूं आपने जो दाम बढ़ाये पहले जो दाम थे उसमें बढ़ोत्तरी की लेकिन उसमें भी दो मानक अपनाये कुछ में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की प्रधान मंत्री की गाइडलाइन मिलने के बाद और कुछ में 80 प्रतिशत की वृद्धि की । 10 प्रतिशत वृद्धि किनकी की जैसे बरेली की विम्को को जो लकड़ी देते हैं उसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की और जो छोटे-छोटे उद्योग वाले लकड़ी ले जाते हैं उसमें 80 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । इसी तरह से आपने सेंचुरी पेपर मिल को जो बिड़ला की है उसको फ्लोर प्राइस (आधार मूल्य) के 1 बटे 3 पर दे दिया और बाकी को बढ़ी कीमत पर दे दिया ।

आवंटन में भी इसी तरह से गड़बड़ी करते हैं विम्को बरेली को मीटिंग के पहले ही एक साल का दिसम्बर में ही 88 में कोटा दे दिया और बाद में उसे रेगुलराइज कर दिया और जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको फरवरी 89 में दिया । तो मेरा निवेदन है कि

20 सूत्री कार्यक्रम में जो आपकी नीति है उसमें भी आपका वन विभाग और वन निगम आपके निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है । (व्यवधान) जो आपकी घोषित नीति है उसके कार्यान्वयन से गरीबों को लाभ मिलना चाहिए छोटे उद्योगों को लाभ मिलना चाहिए लेकिन इसके बदले बड़े उद्योगों को लाभ मिल रहा है जैसे बिड़ला वालों को और विम्को बरेली को लाभ मिल रहा है । 20 सूत्री कार्यक्रम में जो घोषणा थी कि छोटे उद्योगों को विकसित करेंगे तो उनके फेवर में अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कराइये ।

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । मैं माननीय वन मंत्री और वन विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत लाखों लाख पेड़ प्रदेश में लगाये हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे जरा बबूल की व्याख्या कर दें ।

श्री हरदेव–

मा0 सदस्य बाबूराम यादव जी यह अपनी तुच्छ बुद्धि से छोटी बात कह जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वन विभाग जो बड़े काश्तकारों से पेड़ लगा रहा है उसमें जमीन की चोरी की जाती है । उसमें ढाई हेक्टेयर को एक हेक्टेयर माना जाता है ऐसा क्यों ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो उपजाऊ और कृषि योग्य जमीन है उस पर अन्न पैदा किया जाय और ऐसी जगहों पर वन लगाये जायं जहां खेती नहीं हो सकती है । खेती योग्य भूमि को हरिजनों एवं भूमिहीन गरीबों को आवंटित किया जाय ताकि अन्न का उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सके । गरीब लोगों को जलाने की लकड़ी की समस्या है, भोजन बनाने में लकड़ी की उनको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु स्थान रसड़ा मऊ आदि में जगह-जगह डिपो की व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, तराई विकास निगम में तेंदू पत्ता, महुआ के फूल और बीज का काफी घपला प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया गया है । इसलिए इस निगम को अपना ठेका न दें और स्वयं अपने विभाग द्वारा खरीद कराई जाये ताकि अनुसूचित जन जातियों का उत्पीड़न न हो सके और उनको सही मजदूरी मिल सके और बिचौलिए समाप्त हों । मान्यवर, तेंदू पत्ता और महुआ के फल और बीज में 35 लाख रुपये का घपला अब तक प्रबन्ध निदेशक ने किया है । इसमें से 1.57 लाख रुपये उनकी पत्नी श्रीमती रंजना के नाम विधान सभा मार्ग स्थित कोआपरेटिव बैंक में जमा करने की खबर है । इसके अलावा उस खाता नं0 8944 में दिनांक 15-2-89 को महाराष्ट्र के बिचौलियों से 20 हजार रुपये प्रबन्ध निदेशक की पत्नी के नाम रिश्वत का जमा किया गया है । इसकी तत्काल जांच करायी जाय तथा दण्डित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जायें । मैंने गोपी नाथ वर्मा को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव –

मान्यवर, बलिया जनपद के तहसील रसड़ा और मऊ में जितनी सड़कें हैं वह पक्की बनवा दी गयी हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके किनारे फलदार पेड़ लगाये जायं और नदियों के किनारे पेड़ लगाये जायं ताकि कटाव की समस्या हल हो सके ।

मेरा एक और सुझाव है . . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान)

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में किसान अपने निजी उपयोग के लिए कोई पेड़ काटता है तो पता चलता है कि स्थानीय पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है । इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है एक आदेश पारित करके परगना अधिकारी को भेजें कि वह एक या दो पेड़ किसान अपने उपयोग के लिये काट सकता है लेकिन परगना अधिकारी इसकी जांच कराकर अनुमति दे, तो अच्छा होगा ।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वन विभाग में व्यापक रूप से बेईमानी की जा रही है क्योंकि कहा जाता है 4 हजार पेड़ लगाने के लिए किन्तु लगाये दो हजार पेड़ ही जाते हैं । इस प्रकार दो हजार पेड़ों का पैसा खा लिया जाता है, इसलिये इस पर अंकुश लगाये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए । मान्यवर, आप सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए होंगे । सभी ने एक बात की ओर इशारा किया है वह यह है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के पारित होने के बाद से सभी जगह कुछ न कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं । इस पर शुरू में मैंने चर्चा इसलिए नहीं किया था कि मा0 सदस्यों के सुझाव आ जायं और मैंने एक गैर सरकारी विधेयक को भी प्रस्तुत किया है और जब वह स्वीकृत हो जाये तो भी उस पर चर्चा हो सकती है लेकिन एक बात स्पष्ट है उससे जो कठिनाइयां हमारे दैनिक जीवन में आयी है उस पर मंत्री जी गौर करेंगे और उस विधेयक को जो संशोधन के लिये पेश किया है आने वाले समय में इस परिप्रेक्ष्य में उस पर भी विचार करेंगे ताकि हम लोगों का विकास कार्य चलता रहे और जो हमारे हक हकूक हैं उनको प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई न हो । जो वन्य जीव जन्तुओं से हमारी सुरक्षा का सवाल है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गये हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी आप गम्भीरता से अपना ध्यान दें । इसके साथ ही एक आध सुझाव हमें और रखने हैं।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक तो यह है कि जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है, उसकी मूल भावना यही है कि हमारे जंगल बढ़ने चाहिए, लेकिन मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी होगी कि वन लगातार कट रहे हैं और कई सदस्यों ने इस बारे में आज यहां अपनी चिन्ता जाहिर की है । हमारे जंगल धड़ल्ले से और बेरहमी से कट रहे हैं और वन विभाग और पुलिस प्रशासन के इशारे पर. . . .

श्री अधिष्ठाता–

दूसरा बजट भी अभी आना है, आप समाप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

इस अवैध कटाई को रोकने के लिए आपको कड़ाई से कार्यवाही करनी होगी । जंगलों का बहुत खतरनाक कटान हो रहा है । जंगल को हम लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें हद दर्जे का भ्रष्टाचार है –– जो पेड़ लगाये जाते हैं उसके आधे भी आपको एक आध साल बाद नहीं मिल पायेंगे और उल्टे हम जंगलों का कटान करेंगे तो इससे हमारा, जनजीवन का और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । इस तरह से सारे सदस्यों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपको इस पर कड़ाई से कदम उठाने पड़ेंगे ताकि अवैध कटान पर प्रभावी नियंत्रण लग सके ।

मान्यवर, मेरी तीसरी बात वन भूमि के उपयोग के बारे में है । वहां भूमि है, तराई और भावर के मामले में कहना चाहूंगा कि वहां पर इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी चल रहा है, भूमिहीन लोग वह जबरदस्ती कब्जा भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस भगा रही है, पुलिस रोक रही है और उनके साथ मारपीट भी कर रही है । एक तरफ आप इनको इस पर बसने-रहने नहीं देते हैं पुलिस के बल पर लेकिन जब यही जनता के लोग अवैध ढंग से जंगल में कब्जा करने वालों के खिलाफ आन्दोलन करते हैं, तो भी आपकी पुलिस इन्हीं को रोकती है और अवैध कब्जा करने वाले बड़े-बड़े आदमियों की मदद में आ जाती है । यह आपकी कौन सी दुतरफा नीति है ? एक तरफ आप भूमिहीनों को परेशान कर रहे हैं और जो अवैध कब्जा बड़े लोग कर रहे हैं, उसका विरोध करने वालों को पुलिस के बल पर प्रताड़ित करते हैं । इसलिए आप देखें कि वहां पर जंगल की जमीन जो है वह रहे और यहां लीज आदि के नाम पर जो जमीन है उस पर भी वहां अवैध कब्जा न रहे ।

(व्यवधान)

अब मैं लीसा के बारे में कहना चाहता हूं, जो चीर के पेड़ से दोहन होता है। आजकल यह वहां पर बहुत अवैधानिक तरीके से हो रहा है, जिससे पेड़ सूख जाते हैं । इसको और वैज्ञानिक बनाने की जरूरत है, जिससे पेड़ बिल्कुल सूख कर गिरने न पाएं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको तो अब इस बात तक सीमित रखना चाहिए कि यदि किसी सदस्य ने कोई नई बात रखी है तो उसका उत्तर दे दें, लेकिन बार-बार एक ही बात को कहें या सुझाव दें तो यह ठीक नहीं है । अब आप स्थान ग्रहण कर लें और मंत्री जी को अवसर दें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

लीसा श्रमिकों के लिए आपकी ओर से कोई संरक्षण नहीं है। इसमें कार्य ठेकेदारी प्रथा के साथ निगम के माध्यम से भी होता है, लेकिन जो श्रमिक लीसा निकालते हैं, उनकी सुविधाओं का कोई प्रबन्ध नहीं होता है। इस पर आप विचार कर फैसला लें। लीसा आवंटन में आपकी दोहरी नीति है। आप आई0 आर0 टी0 सी0 को जो लीसा आवंटित करते हैं, वह पर्याप्त मात्रा में और कम मूल्य पर करते हैं और जो हमारे कुमायूं विकास निगम या ऐसी छोटी निजी संस्थाओं को करते हैं वह पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं और साथ ही बढ़े हुए मूल्य पर उन्हें देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। एक कठिनाई इस साल पैदा हो गई है। लीसा आवंटन बहुत विलम्ब से हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

बैंक पैसा नहीं दे रहा है, तो इसको शीघ्र दिलाने की आवश्यकता है। वन निगम के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि जलाने की लकड़ी जो है—

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ऐरी जी समाप्त करें। स्थान ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

उसका डिपो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है यह तराई क्षेत्रों में है।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपा करके बैठ जाएं।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उन पर हम सोचकर जो हो सकेगा वह करने का प्रयास करेंगे। हमारे माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उन्होंने उसमें कुछ बिन्दु उठाये थे, उसके बारे में उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां वृक्षारोपण 1 लाख 73 हजार हैक्टेयर में हुआ है, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है वह सही नहीं है हमारे यहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो टोटल प्लान्टेशन है वह 2 लाख 52 हजार 400 हैक्टेयर में हुआ है। इसी तरह से वृक्षारोपण 1 लाख 34 हजार 500 हैक्टेयर में हुआ है। हमारे विभाग में जो अधिकारी/कर्मचारी हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा हमारे यहां गजटेड अफसरों की संख्या 1983 में 366 थी वह अब 31-3-88 को 436 हो गई है इसमें 19 परसेन्ट वृद्धि हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

समय बहुत कम है आप संक्षेप में बोलें। आपने सब बातों पर ध्यान दिया है।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मैं बताना चाहूंगा कि क्लास थ्री और फोर को मिलाकर 19 से 23 परसेन्ट वृद्धि हुई है।

(व्यवधान)

अगर माननीय सदस्य श्रीमन्, नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो सुझाव आये हैं उन पर हम विस्तार से सोचेंगे।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, दो चीजें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं पहली जानकारी तो यह कि जो पेड़ लगाने की योजना है इसमें 20 प्रतिशत रुपया वन विभाग को देते हैं सामाजिक वानिकी और वन विभाग उसकी देखरेख करता है इसके लिए अल्प मौके पर जांच करायें कि कितने पेड़ लगे हैं कितने जीवित हैं कितने नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ट्री गार्ड बहुत कम हैं। मान्यवर, चूंकि ट्री गार्ड पूरी तादाद में नहीं हैं इसलिए सड़कों पर जो पेड़ लगाये जाते हैं वह बच नहीं पाते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

माननीय सदस्य हमारे जनपद के हैं, वह सब बातें बता दें मैं उनको दिखवा लूंगा।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मैं अनुरोध करूंगा कि बेचारे छोटे मंत्री जी हैं उनको कम से कम फारेस्ट गार्ड को ट्रान्सफर करने का अधिकार तो दे दीजिये, इतना रहम तो करिये।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आपकी निगाह में छोटे हैं लेकिन बड़े कर्मठ मंत्री हैं उनके छोटे पर न जायें।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो बातें माननीय सदस्य जानना चाहते हैं उसकी काफी विस्तार से हमारे पास सूचना है। वह मेरे पास आ जायेंगे तो मैं सब बता दूंगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि आपके यहां पुराने कानून और नियम हैं। आपको अनुभव भी है कि आपके विभाग में त्रुटियां हैं। जो अंग्रेजों के समय नियमावली बनी थी वही आप आज कायम रखे हैं। पहले नियम था कि डी0 एफ0 ओ0 को अधिकार था 200 रुपये की लकड़ी गांव वालों को वह दे सकता है। आज लकड़ी की कीमत बहुत बढ़ गयी है। सन् 1983 में जो पेड़ डेढ़ हजार का मिलता था वह पेड़ आज 4992 का हो गया है। तो जो कीमत बढ़ी है उसी के अनुरूप डी0 एफ0 ओ0 को अधिकार देने का कष्ट करें ताकि गांव वालों को ज्यादा लकड़ी उपलब्ध हो सके।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

श्रीमन्, लकड़ी की कीमत ज्यादा हो गयी है लेकिन जो हमारे डिपो हैं वहां से अगर लकड़ी खरीदेंगे तो सस्ती मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप मंत्री जी से सम्पर्क कर लीजियेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

कमरे पर तो सम्पर्क करते हैं लेकिन यहां हाउस में बगल काट रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

माननीय पाण्डेय जी, जहां तक हमें ख्याल पड़ता है, वह एक विद्यालय बनवा रहे हैं, उसमें उनको लकड़ी की जरूरत है, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं उनको बस्ती जिले के डिपो से सस्ते रेट पर लकड़ी दिलवा दूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, किसानों को बबूल की लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, जब किसान काट कर लकड़ी ले जाता है, तो उसे पुलिस वाले और वन विभाग वाले पकड़ कर बन्द कर देते हैं और मुकदमा चला देते हैं । जो 26 प्रकार की लकड़ी किसानों के काम की है और आपकी बिना परमिशन के काटने को मुक्त है, उसके काटने पर किसान बन्द न हों और जो उसके खेत के मेड़ के पेड़ हैं और खेती की जरूरत के हैं, उनके काटने और शहर को ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न हो और पुलिस थानों में इस तरह की सूचना हो कि वह उन्हें बन्द न करें ।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

श्रीमान्, मैं इन सबका जवाब देने जा रहा था, लेकिन मुझको बोलने से रोक दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, उस समय आपके बड़प्पन को देख कर रोक दिया गया ।

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो काश्तकार अपनी सहूलियत के लिए पेड़ लगाते हैं, उनके लिए अभी तक एक पेड़ काटने की छूट है । जो वह अपने खेत के मेड़ पर लगाये हों, उसको वह काट सकें, ऐसा हम अधिनियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं । जो हम अधिनियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसको हम पुलिस से अलग कर देंगे, पुलिस से उससे कोई मतलब नहीं होगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि वन आवश्यक हैं, पेड़ लगाये जा रहे हैं, वन लगाये जा रहे हैं, लेकिन मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन वनों की जिन्दगी समाप्त होती जा रही है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि जो पेड़ लगाये जायेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी । पेड़ को सुरक्षित बनाये रखने के लिए आप ऐसी व्यवस्था करेंगे बजट में कि वह वन सुरक्षित रहेंगे, पेड़ सुरक्षित रहेंगे । आप पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो सड़क के किनारे पेड़ लगाये जाते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर तार इधर और उधर दोनों तरफ लगाते हैं, उससे सुरक्षा होती है ।। लेकिन जहां पर जंगल में हम पेड़ लगाते हैं, वहां पर तो हम तार लगा नहीं सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–विन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–वन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,39,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,78,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये । मान्यवर, सहकारी विभाग को शासन ने 2 बड़े महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं पहला है कृषि का उत्पादन बढ़ाना और दूसरा है ग्रामीणों का आर्थिक विकास करने के उपरान्त उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना यह दोनों इतने महत्वपूर्ण काम हैं आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं और देश की प्रगति में और देश की आवश्यकता और प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति करने में इनका कितना बड़ा योगदान है । कृषि का उत्पादन महत्वपूर्ण है इसमें दो राय नहीं है और इस विभाग की यह विशेषता है कि यह सारा उत्पादन की वृद्धि स्वयं न करके हजारों सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करता है इसी वजह से इसको विभाग ने सहकारी आन्दोलन की संज्ञा दी है । प्रदेश के पौने दो करोड़ किसान परिवार में से कृषि सहकारी समितियों के 1 करोड़ 25 लाख सदस्य हैं दूसरे शब्दों में सहकारी समितियों के माध्यम से एक करोड़ पच्चीस लाख किसान परिवार लाभान्वित होते हैं । यह जो उत्पादन का लक्ष्य है, उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सहकारिता आन्दोलन की 8,599 सहकारी समितियों का जाल सारे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है लगभग प्रत्येक न्याय पंचायत में एक-एक सहकारी ऋण समिति है और जो 1987-88 में केवल 28 लाख 54 हजार लाभार्थियों की सेवा कर रहा था । 1988-89 में 36 लाख और 1989-90 में 45 लाख परिवारों की सेवा करके उनके उत्पादन में वृद्धि करने का लक्ष्य है ।

मान्यवर, यूं तो सहकारी आन्दोलन में सहकारी समितियां पिछले 85 वर्ष से प्रदेश की सेवा करने में कार्यरत हैं परन्तु इस वर्ष जो क्रान्तिकारी सुधार इन समितियों की कार्यप्रणाली में किया गया है । मेरा यह दायित्व है मैं जिसका जिक्र करूंगा और स्वयं अपनी बातचीत के दौरान करता रहता हूं । मान्यवर, इन सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश में 1987-88 में 329 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है 1988-89 में इस वर्ष आप जानते ही हैं कि सहकारिता का वर्ष जो पहले जुलाई से शुरू होता था और 30 जून तक चलता था अब एक संशोधन के माध्यम से इस वर्ष से सहकारी वर्ष भी पहली अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है, जोकि हमारा आर्थिक वर्ष होता है तो इस तरीके से इस वर्ष 350 करोड़ रुपये के वितरण का लक्ष्य है । 89-90 में 425 करोड़ रुपये का वितरण किया जायेगा और इससे करीब 70 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे । मान्यवर, आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । अब तक जो सदस्यों को ऋण दिया जाता था वह एक और दस के अनुपात में दिया जाता था एक रुपया अंशपूंजी पर 10 रुपया ऋण मिलता था लेकिन इस वर्ष बड़े किसानों को एक के विरुद्ध पन्द्रह रुपये और छोटे किसानों को एक और 20 के अनुपात में ऋण मिला करेगा । माननीय नारायण दत्त तिवारी ने जब वह वित्त मंत्री थे केन्द्र सरकार में तो उन्होंने किसानों से वसूल किये जाने वाले ऋण के ब्याज की दर में बड़ी कटौती की थी पहले साढ़े 12 प्रतिशत सूद लिया जाता था अब 10 प्रतिशत सूद लिया जायेगा । मंहगाई को देखते हुए, जो हैसियत निकाली जाती है अर्थात कितना ऋण दिया जायेगा, उसमें भारी परिवर्तन कर दिया गया है जो अन्न उत्पादन के लिये पिछले सालों में 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आंका जाता था, वह अब 1500 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार 1500 वाला 1750 कर दिया गया है । पहले फलों के लिए, फलों के उद्यानों के लिए कर्जा नहीं दिया जाता था, उनको भी अब ऋण देने की सुविधा होगी और 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने की सुविधा होगी । इस प्रकार मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में अल्पकालिक ऋण अंकन 551.75 करोड़ लगे हुए हैं और दीर्घकालीन ऋण 387 करोड़ हैं । श्रीमन्, हमें गौरव के साथ यह भी कहना है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी दिन रात शिकायत करते रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक निक्षेप उत्तर प्रदेश में न लगाकर बाहर लगाते हैं । हमारा रुपया, हमारे प्रदेश का, और दूसरे प्रदेश लाभान्वित होते हैं । यहां तक कि केवल 43 प्रतिशत टोटल डिपाजिट का यहां पर समायोजित होता है । दूसरे शब्दों में ऋण और जमा का अनुपात 43 परसेंट है । लेकिन सहकारी बैंक ही ऐसे बैंक हैं उत्तर प्रदेश में, जो शत प्रतिशत ही नहीं बल्कि नाबार्ड से रिफाइनेंस लेकर उत्तर प्रदेश में लगाते हैं और इस तरह से सहकारी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 140 प्रतिशत है । यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है । सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीय एवरेज 61 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश का 43 प्रतिशत है, जो बड़ी आपत्तिजनक बात है । इससे आपको सम्भवतः मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश नाबार्ड से कितना फाइनेंस लेता है । वर्ष 1986-87 में 144.80 करोड़ लिया था, 1987-88 में 161.53 करोड़ लिया था लेकिन इस वर्ष 1988-89 में यह धनराशि 238.10 करोड़ हो गयी है । यही नहीं, इस वर्ष एक बड़ी अच्छी योजना लागू की गई है।

हमारे प्रदेश में 57 बैंकों में से कुछ बैंक दुर्बल बैंकों की श्रेणी में आ गये थे, जिनका बकाये का धन किसानों पर बढ़ गया था, 58 प्रतिशत से बढ़ गया था। नाबार्ड की सहायता से एक योजना लागू की गई है जिसमें उन 25 दुर्बल बैंकों को मजबूत किया जायगा, सुदृढ़ किया जायगा और उसमें सारे किसानों को, जो उनके लाभार्थी हैं, सदस्य हैं, उनको दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। एक छोटे गैर बिलफुल बकायेदार हैं, उनको सुविधा दी गई है कि बकाये का कुल 25 प्रतिशत जमा कर दें तो बाकी रुपया उनको 7 सालाना किश्तों में देना पड़ेगा लेकिन तुरन्त उनको उनकी हैसियत से ऋण सुविधा मिल जायेगी। इसके अतिरिक्त बड़े किसान 40 प्रतिशत जमा कर दें तो बाकी ऋण 5 किश्तों में ले लिया जायेगा। इस प्रकार से दुर्बल बैंकों से जो रुपया उत्पादन में नहीं जाता था, वह अब उत्पादन में लग सकेगा। इसका कृषि के उत्पादन में भारी योगदान होगा।

मान्यवर, यह सही है कि सहकारी बैंक या सहकारी मूवमेंट बड़े आदमियों का आन्दोलन नहीं है। यह साधनहीन लघु किसानों का आन्दोलन है और इसी कारण से हम यह कोशिश कभी नहीं करते कि एक ही व्यक्ति को ज्यादा ऋण दे दिया जाय, बल्कि यह प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को ऋण दिया जाय। इस मामले में सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी की वाणी में हम विश्वास करते हैं कि "बहुता ना दे, बहुतां नूं दे" यानी बहुत अधिक संख्या में दिया जाय। आपको आंकड़ों से पता होगा कि 70 लाख परिवारों को कर्ज देने का हमारा लक्ष्य है। किसानों की ऋण अदायगी की बात है, इस वर्ष एक विशेष योजना लागू की गयी। बकायेदारों से जब रुपया वसूल किया जाता था उनसे 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के रूप में ज्यादा लिया जाता था। 15 अक्तूबर, 1988 से 15 जनवरी, 1989 की अवधि में हर किसान को जो बकायेदार हैं यह सुविधा प्रदान की गयी कि इस अवधि में जो बकायेदार रुपया अदा कर दें उनसे संग्रह शुल्क बिल्कुल नहीं लिया गया।

हमारे ऐसे किसान जो शहरों में बसते हैं शहरों की सीमा में है किसी सहकारी समिति के सदस्य नहीं थे उनकी सेवा के लिए जिलों में हर बड़े शहर में हर जिला उसका क्षेत्र है नगरीय सहकारी बैंक बनाना शुरू कर दिया है अभी तक 28 नगरीय बैंक अनुबंधित भी हो चुके हैं। उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिया गया है छोटे किसानों छोटे व्यापारियों शहरों की सीमा पर बसे किसानों को कर्जा देना, प्रारम्भ करें किसान लोग जो सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण पाने के पात्र नहीं थे उनको भी कर्जा मिलने लगेगा। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में एरिया डेवलपमेंट एप्रोच योजना बनायी है। आगामी तीन वर्ष में सभी ग्राम सभायें किसी न किसी बैंक से आच्छादित हो जायं। हर भूमि विकास बैंक की शाखा को 5 ग्राम सभा, हर सरकारी बैंक शाखा को 3 ग्राम सभायें, कृषि ऋण समितियों को 2 ग्राम सभायें अंगीकृत करनी होंगी जिनके सर्वांगीण विकास की उनकी जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 75 हजार ग्राम सभायें हैं हमारा विश्वास है कि आगामी तीन वर्षों में इन सभी ग्राम सभाओं में ऋण की सुविधा के लिये उनके बहुआयामी विकास के लिये अंगीकृत कर सकेंगे। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक देश के नम्बर एक बैंकों में से है पिछले वर्ष भी उसको भूमि विकास बैंकों का फेडरेशन है उससे इसको वैजयन्ती मिली। प्रारम्भ से आज तक एक हजार करोड़ रु0 का ऋण बांटा है अकेले पिछले वर्ष

में ही 100 करोड़ रु0 से अधिक का ऋण दिया गया जो अपने आप में कीर्तिमान है देश के किसी दूसरे भूमि विकास बैंक ने इतना ऋण आज नहीं दिया था ।

श्रीमन्, हमारी समस्या अशोध्य ऋणों की है । माननीय सदस्य इस बात से आंदोलित भी होते हैं कि बहुत सा रुपया ऐसा दिया जो नाकाबले वसूल है । यह भारी समस्या है । प्रयास किया जा रहा है प्रदेश में शासन और नाबार्ड की सहायता से एक योजना चालू की जा रही है जिसमें अशोध्य ऋण हैं उनका सत्यापन किया जायेगा उसको समाप्त करने का निर्णय लिया जायेगा । इस वर्ष 3 करोड़ 60 लाख इस मद में विनियोजित किया जायेगा । कुल अशोध्य ऋण 38 करोड़ के लगभग आंका गया है । हर वर्ष में इस धनराशि में अवश्य कुछ न कुछ कमी करते रहेंगे राइट आफ करने वाली यह अनुदान की राशि है 3 करोड़ 60 लाख रु0 जो अनुपात है, वह है 5 प्रतिशत समिति स्वयं वहन करेगी 20 प्रतिशत जिला सहकारी बैंकों के द्वारा वहन होगा 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और शेष शासन द्वारा वहन किया जायेगा इस प्रकार से हमें यह विश्वास है कि आने वाले 10 सालों में हम इस अशोध्य ऋण से पूर्ण रूप से पीछा छुड़ा पायेंगे । कृषि के उत्पादन में जो अंश लगाये जाते हैं उसमें ऋण खाद बीज कृमिनाशक दवाइयां महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारी सभी सहकारी समितियां जिनकी संख्या 8 हजार 5 सौ 99 है आपको जानकर खुशी होगी कि अब वन विंडो सिस्टम के जरिये सारी सेवा किसानों को एक जगह से करते हैं । सहकारी ऋण समितियां हैं और बहुत सी हैं उन्हें चुनौती पूर्ण दायित्व सौंपा गया है वह किसानों की आवश्यकता के अनुसार ऋण उनको उपलब्ध करायें और खाद उपलब्ध करायें ।' यह अवश्य नोट करने लायक बात है, कि सहकारी समितियां केवल सदस्यों की सेवा करती हैं इसलिये सदस्य बनाने के लिये सदा अभियान चलता रहता है प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक इसके सदस्य बनें और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष सहकारी समितियों ने 4 लाख 75 हजार टन खाद का वितरण किया था और यह मात्रा तत्वों की शक्ल में है अन्यथा इसकी पूरी मात्रा करीब-करीब 9-10 लाख टन की है । वर्ष 88-89 में 4 लाख 77 हजार टन वितरण हुआ और 89-90 के लिये इसका लक्ष्य 9 लाख टन का रखा गया है । रुपयों में इसकी कीमत आती है वर्ष 87-88 में 261 करोड़ रुपये, 88-89 में 262 करोड़ रुपये और 89-90 में इसकी कीमत 460 करोड़ रुपये हो जायेगी ।

मान्यवर, प्रमाणित बीज का खेती के मामले में बड़ा महत्व है और सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 87-88 में 2 लाख 1 हजार क्विंटल बीज बांटा गया । इसी प्रकार वर्ष 88-89 में दिनांक 31-1-89 तक 2 लाख 11 हजार क्विंटल बांटा गया । वर्ष 89-90 में इसके बांटने का लक्ष्य 2 लाख 89 हजार क्विंटल का है । मान्यवर, उर्वरक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिये खासतौर से हमने एक योजना शुरू की है । पहले सहकारी समितियां अपने कार्यालय से ही इसका वितरण किया करती थीं लेकिन अब यह सुविधा प्रदान की गयी है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नगद मूल्य में 2 टन खाद ले सकता है और उसको ले जाकर बेच सकता है, जिस पर उसे सम्भवतः ढाई-तीन रुपये फी बोरा का कमीशन मिलेगा । मान्यवर, देश के किसान और हमारे माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि कोआपरेटिव सोसायटियों की दुकान से 110 रुपये में यूरिया का एक बोरा मिलता है, जबकि प्राइवेट दुकानों से यह 103 रुपये में प्राप्त हो जाता है ।

श्रीमन् मैं इस विषय में एक बात का ज़िक्र करना चाहता हूं कि जितनी भी खाद हैं। उनकी कीमतें सरकार द्वारा निश्चित और नियंत्रित की जाती हैं। यूरिया की कीमत सरकार के द्वारा 114 रु0 कुछ पैसे हैं। यह तब हुयी थी जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने साढ़े 7 प्रतिशत यूरिया की कीमतों में कटौती कर दी थी। अब 114 रु0 उसका भाव है और एक बोरा पर साढ़े 7 रुपये का डीलर को कमीशन डिस्काउन्ट मिलता है, वह डिस्काउन्ट प्राइवेट को भी मिलता है और सहकारी समिति को भी मिलता है। सहकारी समिति वाले अपने डिस्काउन्ट में से साढ़े 4 रुपये छोड़कर उसे 110 रुपये में किसानों को देते हैं। अब यह प्राइवेट दुकानदार कैसे 103 रुपये में देते हैं, यह मैं आप लोगों को सोचने के लिये छोड़ देता हूं। क्योंकि 114 रुपये में से अगर 7.50 रुपये का पूरा डिस्काउन्ट घटा दिया जाय, तो भी एक सौ साढ़े छः रुपये ही बचता है न कि 103 रुपये भले ही सहकारिता विभाग का बजट 57 करोड़ का है परन्तु सहकारिता आन्दोलन में क्रियाशील पूंजी 3 हजार 600 करोड़ की है। उसी अनुपात में मुझे समय दिया जाय। आमतौर पर यह भ्रांति बनी रहती है और लोग इसे महकमा समझते हैं, परन्तु यह जन-जन का आन्दोलन है। इसकी 10 शीर्ष संस्थायें हैं, 274 भूमि विकास बैंक की शाखायें हैं, 91 शीतगृह हैं, 93 प्रक्रिया इकाइयां हैं, 57 जिला सहकारी बैंक हैं, 1398 जिला सहकारी बैंक की शाखायें हैं, 28 नगरीय सहकारी बैंक हैं, 52 जिला सहकारी विकास संघ हैं, सहकारी बीज भण्डारण 1042 हैं, प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियां 8599 हैं जिसमें 120 लाख सदस्य, हैं, 255 क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, ऋण सहकारी समितियां 1019 हैं, जिसमें 30,000 सदस्य हैं। जैसा कि मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही कहा था कि हमने क्रान्तिकारी निर्णय लिया है। एक क्रान्तिकारी निर्णय यह है कि हमने उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसका संशोधन विधेयक कल ही मैंने पुरःस्थापित किया था। अभी तक भूमि विकास बैंक केवल किसानों की भूमि को बन्धक रखकर ऋण देती थी, परन्तु अब गैर किसानों को भी आवास बनाने के लिए ऋण उपलब्ध होगा।

भूमि विकास बैंक से पहले 10 हजार रुपए के कर्ज तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, अब हमने इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए तक प्रस्तावित कर दिया है। भूमि विकास बैंक से 30 हजार रुपए के ऋण तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मान्यवर, सारे उत्तर प्रदेश में इस समय सहकारी आन्दोलन में अपनी भण्डारण क्षमता है। चूंकि नई जिम्मेदारी ऋण समितियों को दी गई है। खाद बीज व कृषि दवाईयों को वह बांटते हैं वहीं कभी-कभी उन्हें गल्ला भी रखना पड़ता है। सारे उत्तर प्रदेश में जहां भी सहकारी समितियां हैं सभी के 100 टन से लेकर 200 टन तक के गोदामों का निर्माण कर दिया गया है। 8432 गोदाम अभी तक निर्माण किए जा चुके हैं। 1233 गोदामों की योजना स्वीकृत हो चुकी है जो 1991 तक पूर्ण हो जायेंगे। पी0सी0एफ0 द्वारा 506 गोदाम बनाये गये हैं जो 500 से लेकर 1000 टन क्षमता के हैं। 251 गोदाम निर्माणाधीन हैं। विभिन्न स्तर पर अब तक निर्मित गोदामों की क्षमता 17.579 लाख मै0टन है।

श्रीमन्, आलू का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुल उत्पादन 60 लाख है। जिसके लिए भण्डारण क्षमता हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 23 लाख टन है।

यह एक बहुत ही सोचनीय विषय है । सरकार को इस ओर देखना चाहिए । सहकारी समितियों के पास केवल 2 लाख 86 हजार टन की क्षमता की व्यवस्था है । हम इसे देखते हुए एक नई योजना बना रहे हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गुड़ का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, किन्तु शीत गृह न होने के कारण वह बरसात में बह जाया करता था, अब गुड़ रखने के लिए भी शीत गृह के निर्माण की योजना है । उसमें से एक गोदाम मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है । इसी प्रकार जहां भी महत्वपूर्ण मण्डियां होंगी, जहां गुड़ बनता है, वहां उसके रखने के लिए शीत गृह बनाये जायेंगे । सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत शीतगृहों को भी विश्व बैंक परियोजना में शामिल कर लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत शीतगृहों की संख्या 91 है । अगले 3 वर्षों में 24 नये शीतगृह निर्मित करने जा रहे हैं । यह एक सुखद सूचना है । माननीय सदस्य इसको पसन्द करेंगे । (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

रेट तो बढ़ाते जा रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

हमारे जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, सभी घाटे में चलते हैं क्योंकि हम बिजली की चोरी नहीं कर पाते हैं । हमारे शीत गृह पर 70-80 हजार रु0 प्रतिमास का बिजली का बिल आता है, प्राइवेट पर इससे आधे का आता है । जिस तरह से किसानों के केस में प्रति हार्सपावर के हिसाब से विद्युत की दरें निश्चित हैं । मेरा सुझाव है, कि सारे कोल्ड स्टोरेज को, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी क्षेत्र के हों, उनकी बिजली की खपत की एक ही दर कर दी जाय । प्रदेश में 19 चावल मिलें (क्षमता 3 लाख 70 हजार क्वि0) एवं 19 दाल मिलें (क्षमता 1.86 लाख मीट्रिक टन) सरकारी क्षेत्र के निबन्धित हैं । रानीखेत स्थित कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री द्वारा विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है । पी0सी0एफ0 द्वारा संचालित इस औषधि इकाई का विस्तार प्रगति पर है जिससे वह औषधियां सभी सहकारी बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगी । इस फैक्ट्री के द्वारा नई औषधियों एवं उत्पादित औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक शोध एवं विकास प्रखण्ड भी स्थापित किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

विद्वान लोग अपनी बात को संक्षेप में कह देते हैं, समझदार लोग समझ जाते हैं ।

श्री समर पाल सिंह–

कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज देश में तेलों और तिलहन की कमी है 5 हजार करोड़ रु0 का खाद्य तेल बाहर से आयात किया जाता है । अब बहुत महत्वपूर्ण योजनायें बनायी जा रही हैं जिसमें कि एन0 डी0 डी0 बी0 की सहायता से इटावा, बुलन्दशहर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा एवं अलीगढ़ जनपदों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सौजन्य से लगभग 30 करोड़ रु0 लागत की परियोजनायें विचाराधीन हैं । तिलहन विकास के लिये झांसी क्षेत्र में जालौन हमीरपुर, ललितपुर एवं झांसी तथा कानपुर इलाहाबाद क्षेत्र में फतेहपुर एवं फर्रुखाबाद जनपदों में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सौजन्य से दो परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं

जिनकी कुल लागत 64 करोड़ रु0 है ।

(इस समय 5 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुवर दयाल वर्मा पीठासीन हुए ।)

मूल्य समर्थन के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं सभी लोग जानते हैं । ये सरकारी आन्दोलन, सहकारी समितियां व्यावसायिक समितियां हैं । परन्तु इनका गठन और प्रबन्ध लोकतांत्रिक आधार पर होता है । लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिये उत्तर प्रदेश में जिला स्तर तक की सारी सहकारी समितियों के चुनाव करा दिये गये हैं । केवल शीर्ष स्तर की समितियां बची हैं, जिनके चुनाव निकट भविष्य में करा दिये जायेंगे । जब इस बात पर चर्चा की जाती है कि उत्तर प्रदेश का कोआपरेटिव मूवमेंट क्यों पिछड़ गया और महाराष्ट्र और गुजरात का क्यों आगे है, इसका कारण है कि पिछले दसियों साल से चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव हुए भी तो धारा-34 लगाकर चुने हुए डायरेक्टरों को निकाल दिया जाता था । अच्छे सहकारी बन्धु उदासीन हो चले थे, सहकारी मूवमेंट पर इस तरह लोकतांत्रिक संकट आ गया था । सारे प्रदेश में चुनाव कराकर सहकारी आन्दोलन में निर्णय लेने के लिये उनको सक्षम बना दिया है । धारा 34 में आमूल चूल संशोधन कर दिया गया है अब भविष्य में कभी भी कोई भी निर्वाचित सदस्य इस आधार पर नहीं निकाला जायगा कि सरकार का अंश पूंजी में कोई योगदान है । सरकार सिर्फ दो व्यक्तियों को नामीनेट करेगी, उनमें एक सरकारी होगा और एक गैर सरकारी होगा । इस तरीके से हम अपेक्षा करेंगे कि अब सहकारी बन्धु इसमें दिलचस्पी लेंगे और सहकारी समितियों के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता पैदा करेंगे और जब ये लोग आगे एम0एल0ए0 बनेंगे तो इस पृष्ठभूमि का उपयोग कर सकेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी, जरा संक्षेप कर दीजिये ।

श्री समरपाल सिंह–

श्रीमन्, लोग बाग सुनते-सुनते उकता गये हैं । मैंने बतलाया कि इस साल इसमें हमने कारगर सुधार किया है। इसकी क्षमता को बढ़ाया है, देशवासियों की सेवा करने के लिये इसे सक्षम बनाया है । एक और आन्दोलन है जो कि कृषि का आन्दोलन नहीं है, यह हमारे सहकारिता का आन्दोलन है । इसमें उपभोक्ताओं के सेवा की भावना निहित है और इसमें हमारी भूमिका आगे रही है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल संचालित दुकानें 42628 हैं जिसमें से सहकारी क्षेत्र की दुकानें केवल 11484 हैं । यू0 पी0 एस0 एस0 की सहायता से शहरों और गांवों में 1986-87 में 576·39 करोड़ रु0, 1987-88 में 670·05 करोड़ रु0 तथा अप्रैल, 1988 से जनवरी 1989 तक 480·00 करोड़ रुपये का वितरण किया गया । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम हमारे माननीय सदस्य सहकारिता विभाग और सहकारी आन्दोलन में अन्तर करना प्रारम्भ करें । अब चूंकि हमने चुनाव करा दिये हैं, सहकारी समितियां आपको समर्पित कर दी हैं, उनको भरपूर प्यार देना, उनको सम्भालना, उनको बढ़ाना यह सब अब आपका काम है । जो भी गलत हो वह विभाग पर न डालें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा

अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने आपके समक्ष सहकारिता का बजट प्रस्तुत किया । जब वे बजट को पेश कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वे सहकारिता का बजट प्रस्तुत न करके एक विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । तकलीफ तो इस बात से हो रही है कि सहकारिता के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के सामने कुछ भी नहीं कहा । सहकारिता एक आन्दोलन है, सहकारिता एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कुछ लोग एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ-साथ काम करना चाहते हैं और उसके फल की प्राप्ति में भी साथ-साथ हिस्सा लेते हैं, वहीं से सहकारिता का प्रादुर्भाव होता है ।

सहकारिता का यह दुर्भाग्य है कि एक विभाग माना जाता है । दुनियां में ऐसा कोई देश नहीं है जहां सहकारिता विभाग नहीं है । सहकारिता का स्वतंत्र रूप से जल्दी से जल्दी काम करना, यह एक सतत प्रक्रिया है । इससे लोक कल्याण की भावना पैदा होती है । लेकिन मान्यवर, बड़ी तकलीफ इस बात की है कि इसे नौकरशाही ने पकड़ रखा है और इसके कारण इसका स्वरूप और इसकी शैली बदल गयी है ।

मैं आदरणीय सदन को बतला देना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन को भारत में लोक कल्याणकारी स्तम्भ के रूप में होना चाहिये । पं0 नेहरू ने ग्रामोत्थान के तीन स्तम्भ बताये हैं एक तो ग्राम सभा, दूसरा सहकारिता और तीसरा ग्रामीण सेवा । इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण अंचल जो कि अछूते पड़े हुए हैं, विकास के स्रोतों से उपेक्षित हैं, उनका कल्याण हो जायेगा । इसी आधार पर संविधान के राज के नीति निर्देशक तत्वों को इसके अनुच्छेद 43 में सहकारिता को पूरी तरह से डिफाइन किया है । उसमें यह भावना व्यक्त की गयी है कि जो गरीब लोग हैं, दबे पिसे हैं सहकारिता उनके कल्याण के लिये विचार करेगी, सहकारिता उनके कल्याण की परिकल्पना करती है । सन् 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था, उसने रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव हुआ । सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि सहकारिता में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । पहले यह समिति गांव के स्तर की थी । और गांव सभा स्तर पर सहकारी समिति का उसमें एक सरपंच होता था उसके साथ एक खजान्ची होता था और वही पूरे धन का वितरण करता था, उस समय इन सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार का कहीं नामों निशान भी नहीं था, कभी ही ऐसी कहीं कोई मामूली गलती हो गयी तो हो गयी वरना बड़े अच्छे ढंग से इनका सारा काम चल रहा था । लेकिन जैसे-जैसे इन सहकारी समितियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता गया वहां वह भ्रष्टाचार भी पनपता गया, बढ़ता गया । इस पर पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि सहकारी समितियों पर किसी भी राजनीतिक दल का या सरकारी का हस्तक्षेप न होना चाहिए, अगर यह हस्तक्षेप हो गया तो फिर यह सहकारी समितियां सहकारी समितियां न रह जायेंगी और गांव का आदमी एक बहुत बड़े झगड़े में पड़ जायेगा और फिर इनका आन्दोलन कभी सफल नहीं हो सकता है, लेकिन आज के यह मंत्री अपने उच्च नेता की बात को माने नहीं और सरकारी हस्तक्षेप इन सहकारी समितियों में कर इसको झगड़े में डाल दिया । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक इस पर से सरकारी हस्तक्षेप कम नहीं होगा,

अब तक इन सरकारी समितियों का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा । माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा और उसमें जो आंकड़े दिए और यह आंकड़े जो इनके अधिकारियों ने लिखकर दे दिए वह उन्होंने यहां आकर पढ़ दिया इन्हें वहां की स्थिति की, इसमें जो लोगों को परेशानी है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, बस इन्होंने अपने बजट से यह पढ़ दिया कि इन 70 लाख परिवार सम्बद्ध हैं लेकिन इन्हें यह जानकारी नहीं है कि इन परिवारों की आज दशा क्या है, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इनकी परेशानियों को निवारण कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी इन्हें नहीं है । मान्यवर, यह उस सहकारिता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो पहले थी कि उस समय

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागभवेत ।।

की भावना थी और यह भी भावना थी कि "कीरत भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब करि हित होई ।।"

लेकिन आज मान्यवर क्या हो रहा है यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सहकारिता वह सहकारिता नहीं रही क्योंकि इसको इनके अधिकारियों ने और माननीय मंत्री जी ने अपने-अपने हाथों में ले लिया है । सरकारी शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ लिया है और इस प्रदेश में गांव सभा के स्तर की समितियों को समाप्त कर दिया गया है और न्याय पंचायत के स्तर पर अब यह समितियां गठित की गयी हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पढ़ा था कि यह सहकारी समितियां गांव सभा स्तर पर हैं, ऐसा नहीं है, सारे प्रदेश में यह समितियां आज न्याय पंचायत स्तर पर ही हैं और इनमें हर जगह पर एक-एक सचिव नियुक्त कर दिया गया है और सारे खजाने इनके पास हैं और जितना पैसा यह चाहते हैं निकाल लाते हैं और जिसको यह चाहते हैं उनमें बांट देते हैं और मान्यवर जब से यह सचिव नियुक्त हुए हैं, सरकारी शिकंजा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और गांव के गरीब किसानों और बे-पढ़े-लिखे लोगों की परेशानी भी उसी हिसाब से बढ़ गयी है, कम नहीं हुयी है क्योंकि यह सचिव जो नियुक्त हुए हैं इनका वेतन इन्होंने इतना कम रखा है कि वह आज एक चपरासी से भी कम है यह इसलिए है कि उसको छूट दे दी थी कि लूटो खाओ और मुझे भी खिलाओ । इस तरह के तमाम उदाहरण हैं । जो व्यक्ति सात साढ़े सात सौ रुपया तनख्वाह पाता हो, वह बढ़िया कोठी में रहता है, एक दो को छोड़कर सभी शराब पीते हैं, मोटर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों के पास जीपें हैं । मंत्री जी को भेंट देते हैं, लेकिन जनता की खाल उतार रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस आन्दोलन का सत्यानाश कैसे हुआ । इसमें जब कैडर सचिव की नियुक्ति हो गयी, तो यह डिपार्टमेन्ट बन गया और सहकारी ऋण की संस्थायें अलग हो गयीं और साधन सहकारी समितियां बन गयीं । इन समितियों में सचिव एक-एक काश्तकार के नाम फर्जी ऋण एक से लेकर 50 और 80 हजार तक रुपया डाल देता है । करहल में एक समिति है, उसमें एक काश्तकार के नाम 80 हजार रुपये डाल दिया गया। अगर उसकी खटिया बेची जाये, झोपड़ी बेची जाये बकरी बेची जाय और बैल भी बेच दिये जायें, तो भी 80 हजार रुपया उसके पास नहीं निकलेगा । 8 लाख रुपया उस समिति ने लोगों के नाम फर्जी डाल दिया है । लोग मेरे पास आये और मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि इसकी जांच करायी जाये और मान्यवर, वही सहकारिता विभाग के ही अधिकारी जांच करते हैं और उन्होंने सारे के सारे ऋण प्रमाणित कर दिये ।

फिर मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया, एक बहुत ईमानदार आई0ए0एस0 अफसर थे, उनसे जांच करवाने के लिये कहा और उन्होंने जांच किया, तो सारे ऋण फर्जी पाये गये, लेकिन उस जांच रिपोर्ट का आज तक पता नहीं है और वह रुपया काश्तकारों से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है।

अब मैं क्रय विक्रय समितियों की बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर बेबर की क्रय विक्रय समिति है, जिसके चुनाव में तोताराम विजयी हुये, लेकिन आपकी सरकार ने उस समिति को भंग कर दिया और वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया, फिर कानून में परिवर्तन किया गया और दुबारा चुनाव हुआ और फिर वही तोताराम अध्यक्ष पद पर चुनकर आया, वह मेरा साथी है। वहां का जो सचिव है, जब से नौकरी में आया है, वहीं पर है, पूरी समिति को खा गया है। सारे सदस्यों ने उसकी रिपोर्ट की, लेकिन वे हार गये और उसको नहीं हटा पाये। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें, तो इसका जवाब अवश्य दें। मान्यवर, लाखों रुपये का मामला है किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सचिव को हटा सके, कलेक्टर की हिम्मत नहीं है और मंत्री की भी हिम्मत नहीं है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, ईमानदार अधिकारी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी ईमानदारी की छाप नीचे नहीं पहुंचती है, तो उस ईमानदारी से क्या लाभ।

मान्यवर, इसी प्रकार से जनजाति विकास योजनायें हैं, विकास योजनायें हैं और स्टोरेज एवं गोदामों के मामले हैं, उनमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। जो भण्डारागार निगम है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह हमेशा लाभ पर चलता था, लेकिन अब वह घाटे की ओर जा रहा है, घाटा शुरू हो गया है और उसकी स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि एफ0डी0आर0 भुनाकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही रही है। जिसे मुनाफे पर होना चाहिये, उसको चरागाह बना रखा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अल्मोड़ा में 62 लाख का गोदाम बनाया गया और बिना टेण्डर के ही ठेका दे दिया गया। लाखों रुपये का घपला हुआ और बहुत शिकायतें हुई लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। भण्डारागार निगम की 7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता खाली पड़ी है। जो भी निर्माण हो रहा है उसमें उन्हें कमीशन मिल रहा है। इस तरह से हमारा जो सहकारिता आन्दोलन है वह इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकार की इन तमाम योजनाओं के माध्यम से इस पूरे कोआपरेटिव मूवमेंट को चूस करके रख दिया है। मान्यवर, मैं कहां तक कहूं। अभी माननीय मंत्री जी बड़े फख्र के साथ कह रहे थे और हमारे उधर के बैठे साथी मेजें थपथपा रहे थे कि हमने चुनाव करा दिया।

मान्यवर, सहकारी समितियों के चुनाव हो गये लेकिन जनता से लाखों रुपया डकारने वाली है। पी0सी0यू0, पी0सी0एफ0 और एल0डी0बी के आपने चुनाव नहीं कराये। क्योंकि वहां से इनको मोटी रकम मिलती है। इन संस्थाओं में लाखों रुपये का घपला है। इनमें चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। इनके इतने झूठे और असत्य वायदे हैं कि मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि

"तेरे इन झूठे वायदे पर मेरा दिल कब तक फरेब खाए
कोई ऐसा कर बहाना जिससे आस टूट जाय।"

या तो यह कह दीजिये कि हमें चुनाव नहीं कराना है। वैसे आप चुनाव

इसलिये नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उन पर आपके चहेते लोग बैठे हुए हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देते हैं या ऐसे लोगों को उनमें रखते हैं जो आपको पैसा दे सकें। मान्यवर, पी0 सी0 यू0 में एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है [xxx] वे हमारे मैनपुरी में गये थे। हमें बड़ी तकलीफ होती है। इनको शर्म नहीं है। हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। जब [xx] वहां पर पहुंचे तो दो सुपरवाइजर्स वहां पर इसलिये लगाये गये जो सब सुपरवाइजरों को इकट्ठा करें। उनसे कहा गया कि प्रशासक पधार रहे हैं इसलिये उनको 51 हजार रुपये की नजर देनी है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अंग्रेजों के जमाने में नजर दी जाती थी। अब ये नये अंग्रेज आ गये [xxx] जब [xxx] जी वहां पर पहुंचे तो सारे सुपरवाइजरों से एक-एक हजार रुपया लिया गया। वहां पर शायद 60 सुपरवाइजर्स हैं। मुझे इसकी सही संख्या मालूम नहीं है। कुछ लोग मुझे मिले तो यह बात वे मुझे बता रहे थे। (व्यवधान) आपको क्यों बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि हमसे एक-एक हजार रुपये मांग रहे हैं, हम कहां से दें। उनसे कहा गया सबसे एक-एक हजार रुपया जबरन वसूल किया जाय। उनसे कहा गया कि जो नहीं देगा उनका ट्रांसफर पौड़ी गढ़वाल कर दिया जायेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति से एक-एक हजार वसूल करके [xxx] 51 हजार रुपये लेकर लौटे। उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। कोई नोर्म और डिकोरम नहीं रहा। सारी संसदीय मान्यताओं को चौपट कर दिया। इन्हें न शर्म है न हया है। इन [xxx] को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आप हिम्मत क्यों नहीं करते कि चुनाव करा दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय त्रिपाठी जी जिनका यह नाम ले रहे हैं वह जनता पार्टी के शासन काल में मंत्री रहे हैं वह इस समय सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए जो सदस्य नहीं होता है उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

जो सदन में नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अब जरा संक्षेप करें।

श्री विजय सिंह राणा–

भ्रष्टाचार के मामले में तो लिया जा सकता है।

श्री बाबू राम यादव–

अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर किससे कहेंगे। इसी तरह से उपभोक्ता संघ के चुनाव नहीं हुये और वहां पर प्रशासक बैठे हुये हैं। ये सारी जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर मंत्रियों की जेब में पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जरा साहस करें। थोड़ी हिम्मत करें और इमानदारी का परिचय दें और न्याय करें। अगर मंत्री जी से न्याय की आशा नहीं है तो फिर किससे न्याय की आशा की जा सकती है। मैं बताना चाहता हूं माननीय [xxx] जैसे लोग इस कुर्सी पर नहीं रहे तो आपकी विसात क्या है आप भी सदा नहीं रहोगे। अब थोड़ा टाइम रह गया है लूटने के लिये। मैं बताना चाहता हूं कि जनता हमेशा अमर रहती है लेकिन अन्यायी करने वाले लोग मिट जाते हैं। जनता अजर अमर है, लेकिन अन्यायी मिट जाते हैं। इतिहास के पृष्ठ युगों से हमको यही बताते हैं। आप जरा हिम्मत करिये और कहिये कि इन शीर्षस्थ

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संस्थाओं का एक महीने के अंदर चुनाव करा कर चुने हुये लोगों को बैठा दिया जायेगा ।

गांवों में जो सदस्यों को पैसा दिया जाता है उसमें उनको लूटा जाता है मंत्री जी ने घोषणा की कि चैक काटने का अधिकार सदस्य को दे रहे हैं । इसी तरह ऋण वसूली में जो रसीदें दी जाती हैं वह फर्जी होती हैं। मैनपुरी में तमाम रसीदें फर्जी दी गयीं यह स्थिति सभी जगह है । इसलिए इसे रोकने के लिए कोई कानून बनाईये ।

दूसरी बात जो काश्तकार सोसाइटीज के सदस्य हैं उनके स्रोतों में रकम अंकित नहीं की जाती है । ऋण वसूल कर लिया जाता है लेकिन खातों में उसे दर्ज नहीं किया जाता है और जब दूसरा सचिव आ जाता है वह दुबारा वसूली करने लग जाता है । इस प्रकार काश्तकार से डबुल रुपया ले लिया जाता है । इस पर रोक लगाइये । इस पर सन् 1970 से पहले प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी ऋण न हो लेकिन आज तक उसे नहीं रोक पाये हैं । जब कोई दावा करता है कि फर्जी ऋण और फर्जी खाद दिखाई गयी है तो उसे आविट्रेशन में दे दिया जाता है और वहीं अधिकारी उसमें लिंक हो जाते हैं क्योंकि उसी विभाग के अधिकारियों को यह कार्य दिया जाता है लिहाजा उनके पक्ष में फैसला नहीं हो पाता है ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आप यह घोषणा करें कि प्रत्येक जिले में एक अलग से मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट रखा जायेगा जो सहकारिता के ऐसे मामलों को देखेगा (व्यवधान) सहकारिता दुर्दशाग्रस्त हो गया है । वैसे सहकारिता का मतलब यह था कि एक के लिए सब और सब के लिए एक, यह उसका मूल उद्देश्य बदल गया है । अब हो गया है सहकारिता सरकार के लिए और सरकार कांग्रेस के लिए । मान्यवर, इन्हीं के लोग या तो उसमें नियुक्त कर दिये जाते थे या इनका हिस्सा यहां दे जाते थे । इसीलिए साफ-साफ यह सुनना नहीं चाहते हैं ।

मान्यवर, अब मैं भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं । मंत्री जी इस विभाग में मंत्री होने के पहले जिला सहकारिता बैंक, मुरादाबाद के प्रशासक या अध्यक्ष थे । उसके पहले आंवला प्रोजेक्ट में उपाध्यक्ष थे । इन्होंने जितना वहां घपला, गबन किया है उससे यह आभास होता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग इनके पंजे से बचेगा कि नहीं ? आंवला प्रोजेक्ट में इनके रिश्तेदार थे, इक्ज्यूक्यूटिव डाइरेक्टर तो वहां 90 करोड़ रुपये का घपला पकड़ा गया, आडिट रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट आयी है । मंत्री जी के ऊपर चार्ज है लेकिन यह आज सरकार में हैं, सरकार बेईमानों की है, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है । इसलिए आप आडिट रिपोर्ट को निकलवायें और मंत्री जी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें वरना यह अधिकार हमको 6-7 महीने बाद मिल जायेगा तो हम लोग सीधे कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर, जब यह जिला सहकारी बैंक के प्रशासक थे तो इनके चहेते अधिकारी ने एक टी0 ए0 बिल प्रस्तुत किया उसमें फर्स्टक्लास ए0 सी0 का यात्रा दिखाया किन्तु रेलवे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को यात्रा नहीं की गयी है । मंत्री जी ने प्रशासक की हैसियत से वैरीफाई किया था, इसलिए इनको मंत्री नहीं रहना चाहिए क्योंकि सारी चीजें इन पर साबित हो चुकी हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

जरा दिखा दें ?

श्री बाबू राम यादव–

मेरे पास आयें तो सब बता दूंगा ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

कागज पर आधारित बात कह रहे हैं तो माननीय सदस्य वह कागज मान्यवर, आपको और मंत्री जी को दे दें वरना यह बात उड़ाना उचित नहीं है । जो कहा गया है उसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

देख लिया जायेगा । माननीय सदस्य कागज हो तो भेज दें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इनको शर्म लग रही है क्योंकि श्री लाल प्रताप सिंह जी बुजुर्ग हैं इसलिए खड़े हो गये ।

मान्यवर, इन्होंने सहकारी निरीक्षकों के प्रोमोशन के बारे में बताया । मेरे पास लिस्ट है उसमें सारे लोग सीधे इनसे जो अटैच हैं उनको सारे नियमों को तोड़कर प्रोमोशन किये गये हैं । आप स्क्रूटनी करा लें तो इनका चेहरा साफ हो जायेगा कि सारे जूनियर प्रोमोट किये गये हैं । कोई नियम नहीं है और लिख दिया गया है कि ज्येष्ठता सूची को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है । "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा ।" वाली कहावत इनके ऊपर चरितार्थ होती है । इसके अतिरिक्त इन्होंने जो भी प्रोन्नतियां की हैं । उसमें भी यही सब है । सहकारी निरीक्षक वर्ग की जो प्रोन्नतियां की हैं, उसकी बात बतायी । इसके साथ ही कुछ लोगों का रिएप्वाएनटमेंट किया गया है, जो लोग सीधे साधे इनसे अटैच हैं । आप नियम बताइये, क्या कोई ऐसा नियम है कि आदमी जिस पद से सेवा निवृत्त हुआ हो, रिएप्वाएनमेंट उसी पद पर उसका कर दिया जाए । लेकिन मंत्री जी ने नियमों के विरुद्ध ऐसा भी किया है ।

इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मंत्री जी हरिजन विरोधी हैं, यह हरिजनों से नफरत करते हैं । इनके यहां एक भी हरिजन अधिकारी को प्रोन्नत नहीं किया गया है । एक भगवती प्रसाद बहुत अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, एल0 डी0 बी0 में हैं, लेकिन वह हरिजन हैं इसलिए वहां उनका ट्रांसफर हो गया, और जो लाखों रुपये की कमाई करके इनको पहुंचाते हैं, उसको रख दिया गया है । ईमानदार अफसर को हटा दिया गया और ऐसे लोगों को रखा गया है, जो कल से ही मंत्री जी को लाखों रुपया पहुंचाना शुरू कर देगा । जो रिजर्वेशन में नामांकन मंत्री जी ने किया है सहकारी बैंकों में, उसमें भी इन्होंने एक भी हरिजन को नहीं नामित किया है । हमारे जिले के हरिजन विधायक राम सिंह ने किसी तरह लड़ झगड़ कर अपने को नामित कराया , लेकिन आज तक उनको एजेण्डा नहीं गया और न उनको कभी बुलाया गया है । यह तो इनकी स्थिति है और हरिजनों के साथ यह रवैय्या है । इसके अतिरिक्त अब जो पहली अप्रैल से खेल चलेगा, उसको रोकने के लिए आपके माध्यम से मंत्री जी से विनय करता हूं । इस सहकारिता में जो सदस्य हैं,

जिनका नाम है, वह बहुत छोटे और गरीब किसान हैं और छोटे दस्तकार हैं, उन पर ट्रांसफर एन्ट्री का काम होगा, जिसको मंत्री जी ने अपने यहां छूट दे रखी है। यही तीन माह इनको मिले हैं, ट्रांसफर एन्ट्री रोकी जाए। इसको मंत्री जी सख्ती से रोकें। अब मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं, जिन लोगों के गलत ढंग से प्रमोशन किये गये हैं। यह सब वही लोग हैं जो मंत्री जी के आस पास के और उनसे सीधे अटैच लोग हैं। एक श्याम पाल सिंह हैं, जो सबसे जूनियर हैं लेकिन प्रमोट किया गया है। इसी तरह डोरीलाल को सेवा मंडल का अध्यक्ष नियम विरुद्ध बनाया गया है। वृजेन्द्र को बहुत जूनियर होने के बावजूद अच्छी जगह-ए0 आर0 गाजियाबाद का पद दे दिया गया है। टी0 पी0 सिंह को बल्ड बैंक का एम0 डी0 नियुक्त कराया गया है। आर0 एम0 सिंह को एक्सटेंशन दिलाया गया है, जो इसके कभी लायक नहीं थे। इनकी सेवा पंजिका इतनी खराब है कि इनको एक्सटेंशन मिलना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह योगेन्द्र मलिक, सुन्दर पाल और अमेवीर सिंह आदि अनेक लोगों को गलत तरीके से अच्छे स्थानों पर नियुक्त कराया गया है। मेहनतकश और ईमानदार अधिकारी जो सीनियर भी हैं वह इनके मुंह की तरफ ताकते रह गये, वह पैसा नहीं जुटा पाये, इसलिए प्रमोशन नहीं प्राप्त कर पाए। मैंने जो बातें कही हैं और जो सुझाव दिए हैं, उनका जवाब मंत्री जी अपने उत्तर में अवश्य देने की कृपा करें। जो पहली अप्रैल से एक जून तक ट्रांसफर एन्ट्री के द्वारा किसानों को रुपया लूटा जा रहा है, उस पर किसी तरह की रोक लगा दें। मैं आपसे यही चीजें कहना चाहूंगा।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, बाबू राम जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं जो उन्होंने सुझाव दिए। मैं उस पर कोई कमेन्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं करता हूं जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं लेता हूं जो आदमी नहीं है उस पर आरोप लगाना और कागज का हवाला देना और उसको प्रस्तुत न करना, यह सब ठीक नहीं है।

श्री बाबू राम यादव–

यह सब सरकारी रिकार्ड में है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

आपको प्रमाण देना चाहिए बगैर प्रमाण के कुछ नहीं कहना चाहिए इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन पूरी तरह से आन्दोलन का रूप ले रहा है और यह माननीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है। सहकारिता एक आदर्श है एक आइडियल जीवन पद्धति है यह उस वक्त आई, 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में जब ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज व्यापार को अपने हाथों में ले रही थी। डाक्टर स्मिथ और दूसरे विद्वानों ने कल्पना की कि कैसे इस एक्सप्लानेशन से बचाया जाये और प्राफिट मोटिव को खत्म करके सेवा भाव से कोई संस्था स्थापित की जाए। इस एप्रोच से यह संस्थायें स्थापित हुईं। हम सभी को ज्ञान है कि हमारे देश में इसी उद्देश्य को लेकर इन संस्थाओं का जन्म हुआ। बहुत से विद्वान मानते हैं कि इन संस्थाओं की स्थापना ही से जन साधारण की प्रगति हो सकती है। हालैंड और डेनमार्क में यह संस्थायें बहुत सक्सेजफुली, बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके से हमारे प्रदेश में सहकारिता विभाग पूरी क्षमता के साथ किसानों मजदूरों और दूसरे लोगों की हितों की पूर्ति करेगा । मुझे विश्वास है कि इसमें एक डायनेमिजम, एक गतिशीलता आएगी और प्राफिट इन्ट्रैस्ट की बात नहीं रहेगी ।

यह एक आन्दोलन के रूप में होनी चाहिए । सहकारिता तभी सक्सेसफुल होगी जब इसमें गति पैदा की जाएगी । सरकारी प्रेशर या दबाव या कैआंस करके कोआपरेटिव को लागू न किया जाए, इससे वह भावना पैदा नहीं होगी । दूसरी इसमें हमारी यह परिकल्पना थी कि इससे अफसरों को बिल्कुल हटा दिया जाएगा । जो अभी तक पूरी नहीं हुई है । जिन ट्रेण्ड आदमियों की इसमें जरूरत होती है वह आप पैदा करेंगे, वह हमारे बीच से, किसानों के बीच से आएंगे यह हमारी परिकल्पना थी, इसको नान आफिशियल स्वरूप दिया जाएगा यह हमारी परिकल्पनाएं थीं जो पूरी नहीं हुईं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री जी जो अनुभवी हैं वह अपने अनुभव के मुताबिक इसको और कार्यान्वित करेंगे । सेब को पेड़ से गिरते सबने देखा, लेकिन न्यूटन ने जब इसको देखा तो उसने ला आफ ग्रेवटी की स्टोरी ईजाद की तो इन परिकल्पनाओं को पूरा करने के लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत है सरकार अपने अनुभव के मुताबिक उनको और आगे ले जाएगी ।

सहकारिता फ्यूडल या सेमी फ्यूडल, सामन्त और अर्ध सामन्त लोगों के अधिकार में है इसलिए यह आन्दोलन का स्वरूप नहीं ले रही है। जन साधारण की भागीदारी इसमें बहुत कम है । इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप मे सोसायटीज बनानी चाहिए जिनमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा और यूथ को पूरी तरह से प्रवेश करना चाहिए । मैं यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसका जो एक आंदोलन का रूप था जो एक भावना थी कि इसमें ग्रामीण जीवन को बिल्कुल नयी दिशा दी जायगी वह वातावरण आज पैदा करने की आवश्यकता है । मैं इसके अलावा एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि इसमें जो कर्मचारी लगे हैं उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग देने की जरूरत है । सहकारिता अपनी जगह पर है लेकिन अच्छे कोआपरेटर हों यह दूसरी बात है । अच्छे कोआपरेटर कैसे हों इसके लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरी तरीके से कामयाब होगा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है । जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी है उसके लिए बहुत से नियम बनाये गये हैं जिनसे भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं, अच्छे चरित्रवान, विद्वान और ऐसी निष्ठा और सिन्सियारिटी के व्यक्ति हैं कि इस बात पर हम सबको गर्व करना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । सहकारिता विभाग में बड़े पैमाने पर धन का गबन किया जा रहा है और जो अधिकारी गबन करते हैं वह जमानत पर छूट कर आ जाते हैं और उन्हीं पदों पर फिर स्थापित कर दिये जाते हैं तथा उनकी तरक्की कर दी जाती है । इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में एक करोड़ रुपये का गबन जिला सहकारी बैंक में किया गया और जिसने गबन किया उसको जेल भेजा गया । उसके बाद वह जमानत पर जेल से छूट कर आ गये और वह वहीं पर काम कर रहे हैं । जो लोग गबन करते हैं वह जमानत पर छूट कर आ जाते हैं और सीना तान कर चलते हैं । मेरा अनुरोध है कि जितने इस प्रकार के गबन हो रहे हैं उन पर रोक लगायी जानी चाहिए और यदि किसी पर गबन का अपराध साबित होता है तो उसको फौरन निलंबित करके आगे की कार्यवाही करें । मेरा दूसरा निवेदन यह है कि पूरे प्रदेश के पैमाने पर सहकारी समितियों के सचिव गरीब लोगों के नाम ऋण चढ़ा देते हैं उनको पता नहीं चलता है और उनके नाम से पैसा निकाल लिया जाता है । जब वसूली आती है तो तमाम गरीब लोगों की संपत्ति की कुर्की होती है, नीलामी होती है और वह जेल जाते हैं । उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जनपद बांदा में कुछ सोसाटियों के नाम मैं बता रहा हूं जैसे नरैनी, कालिंजर, घोसिया, बदौसा, भरतपुर सहकारी समितियों में भीषण घपले किये गये हैं । गरीबों पर फर्जी कर्जे चढ़ाकर उनसे वसूली की जा रही है जिसमें कई लोगों की कुर्की हुयी है । मान्यवर, इस विभाग में सहकारी समितियों के सचिवों को बहुत अधिकार दे दिये गये हैं । वह जो कुछ भी लिख देते हैं उसको अंतिम माना जाता है । हमारा अनुरोध है कि सहकारी समितियों के जो सचिव हैं उनके अधिकारों को नियंत्रित किया जाय और इस पर विचार किया जाय इसके साथ-साथ वहां के जो -जो प्रतिनिधि हैं उनकी राय इसमें ली जाय ।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड सूखा प्रभावित क्षेत्र है और वहां 5-6 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है, वह क्षेत्र ओला पीड़ित और बाढ़ पीड़ित भी रहा है । वहां पर जो किसानों के कर्जे हैं वह कई गुने बढ़ गये हैं । मेरा अनुरोध है कि बुंदेलखण्ड के भीषण सूखे को देखकर जो वहां लोगों पर कर्जे हैं तो उन कर्जों के ब्याज को माफ करने की कृपा करें । वहां लगभग लोग पूरा पैसा दे चुके हैं लेकिन जो कुछ बाकी है उस कर्जे को माफ करने की कृपा करें । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों की जो वितरण प्रणाली है उसमें बहुत ही गड़बड़ी है । शक्कर मिट्टी का तेल और अन्य सामान की जो दूकानें हैं वह समय से नहीं खुलती हैं और न वितरण ही कायदे से होता है । तो इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि एक जनरल सर्वे करवा कर इस तरह की जो वितरण प्रणालियों में खामियां हैं, उनको सख्ती से दूर किया जाय । सहकारी समितियों की दुकानों को समय से खुलवाया जाय, वे अक्सर बन्द रहती हैं । वितरण प्रणाली में सहकारी समितियों में खामियां हैं, उनको ठीक करवाया जाय । भूमि विकास बैंकों की शाखाओं में भी गड़बड़ियां हैं । भूमि विकास बैंक की शाखाओं से पम्पिंग सेट या अन्य जो दूसरे कर्जे लिये गये हैं, वह तमाम दलाल, गरीब लोगों के नाम से ले लिये हैं, जिसकी गरीबों को जानकारी भी नहीं है, उसकी वसूली जब आती है, तब उसकी जानकारी होती है । वहां के जो मैनेजर हैं, उनसे मिल कर वे लोग दलाली करके पैसा निकाल लेते हैं ।

अपने बांदा जनपद के भूमि विकास बैंक शाखा नरैनी, गल्हू हरिजन, ग्राम सुदिनपुर के नाम से पंपिंग सेट ले लिया गया और उसकी जानकारी भी नहीं हुई, जब वसूली आयी, तब उसकी जानकारी हुई और जिन्होंने पम्पिंग सेट ले लिया बाद में उन्होंने उस पम्पिंग सेट को बेंच दिया । साथ ही साथ हमारे बांदा जनपद में ग्राम पुकारी में भी बहुत फर्जी लोनिंग हुई है और वह गरीबों के नाम से हुई है, लेकिन गरीबों को जानकारी नहीं है और उनसे पैसा अब वसूला जा रहा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की जहां-जहां की घटनाएं हैं, उनको सर्वे कराकर देखा जाय और एक टीम बनाई जाय, जो वह इस बात का सर्वे करे कि कहां पर गड़बड़ी है, उसको सख्ती से देखा जाय । मैं अपने बाबू राम यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी भगवती प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और बाबू राम यादव के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । श्रीमन् प्रस्तुत बजट और बजट भाषण से प्रदेश के सहकारी आंदोलन के बारे में इस माननीय सदन के द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को यह पता चल जायेगा कि सहकारी आंदोलन कहां तक सफल हुआ है, कितने अच्छे तरीके से उसका विस्तार हो रहा है और इस आंदोलन में प्रगति आ रही है और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के द्वारा सहकारी आंदोलन के नैवयत का भी पता चलता है। श्रीमन् यह नेहरू शताब्दी वर्ष है। नेहरू जी ने कहा था कि भारत के आर्थिक ढांचे के लिए सहकारिता एक अनिवार्यता है । यही नहीं श्रीमन् बल्कि सहकारिता गरीब कृषकों के कल्याण के लिए एक अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में सबका सहयोग अपेक्षित है, जिससे हर वर्ग के लोगों का सहयोग अपेक्षित है, चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, सबका सहयोग इस आन्दोलन के लिए चाहिए। इसकी प्रगति के लिए या जाति का हो, सबका सहयोग इस आन्दोलन के लिए चाहिए । इसकी प्रगति के लिए और सहयोग अपेक्षित है । इस बजट पर कटौती का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश के कृषकों के विकास का यह सहकारिता एक आर्थिक दूत है ।

अभी माननीय विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि मंत्री जी ने आंकड़ों का जाल पढ़ा है, श्रीमन् आंकड़े भाषण से तैयार नहीं होते, आंकड़े उपलब्धियों के मात्रात्मक और संख्यात्मक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे प्रदेश की जनता को यह पता चलता है कि सहकारिता आन्दोलन अपने गन्तव्य तक किस रफ्तार के साथ गरीब कृषकों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा है । श्रीमन् अभी तक यह आन्दोलन सहकारी भय से प्रभावित हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्य मंत्री तिवारी जी के नेतृत्व में सहकारिता का चुनाव करा कर सभी संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान कर सरकारी भय को समाप्त किया । यह ऐसा विभाग है जो विभिन्न योजनाओं से कृषकों की सेवा करता है, जैसे कृषि उपज का क्रय-विक्रय, विधायन, शीतगृह, श्रम, उपभोक्ता भण्डार, सहकारी ऋण एवं बैंकिंग तथा सहकारी जड़ी-बूटी एवं भेषज विकास आदि क्रियान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है । श्रीमन्, बहुत सी संस्थाएं हैं चाहे भूमि विकास बैंक हो, पी0 सी0 एफ0 हो, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से सहकारिता विभाग के माध्यम से गरीब किसानों की मदद की जा रही है, सोसाइटियों की मदद की जा रही है। पी0 सी0 एस0 सिर्फ एक ऐसी संस्था है जो 45 साल से किसानों की सेवा कर रही है किसानों की साथी के रूप में, मित्र

के रूप में । पी0 सी0 एफ0 के पास सेवाओं और परियोजनाओं की अधिकता है । सेवा के मामले में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं धान की खरीद, कृषि निवेश की आपूर्ति जैसे उर्वरक, बीज एवं सस्ते दाम पर विद्युत मोटर, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की वितरण जैसे लेवी, चीनी व कोयला कृषि उपज का क्रय विक्रय तथा प्रोसेसिंग किसानों के आलू भंडारण के लिए शीतगृहों का संचालन, बम्बई में हस्तकला वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री, कृषि उपज का वैज्ञानिक भंडारण के लिए एल0 सी0 डी0 सी0 योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण, इसी तरह से परियोजनाओं के मामले में सोयाबीन और वस्पति प्रोजेक्ट सोया आहार तथा वनस्पति घी का उत्पादन विजिटेबिल इण्डस्ट्रीज काम्पलेक्स बदायूं द्वारा तेल एवं पशु आहार का उत्पादन, कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत द्वारा आयुर्वेदिक ड्रगों का उत्पादन, कृषि यंत्रशाला मेरठ द्वारा कृषि यंत्रों का निर्माण, इसी प्रकार से दूसरी शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक है जिसमें जुलाई, 88 से 31 जनवरी, 89 तक कुल 7 महीने के भीतर लगभग 78 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया ।

भूमि विकास बैंक में एक नया क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है पहले यह बैंक अल्प सिंचाई कार्यों के लिए ऋण वितरण करती थी अब इसका विस्तार करके ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए भी ऋण दिया जा रहा है जैसे उद्यान वनीकरण, भैंस पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन और ऊसर पती भूमि विकास के लिए करोड़ों रुपये वितरित किया गया है । मान्यवर, जनपद स्तर के जहां चुनाव कराये गये हैं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ मार्केटिंग सोसाइटियों के जो चुनाव कराये गये हैं वहीं हरिजनों के लिए संचालक मंडल में आरक्षण की व्यवस्था थी लेकिन प्रदेश की जो शीर्ष संस्थायें हैं जैसे पी0 सी0 एफ0, भूमि विकास बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, पी0 सी0 यू0 आदि संस्थाओं में संचालक मंडल में हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिस प्रकार राजस्व मंडल से एक निदेशक चुनकर आयेंगे तो उसमें एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जरूरी है, अगर नियमों में संशोधन करना पड़े तो यह अच्छी बात है क्योंकि अभी सहकारी शीर्ष संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव से पहले जैसी व्यवस्था होनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा करता हूं । दूसरा सुझाव यह है कि सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे पहले कोआपरेटिव कौंसिल का गठन किया गया था जो इस समय निष्प्रभावी है उसका पुनर्जागरण किया जाय ताकि उस आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव आये और उस पर सरकार अमल कर सके । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, आज प्रदेश का सहकारिता विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । सबसे अधिक भ्रष्टाचार है तो इस सहकारिता विभाग में है । सहकारिता विभाग द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह गरीब किसानों के नाम पर बड़े-बड़े लोग यह ऋण प्राप्त करते हैं और उन गरीब किसानों का तो नाममात्र का बस फाइलों पर ही नाम रहता है और बड़े-बड़े आदमी उनके नाम पर कर्जा ले लेते हैं । गरीबों को

यह लाभ नहीं मिल पाता है । मान्यवर, सहकारी कृषकों से जो सरकार वसूलियां करती है, उनको जो रसीदें दी जाती हैं आप देखेंगे तो मैं आपको कई रसीदें ऐसी दे दूंगा जिसमें 1800 रुपये भरे गये हैं हैं तो उसमें 1800 रुपये प्रथम प्रति पर और दूसरी प्रति पर 800 रुपये अंकित मिलेंगे तो इस प्रकार जो सचिव रसीदें देते हैं उनसे नाजायज रूप में कमाते हैं । आज सचिवों की स्थिति देखें तो आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारी से अच्छी स्थिति उनकी मिलेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह जो ऋण की अदायगी है यह आप चेकों के माध्यम से करायें और वह चेक काटकर दे दें और उसकी वसूली वहीं ली जाय तो अच्छा होगा ।

मान्यवर, हमारे जनपद में सूखा पड़ा है पिछले वर्ष भी सूखा पड़ा था तीसरे साल भी सूखा पड़ा था, 3 वर्ष से सूखा पड़ने से स्थिति बहुत भयंकर है । किसान किसी भी स्थिति में ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों ने सहकारिता से जो भी ऋण लिये हैं उनको माफ कर दिया जाय । लगातार 3 वर्षों तक सूखे की स्थिति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, किसानों का जो उत्पीड़न होता है ऋण वसूली में उसका एक अलग तरीका होता है । किसानों के साथ जबर्दस्ती मार-पीट की जाती है । कई एफ0 आई0 आर0 लिखायी जाती हैं, लेकिन जो यह तरीका अपनाया गया है, इस पर आप ध्यान दें । मान्यवर, हमारे ललितपुर जनपद में प्रत्येक समिति में लाखों का घपला है और इसकी जांच चल रही है । देवरान समिति के एक कृषक ने पत्र दिया है कि उसने केवल 4 हजार का ऋण लिया था, आज 14 हजार का ऋण बकाया है । रसीदें देख लें चार हजार कभी का जमा कर दिया है । इसको तत्काल देखने का कष्ट करें । पास-बुक किसानों को नहीं मिलती है । सचिव अपने पास रखता है । क्षेत्रों में यह भारी गड़-बड़ी है । किसानों को पास बुक दिलाई जाय । सचिवों की आर्थिक स्थिति से आप अवगत हो गये हैं।

चुनाव में इस बार जो धांधली हुई है, जिस कृषक को बेबाक होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उसमें जो सचिव के दोस्त हैं, तो उनको बेबाक कर देते हैं और जो बेबाक हैं उनको ईमानदार बना देते हैं और वे चुनाव में भाग नहीं ले पाते । सचिवों के प्रमुख व्यक्ति सहकारी बैंकों में और अन्य जगह अधिकारी बन गये और भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं । मान्यवर, फर्जी समितियां बनती हैं जैसे श्रम संविदा समिति है, मत्स्य समिति है, ऐसी समितियां बनती हैं, फर्जी ऋण लेती हैं और गरीब आदमी को फायदा नहीं मिलता । ये समितियां सिर्फ चुनाव के लिए बनती हैं । इसको तत्काल देखें । मान्यवर, आज जब खाद के लिए किसान ऋण चाहता है, उसकी फाइल में इतनी ज्यादा लिखा पढ़ी होती है कि किसान जो बीज या उर्वरक चाहता है, समय से नहीं मिलता उसका चेक इतने दिन के बाद काटा जाता है कि तब किसान को उसकी जरूरत नहीं होती है । ऐसी व्यवस्था करायें जिससे किसानों को तत्काल ऋण मिल सके और वह उस सुविधा का उपयोग कर सकें । इसके साथ ही मैं माननीय बाबूराम जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

[समय 6 बजकर 10 मिनट]

*श्री महरम सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसलिए कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि सहकारिता में किसी तरह की कोई दलीय व्यवस्था नहीं है और जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनायी गयी हो, उसमें जब तक मिल कर काम नहीं किया जायेगा, उसका मूल रूप क्षतिग्रस्त किया जायगा। तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमारे विपक्ष के साथियों ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि इतना भ्रष्टाचार तो बता दिया लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्थानीय आन्दोलन नहीं किये, कहीं कोई शिकायत की। यह पूछा जाय तो बहुत कम मिलेंगे कि उनके द्वारा शिकायत की गयी। इसलिये उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 सहकारिता मंत्री और उप मंत्री और कांग्रेस आई की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं। हो सकता है कि प्रशासन में कमियां हों, इतने बड़े प्रदेश में।

इन चीजों के लिये मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमीशन बनना चाहिए जो नीचे की इकाइयों से लेकर ऊपर की इकाइयों तक की एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करे जिससे उत्तर प्रदेश में सहकारिता को सुरक्षित, सम्मानित और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी कैसे बनाया जा सकता है इसके लिए कमीशन बनाने की जरूरत है। फर्रुखाबाद की बाबत कुछ सुझाव देना चाहता हूं वहां कुछ कठिनाइयां हैं। फर्रुखाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन की हैसियत से वह कठिनाइयां जानता हूं। यहां का उपभोक्ता भंडार है उत्तर प्रदेश का उससे कपड़ा दिया जाता है वह एक समान पूरे प्रदेश को दिया जाता है पी0 सी0 एफ0 उत्तर प्रदेश को और सभी डी0 सी0 एफ0 को।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय महरम सिंह जी संक्षेप में कहकर समाप्त करें।

श्री महरम सिंह–

उसमें यह भी होना चाहिए कि वह हैंडलूम से कपड़ा ले सके और ऐसी यूनिटों से ले सके जो मान्यता प्राप्त हैं। किसानों को जो खाद दी जाती है, पी0 सी0 एफ0 को जिलों में वह काम परिवहन का और स्टोर का जो है, डी0 सी0 एफ0 करती हैं। डी0 सी0 एफ0 को परिवहन का काम दिया जाय। हमारे यहां एक तहसील को दिया है। हम चाहते हैं कि पूरे जिले का हम लें और स्टोर वह लें यह आपकी संस्था है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी ही क्रय विक्रय समितियां हैं कहीं वृद्धि नहीं हुई इतने दिनों से क्रय विक्रय समितियों की वृद्धि होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में आलू का एक बड़ा कारखाना सहकारी क्षेत्र में लगना चाहिए। ताकि फर्रुखाबाद के आलू की खपत वहां के कारखाने से हो सके मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो सहकारी समितियों के सचिव हैं उन पर कोई नियंत्रण के लिए ऐसे नियम बनने चाहिए कि कागज हमारे यहां के बनने चाहिए एक समिति में रहे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैंक में रहे ताकि अगर एक कागज न मिले तो वसूली के लिए बैंक के कागजों से समिति का रुपये की वसूली बन सके और इसके लिए विस्तार के साथ कार्यवाही करनी चाहिए । माननीय मंत्री जी (सहकारिता), उप मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की, सहकारिता के बजट के लिए जो उन्होंने योग्यतापूर्ण तरीके से तैयार किया है, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सहकारिता एक आन्दोलन है इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन 10–15 साल से हमारा सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यदि वे भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो कम से कम किसी आलोचना प्रत्यालोचना की परवाह किये बिना मजबूत कदम उठाये अन्यथा उनकी जो एक साख थी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छ छवि की, जो इफको के उपाध्यक्ष के रूप में छवि रही है, वह धूमिल हो जायेगी । अभी बात आयी माननीय सत्यदेव त्रिपाठी जी की राज्य मंत्री का . . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

दर्जा दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया। जब आपके विभाग में पहले से एक अन्य मंत्री भी हैं । इसकी क्या जरूरत है, मितव्ययिता पर ध्यान देना चाहिए था, बजाय इस तरह से खर्च बढ़ाने के । दूसरे इस विभाग में कुछ ऐसे अफसर लोग हैं जो पिछले दिनों से भ्रष्टाचार करते रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें । हरेन्द्र जी समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

यह विभाग उनके लिए चरागाह बना हुआ है । उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । एक तरफ रजिस्ट्रार को ईमानदार बताया जाता है । मंत्री जी को व्यक्तिगत जानकारी है इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती । उनके विरुद्ध कार्यवाही करें । मान्यवर, जब मंत्री जी और निबन्धक दोनों ही उच्च पदों पर हैं और विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे अधिकारी, जो उदंड हैं, उन पर अंकुश लगायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें । आपको जो शिकायतें मिलें, चाहे वह विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हों, या अधिकारियों के खिलाफ हों, उसकी जांच की एक रूपरेखा बनायी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जहां तक इस विभाग में भ्रष्टाचार की बात है, वह अपनी चरम सीमा पर है। जगह-जगह समितियां बनी हुई हैं और आपने प्रदेश स्तर पर चुनाव नहीं कराये, यह बात वास्तव में आपकी मंशा पर शक जाहिर करती है। आज को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है और माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि किसानों की तरक्की के लिए बहुत कार्य किये गये हैं। मान्यवर, मेरे यहां मुजफ्फरनगर में कितास गांव में एक महिला के ऊपर साढ़े चार हजार रुपये का जबरदस्ती कर्जा दिखाया गया और उस बेचारी महिला ने सचिव को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और अनेकों उच्च अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया, लेकिन उसकी कहीं सुनी नहीं गयी और वह मारी-मारी फिर रही है और अब उसके सामान की, खेत की कुर्की की बात हो रही है। दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनके विभाग में करीब 60 हजार जमीन हैं, वह जो 10 प्रतिशत के हिसाब से रिकवरी करते हैं, उसे सेक्शन-29 के मद में जमा नहीं किया जाता है, बल्कि इनके विभाग के अधिकारी उसका खुला दुरुपयोग कर रहे हैं और लूट रहे हैं।

मान्यवर, जो गाड़ियां कलेक्शन के नाम पर हैं, उनको वहीं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 20–25 हजार रुपये में खरीद कर वहीं के काम में 150-200 रुपये पर लगा रखा है, इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि आप इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करें और उसकी जांच करायें नहीं तो मैं यह समझूंगा कि आप स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मान्यवर, जो फर्जी लोनिंग हुई है, उसको भी माननीय मंत्री जी देखने का कष्ट करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मगरा में इसी बात को लेकर एक एम0 डी0 का कत्ल हुआ, उसने क्षेत्र के 10 लोगों पर फर्जी लोनिंग की थी। मान्यवर, आज सहकारिता के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह मिल-बांट कर खाने का एक धन्धा बन गया है। आज शासन से फर्जी समितियों के नाम पर, सहकारिता के नाम पर नाना प्रकार के लोन ले लिए जाते हैं और उनका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगायें। जो फर्जी समितियां बनी हुई हैं, उनकी जांच कराई जाय तथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, मैं इनके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक और मिसाल प्रोन्नतियों के संबंध में बताना चाहूंगा। प्रोन्नतियों के मामले में पहले से एडजस्टमेंट करे हुए लोगों को वरीयता तथा दूसरी चीजें दिखाकर प्रोन्नति दे दी जाती है, जबकि जिसको होना चाहिए, वह रह जाता है।। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि प्रोन्नति के मामले में वरीयता को न देखकर बल्कि योग्यता के आधार पर प्रमोशन किया जाना चाहिए और जो लोग अच्छा काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो लोग निकृष्ट हैं, उन्हें दण्ड भी मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबूराम जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण हरि शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सहकारिता

मंत्री जी ने जो क्रांतिकारी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें उनकी योग्यता का पूर्ण परिचय है और उन्होंने जन समस्याओं को छूते हुए इस तरह की नई घोषणायें की हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, आपने जो स्टाम्प की सीमा को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया है, वह भी स्वागत योग्य है। भण्डारण के लिए भी इस बजट में अनेक सुविधायें दी गयी हैं । एक बात की ओर ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि जो लोन वसूल होने लायक नहीं है, उनको राइटआफ करने का कदम भी उठाया गया है जो निःसन्देह एक अच्छा कदम है। मान्यवर, यह नेहरू शताब्दी का वर्ष है और मैं चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री जी आप हर क्षेत्रीय समिति में, हर प्राइमरी समिति में यह देखें कि जो ऋण देने के काबिल नहीं हैं, उसको ऋण से मुक्त किया जाय, यह भी कीर्तिमान आप कायम करें ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव का जो सेटअप है, जो साधन सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय सहकारी समितियां हैं । उनमें साधन सहकारी समितियों का एकदम से जाल बिछा दिया गया, लेकिन इनका काम सन्तोष-जनक नहीं है और यह समितियां पूरी तरह से एकाउन्टेन्टों के हाथ में हैं, जो चाहते हैं वह करते हैं । आपकी क्षेत्रीय समितियों का आकार इतना बड़ा है कि उसमें 40-40 गांव हैं । उसमें जो सैन्स आफ ब्रदर हुड होना चाहिए, उससे वह वंचित हो जाता है । इनके आकार को कम करिये । साधन सहकारी समितियों को परि-वर्तित कर दिया जाय । क्षेत्रीय सहकारी समितियों में 5–10 गांव हों और सहकारी समितियों में इन्हें रूपान्तरित कर दिया जाय, जिससे जनता को भी सुविधा मिलेगी और उन पर सही नियंत्रण हो पायेगा । आपकी एक-एक क्षेत्रीय समिति 2-2 व 3-3 ब्लाकों में बंटी हुई हैं, जिससे नियंत्रण नहीं होता है फलस्वरूप आपका जो सह-कारिता आन्दोलन है, वह भी लंगड़ा हो रहा है । हर ब्लाक में जहां सहकारी समिति है, उसकी सीमा वहीं तक कर दी जाय ।

ऋण के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं । भूमि विकास बैंक से जिन लोगों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया गया है, आज उनकी जो 54-54 बीघा जमीन है, उसे आपने 14 हजार व 25 हजार की नीलामी पर रख दिया है । मैं चाहूंगा कि आप जो 10 परसेन्ट चार्ज लेते हैं, उससे काश्तकार को मुक्त कर उसे साधारण किश्त में ऋण वसूल किया जाय और ट्रैक्टर को ऋण मुक्त किया जाय ताकि वह अपनी खेती कर सके और अपना भरण-पोषण कर सके तथा बाल बच्चों का जीवन यापन कर सके ।

मान्यवर, सहकारिता के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि आज गरीब को यह पता नहीं है कि कितना ऋण उसे देना है और वह कितना दे चुका है । इसके लिए ऋण पुस्तिकाओं का प्रचलन किया जाय । आज जहां भी ऋण पुस्तिकायें हैं, उनकी कम्पलायेन्स नहीं हो रही है। 30 जून के बाद हर आदमी को यह पता चल जाना चाहिए कि ऋण पुस्तिका में उसका कितना बाकी है और कितना वह दे चुका है । तभी वह शोषण से बच सकता है अन्यथा नहीं बच सकता है ।

आज उपभोक्ता सामग्री का जो वितरण हो रहा है, ज्यादातर सहकारी समितियां कर रही हैं और 70 फीसदी इसमें सफलता भी मिली है, परन्तु फिर भी कम से कम मिट्टी का तेल जो गांवों में घर-घर तक नहीं पहुंच पाता है, बाजार में ही ब्लैक हो जाता है, आप मोबाइल दुकानें खोलकर इसे उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की ताईद करते हुए, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अभी मिर्जापुर के साथी ने भी कहा कि विपक्ष के लोगों को भी उन तमाम नीतियों की प्रशंसा करनी चाहिए । पंडित जवाहरलाल नेहरू शताब्दी समारोह की भी दुहाई दी गई । माननीय मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन में नेहरू शताब्दी के अवसर पर अगर आपने यह घोषणा की होती कि जिन लोगों ने 20 हजार रुपये का कर्जा ले रखा है, उसे माफ किया जाता है तब तो नेहरू जी की जन्म शताब्दी समारोह आपका सार्थक हो जाता । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सहकारिता एक आन्दोलन है विभाग नहीं । यह सच है कि यह आन्दोलन है विभाग नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा इन चारों प्रदेशों में अपने उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग सबसे भ्रष्ट माना जाता है ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

माननीय मंत्री जी आपने अपने बजट भाषण में. . . (व्यवधान होने पर)

मान्यवर, पहले सदन को व्यवस्थित कराइये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के व्यवस्थित होने पर)

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

दूसरी बात माननीय मंत्री जी के बजट भाषण के संबंध में कहना चाहता हूं । उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि कुछ लोग ऋण लेते हैं, देते नहीं हैं । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिसको एक बार भूमि विकास बैंक से या साधन सहकारी समिति से ऋण दे दीजिए उसको दुबारा मत दीजिए । आप घोषणा कर दीजिए कि आप कितना ऋण लिए हुए हैं, आपके कैबिनेट के लोग कितना ऋण लिए हुए हैं, विधायक लोग इस सदन के कितना ऋण लिए हुए हैं और उसकी वसूली कितनी हुई, तो जिस तरह से किसान जेल में जाता है उसी तरह एम0 पी0 या एम0एल0ए0 को 14 दिन की जेल काटनी पड़ेगी तभी कोई किसान जेल में बन्द होगा । लेकिन यह स्थिति नहीं बन पाती है । प्रोफेसर वासुदेव सिंह जब खाद्य मंत्री थे उन्होंने कहा था कि सहकारी समितियां जिनमें सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए । वे समितियां जो 2-3 सालों से ऐसी हो गयी हैं जिनके सचिव लाखों रुपये लेकर चले गये हैं, आप उनकी जांच कराने की घोषणा कर रहे हैं ।

इलाहाबाद में कोल्ड स्टोरेज प्रारम्भ किया गया । पी0सी0एफ0 का कोल्ड स्टोरेज बहुत खराब है, करछने में आलू सड़ गया उसका लाखों रु0 मुआवजा देना पड़ा । हंडिया में कोल्ड स्टोरेज खराब पड़ा है, बन्द होने की स्थिति में है । आपने कहा कि 24 कोल्ड स्टोरेज खोले जायेंगे लेकिन इनका बन्दोबस्त नहीं कर पायेंगे तो नहीं होगा । उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मण्डल की ओर से 1985 में विज्ञप्ति आयी, परीक्षा हो गयी, फील्ड आफीसर्स के 48 लोगों का चयन किया गया 34 को बुलाया गया, 14 लोग अभी घरों में बैठे हैं, गरीबी में दिन काट रहे हैं बुलाए नहीं गये हैं । बाबू राम जी ने कहा कि आप हरिजन विरोधी हैं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन अनुरोध जरूर करना चाहता हूं कि जो आरक्षण का कोटा है, उसको बरकरार रखिए । चाहे हरिजनों का हो या अनुसूचित जाति का हो ।

25 हजार रुपया जिन बेरोजगारों को मिला उद्योग विभाग से, बहुत कम लोगों ने उद्योग लगाए । आज ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे जनपद में हैं मुरादाबाद में भी हैं, जो कोआपरेटिव आन्दोलन पर कुण्डली मारकर बैठे हैं । भूमि विकास बैंक के चेयरमैन एम0डी0 और विभाग के अधिकारियों पर नाजायज तरीके से लोन देने के लिए दबाव डाल रहे हैं जबकि उनका कार्य अच्छा है । अतः आपसे अनुरोध कर रहा था, पिछली बार भी अनुरोध किया था, श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा था कि जहां पर कोआपरेटिव बैंक बन गयी है, जहां पर चुनाव करा दिया है कहा गया था कि उन डायरेक्टर्स के साथ विधायकों का भी कभी-कभी एक बार उनके संचालक मण्डल में बुलाकर बैठक करायेंगे । उसकी वजह यह है कि हम लोगों में से कोई रहेगा यह जरूरी नहीं है । दूसरी बात मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हंडिया में दुमदुमा, अर्जुनपट्टी, भेलसी और बड़ौत की सहकारी समितियां बन्द हो गयी हैं, वहां का सचिव रुपया लेकर चला गया है । आप वहां के लिए जिस सचिव की भी नियुक्ति करिये वह अपने गृह ब्लाक का कतई न हो, और वहां कोई सचिव जरूर नियुक्त कीजिए । आपके यहां रसीद अगर दी जाती है तो उसकी डुपलीकेट तैयार करके दूसरे को दे दी जाती है, इसके लिए रोक-टोक होनी चाहिए ।

ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त आप करते हैं 50 हजार रु0 तक की सीमा का, इसे संशोधित करके अब 25 हजार रु0 की सीमा को निर्धारित कर दीजिए । मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में एक शासनादेश के उल्लंघन में भूमि विकास बैंक के जनरल मैनेजर को आपने हटा दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

बस कर रहा हूं । जो आपने चुनाव के लिए कहा तो चुनाव उस समय सम्पादित हो गये जब माननीय अरुण कुमार सिंह उसके मंत्री थे । लोगों का कहना है कि चुनाव गुण्डागर्दी के आधार पर कराये गये । कम से कम आप अपने लिए ऐसी स्थिति पैदा न करें कि सहकारिता के स्थान पर आपको पशुपालन और कुक्कुट पालन विभाग ही दे दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा बजट पर बोलने के लिए मौका दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन के प्रणेता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे उनका कहना था कि भारतवर्ष के गांव-गांव में सहकारिता का आन्दोलन छा जाय । नेहरू जी का मत था कि सहकारी आन्दोलन भारत में आर्थिक व सामाजिक क्रान्ति का हथियार बनें। उनकी आशा के अनुरूप सहकारिता आन्दोलन भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है । चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे सहकारी समितियां हों, गांव का जनजीवन सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है । यह किसानों को खाद की सुविधा, बीज की सुविधा प्रदान करके खेती को बढ़ा रहा है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरठ में अंगूर की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका श्रेय सहकारिता विभाग का है । मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि अंगूर की खपत के लिए वहां एक किशमिश का कारखाना लगाने, शीतगृह बनवाने की कृपा करें । मेरठ में आलू के भण्डारण की समस्या है अतः सिसौली या अजराड़ा में मेरठ की सुपर मार्केट को बचाने के लिए माननीय मंत्री जी ने बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप उस सुपर मार्केट को और अच्छा बनाने के लिए वेस्टर्न यू0 पी0 की तरह बनाने के लिए उसको आर्थिक सहायता दीजिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय बाबू राम यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इसके संबंध में केवल दो-चार ही बातें कहना चाहता हूं और इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह जानकारी बहुत लोगों को है कि माननीय मंत्री जी इस विभाग को चुस्त बनाना चाहते हैं, यह भी लोग जानते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी को पनिशमेन्ट मिलेगा । इनके विभाग में जो पहले के बेकार लोग हैं, घूसखोर हैं उनके लिए माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है और वे मा0 मंत्री जी के लिए ऐसी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं कि जिससे वे हताश हो जांय । लेकिन मा0 मंत्री जी अपने विभाग पर अंकुश नहीं कर पा रहे हैं । वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए पूरे प्रदेश के लिए इस विभाग की तरफ से 49 लाख रु0 भेजा गया था । वर्ष 1986-87 को पूरे 49 लाख रुपये मान्यवर पूरे प्रदेश में भेजे गये और यह रुपये इसलिए भेजे गये कि जिन गरीब किसानों व मजदूरों ने ऋण लिए हैं, उनसे यदि वसूली किसी वजह से न हो सके तो यह धन उसी में समायोजित कर लिया जाए, लेकिन मान्यवर, उस पैसे का समायोजन उस मद में न करके बल्कि किसानों के नाम नगद देना दिखाकर अपने प्रयोग के लिए रख लिया और जब यह बात किसानों को मालूम हुई तो लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछने गये, पूछे जाने पर जब कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मान्यवर, वहां इन किसानों में बहुत बड़े पैमाने पर एक असंतोष का वातावरण व्याप्त हो रहा है। इस संबंध में मान्यवर हमने माननीय मंत्री जी को भी लिख कर दिया कि हमारे जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में ऐसी कई समितियां हैं केशवपुर व जगुई आदि जहां का करीब-करीब साढ़े तीन लाख रुपया इन सचिवों द्वारा हड़प लिया गया है और इससे पहले भी वहां (जगुई में) पर 1 लाख 38 हजार रुपये वर्ष 1984-85 में इन्हीं सचिवों द्वारा हड़प किये गये थे, जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गयी फिर वह 2 माह बाद जमानत पर छूटकर आये और आते ही कुछ समय बाद फिर उन्हें उसी स्थान पर तैनात कर दिया गया तो मान्यवर यदि यही स्थिति रही तो भ्रष्टाचार का अंत इस प्रदेश से होने वाला नहीं है। मान्यवर आप इस मामले की किसी के द्वारा जांच करा लें, स्थिति स्पष्ट हो जायेगी, 49 लाख रुपयों का मामला है, जो बहुत ही गम्भीर है।

इसी प्रकार से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज किसानों को आवश्यक वस्तुएं, रोज मर्रा प्रयोग में आने वाली चीजें जैसे चीनी है, खाद है, मिट्टी का तेल है, नहीं पहुंच रही हैं, 10 बोरा चीनी अगर दुकानदार उठाता है तो इन्स्पेक्टर को उसे घूस देनी पड़ती है और फिर जब वह लदाई आदि देगा वह अलग का खर्च रहा इस प्रकार से फिर वह सारी चीजें न देकर ब्लैक करता है, और ऐसी स्थिति में किसान को मिट्टी के तेल के लिए बाजार भाव से अधिक पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि यह दुकानें जो आपने सहकारी समितियों के माध्यम से खोली हैं, इनसे छीनकर किसी भी प्राईवेट संस्था के हाथों में दे दें तो इस सूरत में गांव वालों को हर सामान आसानी से मिल सकेगा। और यही वितरण हो सकेगा, अब मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहकर कटौती के प्रस्ताव का मैं पुनः समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी अन्त में फिर अपने मैं उसी बिन्दु पर जो 49 लाख रुपयों के संबंध में है, यदि इस मामले की आप निश्चित रूप से जानकारी करा लें तो इससे किसानों का बड़ा हित हो जायेगा।

श्री हरदेव—

मान्यवर, आपने जो सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर सहकारिता विभाग सर्वहारा एवं आम जनता के जन जीवन से जुड़ा हुआ है और इस विभाग की अनेकों शाखायें हैं जो पूरे प्रदेश की गरीब जनता, किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के हित में काम कर रही हैं। इसके अन्दर भूमि विकास बैंक, कोआपरेटिव, उपभोक्ता संघ व विभिन्न समितियों व राजकीय भण्डार निगम आदि हैं, जो आम जनता की सेवा में कार्यरत हैं, मैं इसके कार्यों के लिए माननीय मंत्री जी को और विभाग के अधिकारीगण को बधायी देता हूं। उ0 प्र0 सहकारी भूमि विकास बैंक में पहले बड़े-बड़े काश्तकार लोन लेते थे, जो 1-1 और 2-2 लाख रुपया ले लेते थे और जब वसूल करने वाले विभागीय कर्मचारी जाते तो उनको मारने लिए दौड़ाते थे और इनसे पैसा वसूल पाना लोहे के चने चबाना था, परन्तु अब उनके स्थान पर छोटे-छोटे गरीब किसानों और मजदूरों को उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में देने की आसान व्यवस्था की गयी है, इसके लिए भी माननीय मंत्री जी व अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में साढ़े 12 लाख मजदूर और भारतीय रिक्शा चालक मजदूर हैं, जिनके पास अपने कोई रिक्शे नहीं हैं, इसी प्रकार से हजारों की संख्या में टेम्पो चालक हैं, जिनके अपने टेम्पो नहीं हैं । बड़े-बड़े पैसे वाले लोग व्यापार के रूप में 30-35 से लेकर 50-50और 60-60 रिक्शे तथा दर्जनों टेम्पो खरीदकर उन चालकों से भारी संख्या में चलवाते हैं और इन्हें बहुत कम पैसे देते हैं । उत्तर प्रदेश सहकारी श्रम योजना के तहत सहकारिता विभाग ने इन रिक्शा चालकों की लोन सुविधा हेतु हर जगह समितियां बनायीं हैं जो 1972-73 से काम कर रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग 158 सहकारी रिक्शा चालक समितियों का गठन प्रदेश भर में हो चुका है। वर्ष 1984-85 में इन सहकारी रिक्शा चालक समितियों द्वारा इस योजना में व्यय हेतु एक भारी आय-व्यय का प्राविधान किया गया और वर्ष 1988-89 में कोई प्राविधान ऋण आदि देकर इन समितियों से कोई रिक्शा चालकों के हित में कार्य शुरू नहीं किया गया है तथा इन सहकारी रिक्शा चालक समितियों को अनुदान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जब कि नगरपालिकाओं में और टाउन एरियाज में रिक्शा चालक पेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी तरक्की के लिए और रिक्शा खरीदने के लिए इनको ऋण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है इन्हें बीस करोड़ रुपया इस कार्य के लिए बजट में व्यवस्था की जाय साथ ही यह भी मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और सुझाव है कि इन रिक्शा चालकों को सदस्य के रूप में आप नगरपालिकाओं और टाउन एरिया आदि में नामित किया जाये । मेरा सहकारिता मंत्री जी से निवेदन है कि इनको ऋण उपलब्ध कराया जाये, ऋण न मिलने से साढ़े बारह लाख रिक्शा चालकों का जीवन अधर में व संकट में है । मेरा निवेदन है कि जो फर्जी सोसाइटियां हैं, उनको समाप्त किया जाये और जो सोसाइटियां ऋण की वसूली नहीं कर पा रही हैं, उनको समाप्त किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये । आपका समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, एक बात कहकर समाप्त करता हूं । इन रिक्शा चालकों को तथा टैम्पू चालकों को स्वयं रिक्शा खरीदने तथा टैम्पू खरीदने के लिए सहकारी रिक्शा चालक समितियों के माध्यम से 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाय ताकि उनको अपने स्वयं का रिक्शा एवं टेम्पू मालिकान अधिकार प्राप्त हो सके । नगरपालिकाओं में यह आय का स्रोत हैं । इसलिए इन्हें विशेष सदस्य के रूप में नामित करने के हेतु माननीय सहकारिता मंत्री जी के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता जी आपका संरक्षण चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को यह निर्देश दिया जाये कि वे मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें नगरपालिकाओं, महानगरपालिकाओं तथा टाउन एरिया नोटी-फाइड एरिया के कमेटी के सदस्य के रूप में पूरे प्रदेश में एक-एक सदस्य नामित करने की

कृपा करें ताकि अपनी बातें कहूं । उत्तर प्रदेश में माननीय अधिष्ठाता जी अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, उसे अभियान चलाकर तत्काल आरक्षण कोटा पूरा कराने की कृपा करें साथ ही यह भी निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति के गरीब भूमिहीन एवं आर्थिक रूप से पीड़ित मजदूर किसान हैं, उनके ऋण को माफ किया जाये या उन्हें मूल ऋण ही किश्त करके वसूला जाये तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र की ओर रसड़ाबलिया की ओर तथा जनपद मऊ उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक उद्योग और कृषि में प्रगति के लिए गरीब तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को एवं बेरोजगार लोगों को एक निश्चित प्रोग्राम लगाकर तत्काल ऋण वितरण कराने की मांग करता हूं और बिल्थरा रोड सीयर में जो भूमि विकास बैंक खोलने का प्रस्ताव शासन को और विभाग के विचाराधीन है, उसे तत्काल खुलवाया जाये तथा मऊ तहसील के अन्तर्गत ब्लाक रतनपुरा में एक भूमि विकास बैंक की शाखा खोली जाये । मेरे क्षेत्र में रसड़ा में क्रय विक्रय समिति में काफी घपला तथा सचिव और भूतपूर्व सचिव श्री जमुना सिंह ने 32 हजार रुपये का जो घपला किया है, उसकी वर्तमान सचिव को तत्काल हटाकर शीघ्र जांच करायी जाये । रसड़ा के माधोपुर में एक शीतगृह तथा मऊ जनपद के हलधरपुर में एक शीतगृह के लगाने की तत्काल व्यवस्था की जाये । इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो बातें बोलने से रह जाती हैं, उसे मैं माननीय मंत्री जी को लिखकर अवश्य ही दे दूंगा ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सहकारिता आन्दोलन के नाम से बहुत सी बातें कही हैं, तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि इस प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन सहकारिता में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है । सहकारिता के अन्दर ग्रामीणों और किसानों को हर उपयोगी वस्तु सुलभ कराने की बात आती है और उनको सुविधा पहुंचाने के लिए यह आन्दोलन किया गया है । इसमें महिलाओं का भी कुछ योगदान होना चाहिए । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश की आधी आबादी की उपेक्षा करके आपका आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है । छोटी मोटी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वह आपकी समितियां नहीं उपलब्ध करा पाती हैं । हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं कि उनको चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है । अभी त्योहार हुए और बच्चों की परीक्षायें चल रही थीं तो उनको मिट्टी का तेल नहीं मिल पाया । अगर आपकी समितियां सुचारु रूप से काम नहीं कर पाती हैं तो उनके स्थान पर प्राइवेट लोगों को काम दे दिया जाये ।

मान्यवर, जनपद बलिया में विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत बेरुवार बारी ब्लाक के शिवपुर गांव में मिट्टी का तेल और चीनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां की समिति ठीक से काम नहीं कर रही है, उसे समाप्त कर प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दे दिया जाये । . . .

मान्यवर यह नोट कर लिया जाय । मान्यवर वहां की शिकायत है कि आपकी समिति के द्वारा चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिये वहा पर प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिया जाय ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो भी समितियों से ऋण दिए जाते हैं उनमें ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि फर्जी दस्तखत फर्जी स्लिप देकर किसानों से ऋण वसूल किया जाता है... (व्यवधान) इसी तरह से किसान को खेती के लिए खाद की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि समितियों द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है...

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो आपका एक मंत्री है जिसका नाम प्रमोद तिवारी है । इसे आपने मंत्री तो बना दिया । लेकिन आप इसकी आदत सुधारो । इसको यहां बिठाओ, जहां बैठता था । वहां कहां बैठा है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, इससे पहले कि आप इस पर कोई व्यवस्था दें कृपा करके मुझे भी सुन लें । मेरा माननीय राम शरण दास जी के साथ बहुत थोड़े दिनों का साथ रहा है । जो भी मेरी आदत खराब हुई है, वह इनके साथ बैठकर ही खराब हुई है । इसलिये पहले इनकी आदत सुधारें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह तो आपके आपस की बात है।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि जब भी किसानों को सीजन में खाद की जरूरत पड़ती है तो वह उन्हें नहीं मिल पाता है और मिलता भी है तो बोरियों से खाद निकली हुई होती है और वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव में कहा था कि आलू के भंडारण के लिये जो शीतगृह हैं उनकी आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके रख-रखाव की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और अधिक शीतगृह बनाने की योजना चल रही है । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इन योजनाओं को रोककर पहले के जो शीतगृह हैं उनके रख-खाव की आप उचित व्यवस्था बजट के माध्यम से करें ।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगी कि यह सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बनकर रह गया है । आपके जो कोआपरेटिव के चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी धांधली हुई है जो समितियां अवैध थीं उनको वैध करा लिया गया है । बलिया जनपद की बांसडीह की समिति अवैध थी, उसको वैध कराकर उसके चुनाव हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं – सुखपुरा, बेरुआरबारी, पिपरोटा, चौबे छवरा । इनमें लाखों रुपये का घोटाला है । ये समितियां अवैध थीं और उनको वैध करा लिया गया है और तब चुनाव हुआ है । बलिया जिले के कोआपरेटिव के जो प्रशासक हैं वे विपक्ष

के होते तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ऐसा न होता । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करा ली जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उस पर बल देती हूं ।

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मान्यवर, जो सहकारिता मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है वह इस प्रदेश के विकास के लिए विशेष स्थान रखता है । मान्यवर, लोकतंत्रीय समाजवाद में सहकारिता आन्दोलन ही उसकी एक रीढ़ है । इस आन्दोलन में एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर इधर या उधर दोनों तरफ के लोगों को एक सूत्र में बंधे रहने का अवसर मिलता है । मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आज हमारा सहकारिता आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहा है । राष्ट्रीय सहकारी संघ का और पी0 सी0 यू0 का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारिता आन्दोलन में आगे बढ़ रहा है । यह एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा आन्दोलन है और यह बहुत बड़ा प्रदेश है । इसमें कुछ जगहों पर खराबियां भी हैं, इसमें दो राय नहीं है लेकिन हर जगह इसमें खराबियां ही हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता । आज हमारे सामने उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के विशाल रूप की तरह सहकारिता आन्दोलन भी राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़े उसके लिये दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का उत्तरदायित्व है । हमारे सहकारिता राज्य मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं । भूमि विकास बैंक से लोगों को बिना भूमि के बंधक रख ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, स्टैम्प ड्यूटी को 30 हजार की सीमा तक बढ़ा दिया है । इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य जो सहकारिता आन्दोलन में बाधक था आफिसरशाही उसको समाप्त कर दिया है पहले जो 40 से 50 प्रतिशत सरकारी शेयर होने पर जो सरकार 1/3 वोटर अपने मनोनीत करती थी उसे समाप्त कर दिया है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं यह एक क्रान्तिकारी कदम है । मैं एक मिनट और लूंगा । हमारे कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे उसमें एक सुझाव मुझे ठीक मिला है उन्होंने कहा कि भंडारागार निगम में जो व्यवस्था चल रही है वह सही नहीं है । मेरा सुझाव है कि पी0 सी0 एफ0 ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण करे और भंडारागार निगम शहरी क्षेत्रों में करे तो अच्छा रहेगा और केन्द्रीय भंडारागार निगम को प्रदेश में रोक लगा दी जाय । इससे प्रदेश भंडारागार निगम को नुकसान होने से बचाया जा सकता है ।

आखिर में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जहां आपके 24 शीतगृह प्रस्तावित है वहां पहाड़ों में विशेषकर गढ़वाल में पी0 सी0 एफ0 का एक भी शीतगृह नहीं है इसलिये वहां शीतगृह बनाया जाय ।

इसके साथ ही चक्रवृद्धि ब्याज अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है सहकारिता आन्दोलन में यह ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि 10 हजार तक के ऋण में मूलधन से दुगुना किसी भी सूरत में न लिया जाय अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि सहकारिता आन्दोलन में भी लाला और साहूकार वाली बात आ जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री बाबू राम जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है जिसे वह बजट की संज्ञा देते हैं उसको सहकारिता का तूफान मैं कहता हूं । (इस समय 7 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) माननीय मंत्री जी एक अनुभवी हैं उनको पहले से सहकारिता का का अनुभव है उनका इससे लम्बा संबंध रहा है । हम लोग उनको ईमानदार भी मानते हैं, उनके अधिकारी चाहे सचिव हों या रजिस्ट्रार हों या संयुक्त सचिव हों वे ईमानदार हैं लेकिन उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार है उस पर उनका नियंत्रण नहीं हो रहा है इसके तथ्यों पर उनको जाना चाहिए । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध तमाम जांच हुई फिर भी उनको पदोन्नत कर दिया गया । एक आपके यहां डिप्टी रजिस्ट्रार बभनान चीनी मिल में रिसीवर नियुक्त होकर गये थे । वहां पर लाखों रुपयों का घोटाला उन्होंने किया । मैंने पत्र भी लिखा लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह रिटायर होकर चले गये आप उनका कुछ कर नहीं पाये । आप ईमानदार होने के बावजूद किन्हीं कारणों से कुछ कर नहीं पाये ।

आपके शीतगृह बस्ती में किसानों का आलू सड़ गया लेकिन किसानों को उसका पैसा नहीं दिया गया । मैं आप से और आपके रजिस्ट्रार साहब से कहना चाहूंगा कि किसानों को उसका पैसा मिलना चाहिए । मैं आपके विभाग में भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो दिल्ली की तरफ लोग अंगुली उठाते हैं ।

हमारे विकास खण्ड में केवल 11 सोसायटीज हैं उनमें से 6 सोसायटीज में किसी में एक लाख और किसी में दो लाख रुपया का घोटाला है । परसरामपुर में सचिव पैसा लेकर चल दिया और आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया । मान्यवर, हमारे भूमि विकास बैंक, हरैया में 6 लाख रुपये एकाउन्टेंट और मैनेजर मिलकर निकालकर गबन कर लिये जिससे दोनों डिस्मिस हो गए लेकिन किसानों पर आज नोटिस जा रही है जिससे वह भागे-भागे फिर रहे हैं । जब आप जानते हैं कि बेईमानी से पैसा निकाला गया है तो बट्टे खाते में पैसा डालकर किसानों को राहत पहुंचाये । मान्यवर, गांवों में जो सोसाइटीज हैं वह कर्जे के नाम पर किसानों को लूट रही हैं ।

मान्यवर, आज खाद गोदामों का निर्माण नहीं हो रहा है और जो बनाये जा रहे हैं उनमें थर्ड क्लास की ईंट लगायी जा रही है । अधूरे गोदाम बने पड़े हैं, मैं चाहूंगा कि उनको पूरा कराया जाये और निर्माण कार्य शुरू किया जाये जिससे किसानों को सुविधा मिल सके ।

मान्यवर, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो गबन किये हैं और उन पर मुकदमें दर्ज हैं लेकिन आज वह जिम्मेदारी के पद पर रखे गये हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और उनको जिम्मेदारी के पद से हटायें ।।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गोंडा जिले में 58 सचिव ऐसे हैं जिन पर लाखों रुपये के गबन के चार्ज हैं और ट्रान्सफर होकर चले गये हैं और चार्ज तक नहीं दिया है, इसलिये उन पर कार्यवाही की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जायं । श्री बंशी धर राज आप बोलें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि यदि आप ईमानदार हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों को दण्डित करें और ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कृत करें इससे आपका नाम होगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर राज–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जन आकांक्षाओं के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया । मान्यवर, जिन जनतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है सहकारिता उन जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा के लिए जो मंत्री जी ने कार्य किये हैं वह निश्चित ही सराहनीय है । सबसे बड़ा काम यह किया है कि सहकारिता के मूल्यों को बनाये रखा गया है सहकारिता को सरकारिता के चंगुल से निकालकर जनप्रतिनिधियों के हाथों में सहकारिता सौंप दिया है जिसकी सहकारिता में नितान्त आवश्यकता है और उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा यादव जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है तो भ्रष्टाचार की परिधि की सीमा में जनप्रतिनिधि, संचालक मण्डल और अध्यक्ष भी आ जाते हैं । इसलिये जिस प्रकार धारा 34 में संशोधन किया गया है उसी प्रकार धारा 68 का भी संशोधन करके उसका क्षेत्र बढ़ायें ताकि भ्रष्टाचार सहकारिता में न रह जाये ।

मान्यवर, इस वर्ष कई ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे सहकारिता को बल मिला है । जैसे चेक प्रणाली लागू की गयी । अभी तक किसानों को नहीं मालूम था कि चेक कैसे काटे जायेंगे । चेक प्रणाली लागू होने से जिले में किसान सहकारी बैंकों की शाखाओं से चेक से पैसा निकाल सकते हैं । जहां तक वसूली का प्रश्न है वह भी व्यवस्था अच्छी की जा रही है जो सराहनीय कदम है । मान्यवर, एक और बात भ्रष्टाचार के संबंध में कही गई, जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, सहकारिता इतनी बड़ी संस्था है, जो जन-जन में व्याप्त है, हो सकता है कहीं पर किसी स्तर पर ही हो । लेकिन उसको विस्तार से और खुलासा आप बतायें तो मंत्री जी को मौका मिलेगा उसे देखने का, अपने स्तर से अधिकारियों को निर्देश देने का और उसकी जांच कराकर उचित कदम उठाने का । मैं भूमि विकास बैंक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज गांव-गांव में बोरिंग और पम्पिंग सेट्स भूमि विकास बैंक द्वारा लगाये गये हैं जिसके कारण मान्यवर, खेत-खेत को पानी मिल सका, तो जो आज भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है, यदि यह व्यवस्था की गयी होती वह

आत्म निर्भर न हुआ होता । विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से और सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । जिसमें कहा गया है कि जो भी ऋण बंटेगा, उसमें 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाएगा । जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, इन लोगों को कोई भी व्यक्ति या संस्था कर्ज नहीं दिया करती थी, किन्तु इनको अब सहकारी संस्थाएं ऋण देकर और सुविधा पूर्वक ऋण देकर ऊपर उठाना चाहती है । दूसरी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है । यहां तक हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की यह धारणा थी और वह कहती थीं कि सहकारिता ही एक ऐसा विभाग है, एक ऐसी संस्था है, जिसके द्वारा गरीबों का कल्याण हो सकता है और निर्धनता दूर हो सकती है । मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो यादव जी ने कहा कि भण्डारागार निगम में भण्डारण क्षमता खाली है । उसके बाद उसका निर्माण किया जा रहा है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस समय भी आप देखें प्रदेश में भण्डारण क्षमता होनी चाहिए भण्डारण में 60 प्रतिशत क्षमता का भी निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है । मान्यवर, भण्डारागार निगम का कार्य है भंडारण करना और भंडारण हेतु भंडारागार का निर्माण करना आवश्यक है । यदि हम निर्माण नहीं करायेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर भण्डारण कहां करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर राज

यह बात सत्य है फिर भी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि पिछले वर्ष सूखे के कारण उत्पादन कम हुआ है जिससे भण्डारागार निगम को कोई घाटा होने वाला है । हमारे निगम में लगभग 65% भरा हुआ है जो पूरे देश के औसत में सबसे अच्छा है । सभी भण्डारागार निगमों की वर्ष 88-89 की क्षमता उपयोगिता 61% और इस निगम की क्षमता 71% है । इसके अलावा यहां जो किराये के गोदाम हैं, उन्हें हमें छोड़ना है और आगे निर्माण कराना है ताकि भण्डारण क्षमता पूर्ण हो सके (व्यवधान के मध्य) मान्यवर, सहकारिता में सबसे बड़ा कार्य सबसे बड़ी बात यह किया गया है कि 25 हजार से 5 लाख तक नान फार्म सेक्टर के अन्तर्गत ऋण देने की व्यवस्था की गयी है । यह कोई छोटा काम नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके नेतृत्व में सहकारिता अवश्य ही फले फूलेगी । धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा बजट यहां पेश किया है जो जन आकांक्षाओं की अवश्य ही पूर्ति करेगा ।

*श्री रामसागर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता बजट पर बाबू राम यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में हमें बोलने का अवसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया है। श्रीमन्, आप जो सहकारी समितियों के स्टोर हैं गांवों में, उनमें से अधिकांश स्टोर, जिनसे गांवों के लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध होना है, सामान रहित हैं, उनमें कोई सामान नहीं है। मैंने अपने जनपद में देखा है और क्षेत्र में यह देखकर महसूस किया है कि जितने भी स्टोर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने के लिए बने हैं, उनमें से अधिकांश स्टोरों में सामान नहीं है। उनमें न बीज है, न खाद है और न उनमें कपड़े की दुकानें हैं और न चीनी की दुकानें हैं। इस तरह से स्टोर बन्द पड़े हैं और मान्यवर, जो इनके कर्मचारी इन स्टोरों पर लगाये गये हैं वह निष्क्रिय हैं। कभी ड्यूटी नहीं करते हैं स्टोरों के बगल में जो प्राइवेट दुकानदार हैं उनको देखा गया है कि वह सुबह अपनी दुकान पर आ जाते हैं और दिन भर ड्यूटी देते हैं और अपनी दुकान से लाभ कमाते हैं लेकिन जितने इनके स्टोर हैं वह बन्द पड़े रहते हैं जनता को आवश्यक सामान उपलब्ध यह नहीं करा पा रहे हैं, तो यह कहना कि स्टोरों के माध्यम से सुविधा गांव में पहुंच रही है और किसानों को पहुंच रही है यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी सूचना के आधार पर आप पता लगवा लें कि मेरी सूचना सही है या नहीं। जो स्टोर बाराबंकी में हैं वह बन्द पड़े हैं जितने स्टोर बाराबंकी में बने हैं उसमें से आधे स्टोर बन्द पड़े हैं और जो स्टोर खुले भी उसमें कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं तो मंत्री जी इसमें कार्यवाही करायें ताकि वह स्टोर पर बराबर ड्यूटी पर आयें और जनता को आवश्यक सामान उपलब्ध करायें ताकि जो स्टोरेज जनता की आवश्यक जरूरतों के लिए खोले गये हैं वह जरूरतें उनकी पूरी हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बाबूराम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम शरण दास–

यह मेरा कसूर नहीं है आपके साथ और मुख्य मंत्री के साथ दो घंटे मीटिंग होती रही, न हमने कटौती का प्रस्ताव सुना और न बजट को सुना। सहकारिता विभाग से मेरा सीधा संबंध रहा है दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। आप दो मिनट दे देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्ति बनाये रखें। आप मेरी बात भी सुन लें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

एक मिनट मेरी भी बात सुन लें। तीन घंटे की चर्चा लगी है और वक्तव्य भी लगे हैं तो चर्चा को स्थगित करने के लिए लिखकर दे दें।

*श्री रामशरण दास–

जितनी देर से हम और आप बात कर रहे हैं उतनी देर में तो हम बोल लेते।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो अपना भला बुरा सोचते हैं । आप या तो चर्चा स्थगित करें, या फिर इसको समाप्त करें ।

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह विभाग बहुत अच्छा विभाग है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह जो सहकारिता विभाग है यह विभाग नहीं आन्दोलन है, लेकिन मैं समरपाल जी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यह आन्दोलन है, तो आन्दोलन का नेता अगर ईमानदार है तो आन्दोलन सफल हो सकता है अगर नेता भ्रष्ट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट का हेड, हेड गायने मंत्री, मेरा मतलब किसी अधिकारी से नहीं है, तो अगर हेड ईमानदार होगा तो सब ईमानदार होंगे अगर हेड भ्रष्ट होगा तो सब भ्रष्ट होंगे । आप शराब पीते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप शराब न पीते हों तो अच्छी बात है अगर आप अपनी आदत बिगाड़ेंगे तो सारे विभाग पर इसका असर पड़ेगा । आप अपनी अच्छी आदतों से जनता में विश्वास पैदा करें । अगर आपके विभाग का एम0 डी0 और सचिव चन्दा इकट्ठा करेंगे और आप भेंट करेंगे यह ठीक नहीं है। [xxx]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दें ऐसी बात रामशरण दास जी ने कही है जो अच्छी नहीं लगती है।

श्री रामशरण दास–

यह मैं सही कह रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह चार्ज लगा रहे हैं । इसको कार्यवाही से निकाल दें । मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बात न करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको देख लेंगे और यदि असंसदीय होगा तो निकाल देंगे ।

श्री राम शरण दास–

मंत्री जी ने यह पैसा सचिवों से इकट्ठा करवाया है । आप इसे कार्यवाही से क्यों निकालेंगे ? सचिवों के जरिये से यह पैसा इकट्ठा किया गया और 2 लाख 5 हजार रुपया प्रधान मंत्री को दिया गया । जब किसी के करप्शन या बेईमानी की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि कार्यवाही से निकाल देंगे । हमारे सहारनपुर में इसका घेराव हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा है कि देखने के बाद यदि ऐसी चीज होगी तो निकालूंगा ।

श्री राम शरण दास–

मंत्री लोग ठीक रहेंगे तो सब लोग ठीक रहेंगे । मैं कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं । आप सुधरें, गड़बड़ी न करें ताकि डिपार्टमेंट ठीक से चले ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्रीमती शशि शर्मा–

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कोआपरेटिव मिनिस्टर ने अपने गूढ़ अनुभव से और सूझबूझ के द्वारा जो कोआपरेटिव का बजट रखा है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं और जो यादव जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी मैं निन्दा करती हूं। मान्यवर, कोआपरेटिव मिनिस्टर को सबसे पहले मैं धन्यवाद इस बात के लिए देती हूं कि उन्होंने धारा-34 का प्रकाशन किया, उसका अमेंडमेंट कर दिया और चुनाव करा दिये। कोआपरेटिव आन्दोलन द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों के किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके लिये मैं कोआपरेटिव विभाग को धन्यवाद देती हूं। किसानों को मिट्टी के तेल की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है यह सारी चीजें कोआपरेटिव की दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं। इससे दो फायदे होते हैं एक तो समितियों के माध्यम से घपले नहीं होते हैं दूसरी जो आसपास की दुकानें होती हैं वह अपने भाव स्थिर रखती हैं और किसानों की आवश्यकता की चीजें समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि किसानों के जो कर्जों की राशि है तो अभी केवल 12 हजार रुपये ही उनको दिए जाते हैं। इस मंहगाई को देखते हुए किसानों के कर्जे की राशि को बढ़ा दिया जाय। पी0 सी0 एफ0 को और वायबिल बनाया जाय और उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाय।

जो विश्व बैंक की एन0 सी0 डी0 सी0 की स्कीम है उसको समाप्त न करें। इसकी अभी उत्तर प्रदेश को जरूरत है इसको अभी और चलायें। नाबार्ड की जो योजना चल रही है उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं कि किस तरह से हमारे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भंडार गृह और बनवाये जायं ताकि देवरिया के, वहां के कृषि उत्पादों को उनमें स्टोर किया जा सके। इसी तरह से मैं फाजिल नगर में कोल्ड स्टोरेज के सुधार के लिए अनुरोध करती हूं। उसमें एक फीडिंग चेम्बर और बढ़ाया जाय ताकि उसमें अधिक से अधिक आलू का भण्डारण किया जा सके। माननीय मंत्री जी के बजट की मैं प्रशंसा करती हूं। माननीय मंत्री जी बड़े परिश्रम से इस विभाग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और बजट का समर्थन करती हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जो लोग रह गये हैं वह अपने सुझाव लिखकर भेज दें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह गलत बात है आप हमें अवसर दें।

(श्री बाबूराम यादव के पुकारे जाने पर श्री विजय सिंह राणा, श्री मूलचन्द्र और श्री अनुग्रह नारायण सिंह के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने से व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं देता हूं । अब मैंने माननीय बाबूराम यादव जी को बुला लिया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

ढाई घंटे हो गये, इससे पहले आप क्यों नहीं बोले ? मैं तो अब नहीं बोलवाऊंगा, आपको जबरदस्ती बोलना हो, तो बोलते रहिये, लिखा नहीं जायगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप अनुमति दें, तब मैं बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर यह तय हो जाय कि राणा जी अकेले बोलेंगे और आपके बाद कोई नहीं बोलेगा, तो मैं मान लूंगा । मेरे साथ दिक्कत यह है कि आपको बोलवाऊंगा, तो उसके बाद भी फिर यही व्यवस्था आयेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

आपने इससे पहले भी बाबूराम यादव को पुकार लिया था, लेकिन उसके बाद वे आदमियों को फिर बोलवा दिए, मैं चुप रहा, अब मुझे कैसे रोकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप रुक नहीं रहे हैं, तो मैं दूसरे को कैसे रोकूंगा ? आप यह तय कर लीजिए कि आप ही बोलेंगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, तब मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप इजाजत देंगे, तभी मैं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो मिनट का समय माननीय राणा जी को दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनट की कोई दिक्कत नहीं है, अनुग्रह नारायण जी खड़े हैं, मूलचन्द जी खड़े हैं और लोग भी खड़े हो गये । मैं किसको-किसको रोकूंगा ? इसलिए मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, वास्तव में यह इतना बड़ा विभाग है, उतना समय हमें नहीं मिला । मान्यवर, जनता की जो तकलीफ है, उसे हम सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से और माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो वितरण प्रणाली है, उसके विषय में मुझे बहुत कुछ कहना था, उसके बारे में बहुत सी चीजें छूट गयी हैं,

क्योंकि समय बिल्कुल नहीं था । उसमें उर्वरक बीज और कीट नाशक दवाइयां मुख्य रूप से किसानों के काम आती हैं और इनके खाद के वितरण के बारे में तो मेरा खुद का अनुभव है कि जिसका तत्व निकल जाता है, पड़े-पड़े खराब हो जाती हैं, जिसको कोई नहीं पूछता, उसे सहकारिता के गोदामों में भेज दिया जाता है । उस खाद को लेने से किसानों का पैसा मर जाता है, क्योंकि उस खाद के पड़ने से कुछ लाभ नहीं होता है । तो इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो भी कीटनाशक दवाएं उर्वरक और बीज जो सरकारी गोदामों में किसानों के लिए भेजी जाती हैं उनकी प्रमाणिकता की पहले जांच करा लें और अगर पाया जाय कि सही है उसके बाद ही उन गोदामों पर भेजी जाय । इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंक जिसमें किसानों को खेती के औजार खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है इसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रति पम्पिंग सेट, मैं अपने जिले की बात करता हूं, दूसरे साथियों के यहां भी यही होगा, एक हजार रुपया रिश्वत ली जाती है तब उसको पम्पिंग सेट दिया जाता है । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि वह ऐसी व्यवस्था दें कि काश्तकार स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र लेकर जाय और अपने खेत के जो बन्धक होता है, उसकी पर्ची लेकर जाय तो उसको ऋण दे दिया जाय और सारी औपचारिकतायें समाप्त कर दें और इसके अतिरिक्त जो फर्जी कृषि औद्योगिक समितियां तमाम पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं और फर्जी ऋण का आवंटन करती हैं और ऋण लेने के बाद पता नहीं कहां चली जाती हैं । ऐसी ही मुरादाबाद जिले में जब आप उसके प्रशासक थे तो 25 लाख रुपया इन्हीं समितियों को दिया गया उसका आज तक पता नहीं इसी तरह से सारे प्रदेश में हो रहा है और जो समितियां हैं उनकी जांच करायी जाय उनका प्रमाण-पत्र एक गजटेड आफिसर से लिया जाना चाहिए तभी उनको रजिस्ट्रेशन किया जाय । इसी तरह से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण बैंक, किसान बैंक हमारे मैनपुरी में संचालित है और दूसरी जगह दूसरी बैंकों द्वारा है लेकिन हमारे यहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा चलायी जा रही है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के और इस आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं उसको सबसे निचले स्तर का कर्जा जो निचले तबके के लोग हैं, आई0 आर0 डी0 में आते हैं उसको ऋण करती है तो वहां पहले 300 रुपया रिश्वत ली जाती थी लेकिन जब से माननीय मंत्री जी के एक संबंधी आ गये हैं तब से यह 500 रुपया कर दी गयी है । हमारे जिले के सभी साथी विधायक हैं उन्होंने जिलाधिकारी की बैठक में और दूसरी बैठकों में उठाया लेकिन रिश्वत कम नहीं हुई है । मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच करायें और उसके बाद कार्यवाही करें । आज जो मैनपुरी की गरीब जनता है और आई0 आर0 डी0 की पात्र है आज उनसे 500 रुपये प्रति पत्रावली लिए जाते हैं उसको बचाने का आश्वासन दें । इसके अतिरिक्त एक पी0 सी0 एफ0 का अतिथि गृह है बम्बई में, यह अच्छी बात है उस अतिथि गृह में मान्यवर, पहले 25 रुपये लिए जाते थे आपके संज्ञान में यह भी ला दूं कि उस अतिथिगृह में ज्यादातर माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश के लोग

जिनके परिवार के लोग बीमार होते हैं या संकट के समय जाते हैं । अब उसका किराया बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है । मैं आग्रह करूंगा कि जैसे हम लोगों का दिल्ली में यू0 पी0 भवन में 10 रुपया लिया जाता है उसी तरह से इसमें भी 10 रुपया किराया कर दिया जाय । इस अतिथिगृह में एक पूरा-पूरा फ्लैट विभाग के किसी अधिकारी के अनाधिकृत कब्जे में है । मैं चाहता हूं कि उसको तुरन्त खाली करा दिया जाय और जो उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं किसी संकट की वजह से या बीमारी की वजह से उनके उपयोग में आ सके । इसके अतिरिक्त ग्रामीण गोदामों में जो वितरण प्रणाली है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैसे तो ग्रामीण अंचलों में चीनी का वितरण तीन त्योहारों पर होता है दशहरा, दीपावली और होली पर शेष 9 महीने की चीनी ब्लैक होती है आम तौर पर यह सब जगह पर है और हमारे जिले में निश्चित रूप से है । मैं निवेदन करता हूं कि इस वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि गांवों के जो गरीब लोग हैं उनको चीनी पूरे वर्ष उपलब्ध होती रहे । मिट्टी के तेल की हालत यह है कि कभी मिलता नहीं है मोटा कपड़ा कभी गोदाम पर पहुंचा नहीं मेरा विश्वास है कि 90 फीसदी गोदाम ऐसे हैं केवल 10 प्रतिशत ही ऐसी चीजें वितरण कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि शीतगृह के लिए उस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मैंने बजट देखा, सुना । इस साल शीतगृह निर्माण के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है, सुरक्षित नहीं किया गया । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का आलू सड़ रहा है, किसान मारा-मारा घूम रहा है । जहां-जहां शीतगृह हैं 100-100 ट्रैक्टर, बैलगाड़ी में आलू लेकर किसान धूप में बैठा आलू रखे जाने का इन्तजार कर रहा है । मैं चाहता हूं कि किसान की इस मुसीबत को टालने के लिए अधिक शीतगृहों का निर्माण किया जाय । इस संबंध में यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे मैनपुरी में करहल में शीतगृह नहीं है, जबकि वहां पर ज्यादा आलू उत्पन्न होता है । पहले एक योजना बनाई गयी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ । करहल में शीतगृह का निर्माण इस वर्ष प्रस्तावित करें । इसके अतिरिक्त एक अन्य बात मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा समय नहीं है आपने फिर बत्ती जला दी । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीबों का यह विभाग है । इससे संबंधित सारे लोग गरीब और छोटे तबके के लोग हैं । उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए मा0 मंत्री जी की जिम्मेदारी है, फर्ज है । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि "फर्ज जब आवाज देता है दिले बेदार को, उठ खड़ा होता है गाजी टेक कर तलवार को ।" तो इनकी ड्यूटी है, फर्ज है कि इन गरीबों को, किसानों को, मजबूरों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए आज ही इस सदन में घोषणा करें कि अब भ्रष्टाचार के ऊपर इनकी गाढ़ी कमाई को नहीं लूटा जायेगा, धन्यवाद ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

मान्यवर, आज की चर्चा में 19-20 लोगों ने भाग लिया । कुछ अच्छे सुझाव भी आए, कुछ व्यक्तिगत आरोप भी आए । जो सुझाव दिये हैं, उनको मैंने नोट कर लिया है और उन पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, मैं उस पर जरूर, अगर आप अनुमति दें तो कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि आंवला प्रोजेक्ट इफ्को द्वारा

जब लगाया गया था । मैं उसका डायरेक्टर था, न वाइस चेयरमैन था न चेयरमैन था । लेकिन अगर वाइस चेयरमैन या चेयरमैन भी होता, यह कहूंगा कि सहकारी समितियों के डायरेक्टर लोग निर्णय लेते हैं और उसका कार्यान्वयन एक्जीक्यूटिव करती है । किसी भी डायरेक्टर के उस संस्था का पैसा सम्पर्क में नहीं आता । चाहे प्राइमरी सोसायटी हो, बैंक हो, एपेक्स हो, सब जगह एक्जीक्यूटिव द्वारा पैसा डील किया जाता है । किसी भी डायरेक्टर पर, मैं सहकारी आन्दोलन में लगे हुए सभी डायरेक्टर्स की ओर से कहता हूं कि उनके ऊपर गबन का आरोप नहीं लगाया जा सकता । मैं अपने बाबत यह कह सकता हूं कि भाई बाबू राम जी ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप पूर्वग्रह से लगाया, मैं सिर्फ यह अनुरोध करूंगा कि वह और जांच कर लें । 40 साल तक सहकारी आन्दोलन में कार्यकर्ता होने के नाते आज तक, जबकि मैं प्राइमरी सोसाइटी से लेकर नेशनल सोसाइटी का डायरेक्टर और चेयरमैन रहा हूं, कभी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा और न आगे लगेगा । मैं अपने सम्मानित भाई से निवेदन करूंगा कि इस पर जरा और थोड़ा सा अनुसन्धान कर लें और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रशासन के जरिये से किसी आदमी का टी0 ए0 बिल पास कर दिया वह नितान्त भ्रामक है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उन्हें अपनी बात कहने दीजिये । यादव जी, आप तो बहुत बोल चुके । मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री समर पाल सिंह--

सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के ऊपर काफी प्रकाश डाला गया । मेरे पास भी शिकायतें आती रहती हैं मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार कुछ अंश तक है मैं स्वीकार करता हूं इस बात को मैं मुकरता नहीं । इतना जरूर कह सकता हूं भ्रष्टाचार का ऐसा प्रश्न है, जो समाज का कोढ़ बन गया है । जिसको दूर करना समाज की जिम्मेदारी है । अब सहकारी समितियां आपके हवाले हैं आपके चुने हुए अंशधारी प्रतिनिधि उनका प्रशासन और प्रबन्धन करते हैं तो यह उनकी भी जिम्मेदारी है सब लोग मिलकर इसे देखें समितियों के लाख से भी ज्यादा डायरेक्टर हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं । जब चुनाव नहीं हुआ था प्रशासक लोग काम देख रहे थे उस वक्त की शिकायतों की जिम्मेदारी शासन पर जरूर आती है । मेहरबानी अब यह आपके हवाले है आपकी समितियां हैं आप इनका प्रशासन देखते हैं आप स्वयं देखिये कि इनमें भ्रष्टाचार न हो । लेकिन इस भ्रष्टाचार को नीचे से ही समाप्त किया जा सकता है इस मामले में मुझे गर्व है यह कहते हुए कि हमने ऋण वितरण की सारी व्यवस्था बदल दी है और यह आशा है कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी । वह व्यवस्था क्या है । जितने भी अंशधारी हैं जितने ऋण लेने के लिए पात्र हैं, सबकी उनकी ऋण की सीमा निश्चित करके एक पास बुक दे दी गयी है फोटो उसमें उनका लगा हुआ है साथ में चेकबुक दे दी गयी है और उस ऋण सीमा तक उस चेक के द्वारा वह आदमी स्वयं रुपया ड्रा करेगा । न किसी का चेक लिया जायेगा न किसी से कर्जा लिया जायेगा । इस तरह से न गलत एकाउंटिंग होगी न

अपात्र को लोनिंग होगी बल्कि हर आदमी जिसके पास वह पासबुक होगी उसका फोटो लगा हुआ होगा उसके पास लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अंश 'क' की ऋण सीमा 2,000 रुपया और अंश 'ख' की 4,000 रुपया है यह सब पासबुक में अंकित कर दिया जायेगा और चेक बुक दी गयी है सारा खाता जो सोसाइटी के पास रहा करता था किसान के पास रहेगा किसान एक बार में या अनेक बार में अपनी मर्जी से उस सीमा तक चेक काट कर पैसा ड्रा कर सकेगा । वह सारी इन्ट्री पास बुक में की जायेगी जब रुपया वापस करेगा वह भी पास बुक में लिखा जायेगा । न गलत वसूलयाबी होगी और न गलत एकाउंटिंग होगी इससे । यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है अब सहकारिता में भ्रष्टाचार नहीं होगा ऋण वितरण में ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं चेक बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन कैश क्रेडिट कौन बनायेगा इसमें देख लीजिये घपला होगा ?

श्री समर पाल सिंह–

कैश क्रेडिट सीमा की जो आपने बात कही । बजट भाषण में कहा गया था कि हर सदस्य का कितना रकबा है कौन सी फसल उगाता है हर फसल का प्रति एकड़ मानक दिया गया है जैसे अन्न का 1200 गन्ना और आलू का 1500 । इसी तरह से मानक है । लेखपाल खसरा खतौनी की नकल देगा फसल खतौनी की उसके आधार ऋण सीमा सुनिश्चित की जायेगी वह तीन साल की ऋण सीमा होगी, वह लिख दी जायेगी । उस सीमा तक रुपया निकाल ले, देता रहे । मान्यवर, इस तरह से भ्रष्टाचार समूल नष्ट हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री समर पाल सिंह–

यह सारे उत्तर प्रदेश में पहली अक्तूबर से लागू कर दी गयी है, भ्रष्टाचार के जितने उदाहरण दिये हैं, यह पुराने उदाहरण हैं, कोई नया उदाहरण नहीं दिया आपने ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री समर पाल सिंह–

एक समस्या हमारे सामने थी कि कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ जाता था ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो समर पाल सिंह जी हैं, यह मुझे तो बहुत दिनों से जानते हैं । लेकिन यह जो इनके बगल में दूसरे मंत्री बैठे हैं, वह पता नहीं मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री राम दुलार यादव)–

मान्यवर, मैं इनका नाम जानने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री राम शरण दास–

मेरा नाम राम शरण दास है और मुझे इन्दिरा गांधी भी जानती थीं, मैंने उनके खिलाफ गवाही दी थी। कुछ और पूछना हो तो बताइये।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे सामने एक समस्या थी कि कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ जाता था और उसका बीमा हुआ करता था, लेकिन बीमा कम्पनियां छोटे-छोटे एतराज निकाल-कर हमारे क्लेम को रिजेक्ट करने का प्रयास करती थीं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए भण्डारण सुरक्षा निधि का सृजन किया गया है और अब सहकारिता खुद बीमा करेगी। अब 20 लाख रुपये साल सहकारी शीतगृहों का होगा, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने 20 लाख रुपया हर साल, 5 साल तक देने का वायदा किया है और इस प्रकार 5 साल में दो करोड़ रुपया होगा। इससे अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और यदि किसान का आलू सड़ जाता है, तो उसे हम खुद मुआवजा देंगे, यह किसानों के हित का एक अहम निर्णय है। मान्यवर, यहां चुनाव की बात कही गयी। माननीय बाबू राम यादव जी ने उसका जो चित्रण किया, सहकारिता का, वह उस जमाने का था, जब हम रुडिमेंटरी हालात में थे, लेकिन अब सहकारिता एक विशाल क्षेत्र की संस्था बन गया है। अब देश के पूरे आर्थिक क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां सहकारिता का दखल न हो, चाहे ऋण वितरण की बात हो और चाहे अत्यन्त आधुनिक फैक्ट्री लगाने की बात हो। आज हर क्षेत्र में फैक्ट्रियां सहकारिता के माध्यम से लगी हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि बाबू राम जी अपने चिन्तन को थोड़ा और विशाल करने का कष्ट करें। यह नये जमाने की सहकारिता का नक्शा आपके सामने है और जो पुराना दृष्टिकोण आपका है, उसे आपको बदलना पड़ेगा। अब आप 20वीं सदी की सहकारिता में नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सहकारिता में पदार्पण करने जा रहे हैं।

श्री बाबूराम यादव–

यह भूखे नंगों की सदी है।

श्री समर पाल सिंह–

यह भूखे नंगों की सदी होती, तो सन् 1947 में जब केवल 35 करोड़ आदमी थे, उस समय उनका पेट भरना मुश्किल होता था। आज 84 करोड़ आदमी इस देश में हैं और वह इस हिन्दुस्तान की उतनी ही धरती से पैदा किये अनाज से पेट भर रहे हैं और हम उन्हें भरपेट खाना दे रहे हैं। जब हम गुलाम थे, उस समय ऐसा कोई दिन नहीं होता था, जब 10–15 आदमी हर गांव में भूखे न सोते हों। लेकिन आज कोई आदमी भूखा नहीं सोता है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यह जो आप 84 करोड़ का पेट भरने की बात कह रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। केवल आपका पेट भरा हुआ है, और आप सबका पेट भरा समझ रहे हैं। आज लाखों लोगों को दो जून की रोटी नहीं मिल पाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बीच में न बोलें, मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का सवाल उठाने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी, बीच में कोई व्यवस्था नहीं उठाई जा सकती आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री बाबूराम यादव–

यह कोई रिक्शा तांगे वालों की बात नहीं है । यह आंकड़े किसी सत्यता पर आधारित होने चाहिए । यह आदरणीय सदन है । आपको इस तरह नहीं कहना चाहिये ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय बाबूराम जी ने जो सुझाव दिये हैं, उनमें से कुछ सुझाव बहुत अच्छे हैं और उन्हें मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अपनी क्लोजिंग स्पीच में उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, वे बहुत अच्छे हैं । उनका क्रियान्वयन करने का पूरा प्रयास किया जायेगा । चुनाव के बारे में पता नहीं उन्हें कैसे गलतफहमी हो गई है ।। जिला स्तर तक जितनी सहकारी समितियां हैं और इस मंत्रालय से संबंधित हैं, उन सभी के चुनाव करा दिये गये हैं एक-दो को छोड़कर, जिनका मामला हाईकोर्ट में लम्बित है । 10 शीर्ष संस्थायें रह गई हैं, जिन पर चुनाव नहीं हुए हैं, परन्तु हमने उनकी तारीख लगा दी है । 25 मई से उनके चुनाव प्रारम्भ हो जायेंगे और जून के अन्त तक सभी संस्थाओं के चुनाव हो जायेंगे । मान्यवर, मैंने काफी समय ले लिया है और स्पष्टीकरण भी दे दिया है । मैं समझता हूं कि माननीय श्री बाबू राम यादव जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं कि नहीं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मुझे एक-दो बातें और कहने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप वापस ले रहे हैं कि नहीं । मैं अब प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,78,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री हरेन्द्र सिंह जी की सूचना को वक्तव्य के लिए और श्री सुन्दर लाल जी की सूचना को नियम–56 की सूचना पर केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है । शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मद संख्या–20 को पहले ले लिया जाय । यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो इसका नम्बर ही नहीं आया है । यदि आप चाहते हों कि इसे स्थगित कर दिया जाय तो, स्थगित कर दिया जायेगा ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, स्थगित न किया जाय । इसे पहले ले लिया जाय ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य जाना चाहते हैं, काफी देर भी हो गई है, यदि सभी सहमत हों तो आज के एजेण्डा के शेष कार्यों को अगले दिन ले लिया जाय ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

नहीं-नहीं मान्यवर, हाईकोर्ट वाले मामले को पहले ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, मैं पहले वक्तव्य लेता हूं । जब नम्बर आयेगा, तब आप अपनी बात कहियेगा ।

प्रदेश के लखनऊ आदि नगरों में अबोध बालिकाओं के अपहरण एवं बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

[प्राप्त सूचनानुसार लखनऊ में 6 वर्षीय कुमारी मुमताज का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की कथित घटना की कोई सूचना अंकित नहीं पायी गयी ।

श्री अर्जुन सिंह द्वारा उनकी दो छोटी बच्चियों के गायब होने की सूचना पर थाना तालकटोरा पर मु0अ0सं0-53/89 गुमशुदगी का पंजीकृत किया गया है । स्थानीय पुलिस द्वारा गुमशुदा लड़कियों की तलाश जारी है ।

नहवुल्लापुर की 10 वर्षीय कुमारी रेखा का अपहरण किये जाने संबंधी दिनांक 2-1-88 को थाना मड़ियाव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-4/88 अन्तर्गत धारा 363/366 भा0दं0 वि0 में विवेचना के दौरान कुमारी रेखा को बरामद किया गया तथा अभियुक्त बबलू को बंदी बनाकर उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिनांक 2-9-88 को दोषमुक्त किया जा चुका है ।

शाहनजफ रोड से 8 वर्षीय बालिका कुमारी बज्जो के अपहरण के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज पर मु0अ0सं0-1186/88 धारा 364/511 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त कीमत को मौके पर ही पकड़ लिया गया एवं उसके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 16-1-89 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

थाना हसनगंज के अन्तर्गत कुमारी शाहजहां बानों आयु लगभग 9 वर्ष के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना के सम्बन्ध में उसके पिता की सूचना के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0-638/88 धारा 363/366/376 भा0दं0 वि0 पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान अभियुक्त कौशल किशोर तिवारी ने कुमारी शाहजहां बानों के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया, जिस पर उक्त अभियुक्त को बंदी बनाकर जेल भेजा गया । अभियुक्त जमानत पर है ।

मोहल्ला हाजा सितारा बानों लखनऊ की रहने वाली 8 वर्षीय बालिका कुमारी सबा के गायब होने की उसके पिता की सूचना पर थाना चौक पर अ0सं0 111/89 गुमशुदगी दिनांक 6-3-89 को पंजीकृत हुआ । दिनांक 6-3-89 को ही पुलिस द्वारा कुमारी सबा को घायल अवस्था में करबला तालकटोरा में बरामद किया गया और उसे डफरिन अस्पताल में भर्ती किया गया । कुमारी सबा की सूचना के आधार पर सुबरामणियम नामक अभियुक्त को पुलिस द्वारा बंदी बनाया जा चुका है । अभियोग की विवेचना प्रचलित है ।

दिनांक 8-3-89 को श्री कपिल देव तिवारी द्वारा थाना सरोजनी नगर पर उनके दो वर्षीय बच्चे सोनू को सुबरामणियम नामक व्यक्ति द्वारा पकड़ कर ले जाने संबंधी दी गई लिखित सूचना के संबंध में अ0 सं0-56/89 धारा 363/भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । सुबरामणियम उक्त दो वर्षीय बालक सोना को झोले में भरकर ले जाते हुये उसी दिन बंदी बनाया गया । अभियुक्त से पूछताछ पर उसके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया । वह दक्षिण भारतीय भाषा बोलता है । उसे न्यायालय ने मानसिक चिकित्सा केन्द्र में भर्ती किए जाने के आदेश दिए अतएव मानसिक चिकित्सा केन्द्र मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया । विवेचना प्रचलित है ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी में नाबालिग बच्चों के अपहरण की वर्ष 1988 में 6 घटनायें व 1989 में 2 घटनायें तथा नाबालिग लड़कियों से बलात्कार की वर्ष 1988 में 8 घटनायें हुई । सभी की विवेचना/गिरफ्तारी/आरोप पत्र भेजने की यथासमय कार्यवाही की गयी ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद गोरखपुर में वर्ष 1988 में नाबालिग बच्चों के अपहरण के 2 मामले व अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार संबंधी वर्ष 1988 में 3 मामले तथा वर्ष 1989 में 1 मामला प्रकाश में आया जिनमें गिरफ्तारी व न्यायिक कार्यवाही आदि नियमानुसार की गई ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1988 व 1989 में उक्त प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1988 में नाबालिग बच्चों के अपहरण की 1 घटना व अबोध बालिकाओं से बलात्कार की 6 घटनाएं हुई । सभी में आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन है । वर्ष 1989 में अपहरण तथा बलात्कार की एक घटना हुई जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद कानपुर नगर में वर्ष 1988 में नाबालिग बालिकाओं के अपहरण की 53 एवं बलात्कार की 37 घटनायें हुई जबकि वर्ष 1989 में अपहरण की 12 एवं बलात्कार की 2 घटनायें हुई । सभी घटनाओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

अबोध बालक/बालिकाओं के अपहरण एवं बलात्कार में कोई गिरोह सक्रिय होना अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । समस्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है । अबोध बालिकाओं के अपहरण/बलात्कार सम्बन्धी जघन्य अपराधों के संबंध में प्रकाश में आये अपराधियों को दण्डित कराने हेतु शासन कटिबद्ध है ।]

जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा स्थित ग्राम रतौली के प्रधान व उनके पिता की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

उपाध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

[प्राप्त सूचनानुसार श्री नन्कू पुत्र बाबू निवासी रतौली, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ ने दिनांक 8-3-89 को 11.00 बजे दिन थाना बन्थरा पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि उसी दिन लगभग 9 बजे पूर्व रंजिशवश 13 नामजद अभियुक्तों ने वादी के भाई श्री विश्राम प्रधान एवं पिता बाबू लाल को, जब वे अपने दरवाजे के पास धूप में

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रहे थे तमंचे से फायर करके चोट पहुंचाकर गिरा दिया, जिनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उक्त सूचना के आधार पर अ0सं0-43/89 धारा 147/148/149/302 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया । जो विवेचनाधीन है । पुलिस घटनास्थल पर तत्काल पहुंची थी । घटनास्थल का निरीक्षण एस0एस0 पी0 द्वारा किया गया । घटना के बाद थानाध्यक्ष श्री राम नारायण दुबे को लाइन हाजिर कर, उप निरीक्षक जय सिंह को निलम्बित करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं । घटना के तत्काल बाद ग्राम रतौली तथा खटौला में पर्याप्त शस्त्र फोर्स लगा दी गयी है । 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया तथा 5 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अन्य फरार 4 अभियुक्तों की तलाश जारी है । उनके विरुद्ध धारा 82/83 की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नगत घटना की जांच के लिये दिनांक 25-3-89 को शासन द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को आदेश दे दिये गये हैं ।

नियम–56 की उपर्युक्त सूचना में उल्लिखित अन्य घटनाओं का जहां तक संबंध है, ग्राम बेंती की श्री धर्मेन्द्र के गायब होने की सूचना पर थाना बन्थरा पर अ0स0 94 धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था । पुलिस ने दिनांक 19-7-88 को लाश बरामद करके 5 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है। सभी अभियुक्त जेल भेजे गये ।

शम्भू लोध के गायब होने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 139/88 धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है ।

ग्राम खेरवा के हर प्रसाद की हत्या के सम्बन्ध में थाने में कोई रिपोर्ट का अंकित होना नहीं पाया गया । बल्कि भगवती प्रसाद ने दिनांक 23-9-88 को सई नदी के किनारे एक लाश मिलने की सूचना दी एवं यह संदेह व्यक्त किया कि यह लाश उसके भाई हर प्रसाद की हो सकती है। इस सम्बन्ध में पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, जांच जारी है ।

ग्राम रतौली व खटौला हरिजन बाहुल्य गांव हैं । हरिजनों का प्रतिशत यहां पर क्रमशः 95 व 80 प्रतिशत है । उनके गांव छोड़कर जाने या पलायन करने की बात सत्य नहीं पाई गयी है।]

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, थाना बन्थरा की पुलिस के खिलाफ मैंने 5-10-88 को पहले सत्र में नियम 56 के अन्तर्गत जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ किये जा रहे अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य स्थगन की सूचना दी थी, जिसमें मैंने अनुरोध किया था कि मौजूदा एस0 ओ0 और स्टाफ की मिलीभगत से पूरे इलाके में कई हत्यायें हुई हैं । ग्राम बेंता के प्रधान के लड़के धर्मेन्द्र की हत्या हुई, जिसमें एस0 ओ0 यह कहता रहा कि पंडितों से जाकर विचरवाइए कि वह लड़का कहां चला गया है । एक पुलिस अफसर जब ऐसी बात कहे तो क्या होगा ? मैंने बार-बार कहा कि आप तलाश करें, तीन दिन बाद उसकी लाश मिली ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री शारदा प्रताप–

17 नवम्बर को मैंने एक पत्र लिखा माननीय मंत्री जी को और सचिव महोदय को कि बन्थरा थाने के एस0ओ0 और स्टाफ को हटा दीजिये ।

मैंने एक सवाल भी लगाया था जो कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित था । उसमें मैंने पूछा था कि क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना बन्थरा में बढ़ती हुई घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वहां तैनात इन्चार्ज एवं अन्य सब-इन्सपेक्टरों को अविलम्ब हटाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उसका जो जवाब आया था. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप सवाल पूछ लें ।

श्री शारदा प्रताप–

सुन लें, मान्यवर, उसके उत्तर में कहा गया था कि जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी चिनहट द्वारा कराई गई । जांच में आरोप प्रमाणित नहीं हुये और थाने के कर्मचारियों को हटाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । उसी के बाद. . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप भाषण कर रहे हैं या स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं?

श्री शारदा प्रताप–

26 फरवरी को शान्ति व्यवस्था की मीटिंग में मैंने कहा कि उसको हटाया जाय

(व्यवधान उत्पन्न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है, आप प्रश्न कीजिये ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि घटना के बाद थानाध्यक्ष श्री राम नारायण दुबे को लाइन हाजिर कर, उप निरीक्षक जय सिंह को निलम्बित करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरे सवाल और पत्र पर उनको हटाने का औचित्य नहीं बनता था, तो किन तथ्यों के आधार पर थानाध्यक्ष बन्थरा को लाइन हाजिर किया गया और उप निरीक्षक जय सिंह को सस्पेण्ड किया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सर्वप्रथम तो यह कहूंगी कि माननीय विधायक जी ने पहले जो सूचना दी थी, प्राप्त हुई थी, उस पर विचार किया गया । उस दिन जब यह घटना घटी तो आपकी सलाह और आपकी बात को ध्यान में रखते हुए और गहराई से विवेचना में जाने के बाद थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया और उप निरीक्षक जय सिंह को निलम्बित किया गया । 15 मार्च, को 3 आदमी गिरफ्तार किये गये, 20 तारीख को प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया, 13 तारीख को इस सम्बन्ध में आत्मसमर्पण भी कराया गया । और मान्यवर,

इसके अलावा भी सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने सी0आई0डी0 की इनक्वायरी इस पर करा दी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

अभी जैसा कि माननीय शुक्ला जी ने कहा है कि थानाध्यक्ष को लाईन हाजिर किया गया है और अब सब इंस्पेक्टर को सस्पेन्ड कर दिया गया है जबकि थानाध्यक्ष को भी सस्पेन्ड किया जाना चाहिये, उसको पर्याप्त सजा नहीं दी गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी थानाध्यक्ष को भी निलम्बित करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

अब इसमें सी0आई0डी0 की जांच हो रही है जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ प्रासीक्यूशन की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

उत्तरदायित्व तो थानाध्यक्ष का है । आप उसे वहां से स्थानान्तरित नहीं करेंगी तो वह जांच को प्रभावित करेगा । इसलिये कम से कम उसका वहां से ट्रांसफर तो कर दीजिये ताकि जांच तो निष्पक्ष हो जाय ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं, इसको हम देख लेंगे ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि पुलिस ने दस हजार रुपया लेकर मर्डर कराया है । क्या इसके विरुद्ध आप धारा 120 की कार्यवाही करेंगी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

रुपया लेने वाली बात तो अभी तक कुछ सामने नहीं आयी है ।

विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन की अवमानना के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना के निम्नांकित 7 मामलों में माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया:–

1–श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा प्रस्तुत सूचनायें दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 (दो सूचनायें) एवं 20 जनवरी, 1988 तथा 23 मार्च, 1988।

2–श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 27 अप्रैल, 1988।

3–डा0 संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 30 सितम्बर, 1988 ।

4–श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 ।

5–श्री हर्ष वर्धन द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 ।

6–डा0 बंगाली सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना 18 फरवरी, 1989 ।

7–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 3 मार्च, 1989 ।

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं । माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा, जो इस प्रकार है:–

तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध दिये गये श्री सुखपाल पाण्डे के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा ने तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचनाएं 31 दिसम्बर, 1987 (दो सूचनायें) एवं 20 जनवरी, 1988 तथा दिनांक 23 मार्च, 1988 को दी थी। उक्त सूचनाओं में कहा गया है कि तृतीय सत्र, 1987 के प्रथम गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 85 तथा 87 के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने तथ्यों को छिपाया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने उक्त उत्तर में स्पष्ट न किये गये कतिपय बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह भी कहा है कि प्रश्न में पूछा गया था कि क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कैशबुक में अलग-अलग प्रविष्टि की गयी है, जिसके उत्तर में "जी हां" कहा गया था जबकि नसबन्दी केसेज के इसेन्टिव मनी और प्रेरणा शुल्क के भुगतान की प्रविष्टि अलग-अलग कैश बुक में नहीं की गयी है।

प्रश्नगत मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दिनांक 1 मार्च, व 25 अगस्त, 1988 तथा 18 फरवरी, 1989 के पत्रों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए यह सूचित किया कि जान बूझ कर सदन को गुमराह नहीं किया गया है, तथापि यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि प्रश्नोत्तर में तथ्यों को छिपाकर उन्हें तथा माननीय सदन को गुमराह किया गया है तो इसके लिए उन्हें (माननीय मंत्री को) खेद है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री के खेद-प्रकाश को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

तत्कालीन कांग्रेस (आई) विधान मण्डल दल के स्थायी नेता श्री बीर बहादुर सिंह द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के विरुद्ध श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा दिये गये विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[श्री जयदीप सिंह बरार सदस्य विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर तत्कालीन कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता द्वारा अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 27 अप्रैल, 1988 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि उक्त नियमावली के नियम 3 (1) के अन्तर्गत सदन में किसी विधान दल के नेता द्वारा उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर अथवा माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त अवधि के भीतर अध्यक्ष को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। श्री बरार का यह भी कथन है कि कांग्रेस विधान दल (आई) के तत्कालीन नेता, माननीय श्री बीर बहादुर सिंह ने उक्त जानकारी, नियमों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए, अध्यक्ष को निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी है। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में आगे कहा है कि डा0 अम्मार रिजवी

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो उक्त नियमावली के प्रयोजनार्थ विधान दल के नेता के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत नहीं है, के किसी प्रार्थना-पत्र पर माननीय अध्यक्ष को उक्त नियमावली के अंतर्गत समय बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस (आई) विधान दल के तत्कालीन नेता, माननीय श्री वीर बहादुर सिंह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप पैरा (3) के अन्तर्गत विधान सभा के विशेषाधिकार भंग के दोषी हो गये हैं।

प्रश्नगत मामले का मैंने सम्यक रूप से विचार किया है। सदन के विभिन्न विधान दलों के नेताओं और सदस्यों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए उक्त नियमावली की अपेक्षानुसार विधान दल के नेताओं एवं सदस्यों द्वारा सूचनायें आदि उपलब्ध कराये जाने की समयावधि समय-समय पर हुए मेरे आदेशों के अनुसार दिनांक 31 जुलाई, 1988 तक बढ़ायी गयी थी। बढ़ायी गई उक्त अवधि के भीतर कांग्रेस (आई) विधान दल के नेता द्वारा वांछित जानकारी मुझे लिखित रूप में उपलब्ध करा दी गई है। मैं श्री बरार के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि श्री अम्मार रिजवी के प्रार्थना-पत्र पर मुझे समय बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त कारणों से मैं प्रश्नगत मामले को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

कतिपय विधायकों के विरुद्ध दिये गये डा0 संजय सिंह के विशेषाधिकार हनन व अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[डा0 संजय सिंह सदस्य, विधान सभा कांग्रेस (इ0) के कतिपय विधायकों अर्थात् सर्वश्री नेक चन्द्र पाण्डेय, चौधरी भगवती प्रसाद, सर्वश्री अफसर यू0 अहमद, दीपक कुमार सुरेन्द्र कपिल एवं संतोष चतुर्वेदी आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा अवमान के प्रश्न की सूचना दिनांक 30 सितम्बर, 1988 को दी है। माननीय सदस्य ने दैनिक समाचार पत्र "आज" तथा "जनसत्ता" में प्रकाशित खबर के आधार पर कहा है कि विधान सभा के उक्त सदस्यों ने दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 से आहूत विधान सभा के सत्र में उन्हें (डा0 संजय सिंह को) सदन में न घुसने देने की धमकी दी है जिसके फलस्वरूप सदन का अपमान हुआ है। उक्त सूचना की पुष्टि में डा0 सिंह ने दिनांक 29 सितम्बर, 1988 के "जनसत्ता" तथा "आज" की कटिंग की फोटो प्रति मात्र उपलब्ध करायी है।

प्रश्नगत सूचना के अवलोकनोपरान्त उसमें यह कमी प्रतीत होती है कि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ संदर्भित समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न की है, जबकि उन्हें पूरा समाचार-पत्र संलग्न करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त उक्त सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशित ऐसे बयान के आधार पर दी गयी है, जिसकी पुष्टि हेतु कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों से मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[सर्वश्री रघुवर दयाल वर्मा तथा विजय सिंह राणा, सदस्यगण, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियमावली के नियम-63 के अन्तर्गत माननीय उर्जा मत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 को दी है। माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में कहा है कि दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने कक्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल के माननीय विधायकों और मण्डल के अपने अधीनस्थ अधिकारियों की एक बैठक विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा कतिपय संगत समस्याओं के निराकरण आदि के सम्बन्ध में बुलाई थी, तथा उक्त बैठक में माननीय ऊर्जा मंत्री ने अपने दल के सदस्यों को आहूत किया था जबकि विपक्ष के विधायकों को आहूत नहीं किया गया। माननीय सदस्यों के अनुसार मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य द्वारा शासकीय कार्यों के निष्पादन के लिये बुलाई गयी बैठक में केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों को ही बुलाया जाना माननीय सदस्यों की अवमानना और उनके अधिकारों का हनन है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा की उक्त सूचना का अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उसी दशा में उठाया जा सकता था जब वर्णित कृत सदन की किसी समिति या मंत्रियों को परामर्श देने वाली दोनों सदनों की किसी स्थायी समिति की बैठक के सम्बन्ध में किया गया होता। अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।]

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री अम्मार रिजवी के विरुद्ध श्री हर्ष वर्धन द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[श्री हर्षवर्धन सदस्य विधान सभा ने श्री अम्मार रिजवी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दिनांक 7 अक्तूबर, 1988 को दी थी। इसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह कह कर कि 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य संदर्भित मार्गों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जानबूझकर सदन को गुमराह किया है। माननीय सदस्य की सूचना के अनुसार उक्त मार्गों पर निर्मित पुल, अत्यन्त घटिया निर्माण का होने के कारण, अत्यन्त अल्प समय में ध्वस्त हो गया।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1988 द्वारा सूचित किया है कि इस प्रकरण में कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर से प्राप्त आख्या के आधार पर विषयगत मार्गों पर 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य किसी पुल का निर्माण नहीं किया गया है। इन मार्गों पर ह्यूम पाइप की पुलियों का निर्माण अवश्य किया गया है परन्तु विधायक का प्रश्न चूंकि पुलों के सम्बन्ध में था और ह्यूम पाइप की पुलियां किसी भी तरह से पुलों की परिभाषा में नहीं आती हैं, इसलिए पत्रावली में उपलब्ध सूचना के आधार पर जो उत्तर उक्त तारांकित प्रश्न संख्या 9 का दिया गया है, वह बिल्कुल सही है।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र का सम्यक रूप से अध्ययन किया है। माननीय मंत्री के पत्र से स्पष्ट है कि विषयगत मार्गों पर 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य ह्यूम पाइप की पुलियों का निर्माण किया गया है, किसी पुल का नहीं। चूंकि तारांकित प्रश्न संख्या 9 उक्त मार्गों पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में था अतः सदन में तद्नुसार उत्तर दिया गया और उसे जानबूझकर गुमराह करने वाला उत्तर नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत के समर्थन में ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उक्त उत्तर द्वारा सदन को गुमराह किये जाने की पुष्टि हो।

अतः वर्णित परिस्थिति में श्री हर्षवर्धन की प्रश्नगत सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।]

नगर विकास मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य के विरुद्ध डा0 बंगाली सिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[डा0 बंगाली सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय नगर विकास मंत्री, श्री बल्देव सिंह आर्य के विरुद्ध दिनांक 18 फरवरी, 1989 को विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना इस आधार पर दी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-126 के उत्तर में माननीय नगर विकास मंत्री ने यह कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि शासन द्वारा दिये गये उत्तर में यह नहीं दर्शाया गया है कि यह सूचना प्राप्त कर कब तक सूचित करेंगे।

प्रश्नगत मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहे जाने पर कि सूचना एकत्र की जा रही है, वह प्रश्न बाद में उत्तर के लिए पुनः निर्धारित किया जाता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।]

दैनिक नवभारत टाइम्स (हिन्दी) और उसके संवाददाता के विरुद्ध श्री जनार्दन प्रसाद आभा द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

[श्री जनार्दन प्रसाद आभा ने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अंतर्गत नयी दिल्ली से प्रकाशित "दैनिक नवभारत टाइम्स" (हिन्दी) और उसके संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 3 मार्च, 1989 को दी

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है । श्री ओझा ने कहा है कि उनकी निजी जानकारी में है कि सत्ता पक्ष के करीब 150 माननीय सदस्यों ने मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी को पत्र भेजकर मांग की है कि प्रदेश के मंत्रि-परिषद् का पुनर्गठन किया जाय क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। माननीय सदस्य के अनुसार इससे मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की अवमानना हुई है और प्रकारान्तर में यह मुख्य मंत्री और आदरणीय सदन की भी अवमानना है, क्योंकि मुख्य मंत्री ने ही इन मंत्रियों की नियुक्ति की है । माननीय सदस्य का कथन है कि "नवभारत टाइम्स" के दिनांक 1 मार्च, 1989 के अंक में उक्त समाचार प्रकाशित हुआ है । माननीय सदस्य ने संदर्भित समाचार "पत्र की कटिंग भी संलग्न की है।" माननीय श्री ओझा ने "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 2 मार्च, 1989 के अंक में छपे उस समाचार की फोटोस्टेट प्रति भी संलग्न की है जिसके अनुसार "नवभारत टाइम्स" के संपादक द्वारा एक गलत खबर छापे जाने के प्रसंग में बिना शर्त क्षमायाचना की गयी थी और उसके आधार पर उक्त सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने समाप्त किया था । उपर्युक्त आधार पर माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ।

माननीय सदस्य की सूचना को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है । किसी विषय पर सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को पत्र भेजा जाना एक दल के आन्तरिक मामला है और उसके बारे में समाचार-पत्र में छपे जाने से सदन के अवमान का प्रश्न अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । जहां तक मंत्रियों की नियुक्ति का प्रश्न है, यह सही नहीं है कि यह नियुक्ति माननीय मुख्य मंत्री ने की है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति श्री राज्यपाल करते हैं । माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय भी प्रश्नगत मामले में संगत नहीं है । पूर्व में दिये गये निर्णयों के अनुसार इस प्रकार के मामलों में अवमानना के प्रश्न की सूचना के साथ संबंधित समाचार-पत्र का पूरा अंक लगाया जाना अपेक्षित है, जबकि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ संदर्भित समाचार पत्रों के संगत अंश की एक-एक फोटोस्टेट प्रति ही संलग्न की है ।

अतः उपरोक्त कारणों से प्रश्नगत सूचना को अग्राह्य करता हूं ।]

बांदा जनपद में अतर्रा को नई तहसील बनाये जाने की मांग के संबंध में किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)–

जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार–

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री माता प्रसाद—

[अतर्रा को तहसील बनाए जाने की मांग के समर्थन में जनता दल के तत्वाधान में दिनांक 5 फरवरी, 1989 से विद्युत उपखण्ड कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया। दिनांक 5 मार्च, 1989 को उक्त आन्दोलन के क्रम में प्रातः 7.15 बजे से अतर्रा चौराहे पर सड़क अवरोध प्रारम्भ किया गया जो 9.30 बजे तक चला। इसके उपरान्त उक्त दिवस को 9.30 बजे क्रमिक अनशन तथा सड़क अवरोध समाप्त कर दिया गया। सड़क अवरोध से यातायात प्रभावित नहीं हुआ तथा स्टेशन रोड होकर सामान्य रूप से चालू रहा। दुकानें सामान्य रूप से खुली रहीं। वर्तमान समय में कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा है।

दिनांक 23 फरवरी, 1989 को बांदा में अतर्रा में नई तहसील स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा शीघ्र ही तहसील स्थापित कर दी जायेगी।]

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तहसील स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्रियान्वयन की क्या कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और कब तक यह तहसील स्थापित हो जायेगी?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, इसमें कैबिनेट स्तर पर निर्णय लिया गया है कि इसको तहसील बना दिया जाय। अगले महीने में इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। जमीन के संबंध में और अन्य दूसरी सुविधाओं के संबंध में जो कि इसके लिए आवश्यक होती हैं, उनके बारे में जानकारी की जायेगी कि कहां पर यह तहसील खुलेगी, कहां जमीन इसके लिए उपलब्ध होगी, यही सब कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया। (इस समय 8 बजे अधिष्ठाता श्री रघुबर दयाल वर्मा पीठासीन हुए।) हमारा प्रश्न यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि तहसील स्थापित करने के निर्णय ले लिए गए हैं और इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गई है एक बात और दूसरी बात यह कि यह तहसील कब तक स्थापित हो जायेगी, इसकी तारीख या महीना कुछ भी बता दीजिए और अब तक इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही क्या-क्या हुई है, वह कृपा करके बता दीजिए?

श्री माता प्रसाद—

इस मामले की विज्ञप्ति हो रही है, इसमें कौन से गांव, न्याय पंचायतें व अन्य इसी प्रकार से कौन-कौन चीजें आयेंगी, इन सबका नोटिफिकेशन होगा, तब इसके आगे की कार्यवाही होगी.... (व्यवधान)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, एक और सवाल करा दें वह यह कि क्या किराये के मकान को लेकर जून तक तहसील का कार्य प्रारम्भ करा देंगे ?

श्री माता प्रसाद–

प्रयास किए जायेंगे कि जून तक खुल जाय ।

(शोर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं भी माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बांदा में तहसील सम्बन्धी प्राब्लम्स हैं, उसी तरह से हर जगह और हमारे यहां भी यही स्थिति है इसलिए मा0 मंत्री जी कृपा पूर्वक क्या बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में जो इटवा को तहसील बनाए जाने का मामला विचाराधीन था उसको तहसील बनायेंगे यदि हां, तो कब तक ? . . .

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद–

अब तहसील बनाए जाने संबंधी प्रक्रिया हर जगह जहां-जहां निर्णय शासन द्वारा ले लिए गए हैं, प्रक्रिया चालू है, सारे काम धीरे-धीरे हो जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर आप केवल यह बता दीजिए कि इटवा को तहसील बनाने का निर्णय ले लिया गया है या नहीं ?

श्री माता प्रसाद–

हां निर्णय ले लिया गया है तहसील बनाए जाने का . . . . (शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या मान्यवर, जनपद बलिया में जो सिकन्दरपुर को तहसील बनाये जाने का प्रावधान काफी दिन से चल रहा था, आज क्या उसकी आप घोषणा करने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

नहीं सिकन्दरपुर के लिए नहीं बल्कि बैरिया के लिए जनपद बलिया में निर्णय लिया गया है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद–

मान्यवर, 70-80 फीसदी आबादी वाले स्थान महोना को क्या तहसील बनाये जाने की माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे । क्योंकि यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन है । अगर मान्यवर, महोना को तहसील घोषित कर दी जाए तो इससे इटौंजा और बक्शी का ताल जो लगभग 45 किलोमीटर दूर है मलिहाबाद, वहां इन लोगों को जाना पड़ता है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी महोना में नई तहसील सृजित करने की कृपा करेंगे?

(शोर)

श्री माता प्रसाद–

नहीं महोना को नई तहसील बनाने का कोई निर्णय नहीं है ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में सयाना को नई तहसील बनाये जाने के निर्णय की कोई घोषणा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद–

जनपद बुलन्दशहर में सयाना को तहसील बनाए जाने का निर्णय ले लिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं भी जानना चाहूंगा कि बिल्थरा रोड पर स्थित सीयर में नई तहसील के बनाए जाने की माननीय मंत्री कृपा पूर्वक क्या घोषणा करेंगे क्योंकि वहां पर ट्रेजरी खुल गई है, भूमि विकास बैंक स्थापित हो गया है, बड़ी रेलवे लाइन चालू होने वाली है तथा पावर स्टेशन बनेगा व टेलीफोन एक्सचेंज आदि सब खुल गए हैं तहसील बनाने के हर मानक तैयार हैं तो क्या मा0 मंत्री जी नई तहसील बनाए जाने की आज घोषणा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी आप बैठिए, आप विषय से अलग हटकर बोल रहे हैं, यह वक्तव्य में शामिल नहीं है, कृपया बैठ जाइए, अब हम दूसरी मद ले रहे हैं ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ खोले जाने की घोषणा के फलस्वरूप इलाहाबाद व प्रदेश के अन्य जिलों की जनता एवं अधिवक्ताओं में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 19 तो स्थगित है, इसलिए अब मद संख्या 20 ले रहे हैं, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह. . . . .

(श्री हरदेव तथा अन्य सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोले जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज सामाजिक और नैतिक मूल्य टूट-टूट कर बिखर रहे हैं और आम आदमी अपने को पूर्णतया सामाजिक आर्थिक रूप से असुरक्षित समझ रहा है और जनतांत्रिक ढांचे के जो चौखम्भे हैं, उन पर लगातार प्रहार हो रहा है । ऐसी दशा में न्यायपालिका ही प्रकाश की एक किरण के रूप में दिखाई पड़ती है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

हरदेव जी, आप बैठें ।

श्री हरदेव–

मैं नहीं बैठता हूं । मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाएं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप हरदेव को बैठायें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय हरदेव जी कोई व्यवस्था उठा रहे हैं, उनकी व्यवस्था का उत्तर दे दें । वह स्वयं बैठ जायेंगे ।

श्री हरदेव–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेलथरा रोड, बलिया में तहसील बनाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी ने भेज दिया है, तो क्या शीघ्र ही माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे तथा घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी इस व्यवस्था को मैंने पहले ही सुन लिया था अब चर्चा प्रारम्भ हो गई है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

तो मान्यवर ऐसी स्थिति में न्याय पालिका के मंदिर से आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि नागरिकों के मौलिक, मानवीय तथा नागरिक अधिकारों को संरक्षण मिलेगा । आज यह बहुत ही चिन्तनीय और चर्चा का विषय है कि न्याय मन्दिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । भारतीय संविधान के निर्माताओं ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की धारा 229 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि "हिज माजेस्टरी में बाई लेटर्स पेटेन्ट कान्सटीट्यूट ए हाई कोर्ट फार दैट प्राविन्स आर एनी पार्ट दियरआफ आर रिकान्सटीट्यूट इन लाइक मैनर एनी इक्जिस्टिंग हाई कोर्ट फार दैट प्राविन्स आर एनी पार्ट दियरआफ . ."

मैं इसकी हिन्दी अनुवाद किये दे रहा हूं । महामहिम लेटर्स पेटेंट द्वारा उस प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए एक हाई कोर्ट का गठन कर सकते हैं या इसी तरीके से विद्यमान किसी हाई कोर्ट का उस प्रान्त या उसके किसी भाग के लिए पुर्नगठित कर सकते हैं ।

मान्यवर, आप देखें कि आजादी के बाद जितने भी अंग्रेजी कानून थे, उनको हमनें एकदम उसी प्रकार से ग्रहण कर लिया । सी0 पी0 सी0, सी0 आर0 पी0 सी0 और इण्डियन एवीडेन्स एक्ट आदि तमाम ऐसे कानून हैं जिनको मूल रूप में ही ग्रहण कर लिया गया, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय जो न्यायिक संस्थाओं में नम्बर दो पर हैं पूरे संविधान निर्माताओं ने गम्भीरता से विचार किया और न्यायिक संस्थाओं के वरीयता क्रम में हाई कोर्ट का विशेष स्थान रखा है । भारतीय संविधान के आर्टीकल 214 (1) में यह प्राविधान है –

"दैयर शेल बी ए हाई कोर्ट फार ईच स्टेट "।

प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा । अर्थात अंग्रेजी कानून में जहां एक ही राज्य में कई हाईकोर्टों की स्थापना या पुनर्गठित करने का प्राविधान था वहीं पर भारतीय संविधान में एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट स्पष्ट रूप से कहा गया । इसीलिए दूसरा कोई विकल्प नहीं रखा गया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में भी कहा गया है कि दो राज्यों के लिए एक हाई-कोर्ट हो सकती है ।

दो राज्यों को मिलाकर एक हाईकोर्ट हो सकती है जैसा कि हरियाणा और पंजाब में एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी मान्यवर, आप देखें सर्वोच्च न्यायालय के विषय में अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बैठेगी या ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठेगी जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से समय-समय पर निश्चित करें। इस तरह से मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय भी दूसरे स्थान पर बैठ सकती है। इस प्रकार मान्यवर, उच्च न्यायालय के ढांचे और गरिमा को सुगठित और सुडौल बनाया गया। उसके लिए कोई भी प्राविधान नहीं बनाया गया कि उसे दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। दुख की बात है कि न्याय पालिका पर भी जब पूर्व प्रधानमंत्री को यह महसूस हुआ कि उनके अवैध हितों का संरक्षण नहीं करते हैं तो उसको तोड़ दिया गया। मान्यवर, 12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ दिया तो पूरा देश हिल गया। प्रतिशोधस्वरूप 1980 में भिंडरावाला पैदा किये गये जिन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करके देश के लोगों के दिलों को तोड़ा और इस देश में साम्प्रदायिकता की आग लगायी और दूसरे पश्चिम में हंसराज भारद्वाज को पैदा किया जो कि आज कानून मंत्री हैं उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को खंडित करने की योजना बनायी। इस तरह से इस क्षेत्रीयतावाद के आधार पर इस आन्दोलन को खड़ा किया गया। लोगों के दिमाग में क्षेत्रीयता बढाई गई और 14 मार्च, 1981 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, गढ़वाल, कुमाऊं मण्डलों के लिए अलग से हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने की संस्तुति दे दी। इस पर 4 सितम्बर, 1985 को जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। मैं उस आयोग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह को दो जांच के कार्य सौंपे गये। पहली जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेन्च पश्चिमी क्षेत्र में खोलने के लिए थी और दूसरी जांच हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भजन लाल के ऊपर लगाये गये आरोपों के लिए थी। जसवन्त सिंह आयोग ने 3 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें भजन लाल को सारे आरोपों से पूर्णतया मुक्त कर दिया। भजन लाल जी आयाराम गयाराम के जनक तथा भ्रष्टाचार बढ़ाने वालों के सिरमौर्य कहे जाते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान परिषद् में कहा कि जसवन्त सिंह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे पश्चिम के भाइयों को गुमराह किया गया और कहा गया कि जसवन्त सिंह कमीशन ने तय कर लिया है कि वहां के लिए हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए। सारी मान्यताओं को तोड़कर यह कर दिया गया और कहा गया कि आप तय करें कि यह बेंच कहां बनेगी इस तरह से लोगों में भेदभाव फैलाने की कोशिश की गई। उसका परिणाम यह हुआ कि जहां पश्चिम में आन्दोलन हो रहा है वहीं पर पूर्व के भाई लोग व्याकुल हैं कि इस तरह से उच्च न्यायालय की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए। इस निर्णय ने पूरे देश और संविधान के ढांचे को हिला दिया है। ऐसी संस्थाओं को तोड़ा जायेगा तो संविधान में बाकी क्या बचेगा ? इसलिए आज लोगों में यह चिन्ता हो गई है।

लोगों में एक तरह का भ्रम पैदा किया जाता है। कभी कहा जाता है कि देहरादून में उच्च न्यायालय की बेंच बनेगी, कभी कहा जाता है कि मेरठ में बनेगी कभी कहा

जाता है कि लखनऊ में बेंच बनायी गयी है । मान्यवर, पढ़े लिखे लोग जो सदन में बैठे हैं, वे इस तरह की बातें करते हैं । हमारी इसमें जो जानकारी है वह यह है मान्यवर, मार्च 1866 में लेटर्स पेटेंट द्वारा उत्तर पश्चिम प्रान्त के लिए एक उच्च न्यायालय बनाने की सिफारिश की गयी और आगरा में हाईकोर्ट बनाया गया जो बाद में इलाहाबाद आ गया। मान्यवर लखनऊ अवध प्रान्त की राजधानी थी। यहां पर उस समय एक चीफ कोर्ट बनायी गयी थी । सन् 48 के पहले यहां पर चीफ कोर्ट था लेकिन जब देश आजाद हो गया और अवध तथा उत्तर प्रदेश प्रान्त मिल गये तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में मर्ज कर दिया गया । सन् 50 में जब हमारा संविधान बना तो भी इलाहाबाद में ही हाईकोर्ट बनाया गया जबकि प्रदेश की राजधानी वहां लखनऊ में थी और चूंकि लखनऊ में पहले से ही एक बेंच और अच्छा बार था इसलिए सहूलियत और संकोच में यह बना रह गया । इसी को यह सभी सम्मानित साथीगण बेंच बनाने की बात कहते हैं । संविधान बनाने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतवर्ष में कहीं भी बेंच नहीं बनायी गयी । लोग दूरी और सस्ते न्याय की बात करते हैं। लेकिन मान्यवर मेरा स्पष्ट मत है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि पूरे राज्यों में जितनी हाईकोर्ट हैं उनकी अपनी विशेष गरिमा है उसको बनाये रखना हमारा संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको दुबारा अवसर मिलेगा इसलिए संक्षेप में कहें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

लोकतंत्र में और भारत के संविधान में हमारा यह दायित्व है कि न्यायालय का ढांचा तथा गरिमा हम बनाये रखें । अगर हमारा लोकतंत्र नहीं रहेगा और हमारा संविधान नहीं रहेगा तो फिर हम आप यहां क्या करेंगे ? इस पर विधि आयोग की भी रिपोर्ट है कि सरकिट बेंच नहीं बननी चाहिए, और तमाम माननीय मुख्य न्यायाधीशों ने भी सरकिट बेंच बनाने का विरोध किया है और इसे अवांछनीय बताया है । इन शब्दों के साथ मैं इस विषय पर चर्चा आरम्भ करता हूं और आशा करता हूं कि आप थोड़ा समय मुझे बाद में भी देंगे जिससे मैं सम्मानित साथियों द्वारा सतही तौर पर दूरी, सस्ता न्याय, काम का बोझ जो बिन्दु उठाये जाते हैं उनका भी जवाब दे सकूं क्योंकि यह सरकार तहसील स्तर पर आज तक मुन्सिफ न्यायालय स्थापित नहीं कर सकी है, पंचायतों को कमजोर कर रही है और 21 वीं सदी में जाने वाले भी दूरी की बात करने लगे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे ।

न्याय राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, सब को सुन लूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सूक्ष्म में अपनी बात रख दें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् मेरा तो बयान परिषद् में और यहां पर भी कई बार आ चुका है उससे सारे लोग वाकिफ हैं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर मौजूदा शासन और सरकार की क्या नीति है वह सदन में स्पष्ट कर दें, कोई भी मंत्री जिनको मंत्रि परिषद् से आज के लिए इसमें उत्तरदायित्व सौंपा है वह बता दें कि इसमें शासन की क्या नीति है ताकि उसी आधार पर चर्चा हम आगे चला सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक ही प्रश्न तिवारी जी ने उठाया है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वैसे जो आप आज्ञा देंगे शिरोधार्य होगी । वैसे यह एक घंटे की चर्चा है इसमें जब क्लोजिंग होगा तब मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमावली देख लें नियमावली के मुताबिक माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है वह ठीक है आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात रख दें ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, जो विषय माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने उठाया है उसमें स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश शासन इसमें कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

क्या यह शासन नपुंसक हो गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

शासन नपुंशक नहीं होता है वह नीतियों के अनुसार कार्य करेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

आपकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, प्रजातंत्र में हमें रूल आफ ला के मुताबिक चलना होता है।प्रजातंत्र नियम और संविधान के तहत चलता है उसमें बाध्यता होती है उसके अनुसार चलने की। माननीय राणा साहब जब यहां आयेंगे तो वह भी उसके खिलाफ नहीं कर पायेंगे । (व्यवधान) जब कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो तुरन्त ही यहां आ जायेंगे । (व्यवधान) यह विषय भारत सरकार के निर्णय लेने का है । वहीं इसमें निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं जो उनका निर्णय होगा उसे हम लागू कर देंगे ।

(श्री गोपाल दास यादव का नाम पुकारने पर)

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मुझे भी बोलने का मौका दें, उस पक्ष से एक बोल चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपकी तरफ से बोल चुके हैं ।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा जो केन्द्र निर्णय कर देगा उसको हम मानेंगे । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी कुछ विवेक होना चाहिए कि कौन सी ऐसी व्यवस्था कानून में होनी चाहिए न्याय पालिका के अन्दर । न्यायालय इनके घर की खेती नहीं है, वह जनता से जुड़ी है और जनता के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की व्यवस्था होती है तो उत्तर प्रदेश शासन को विवेक से निर्णय लेना चाहिए । इसलिये उत्तर प्रदेश शासन केन्द्र सरकार को संस्तुति करे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अन्य स्थान पर जाता है तो यहां एक क्षेत्रीयता और जातियता के नाम पर उत्तर प्रदेश टुकड़े-टुकड़े में बंट जायेगा । इसलिए मंत्री जी विवेक से काम लें और केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजें कि इलाहाबाद का हाईकोर्ट किसी भी कीमत पर और न टूटने पाये ।

मान्यवर, जसवंत सिंह की रिपोर्ट है जिसमें दूरी की बात केवल की गयी है । तो दूरी की क्या बात है ? जो मुकदमें में खर्च आता है, वकील की जो फीस होती है, स्टैम्प की फीस होती है और किराये की बात आती है तो किराया बहुत ही नगण्य होता है । इसलिए रिपोर्ट की दूरी के आधार पर हाईकोर्ट की जो गरिमा है वह किसी स्तर पर नहीं गिरनी चाहिए । मान्यवर, दूरी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को बांटा गया तो कल कहेंगे कि संगम को बांटा जाये । इसलिए हाईकोर्ट और संगम का बंटवारा कभी नहीं हो सकता है । आप यदि चाहते हैं कि न्याय सस्ता हो और गुणवत्ता हो तो हाईकोर्ट वहीं रहनी चाहिए । प्रधानमंत्री को न्याय से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंजाब में हो रहा है वही यहां भी अस्थिरता पैदा की जाये । इसलिए इलाहाबाद में हाईकोर्ट का जो अस्तित्व है उसे बनाये रखा जाये । वरना 1981 और 1985 में इलाहाबाद के हाईकोर्ट के वकीलों ने 55 दिनों तक हड़ताल की थी तो उसी प्रकार अब 5 साल बाद फिर छेड़ाछेड़ी हो रही है, इसलिए इसे राजनैतिक मुद्दा न बनायें और हाईकोर्ट को तोड़ा न जाये । मान्यवर, वहां 25 प्रतिशत न्यायाधीशों की कमी है । तो यह शासन की जिम्मेदारी है कि जो 10 सालों से वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा रही है तो उनकी नियुक्ति की जाये और कमी को पूरा किया जाये । आप चाहते हैं कि न्यायाधीश हमारे बंधुआ मजदूर हो जायें तो वह नहीं होंगे आप भले कांग्रेस के बंधुआ मजदूर बने रहें । आप शीघ्र न्याय चाहते हैं, और नेहरू शताब्दी की दुहाई देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि पं0 जवाहर लाल नेहरू हाईकोर्ट इलाहाबाद में सर्वप्रथम प्रैक्टिस करते थे, इसलिए नेहरू शताब्दी के नाम पर अब तो गद्दारी न करें और इलाहाबाद हाईकोर्ट को वहां से न हटायें वरना हम समझेंगे कि क्षेत्रीयवाद और जातीयवाद को कांग्रेस कहना चाहता हूं कि पं0 जवाहर लाल नेहरू हाईकोर्ट इलाहाबाद में सर्वप्रथम प्रैक्टिस इलाहाबाद का कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री या राज्य मंत्री एक प्रदेश का होता है, गांव या किसी क्षेत्र का नहीं । मान्यवर, प्रमोद कुमार जी जब नाम आता है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद में रहे तो दोनों हाथों से मेज पीटते हैं, इसलिए मुझे मालूम होता है कि इनको आस पास के वोटों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इनमें विवेक नहीं रह गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मुझे सुन ले अपनी कोई व्यवस्था देने के पहले । मान्यवर, आज यह बड़े ताज्जुब की बात सुनने को मिल रही है कि विवेक की बात कहने के लिए कोई नहीं मिला। आगरा के सम्मानीय सदस्य मिले हैं । हम तो अपने सत्ता पक्ष के जो लोग बोल रहे थे उनके लिए पीट रहे थे, उनकी वजह से तो पीट नहीं रहे थे । फिर भी कभी-कभी अगर आप अक्लमन्दी की बात करेंगे तो दाद हम देंगे ही । हम जो कुछ करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे । केन्द्र सरकार जो निर्णय लेगी वह प्रदेश के हित में ही लेगी. . . .

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, यह तो आप लोगों की आपस की बात है ।

श्रीमती पुष्पा सिघंल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी जब यह चर्चा शुरू हुई इलाहाबाद के अनुग्रह नारायण सिंह की तरफ से, तो उनके बाद दूसरे सदस्य भी इलाहाबाद के बोले हैं और तीसरे सदस्य भी वहीं इलाहाबाद के बोले हैं । तो क्या आप गैलरी को देख कर चर्चा करा रहे हैं? आप क्यों नहीं वेस्टर्न यू0 पी0 के किसी सदस्य को बोलने का मौका दे रहे हैं । मैं कितनी देर से बोलने के लिए खड़ी हूं । मैं चाहती हूं कि एक तरफा लोगों को बोलने का मौका न दिया जाय । तीनो आपने इलाहाबाद के बुलवाये हैं । इसका क्या कारण है अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री फजलुल बारी–

यह जो हमारी सिंहल साहब हैं, इनकी एक बहिन इलाहाबाद रहती हैं और वहीं प्रैक्टिस भी करती हैं । इन दोनों बहिनों में घर में झगड़ा चल रहा है, तो मेरा सुझाव है कि . . .

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इसके समझौते के लिए आपको भेज दूंगा । बैठिये ।

श्री पुरूषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनियां में, जब उच्च न्याय के संदर्भ में विचार करने की बात आती है, तो मैं समझता हूं कि इलाहाबाद प्रयाग की वह भूमि जहां से न्याय उपजता है और सारी दुनियां में न्याय जाता है । आज उस इलाहाबाद नगर के उच्च न्यायालय के, जब हमारे कोई सदस्य खण्ड करने की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय

के साथ सारे देश को खंडित करने की साजिश रच रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना शुरू हुई थी, तो ला कमीशन ने इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दी थी कि किसी भी प्रदेश या स्टेट में एक ही उच्च न्यायालय रहेगा। उस आयोग के तहत इलाहाबाद में आज उच्च न्यायालय स्थापित है और यह उच्च न्यायालय प्रदेश की गरिमा ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि सारे भारत देश का गौरव है । नेहरु शताब्दी वर्ष में, यदि इलाहाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच न हो सके, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के खण्ड करना इलाहाबाद के साथ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा । इलाहाबाद की जो न्यायिक गरिमा है, उसे किसी साजिश के तहत अलग किया गया तो न्याय की प्रक्रिया इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोग न्याय का सरेआम मजाक उड़ायेगें और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्याय की अस्मिता धू-धू कर जल जाएगी। न्याय की गरिमा बनाए रखने के लिए, पूज्य नेहरू जी, पं0 मोतीलाल नेहरू जी पं0 मदन मोहन मालवीय जी और सम्पूर्णानन्द जी की पवित्र माटी के नगर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विभाजन कभी नहीं होना चाहिए और कभी भी सुप्रीमकोर्ट का भी डिवीजन नहीं करना चाहिए। इस तरह इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बनाए रखें जिससे न्याय एवं प्रदेश की गरिमा बनी रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं कभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय को खण्ड करने का विरोध करता हूं और जनहित में मांग करता हूं कि हम लोगों की तथा इलाहाबाद की जनता की भावनाओं को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसी तरह बनाए रखें, कदापि कदापि उसका खण्ड न किया जाए ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह तो हमारे मरण और जीवन का प्रश्न है । मान्यवर, हम बहुत दुखी हैं खासतौर से आपकी सरकार से दुखी हैं यह पता नहीं क्या करेंगे । रिछारिया जी कभी कुछ बयान देते हैं । कभी कुछ बयान देते हैं यह बात सही है कि इलाहाबाद के पश्चिम में एक बेंच बननी चाहिए इसकी बहुत आवश्यकता है । इस बात को यह भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं नहीं तो मान्यवर, मैं सही कह रहा हूं कि चुनाव में इस बात को हम मुद्दा बनायेंगे, या तो यह हाई कोर्ट की बेंच तुरन्त दे दें नहीं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का विभाजन करके चार टुकड़ों में कर दें हम बंटवारा चाहते हैं वरना हमें बेंच पर संतोष मिल जाएगा, नहीं तो जो बंटवारा तमिलनाडु में हुआ वही बंटवारा हमें भी चाहिए । अभी यह कह रहे थे कि लखनऊ की बेंच का सम्मान घट गया है । मान्यवर, रोज-रोज कमिश्नरियों का गठन कर रहे हैं नये जिलों का गठन कर रहे हैं तो इसको भी यह कर दें इलाहाबाद में बेंच बना दें लेकिन यह वकीलों के दबाव में आ गये हैं। वकील आपको वोट नहीं दिला पायेंगे, जो वकीलों के दबाव में आ रहे हो –

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, यह न्याय का काम करने वाले वकीलों को दलाल की संज्ञा दे रहे हैं इसको निकाल दिया जाए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, यह वकीलों पर आक्षेप लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

यह वकीलों के दबाव में आकर कार्य कर रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो इलाहाबाद के साथी अपनी बात कह रहे थे तो हमने उनकी बात को सुना । वह अपने तर्क अपने रीजन्स दें हम अपने तर्क अपने रीजन्स देंगे । आगरा में या इलाहाबाद में खण्डपीठ मांगने की बात आवे तो चार आदमी हल्ला करने लगे तो यह सही नहीं है आप हमारी बात सुनें हम आपकी बात सुन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जैसा राणा जी ने कहा है वह ठीक ही कहा है। आप लोग अपनी-अपनी बात कहें बहस का समय नहीं है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)–

मान्यवर, एक जिज्ञासा है अभी माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि इलाहाबाद में एक बेंच बन जाए, तो उनसे स्थान पूछ लिया जाए ।

श्री राम शरण दास–

मेरा निवेदन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खण्डपीठ बनायी जाय । मान्यवर, यह सवाल ही नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां बनायी जाय । अभी जैसा कहा गया मैंने वकीलों के लिए दलाल शब्द नहीं कहा बल्कि मैंने यह कहा है कि वकीलों के दबाव में न आयें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग बेंच बनवाकर रहेंगे, रहेंगें, रहेंगें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय राम शरण दास जी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने दलाल वाली बात नहीं कही थी । मान्यवर, वकील दलाली नहीं करते हैं । अगर यह करते हैं तो मैं नहीं जानता हूं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सस्ता न्याय और सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही समीक्षा । मान्यवर, जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनको सस्ता न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करना चाहिए । यह किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, यह निजी स्वार्थ की बात नहीं है । यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनमानस हाईकोर्ट के बेंच की मांग कर रहा है या वकील मांग कर रहे हैं तो वहां अपनी-अपनी वकालत चलाने के लिए यह मांग नहीं की जा रही है, अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं की जा रही है बल्कि उत्तर प्रदेश के विशाल स्वरूप को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की मांग आम आदमी के हित के लिए है न केवल वकील बल्कि जनमानस जैसा कि रामशरण दास जी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के सामने यह प्रश्न है।

यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिलता तो इसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं, सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए । स्वर्गीय इन्दिरा जी ने मेरठ में कहा था कि हाईकोर्ट की बेंच की मांग न्यायोचित है । इलाहाबाद के भाई अगर इन्दिरा जी में सही मानों में यकीन रखते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह मुक्त कण्ठ से इसका समर्थन करेंगे । श्रद्धेय राजीव गांधी जी जब मेरठ की बार काउंसिल में गये थे तो सिद्धान्त रूप में इस मांग का समर्थन किया था । 1857 के लाहौर की बात हो या 1700 की व्यवस्था रही हो, न्याय की व्यवस्था बदली है । आज महाराष्ट्र के अन्दर मध्य प्रदेश के अन्दर बेंच है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है । मान्यवर, इलाहाबाद के जितने वकील जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ के विरोध में बोलते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों की यह मांग नहीं है बल्कि जनता की मांग है, जनभावना और लोकतंत्र के पक्ष को देखते हुए मेरा निवेदन है और मेरा समर्थन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बेंच खोली जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस संबंध में सदन के सामने कोई सब्सटेंटिव मोशन नहीं है जिस पर वोटिंग होगी और सदन का फैसला होगा । सरकार की जो मंशा है उस संबंध में मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि हम कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं । भारत सरकार जो कहेगी वह मान लेंगे । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो एक सब्सटेंटिव मोशन आ जाय जिस पर वोटिंग हो सके और हाउस की राय ली जाय नहीं तो केवल भाषण देने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है । बहस को बन्द करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं श्रीमन्, यही प्रस्ताव कर रहा हूं कि अगर सरकार इस बहस के चलाने के बाद और सदन की भावना जानने के बाद, शुरू में जो माननीय मंत्री जी ने सरकार का स्टैण्ड बताया, उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार है, तब तो बहस चलाई जाय और अगर वही भावना रहेगी, तो चर्चा चलाने से कोई लाभ नहीं रहेगा । उस स्थिति में मेरा प्रस्ताव है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने जो अपना दृष्टिकोण हाईकोर्ट की खण्ड पीठ के विषय में पहले बताया है, यदि उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो बहस बन्द करवा दी जाय ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैंने जो कहा था, वह मैंने विधिक स्थिति बताई थी, . . (व्यवधान)

माननीय राम शरण दास जी ने पश्चिम में खण्ड पीठ के लिए कहा है और माननीय अनुग्रह नारायण सिंह और माननीय गोपाल दास यादव ने उसका विरोध किया है । . . (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

हम लोगों ने जो कुछ कहा है, संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत कहा है । हमने यह नहीं कहा है कि नहीं चाहिए । . . (व्यवधान)

हमने गुण्डागर्दी शब्द का प्रयोग नहीं किया है । . . (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मैं श्रीमन् निवेदन कर रहा था. . (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जो सदन में मत आयेगा, लोगों के जो व्यूज आयेंगे, वह व्यूज शासन को अपना मत बनाने में मदद करेंगे, इसलिए यह चर्चा का औचित्य है, यह चर्चा चलनी चाहिए ।

(व्यवधान)

(श्री बदन सिंह के पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसी चर्चा कराने से क्या फायदा ? इतमिनान से, व्यवस्थित ढंग से सदन चलवाइये ।

श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है कि हाई कोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में खोलने के कारण इलाहाबाद के वकीलों में और वहां की जनता में बड़ा आक्रोश है, इस पर विचार करना आवश्यक है । यह चर्चा उस समय आई, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्दर इसके लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चला, आगरा के लोगों ने आन्दोलन चलाया, मेरठ के लोगों ने आन्दोलन चलाया, बल्कि यों कहिए कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आन्दोलन चल गया, सस्ते न्याय के लिए और सही प्रकार से वहां की जनता को न्याय उपलब्ध हो सके, इसीलिए खण्ड पीठ के लिए पहले से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए यह बात आई । जितने भी खण्ड पीठ के लिए सवाल किये गये वह पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की भावना को जताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों के द्वारा इस चर्चा से पहले ही इस सदन में की जा चुकी है ।

आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल, मुरादाबाद मण्डल, कुमायूं मण्डल आदि में वहां की जनता को सस्ते न्याय के लिए हाईकोर्ट की कोई भी बेंच अभी तक नहीं है, जबकि आगरा में अंग्रेजों के जमाने में हाई कोर्ट रहा और उससे भी पूर्व मुगल काल में पूरे देश की राजधानी आगरा में रह चुकी है, उस समय पर भी आगरा न्यायालय के लिए मुख्यालय रहा है । माननीय जसवंत सिंह आयोग ने भी इस सभी परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समझते हुए आगरा के अन्दर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की खण्ड पीठ खोलने की संस्तुति इसीलिए की है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में हाई कोर्ट और लखनऊ में हाई कोर्ट की बेंच पहले से ही है । इसीलिए यह भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने सस्ते न्याय की मांग करे और मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति अपने लिए न्याय की मांग नहीं कर सकता, वह गुलामी के दायरे में रहता है । उत्तर भारत के पश्चिम में यह खण्ड पीठ जरूर होनी चाहिए । यदि हम अपने अधिकार को समझते हैं, तो सस्ते सुलभ

और सार्वभौमिक न्याय के लिए वहां खण्ड पीठ स्थापित करवाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है जिसका निर्वहन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जन-जन और बच्चा-बच्चा करेगा ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने हकों के लिए लड़ना जानता है तो किसी भी कीमत पर हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच लेकर रहेंगे यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना नहीं हुई तो वहां पर बराबर आन्दोलन चलता रहेगा । और वहां के आन्दोलन से भयभीत होकर इलाहाबाद के अधिवक्ताओं ने यह सवाल उठवाया है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां अधिवक्ताओं में कानून का ज्ञान और अनुभव है, जो न्याय को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे तो आगरा में भी खण्ड पीठ खोलने पर भी वहां के लोग अपने मुकदमों में उनको वकील बनाने के लिए इलाहाबाद से आगरा ले जायेंगे । इसलिए मैं साफ-साफ कहता हूं कि न्याय की मांग यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह हाईकोर्ट की खण्ड पीठ की स्थापना जरूर होनी चाहिए अगर प्रदेश में शान्ति कायम करनी है अगर पूरे प्रदेश में न्याय कायम रखना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह बेंच होनी चाहिए इससे किसी भी इलाहाबाद की जनता और वहां के अधिवक्ताओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा । मान्यवर, अपने लिए न्याय मांगना संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है उसे खण्ड पीठ मिलनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने यह जरूरी बातें सदन के सामने रखी और आशा करता हूं कि प्रदेश सरकार भारत सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना आगरा में करने के लिए अपनी संस्तुति करेगी । (व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा सिंघल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जहां दोनों पक्षों में बैठे कुछ माननीय सदस्य कुछ पक्ष में बोल रहे हैं और कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं यह कैसी अजीबोगरीब चर्चा है ? आज हमारे सम्मानित सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने संविधान की दुहाई देते हुए यह कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को खण्डित करने की कोशिश की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है । संविधान यह जरूर कहता है कि हर भारत के व्यक्ति को न्याय मिले लेकिन यह नहीं कहता कि किस स्थान पर न्याय मिले । हमारे देश में गरीब जनता को न्याय देने के लिए जो पंचायतें खत्म हो चुकी थीं उनको शुरू किया गया है । मान्यवर, जहां तहसीलों में न मुंसिफ बैठते थे न एस0डी0एम0 बैठते थे न जज बैठते थे आज सब जगह ऐसा ही हो रहा है कि मुन्सिफी तथा जज न्यायालय बनाये गये हैं । वहां किसी ने कुछ कहने का साहस नहीं किया जैसे अधिकार ही न हो । हमारी सरकार सस्ता तथा सुलभ न्याय दिलाने हेतु विकेन्द्रीकरण की नीति को अपना रही है। अधिकार नहीं मिला है । आज वक्त की जरूरत को देखते हुए जैसे 3 जिले इसी साल नये बन चुके हैं रोजाना कमिश्नरी, तहसीलें और जिले बनाये जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है तथा मुकदमों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है । जिस समय हाईकोर्ट

आमरों से इलाहाबाद गयी थी तो उनको भी ऐसा ही लगा था जिस तरह से आज इलाहाबाद वाले महसूस कर रहे हैं जबकि हम केवल पश्चिमी उ0 प्र0 में हाईकोर्ट की बेंच मांग रहे हैं उसके बाद अवध बेंच लखनऊ में बनाई गई । मान्यवर, सारी परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच का बनाना अनिवार्य है । मैं यह भी कहना चाहती हूं यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नक्शे पर प्रकार से गोला खींचा जाय और जो भी जिले सेन्टर में आयें वहां बेंच खोली जाय जो भी मेरे सुझाव हैं वह भारत सरकार को भेज दिये जायं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेंच मिले ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें, कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

मान्यवर, आज मैं एक विशेष चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई इलाहाबाद की बेंच कायम की जाय इसके 2-3 ही कारण बताये गये हैं एक तो राम शरण दास जी और दूसरे पश्चिमी जिले के लोगों को उनको सस्ता न्याय चाहिए और दूसरे दूरी की बात करते हैं और तीसरे वहां पर जाने में अधिक खर्च (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत छोटा मापदण्ड है जिस कारण पर कोई बेंच नहीं कायम की जा सकती है । यह ऐसा कारण है जैसे बरसात में मलेरिया की दवा घर-घर में बांटते हैं । आप कहते हैं कि सही न्याय हो लेकिन क्या कैन्सर की दवा घर-घर बांटी जा सकती है यहां गांवों में सारे मुन्सिफ भेज दिये गये हैं यहां अदालतें कायम हो गयी हैं मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं इधर और उधर के दोनों पक्षों के लोगों से क्या आज 99.99 प्रतिशत चकबन्दी में भ्रष्टाचार नहीं व्याप्त है । इसलिए कि घर पर पहुंच गयी अदालतें। इसी तरह से जो उच्च न्यायालय में जो मुकदमें जाते हैं, वह प्रदेश के कितने परसेंट जाते हैं । चकबन्दी अदालत, तहसील अदालत, एस0डी0ओ0 अदालत, मुन्सिफ अदालत, सिविल जज की अदालत, जज खफीफा की अदालत और सबसे नीचे से जितने मुकदमें जाते हैं, जितने उत्तर प्रदेश में मुकदमें चल रहे हैं, हाईकोर्ट तक उसका एक प्रतिशत भी नहीं जाते हैं । हमारे लायक साथी लोग बिना सोचे समझे कहते हैं कि सस्ता न्याय, क्या सस्ता न्याय मलेरिया की दवा है जो सब घरों में सस्ती दे दी जायेगी। कैन्सर के अच्छे अस्पताल पूरे प्रदेश में एक या दो ही होंगे तो अच्छा होगा क्योंकि उनमें योग्य डाक्टर होंगे । पुरखों को तारना होगा तो गया जायेंगे, संगम जायेंगे, तब किराये की और दूरी की बात नहीं करते । न्यायपालिका की बात होगी तो दूरी की बात करेंगे । जो हाईकोर्ट बना है, उसको सस्ता नहीं किया जा सकता . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

यहां सभी विद्वान बैठे हैं । विचार विमर्श करके प्रजातंत्र को बनाये रखने वाले विचार रखते हैं . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

आपको हाईकोर्ट के टुकड़े ही करना है तो बलिया में, बरेली में, आगरा में, फिरोजाबाद में भी कायम कर दीजिए. . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, मैंने उनको बुला लिया है ।

[समय 8 बज कर 50 मिनट]

*श्री अफसर यू0 अहमद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने इस सम्मानित सदन में चल रही इस गम्भीर विषय की चर्चा में शामिल होने का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया देता हूं । मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाई उच्च न्यायालय की स्थापना की मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी भावना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने मात्र की है । इसी तरह से बात कही जाती है कि पूर्वांचल के लोग पिछड़े हैं, सबसे गरीब लोग हैं । ट्रेनें नहीं हैं । न छोटी लाइन है, न बड़ी लाइन है । बसों से जाना पड़ता है। बहुत से लोगों को पैदल जाना पड़ता है । मिसाल के तौर पर मैं बस्ती के अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं कि बस्ती से प्रत्येक ट्रेन इलाहाबाद नहीं जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं पर बेंच बनें। इसका कारण यह नहीं है कि मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार नहीं है। अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी से प्यार नहीं है, वहां के लोगों को भी बसों से तड़प-तड़प कर जाना पड़ता है। इलाहाबाद में उनको भी न्याय चाहिए होता है । मा0 सदस्यगण कहते हैं कि ब्रांच नहीं मिलेगी तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर देंगे । मैं कहता हूं कि साउथ इंडिया के लोग कहें कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मिलेगा तो देश का बंटवारा कर देंगे तो आप मान लेंगे ? अगर ये ऐसी बात करते हैं तो पूर्वांचल के लोग सबसे गरीब हैं, पिछड़े हैं, हम मांग करेंगे कि बस्ती में एक पीठ खोली जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मांग करता हूं कि जो व्यवस्था बनी है, बनी रहने दी जाय और किसी भी परिवर्तन की जरूरत नहीं है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हाईकोर्ट की बेंच के संबंध में विद्वान साथियों ने जो तर्क रखे हैं. .

श्री प्रमोद कुमार–

विद्वान तो इधर बैठे हैं, उधर कौन से हैं ?

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह ने संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने का विरोध किया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि मेरा स्पष्ट मत है कि संविधान में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, न्याय ऐसा हो जो आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो । संविधान में व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को न्याय सस्ता सुलभ किया जायगा । मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट की बात कही गयी जसवन्त आयोग की रिपोर्ट दो हैं, एक भजन लाल के बारे में 3 दिन मात्र में आयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह इस सरकार की बदनामी की बात है । इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की बात कही गयी है । जवाहर सिंह यादव जी ने मलेरिया के दवा की बात कही । न्याय की मलेरिया से तुलना करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? वह गरीब की बात छोड़ गये जो झोपड़ी में रहने वाला है और दवा के अभाव में मर जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्दर एक पंजाब की बात कही गयी सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कौन सा पंजाब है ? यह सरकार का षड़यंत्र है जो इस विधान सभा में स्पष्ट दिखाई दे रहा है । आज पश्चिम का कोई एम0 एल0 ए0 चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो सब इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि पश्चिम में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाय । पूरब के एम0 एल0 ए0 हैं वह नहीं चाहेंगे कि इलाहाबाद की बेंच दूसरी जगह कायम की जाय पश्चिम में स्थापित हो । इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में रहेगी तो कोई संविधान को खतरा नहीं है देश को खतरा नहीं है प्रदेश को खतरा नहीं है लेकिन अगर इसकी दूसरी बेंच पश्चिम में स्थापित कर दी जाय तो सब तरह का खतरा हो जायेगा? मान्यवर, मैं दूरी की बात कह देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । हड़ताल की बात कही गयी । 55 दिन की हड़ताल की बात कही गयी क्या हड़ताल जन समस्या का समाधान है कोई पैमाना है हड़ताल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील भी बहुत दिनों से कर रहे हैं । यह इंदिरा जी की दुहाई देते हैं, जवाहर लाल जी की दुहाई देते हैं, मौजूदा राजीव गांधी जी की दुहाई देते हैं, इन सभी ने माना है कि बेंच स्थापित की जाय। अगर यह भावना है कि सस्ता न्याय सुलभ कराया जायेगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खोली जाय ।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

इस ऐतिहासिक हाईकोर्ट की बाबत चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। हमारे राम करन जी, और लोगों ने इसे एक अंताक्षरी के रूप में मान लिया । बिल्कुल हल्के से लिया । इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बात है, हम लोग इसलिए नहीं पैरवी कर रहे हैं कि हम लोग इलाहाबाद के हैं । किसी इतिहास को तोड़ने के बजाय जोड़ने का प्रयास रहना चाहिए । उस हाईकोर्ट में इलाहाबाद के इस देश की आजादी के लिए एक निर्णय लिया था । इन तमाम चीजों में यह हाईकोर्ट एक विशेष स्थान रखता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

उस चीज को नहीं भूलना है । न्याय की जो मांग थी सस्ती प्रक्रिया बनाना चाहते हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास के पन्ने देखकर कोई दूसरा रास्ता बनाया जा सकता है । इलाहाबाद हाईकोर्ट को तोड़ने के लिए उसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की बातें यह कुछ लोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

राणा साहब से कह दिया जाय कि जो आगरा का ताजमहल है वह इलाहाबाद में रख दिया जाय उसके इतिहास को सब जगह बांटने की जरूरत है तो क्या यह संभव है । यह संभव नहीं है ? सस्ती प्रक्रिया के लिए कहा जाय कि बद्रीनाथ केदारनाथ जी को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पर भी स्थापित किया जाय तो इसका कोई औचित्य नहीं होगा । सस्ती प्रक्रिया के लिए किसी रिपोर्ट का जिक्र करना या इस बारे में कहना यह कोई औचित्य नहीं रखता । सस्ती प्रक्रिया के लिये न्यायालय की बेंच को स्थापित करने की बात कहना यह कोई विषय नहीं है। यह कहना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति नहीं है इसलिए इसे दूसरी जगह भी स्थापित किया जाय, यह कोई औचित्य नहीं रखता।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[x x x]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर कुल एक घन्टे की चर्चा है, इसलिये मैं आपका ज्यादा समय न लेकर थोड़े समय में अपनी दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, प्रजातांत्रिक प्रणाली में विकेन्द्रीकरण एक अच्छी प्रक्रिया है । विकेन्द्रीयकरण किसका, प्रशासन का, न्याय का । मान्यवर, जब हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं कि मुंसिफ का न्यायालय कहां रहे, तो उसका ज्यूरिस्डिक्शन देखा जाता है । मान्यवर, मुंसिफ का न्यायालय छोटे स्तर पर इसलिये ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार जो है, उसी जिले के अन्दर उसका मुख्यालय होना चाहिये । इसी तरह जिला न्यायालय होता है, उसका मुख्यालय भी जिले पर होना चाहिये । लेकिन हाईकोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन पूरा प्रदेश होता है । मान्यवर, वैसे मैं कभी भी विकेन्द्रित व्यवस्था का विरोधी नहीं रहा हूं, लेकिन न्याय ज्यूरिस्डिक्शन के आधार पर विकेन्द्रित किया जाता है, तो यह उचित नहीं है । इसलिये मैं अपने विचार प्रकट करते हुए सरकार से अपेक्षा करूंगा कि हाईकोर्ट की बेन्च जो इलाहाबाद में है, उसको वही रहने दिया जाय और अगर सरकार की यह मंशा नहीं है, तो यह सरकार तमाम जिले बनाकर सूबे को बंटवाना चाहती है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि हम लोग इस प्रदेश को तोड़ने की मांग कर रहे हैं । यह हमारा जो संविधान है, वह कहता है कि पूरे प्रदेश में केवल एक ही हाईकोर्ट होना चाहिये और वह प्राचीनकाल से चला आ रहा है। मान्यवर, जो हमारे संविधान की प्रणाली है वह हाउस आफ कामन्स से एडाप्ट की गयी है और वहां का संविधान भी एक ही रूल आफ ला को कहता है । अगर दूसरी खण्डपीठ बना दी गयी तो रूल आफ ला का स्तर नीचे गिर जायगा और उसका स्वरूप बिगड़ जायगा । मान्यवर, इसको तमाम जगह चैलेन्ज किया जायगा और जो न्याय का मौलिक अधिकार है कि हम न्याय दें, इस प्रणाली को हम कायम नहीं रख पायेंगे । अतः इसकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये हाईकोर्ट का डिवीजन नहीं होना चाहिये । मैं इसकी खण्डपीठ की मांग की बड़े कठोर शब्दों में विरोध करती हूं और इस भावना की निन्दा करती हूं । जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारी भारतीय प्रणाली है, जिस एक भारतीयता की भावना को रखकर हम आगे बढ़ते हैं और उसी के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिये ।

मान्यवर, इस नेहरू शताब्दी वर्ष में हम इस प्रदेश को तोड़ने की बात करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से कोई भी विद्वेष पूर्ण भावना रखकर यह डिवीजन की बात कही जा रही है और इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, उन ताकतों की मैं जोरदार शब्दों में विरोध करती हूं । अधिष्ठाता महोदय, मैं मांग करती हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वरूप को बनाये रखा जाय, इसकी सुप्रीमेसी को बनाये रखा जाय और मैं इसकी खण्डपीठ मांग की भावना की कठोर शब्दों में निन्दा करती हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस चर्चा के लिए एक घन्टे का समय था, जो समाप्त हो गया ।

(कई सदस्यों द्वारा चर्चा का समय बढ़ाये जाने की मांग करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं इसका 15 मिनट समय और बढ़ा रहा हूं ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मुझे क्या आप समय नहीं देंगे?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम गोविन्द जी को बुला लिया है, आप बैठें ।

(श्री फजलुल बारी को बोलने की अनुमति न मिलने के विरोध में सदन के फ्लोर पर आ गये तत्पश्चात् श्री गोपाल दास यादव के प्रयास से वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं । हमारी विधान सभा पूरे हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा है और हिन्दुस्तान का यह सबसे बड़ा प्रदेश है । दुनिया के कई देशों से बड़ी इसकी जनसंख्या व क्षेत्रफल है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और इज्जत ये तीन चीजों के बरकरार रहने की आवश्यकता होती है। हम किसी भी क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम पूरे प्रदेश के जन प्रतिनिधि हैं। हम यदि किसी क्षेत्र के हिसाब से कोई बात यहां पर कहें, वह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। जैसा कि श्री जवाहर सिंह जी ने कहा कि हमें अपनी मर्यादा व गरिमा के साथ अपनी बात को यहां पर कहना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बैंच पश्चिम में खुल जाय और कोई यह कह दे कि बद्रीनाथ के मंदिर को उठाकर बलिया में कर दिया जाय, यदि कोई यह कह दे कि उत्तर में गंगा बहती है, उसे दक्षिण में कर दिया जाय, या फिर कोई यह कह दे कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो यह मुख्यालय है, इसे विभक्त कर मेरठ या बलिया में कर दिया जाय, तो कोई उचित बात नहीं होगी। पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो या दक्षिण का हो, अगर कोई गरीब है और वह हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने जाता है तो हम लोग वकील लोगों से यह निवेदन तो कर सकते हैं कि इनका मुकदमा फ्री लड़ दिया जाय या कम पैसे पर लड़ दिया जाय। अगर हम यह बहाना लेकर कि पश्चिम में बैंच खुल जायेगा तो हमें सस्ता न्याय मिल जायेगा, बिल्कुल गलत बात है। आज यहां का भी कोई वकील कम फीस लेने को तैयार नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी कम होने वाली नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हर चीज की एक गरिमा होती है और उसे बचाये रखना सबसे ज्यादा जरूरी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो गरिमा है, उसे बनाये रखा जाय, उसे नष्ट न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो कहेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री हरदेव–

मान्यवर, हाईकोर्ट की बैंच के बारे में चर्चा हो रही है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता और हम लोगों की भावना है कि जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय मिले। हमारी प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे रही है। अनेक बैंच खोलने से कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। हां, अधिक से अधिक जजों की नियुक्ति तत्काल की जाय ताकि 16-16 व 20-20 वर्षों तक जिन मुकदमों पर फैसला नहीं हो पाता है, वह लोगों को न्याय तत्काल मिल जाय। परन्तु हाईकोर्ट जो इलाहाबाद में है, उसे कायम रखा जाय। किसी भी देश का एक सुप्रीम कोर्ट होता है और प्रदेश का एक हाई कोर्ट होता है, उसी प्रकार हमारे प्रदेश का हाईकोर्ट भी इलाहाबाद में है, दूसरे बैंच की आवश्यकता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं समर्थन करता हूं। प्रदेश के पश्चिमी जनपद बीहड़ क्षेत्र में आते हैं। डाकुओं के आतंक में नई बैंच गिर जायेगी और जज स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं कर पायेंगे।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, हाईकोर्ट बने या न बने लेकिन जो यह जहनी जिमनास्टिक यहां पर की जा रही है। जमालो-बी की जो बात कही जाती थी, उसे आज हम यहां पर देख रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । कोई कैन्सर बता रहा है, हां, यह अवश्य है कि कोर्ट कैन्सर हो चुके हैं । वह मन्दिर काशी का है, उसे उठाकर यहां ले जाया जाय, यह एक आस्था की बात है । यहां इन्साफ की बात है, इन्साफ हासिल करने की बात है । अगर दूर होगा पहुंच से बाहर होगा तो नामुमकिन होगा मिलना, जिसको आस्था होगी बद्रीनाथ में जायगा, धर्म की निष्ठा को पूरा करने के लिए वहां जायगा लेकिन अदल और इन्साफ हासिल करने के लिए मजबूरन जाना पड़ता है । क्या अभी तक लखनऊ की जो बैंच है क्या इसकी वजह से स्टैण्डर्ड गिरा है ? अगर गिरा है तो तोड़ दें, एक ही रखें, खण्डपीठ क्यों बनाना जरूरी है । यह एक मिसाल है, इन्हीं बातों से सरकार चुनाव में चाहती है कि लोग हिस्सों पर लड़ते रहें । वह चाहती है कि लोगों को लड़वा दें । ऐसे ऐसे मुद्दे उठायें कि करप्शन की बात दबी रहे । उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, अब यह महसूस हो रहा है कि प्रदेश को बंट जाना चाहिए । जब यह अच्छी बात है कि एक प्रदेश में एक ही न्यायालय हो तो प्रदेश को बंट जाना चाहिए ताकि लोगों को सस्ता इन्साफ मिल जाय । यह न्यायोचित मांग है । इसको पूरा होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् मैं कुछ ज्यादा न कहकर केवल एक निवेदन करना चाहूंगा, जिन मित्रों ने इस चर्चा में पार्टीसिपेट किया है, उनसे कि संविधान की उस धारा को पढ़ा है मा0 अनुग्रह नारायण सिंह ने बहस को प्रारम्भ करते समय, उसमें शब्द "शैल" है । जिनको कानून की जानकारी है वे जानते हैं कि जहां मैण्डेटरी होता है "शैल" शब्द का इस्तेमाल होता है और जहां डिस्क्रेशनरी होता है वहां शब्द "मे" का इस्तेमाल होता है । इसमें "शैल" का प्रयोग किया गया है । आज जो विरोध करते हैं संविधान का, कहना पड़ता है कि चाहे वह पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों या डा0 अम्बेदकर हों, देश की अखण्डता और राष्ट्रीयता पर, देश की सुरक्षा के बारे में उनकी नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है । जब संविधान बनाया था उनके सामने लक्ष्य था देश में साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषावाद के आधार पर बंटवारे की भावना न पैदा हो । यह जो हाईकोर्ट के विभाजन की मांग है और सस्ती लोक प्रियता के लिए, राजनीतिक गोट को फिट करने के लिए 40 सालों में राजनीतिक माहौल को गन्दा किया है, इस भावना ने जिससे राष्ट्रीयता का लक्ष्य सेकेण्डरी हो गया है, व्यक्तिगत स्वार्थ आगे आ गये हैं । मैं अपील करूंगा कि आइए हम सब मिलकर संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था ऐसे समाज की रचना का जो शोषण मुक्त हो, भाईचारे और सद्भावना से ओत-प्रोत हो । उस भावना को कुलषित न करें । संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके से व्यवस्था की थी प्रदेशों में, उसी तरीके से उसको चलाने की व्यवस्था करें ।

श्री सतीश चन्द्र जायसवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यहां जो हाईकोर्ट के बारे में सदन में बात आयी है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रश्न नहीं है और न आगरा, इलाहाबाद व मेरठ का सवाल है । इसमें प्रश्न है देश और प्रदेश की एकता और अखण्डता का । हमारे देश को आजाद कराने वालों ने आजादी के बाद भारत का एक सपना देखा था, ऐसे समाज की स्थापना की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति को न्याय मिले और देश की एकता और अखण्डता कायम रह सके ।

मैं समझता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनायी गयी तो प्रदेश की एकता व अखण्डता चकनाचूर हो जायेगी । पिछली विधान सभा में ऐसा ही प्रश्न यहां पर आया था तो उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से हम लोगों ने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था । तो आज उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की एक अलग बेन्च बनाने की बात है, कल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाये जाने की बात कही जायेगी । प्रदेश के अंदर दूसरी विधान सभा बनाने की बात की जायेगी । इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर हर दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है । इसके लिए ऐसी भावना बनायें कि प्रदेश की एकता और अखण्डता बनी रहे । इन शब्दों के साथ मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें सभी माननीय सदस्यों की अभिरुचि को देखते हुए इसका समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इस विषय पर अभी तक जितनी दलीलें और तर्क सामने आये हैं हाई-कोर्ट की बेंच के बारे में इसमें कुछ मुख्य-मुख्य बातें सामने आयी हैं वह इस प्रकार है कि राज्य में एक ही हाईकोर्ट रहना चाहिए नहीं तो इसकी गरिमा खत्म हो जायेगी । न्यायपालिका की एकरूपता कायम रहनी चाहिए । किसी ने कहा कि हंसराज भारद्-वाज जो थे अवांछनीय तत्व थे । शीघ्र, सत्ता और सुलभ न्याय के लिये न्यायालय को स्थानान्तरित उचित नहीं है, यह सारी बातें कही गयी हैं ।

श्री हरदेव–

मैंने कहा था कि जज की संख्या को बढ़ा दिया जाय, इसे क्यों नहीं आपने बतलाया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं एक-एक करके सब बातों का उत्तर दूंगा । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के हृदय से निकली हुई आवाज जो है, आप हमें उस बात को कहने का अवसर देंगे । पहली बात जो कही गयी कि प्रत्येक राज्य में एक ही हाईकोर्ट की स्थापना हो । संविधान में यह कहा गया है । मैं कहता हूं कि जब एक ही हाईकोर्ट रहना चाहिए तो फिर लखनऊ की खण्डपीठ क्यों स्थापित की गयी ? इलाहाबाद बेंच को लखनऊ में स्थापित करने के बारे में जो मंशा थी वही मंशा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में सामने आ रही है । हम इलाहाबाद के हाईकोर्ट को आगरा या मेरठ में ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो इसमें संविधान की हत्या कैसे हो गयी । हमारी यह बात न्याय संगत है ।

दूसरी बात कही गयी कि इससे गरिमा खण्डित हो जायेगी और यह भी कहा गया कि कल हम संगम को हटाने की बात कहेंगे । गंगा-जमुना को उठाने की बात कही जायेगी आखिर यह कौन सी गरिमा की बात करते हैं इसी कांग्रेस की सरकार ने जनता के दबाव के सामने झुककर के पंजाब को बांटा, हिमांचल प्रदेश और गुजरात को बांटा । जब यह सारे प्रदेश

बंट सकते हैं, जिले बंट सकते हैं, जब इनके बंटने में कोई चीज खण्डित नहीं हुई तो एक हाईकोर्ट की बेंच खुल जाने से ही क्या भारत भूमि खण्डित हो जायेगी । इन्होंने गंगा-जमुना की बात कही मान्यवर यह एक भावनात्मक बात है पर इस देश के धर्म में विभाजन की प्रक्रिया मौजूद है । पूरे धर्म एक मठ से और एक तीर्थ से नहीं जोड़ा गया है, यहां 4-4 मठ बनाए गये हैं । दुनिया के हर धर्म में और दुनिया के हर सम्प्रदाय के पास केवल एक मठ है और उनकी एक ही तीर्थ है पर इस देश का धर्म चार मठों और असंख्य तीर्थों से जुड़ा हुआ है । यहीं नहीं यहां की भाषा के विभाजन की प्रक्रिया मौजूद है, यहां पर वर्ण व्यवस्था में विभाजन की प्रक्रिया मौजूद है तो विभाजन आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई मामला खंडित होता हो इसी प्रकार जातिवाद या क्षेत्रवाद को इससे बल मिलता हो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सुलभ एवं सस्ते न्याय के लिए , जनता को सुदृढ़ करने के लिए यह मांग की गयी है, तो पूरी तरह से न्याय संगत है । इस संबंध में डा0 लोहिया ने भी कहा था कि जिन्दा कौमें 5 साल तक का इन्तजार नहीं करतीं, इसीलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से सामने बैठे हुए सरकारी नुमाईन्दों को बताना चाहता हूं कि आप ने अब तक हम लोगों को बहुत ठगा है, हमें हर पल प्रवंचित किया है, इसीलिए अब मैं आप को बता देना चाहता हूं कि 5 साल तो क्या 5 महीने और 5 दिन भी अब हम इन्तजार नहीं करेंगे । हमको हाईकोर्ट की बेंच चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है हम लेकर रहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आगरा में एक ताज महल और एक पागल खाना दोनों दे दिए गये हैं, इसके आगे किसी और चीज की आवश्यकता वहां नहीं है . . .

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता–

हरदेव जी बैठिए इस पर कोई व्यवस्था नहीं . . .

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर यह हमारा नैतिक अधिकार है और यह हमें मिलना चाहिए और इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे ।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, इनका कहना है कि न्याय की गंगा इलाहाबाद से ही फूटी है पर मान्यवर इन्हें न तो इतिहास का ज्ञान है और न भूगोल का ।

मान्यवर, यह जान लें कि आगरा मुगलों की राजधानी रही है और सम्पूर्ण भारत में न्याय का कोष आगरा के लाल किला से होता था । (व्यवधान) जहांगीर के न्याय का घंटा आगरा में बजता था हम चाहते हैं न्याय का जो घोष आगरा से फूटा था वहीं पुनः पहुंच जाये ।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाए रखें, मा0 राकेशधर त्रिपाठी जी केवल दो मिनट में अपनी बात को कहें समय काफी हो चुका है . . .

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

नहीं मान्यवर जितने समय तक माननीय राणा जी बोले हैं, उतना ही समय मैं भी लूंगा अपने पक्ष को रखने के लिए . . .

कुंवर रेवती रमण सिंह–

नहीं मान्यवर इस पर काफी लोगों की रुचि है, इसलिए इसका कुछ समय और बढ़ा दीजिए . . . (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

दो बार तो इस पर समय बढ़ा चुका हूं और अभी समय बाकी है जब यह अवसर आए तब कहिए . . . माननीय राकेश धर त्रिपाठी जी . . .

श्री राम शरण दास–

मान्यवर यहां पर अभी 9-9 एम0 एल0 ए0 इलाहाबाद के बैठे हैं, जो अपने पक्ष को कह रहे हैं . . . . (घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्यों को पीठ की ओर इशारा करना चाहिए, वह इधर और गैलरी की ओर इशारा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी सदस्य गैलरी की ओर इशारा न करें ।

श्री हरदेव–

जब यह लोग यहां पर परम्पराओं का पालन नहीं करते हैं, तो अगर बेंच खुल जायेगी तो क्या होगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, जिस चर्चा में यहां पर माननीय सदस्य दो पक्षों में विभाजित हो गये हैं, मैं कुछ ऐसे विन्दुओं की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिस ओर अभी तक चर्चा नहीं की गयी है । जिन लोगों ने लखनऊ बेंच के बारे में कहा, जहां तक मेरी जानकारी है यह प्रदेश पहले आगरा व अवध के नाम से था, उस समय से लखनऊ में यह कोर्ट चली आ रही है, यह कोर्ट कोई नई नहीं है । यह कोई नई बेंच नहीं है । कृपया पढ़कर अपना भ्रम दूर कर लें । मैं सदन में कोई भी बात अपने व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं । जिन लोगों को यह भ्रम है कि वकीलों के दबाव में मैं बोल रहा हूं, वह अपना भ्रम दूर कर लें । मैं हजारों बेरोजगारों की बात कह रहा हूं । मुंशी कर्मचारी, क्लर्क सभी दुकान बन्द करके बैठ जायेंगे । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरठ में परीक्षायें ली गयीं, तो हाई कोर्ट ने कहा कि वहां पर गलत ढंग से परीक्षायें ली गयी हैं । मेरठ में जो परीक्षायें करायी जाती हैं, उनमें बेईमानी होती है, आप स्थिति पर गौर करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरठ के ऊपर आरोप लगाया गया है । जो शब्द मेरठ के बारे में कहे गये हैं, वह निकाल दिये जायें, कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको देख लूंगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

यह गलत आरोप लगाया जा रहा है, इस प्रकार से गलत परम्परा शुरू हो जायेगी । इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैंने कह दिया कि देख लूंगा ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, इसको निकलवाया न जाये । मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें । ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का बांटना गलत है । मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट को न तोड़े जाने का समर्थन करता हूं कि नई शाखा पश्चिम में नहीं खोलें ।

(व्यवधान)

*श्री रमाकान्त मिश्र–

अधिष्ठाता महोदय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूसरी बेंच स्थापित करने की जो बात कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह न्याय संगत नहीं है । मान्यवर, इलाहाबाद हाई कोर्ट हिन्दुस्तान की उन कोर्ट्स में से है जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में है । देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जवाहर लाल नेहरु, मदन मोहन मालवीय, कैलाश नाथ काटजू , राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही यह लड़ाई लड़ी थी । प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी, बहुगुणा जी, चौधरी चरण सिंह आदि लोग जब यहां पर थे तो उस समय यह मांग नहीं उठायी गई थी । क्योंकि उस समय प्रदेश की एकता का सवाल था । हाई कोर्ट को अपने छोटे-छोटे निजी स्वार्थों और राजनीतिक मतलब को हासिल करने के लिए बांटने के के लिए आज यह सवाल उठाया जा रहा है । ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का विभाजन हो जैसे हरियाणा और पंजाब हो गया, मद्रास और आंध्र हो गया । वहां इसलिए हो गया कि वे लोग कमजोर थे । हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है । इस प्रदेश में एकता है । बहस के लिए कह दिया कि जसवन्त सिंह कमीशन ने देहरादून में, नैनीताल में, मेरठ में, आगरे में या गोरखपुर में बनाने के लिए कहा है । यह बात बहुत महंगी होगी । कुछ लोग चाहते हैं कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच बने । यह दिल्ली के कुछ वकील लोग ही करा रहे हैं क्योंकि मेरठ वहां से नजदीक पड़ता है । इसलिए वे दिल्ली से गवर्न होंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं ।

श्री राम कान्त मिश्र–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज सदन में जो चर्चा हो रही है .. मान्यवर, हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि सही बोलियेगा । मान्यवर, मैं तो सही बोलूंगा लेकिन आपकी सरकार से चाहूंगा कि वह सही करेगी ।

सिंचाई मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)–

वह तो आपकी मर्जी पर चलेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

वह तो शाश्वत है । वह चाहे इधर से चले या उधर से चले । लेकिन चलेगा इलाहाबाद का ही । मान्यवर, आज जो परिचर्चा हो रही है यह एक ऐसा गम्भीर विषय है जिसको कानून की परिधि में, संविधान की परिधि में देखना चाहिए । मान्यवर, इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए । मैं अपने पश्चिम के भाइयों से कहूंगा हमें उनका विरोध नहीं करना है । हम यह नहीं चाहते कि पश्चिम में कारखाने न लगें, वहां पर नहर न बने, ट्यूबवेल और बिजली न लगे लेकिन वहां पर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ बन जाय यह कह करके कि इलाहाबाद की दूरी बहुत है, मान्यवर, 1 प्रतिशत से भी कम लोग मुकदमा लड़ने वहां आते हैं और हाई कोर्ट में केवल एक बार जाते हैं । उसके बाद उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता है । केवल पैसा लूटा जाता है । पश्चिम में सड़कें बने, नहर ट्यूबवेल लगे लेकिन आप हाई कोर्ट की बेंच बनाकर प्रदेश को बांटना चाहता है, यह कदापि उचित नहीं है । मैं चाहूंगा कि राम और कृष्ण की धरती पर, गंगा और जमुना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को नहीं बांटा जा सकता है । उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश एक रहेगा । उसके लिए विभाजन का नारा नहीं लगाया जा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि कहां इसमें रोजी और रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है । हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में बन जाय तो कहां उनको नौकरी मिल रही है, कहां उनको सस्ता न्याय मिल रहा है ? आप यह भी कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच बना दें और हर प्रदेश में बना दें तो यह कहा तक सम्भव है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस देश में पं0 पंत ने भाषाई पास बनाये थे तब से जैसा राणा जी ने कहा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्य बन गये । आज यह उसी का असर है कि इस प्रकार का विवाद यहां हो रहा है, प्रांतों में दंगे हो रहे हैं । इनसे कहिए कि अपने यहां कारखानें खुलवायें, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय खुलवायें, नहर बनवा लें, ट्यूबवेल बनवा लें लेकिन खण्डपीठ की बात न करें ।

मैं एक बात कह कर खतम करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही यह गरिमा है कि वहां जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जज पैदा हुए अगर मेरठ में खण्डपीठ होती तो यह नहीं होता । इलाहाबाद ही ऐसी जगह है जहां से 5-5 प्रधान मंत्री हुए । जवाहर लाल नेहरू जी ने इसका समर्थन नहीं किया, माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी इसका समर्थन नहीं किया कि मेरठ में बेंच बनाई जाय । संविधान में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए किसी भी तरीके से इसकी बेंच पश्चिम में नहीं हो सकती है । मैं पश्चिम के भाईयों से कहूंगा उन्हें सदबुद्धि दे जिस खण्डपीठ की वह बात करते हैं उससे

प्रदेश बंट जायेगा इसे न बंटने दें यह प्रदेश की गरिमा का प्रश्न है जिसका नतीजा है कि यहां से 85 एम0 पी0 हमारे हैं और यहां चार चार प्रधान मंत्री बने हैं और अगला प्रधान मंत्री भी यहीं से होगा इसलिए मैं चाहूंगा वह सद्बुद्धि से काम लें ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

हमारी बुद्धि खराब हो गयी है । हमें खण्डपीठ दीजिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि उनकी बुद्धि खराब है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहस इनिशियेट करने के बाद मंत्री जी ने कहा था कि मैं बाद में कहूंगा । उन्होंने बचन दिया है कि सदन की राय जानने के बाद वह अपना मत परिवर्तित करेंगे और उसे केन्द्र को भेजेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

बटवारा करा लीजिये . . . .

श्री हरदेव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम शरण दास–

यह बंधुवा मजदूरों की तरह बैठे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी इनको बैठाइये या फिर आप बैठिए सब एक साथ कैसे बोल लेंगे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं मत विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं । मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जब चर्चा चली थी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सदन का मत जानने के बाद वह अपने विचार सदन में रखेंगे, तो उनसे जरूर जानकारी दिलवा दें इस बहस के बाद सरकार की स्थिति वही रह गयी है या कुछ बदलाव आया है, सरकार का विचार जरूर आ जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

पुछवा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए (घोर व्यवधान) आपको आसानी हो जायेगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए या फिर उन्हें बैठाइये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह बाद में कहेंगे । आप इस पर वोट करा दीजिए । सरकार को आसानी हो जायेगी कि बहुमत क्या चाहता है उसको सरकार केन्द्र को भेज देगी ।

(व्यवधान)

(वोटिंग कराई जाये की आवाजें)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायें । इसमें नियमानुसार वोटिंग की कोई प्रथा नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आज हाई कोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने के मामले को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी असंतोष है . . . ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम पूरा नहीं है, इसलिए बिना कोरम के आप कार्यवाही न चलायें । बिना कोरम के कार्यवाही चलाना अवैधानिक और अनुचित है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज कोरम का प्रस्ताव विरोध पक्ष से आया है । इसलिए इसका ध्यान रखा जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घंटी बजायें ।

(कोरम की घंटी बजायी गयी ।)

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घंटी बज रही है, इसलिए अब जो बोला जायेगा वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घंटी बज रही है, अब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(गणपूर्ति हेतु निर्धारित समय तक घंटी बजाए जाने तथा गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, और कल 10 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 45 मिनट पर शुक्रवार, अगले दिन के 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
30 मार्च, 1989 ई0

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

मत्स्य विकास निगम की हैचरीज में उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धि।

क्रम-संख्या	हैचरी का नाम			लक्ष्य	उत्पादन (संख्या लाख में)
1	गोमती	..	लखनऊ	200	89·30
2	त्रिवेणी	..	इलाहाबाद	200	89·00
3	सरयू	..	फैजाबाद	200	100·65
4	अमेठी	..	सुल्तानपुर	100	39·09
5	गोखपुर	..	गोरखपुर	100	32·09
6	राप्ती	..	बस्ती	200	64·10
7	यमुना	..	मथुरा	50	16·38
8	खुटार	..	शाहजहांपुर	..	15·98 (निर्माणाधीन)
9	शारदा	..	सीतापुर	100	5 51
10	काशीपुर	..	नैनीताल	..	11·05 (निर्माणाधीन)
11	परीक्षितगढ़	..	मेरठ	..	01·36 (निर्माणाधीन)
			योग ..	1150	465·012

टिप्पणी:—क्रमांक 8, 10 व 11 पर अंकित हैचरीज में स्थान का संचय कर मत्स्य बीज वितरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 42 पर)

श्री हर्ष वर्धन द्वारा प्रथम सत्र 89 के 7 वें गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर का संलग्नक--1

सम्बन्धित स्रोतों द्वारा कृषकों को वास्तविक पूर्ति की गई मात्रा (मै0 टन में)

क्रमांक	जनपद का नाम	कृषि विभाग	सहकारिता विभाग	गन्ना विभाग	यू0पी0 स्टेट एग्रो	अन्य (निजी विक्रेता)
1	अलीगढ़	362.000.000	10270.000.000	301.000.000	3517.000.000	40.708.000.000
2	एटा	166.587.810	8520.000.000	..	..	42.143.412.000
3	मथुरा	264.412.610	12662.550.000	901.000.000	889.950.000	11.500.000.000
4	गोरखपुर . ..	640.030.000	7697.648.000	1494.475.000	5517.134.000	74.343.775.000
5	बलिया	380.525.000	7862.000.000	20.000.000	452.000.000	14.325.000.000
6	मिर्जापुर	371.000.000	3703.000.000	..	1453.295.000	18.041.304.000

पी0एस0यू0पी0--एल0 87 विधान सभा (136)--1989--813 ।

अ० वि० विधान सभा